उत्तर प्रदेश
राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973[1]

(अधिनियम संख्या 10 सन् 1973)

(अद्यतन यथा संशोधित)

1974 का उ० प्र० अधिनियम संख्या 29, 1975 का उ० प्र० अधिनियम संख्या 21, 1977 का उ० प्र० अधिनियम संख्या 5, 1978 का उ० प्र० अधिनियम संख्या 12, 1980 का उ० प्र० अधिनियम संख्या 15, 1982 का उ० प्र० अधिनियम संख्या 10, 1982 का उ० प्र० अधिनियम संख्या 25, 1983 का उ० प्र० अधिनियम संख्या 4, 1983 का उ० प्र० अधिनियम संख्या 6, 1984 का उ० प्र० अधिनियम संख्या 18, 1985 का उ० प्र० अधिनियम संख्या 9, 1986 का उ० प्र० अधिनियम संख्या 15, 1987 का उ० प्र० अधिनियम संख्या 19, 1988 का उ० प्र० अधिनियम संख्या 9, 1989 का उ० प्र० अधिनियम संख्या 26, 1992 का उ० प्र० अधिनियम संख्या 1, 1994 का उ० प्र० अधिनियम संख्या 5, 1994 का उ० प्र० अधिनियम संख्या 20, 1995 का उ० प्र० अधिनियम संख्या 4, 1995 का उ० प्र० अधिनियम संख्या 14, 1996 का राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 4, 1997 का उ० प्र० अधिनियम संख्या 12, 1997 का उ० प्र० अधिनियम संख्या 18, 1998 का उ० प्र० अधिनियम संख्या 9, 1999 का उ० प्र० अधिनियम संख्या 10, 1999 का उ० प्र० अधिनियम संख्या 11, 1999 का उ० प्र० अधिनियम संख्या 20, 1999 का उ० प्र० अधिनियम संख्या 21, 2004 का उ० प्र० अधिनियम संख्या 1, 2004 का उ० प्र० अधिनियम संख्या 23, 2006 का उ० प्र० अधिनियम संख्या 28, 2007 का उ० प्र० अधिनियम संख्या 5, 2009 का उ० प्र० अधिनियम संख्या 6, 2010 का उ० प्र० अधिनियम संख्या 11 ।

कतिपय विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित विधि को संशोधित और समेकित करने के लिए अधिनियम

[2][इसे एतद्द्वारा निम्नवत् अधिनियमित किया जाता है ।]

अध्याय I

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के नाम से जाना जा सकेगा।

(2) यह उस तारीख को प्रभाव में आयेगा जिसे राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा नियत कर सकेगी और भिन्न विद्यमान विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और किसी विद्यमान विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के लिए सन्दर्भों का उस तारीख के रूप में अर्थान्वयन किया जायेगा जब यह अधिनियम उसके सम्बन्ध में लागू होता है।

(3) वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय, (जो इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात् उस विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के नाम से जाना जायेगा,) के लिए उसके उपयोजन में, राज्य सरकार [3][समय-समय पर] गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों में सारांश को प्रभावित न करने वाले ऐसे अपवादों अथवा उपान्तरणों को कर सकेगी जैसा परिस्थितियों में अपेक्षा की जाये।

---

1. देखें : दिनांक 2 सितम्बर, 1973 की अधिसूचना संख्या 2978(2)/XVII-V-1-170/72 ।
2. 1974 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 29 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. वर्ष 1975 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 21 द्वारा अन्तःस्थापित (2-5-1975 से प्रभावी)।

(4) (क) काशी विद्यापीठ के लिए उसके उपयोजन में, उसके धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हो जाने के पश्चात्, राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों में सारांश को प्रभावित न करने वाले ऐसे अपवादों अथवा उपान्तरणों को कर सकेगी जैसा परिस्थितियों में अपेक्षा की जाये।

(ख) [1][* * *]

टिप्पणियाँ

अधिनियम का अर्थान्वयन—यदि किसी विशिष्ट विनियम के दो अर्थान्वयन सम्भव हों, तो उच्च न्यायालय के लिए यह समीचीन नहीं है कि वह शैक्षिक प्राधिकारी के विनिश्चय को इस आधार पर अभिशून्य करार दे कि सुसंगत विनियम पर उक्त प्राधिकारी द्वारा किया गया अर्थान्वयन उच्च न्यायालय को उस वैकल्पिक अर्थान्वयन से कम युक्तियुक्त लगता है जिसे स्वीकार करने में उसे संतोष है। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि उच्च न्यायालय को केवल तभी हस्तक्षेप करना चाहिए जब वह ऐसा करना न्याय के हित में समझे। *प्रधानाचार्य, पटना कालेज* बनाम *के० एस० रमन,* ए० आई० आर० 1966 एस० सी० 707 ।

यदि अध्यादेशों और विनियमों में कोई विरोधाभास हो, तो अध्यादेश अभिभावी होंगे एवं विनियम पृथक् कर दिये जायेंगे। *अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी* बनाम *नादिर रज़ा नक़वी,* 1978 लेबर एण्ड इण्डस्ट्रियल केसेज 991; *अक्षयवर लाल* बनाम *उपकुलपति,* ए० आई० आर० 1961 एस० सी० 619।

2. परिभाषायें—इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षा न की जाये :

(1) *"विद्या परिषद्", "सभा"* एवं *"कार्यपरिषद्"* विश्वविद्यालय की क्रमशः कार्यपरिषद् सभा और कार्यपरिषद् से अभिप्रेत है;

(2) *"सम्बद्ध महाविद्यालय"* इस अधिनियम और उस विश्वविद्यालय के परिनियमों के प्रावधानों के अनुसार विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्था से अभिप्रेत है;

(3) *"विश्वविद्यालय का क्षेत्र"* धारा 5 या जैसा विषय हो धारा 4 द्वारा या उसके अधीन विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट क्षेत्र से अभिप्रेत है;

(4) *"सहयुक्त महाविद्यालय"* ऐसी किसी भी संस्था से अभिप्रेत है जिसे विश्वविद्यालय की उपाधि हेतु प्रवेश के लिए आवश्यक अध्यापन का प्रावधान करने हेतु [2][इस अधिनियम एवं विश्वविद्यालय के परिनियमों] के प्रावधानों के अधीन विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्रदान की गयी हो और इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो;

(5) *"स्वायत्त महाविद्यालय"* ऐसे सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय से अभिप्रेत है जिसे धारा 42 के प्रावधानों के अनुसार इस रूप में घोषित किया गया हो;

[3][(5 क) अभिव्यक्ति *"नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग"* का वही अर्थ होगा, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 में दिया गया है];

---

1. 1974 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 29 द्वारा लोपित।
2. पदावली "इस अधिनियम" के लिए 1974 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 29 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. 1994 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 20 द्वारा अन्तःस्थापित (15-7-1994 से प्रभावी)।

[1][(5-ख) *"केन्द्रीय अध्ययन परिषद्"* धारा 18-ख में निर्दिष्ट केन्द्रीय अध्ययन परिषद् से अभिप्रेत है];

(6) *"घटक महाविद्यालय"* ऐसी संस्था से अभिप्रेत है जिसे विश्वविद्यालय द्वारा या राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित किया जाता हो और परिनियमों द्वारा उसे इस रूप में नामांकित किया गया हो;

[2][(6-क) *"समन्वय परिषद्"* धारा 18-क के अधीन गठित समन्वय परिषद् से अभिप्रेत है];

(7) *"निदेशक"* किसी संस्था के सम्बन्ध में उस संस्था के प्रधान से अभिप्रेत है;

(8) *"विद्यमान विश्वविद्यालय"* लखनऊ विश्वविद्यालय, [3][* * *], आगरा [4][जो 24 सितम्बर, 1995 से डॉ० भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय, आगरा के नाम से जाना जायेगा], गोरखपुर [5][जो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1997 के प्रारम्भ होने की तारीख से दीनदयाल उपाध्याय, गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के नाम से जाना जायेगा], कानपुर [6][जो 24 सितम्बर, 1995 से श्री शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर के नाम से तथा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1997 के प्रारम्भ होने की तारीख से क्षत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर के नाम से जाना जायेगा] अथवा मेरठ [7][जो 17 जनवरी, 1994 से चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ के नाम से जाना जायेगा] अथवा जैसा विषय हो सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय से अभिप्रेत है;

(9) *"संकाय"* विश्वविद्यालय के संकाय से अभिप्रेत है;

[8][(9-क) *"आधार पाठ्यक्रम"* किसी व्यक्ति की स्वयं के एवं सामाजिक, सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक वातावरण के प्रति और अधिक जागरूकता से अभिप्रेत है];

(10) *"विश्वविद्यालय का छात्र निवास (अथवा महाविद्यालय)"* विद्यार्थियों के लिए निवास की ऐसी इकाई से अभिप्रेत है जो विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित या मान्यता प्राप्त है, जहां अनुशिक्षण एवं अन्य सम्पूरक निर्देशों को प्रदान करने के लिए प्रावधान किया गया है;

(11) *"विश्वविद्यालय का छात्रावास"* छात्र निवास को छोड़कर विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित या मान्यताप्राप्त विद्यार्थियों के लिए निवास की इकाई से अभिप्रेत है और "सम्बद्ध अथवा सहयुक्त महाविद्यालय के छात्रावास" उस महाविद्यालय के विद्यार्थियों के निवास की इकाई से अभिप्रेत है;

(12) *"संस्थान"* धारा 44 के अधीन स्थापित संस्थान से अभिप्रेत है;

---

1. 1996 के राष्ट्रपति के अधिनियम संख्यांक 4 द्वारा अन्त:स्थापित (11-7-1995 से प्रभावी)।
2. 1996 के राष्ट्रपति के अधिनियम संख्यांक 4 द्वारा अन्त:स्थापित (11-7-1995 से प्रभावी)।
3. 2005 के अधिनियम संख्यांक 26 द्वारा शब्द "इलाहाबाद" लोपित (14-7-2005 से प्रभावी) अब देखें इलाहाबाद विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 (2005 का 26), पृष्ठ संख्या 141।
4. 1996 के राष्ट्रपति के अधिनियम संख्यांक 4 द्वारा अन्त:स्थापित (23-9-1995 से प्रभावी)।
5. 1997 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 18 द्वारा अन्त:स्थापित (16-8-1997 से प्रभावी)।
6. 1997 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 12 द्वारा प्रतिस्थापित।
7. 1994 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 5 द्वारा अन्त:स्थापित (17-1-1994 से प्रभावी)।
8. 1996 के राष्ट्रपति के अधिनियम संख्यांक 4 द्वारा अन्त:स्थापित (11-7-1995 से प्रभावी)।

(13) *"प्रबन्ध तंत्र"*, किसी सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के सम्बन्ध में, प्रबन्ध समिति या ऐसे अन्य निकाय से अभिप्रेत है जिसे उस महाविद्यालय के कार्यकलाप का प्रबन्ध करने के लिए धारित किया गया है और उसे विश्वविद्यालय द्वारा उस रूप में मान्यता प्रदान की गई है :

[1][परन्तु यह कि नगर पालिका परिषद् या नगर महापालिका द्वारा अनुरक्षित ऐसे किसी महाविद्यालय के सम्बन्ध में, अभिव्यक्ति "प्रबन्ध तंत्र" उस परिषद् या जैसा विषय हो, महापालिका की शिक्षा समिति से अभिप्रेत है और अभिव्यक्ति "प्रबन्ध तंत्र का अध्यक्ष" उस समिति के अध्यक्ष से अभिप्रेत है।]

(14) *"विहित"* परिनियमों द्वारा विहित से अभिप्रेत है;

(15) *"प्राचार्य"* किसी सम्बद्ध, सहयुक्त या घटक महाविद्यालय के सम्बन्ध में, उस महाविद्यालय के प्रधान से अभिप्रेत है;

(16) *"पंजीकृत स्नातक"* इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन अथवा इस अधिनियम द्वारा निरसित किसी अधिनियमिति के अधीन पंजीकृत विश्वविद्यालय के स्नातक से अभिप्रेत है;

(17) *"परिनियम"*, *"अध्यादेश"* और *"विनियम"* क्रमशः विश्वविद्यालय के परिनियमों, अध्यादेशों एवं विनियमों से अभिप्रेत है;

[2][(18) *"स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम"* ऐसे पाठ्यक्रम से अभिप्रेत है जिसके सम्बन्ध में सभी वित्तीय दायित्वों को किसी सहयुक्त या सम्बद्ध महाविद्यालय के प्रबन्ध तंत्र अथवा विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जायेगा];

[3][(19) *"अध्यापक"* अध्याय XI-क को छोड़कर इस अधिनियम के प्रावधानों के सम्बन्ध में किसी विश्वविद्यालय में या संस्थान में या विश्वविद्यालय के घटक या सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय में उस विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित किसी भी विषय या पाठ्यक्रम में शिक्षण प्रदान करने या मार्गदर्शन देने या अनुसन्धान करने के लिए नियोजित व्यक्ति से अभिप्रेत है और उसमें प्राचार्य अथवा निदेशक सम्मिलित है];

(20) *"विश्वविद्यालय"* विद्यमान विश्वविद्यालय अथवा इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् धारा 4 के अधीन स्थापित नये विश्वविद्यालय से अभिप्रेत है;

(21) *"श्रमजीवी महाविद्यालय"* धारा 43 के प्रावधानों के अनुसार इस रूप में मान्यता प्राप्त सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय से अभिप्रेत है।

टिप्पणियाँ

1. सम्बद्ध और सहयुक्त महाविद्यालयों के मध्य अन्तर
2. विश्वविद्यालय का अभिप्राय
3. विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्रदान करना
4. शब्द "अर्थ" की परिभाषा खण्ड में प्रयुक्त
5. भेदभाव—भारत का संविधान, 1950—अनुच्छेद 14—उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973
6. पुनर्विलोकन उपकुलपति की शक्ति—उ० प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973
7. लोक सेवा और पद

---

1. 1978 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 12 द्वारा अन्तःस्थापित।
2. 2004 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 1 द्वारा प्रतिस्थापित (11-7-2003 से प्रभावी)।
3. 2004 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 1 द्वारा प्रतिस्थापित (11-7-2003 से प्रभावी)।

1. *सम्बद्ध और सहयुक्त महाविद्यालयों के मध्य अन्तर*—वह महाविद्यालय, जिन्हें आवासिक विश्वविद्यालयों द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है, सहयुक्त महाविद्यालयों के नाम से जाना जाता है, एवं वह महाविद्यालय 'जिन्हें आवासिक और सम्बद्धक' तथा सम्बद्धक विश्वविद्यालयों से मान्यता प्राप्त होती है, सम्बद्ध महाविद्यालयों के नाम से जाने जाते हैं। ये दोनों प्रकार के महाविद्यालय गैर-सरकारी रूप से चलाये जाने वाले महाविद्यालय होते हैं। *मिस मीना मुखर्जी* बनाम *कुलपति इलाहाबाद विश्वविद्यालय*, ए० आई० आर० 1972 इला० 381।

2. *विश्वविद्यालय का अभिप्राय*—विधि द्वारा विश्वविद्यालय के निगमन का अभिप्राय भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में राज्य सूची के मद 32 में प्रदत्त विधायी शक्तियों का प्रयोग करते हुए विश्वविद्यालय के निगमन से सम्बन्धित अधिनियमित द्वारा विश्वविद्यालय की स्थापना एवं निगमन से है। हिन्दी साहित्य सम्मेलन सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अधीन पंजीकृत सोसाइटी मात्र ही है, इस तरह से उसे विश्वविद्यालय नहीं कहा जा सकता। *बाबू लाल* बनाम *उपकुलपति, राँची*, 1975 एम० पी० एल० डे० 620।

शब्द "विश्वविद्यालय" का अभिप्राय उत्तर प्रदेश राज्य में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से है। इसका अभिप्राय कभी भी नेपाल राज्य में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से नहीं हो सकता है। अन्य देशों में स्थापित विश्वविद्यालयों को उपाधियों की पारस्परिकता के सिद्धान्त पर अभिव्यक्त रूप से मान्यता प्रदान की जानी पड़ेगी। *राम सूरत* बनाम *सत्य नारायण*, 1972 सेवर एण्ड इण्डस्ट्रियल केसेज 255।

3. *विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्रदान करना*—आगरा विश्वविद्यालय अधिनियम के अधीन विरचित परिनियम 27-क के तहत कार्यपरिषद् का निर्णय उपरोक्त उपखण्ड की अर्थ व्याप्ति के भीतर विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता की कोटि में आयेगा क्योंकि अधिनियम के अधीन मान्यता की कोई विनिर्दिष्ट पद्धति प्रदान नहीं की गयी है। *पी० सी० सिकन्द* बनाम *उपकुलपति, आगरा विश्वविद्यालय*, 1979 ए० एल० जे० (एन० ओ० सी०) 801 (डी० बी०)।

4. *शब्द "अर्थ" की परिभाषा खण्ड में प्रयुक्त*—जब किसी शब्द को अमुक अर्थ में परिभाषित किया जाता है, तो वह परिभाषा प्रथमदृष्ट्या संकुचित और निःशेष होती है। *वेंगार्ड फायर एण्ड जनरल इन्श्योरेन्स कं० लि०* बनाम *फ्रेंसर एण्ड रोस*, ए० आई० आर० 1960 एस० सी० 971।

5. *भेदभाव—भारत का संविधान, 1950—अनुच्छेद 14—उ० प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973*—इसमें संघटक महाविद्यालय को परिभाषित किया गया है। लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम में परिनियम संख्या 12.01, धारा 2 (19) के साथ पठन करते हुए विश्वविद्यालय के अध्यापक को परिभाषित किया गया है। दिनांक 23-10-1997 के शासनादेश में विश्वविद्यालय के अध्यापकों के लिए कतिपय सेवानिवृत्ति के लाभों को प्रदान किया गया है जैसे कि कुल सेवा अवधि में तदर्थ, प्रशासनिक एवं स्थानों को सम्मिलित किया जाना और सेवा निवृत्ति के लाभों को कारित करने में वेतन में गैर-व्यवसाय के भत्ते को सम्मिलित करना। इन लाभों को प्रत्यर्थीगण द्वारा लखनऊ मेडिकल कालेज के अध्यापकों को वंचित किया गया है। यह अभिनिर्धारित किया गया कि लखनऊ मेडिकल कालेज धारा 2 (6) एवं परिनियम 12.01 के अनुसार संघटक महाविद्यालय है एवं मेडिकल कालेज के अध्यापक धारा 2 (19) के अनुसार विश्वविद्यालय के अध्यापक है। इसलिए मेडिकल कालेज के अध्यापक-याचीगण का दावा अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हुए नामंजूर किया गया इसे भेदभाव का स्पष्ट मामला माना गया। *डॉ० ए० आर० सरकार* बनाम *उ० प्र० राज्य*, (2002) 1 यू० पी० एल० बी० ई० सी० 615 (इला०)।

6. *पुनर्विलोकन उपकुलपति की शक्ति—उ० प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973*—कतिपय वाद में यहाँ पर प्रश्न उठा कि क्या किसी संस्था की प्रबन्ध समिति को मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में उपकुलपति को पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है, ऐसी स्थिति में यह अभिनिर्धारित किया कि पुनर्विलोकन की शक्ति परिनियम द्वारा सृजित शक्ति है और विश्वविद्यालय अधिनियम अथवा गोरखपुर विश्वविद्यालय के परिनियम के अधीन उपकुलपति को ऐसी कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। *जव्वाद अली शाह इमाम बाड़ा मुस्लिम गर्ल्स डिग्री कालेज सोसाइटी, गोरखपुर एवं अन्य* बनाम *उपकुलपति, दीनदयाल उपाध्याय, गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर एवं अन्य*, (2007) 1 यू० पी० एल० बी० ई० सी० (सम०) 54 (इला०)।

7. लोक सेवा और पद—इस पदावली को उ० प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 2 (ग) (iv) में अन्तर्विष्ट किया गया है। "प्रोफेसर" को अधिनियम की धारा 2 (19) में परिभाषित किया गया है। पारिणामिक रूप से *डॉ० विपिन अग्रवाल* बनाम *इलाहाबाद विश्वविद्यालय,* 1997 (3) ई० एस० सी० 1710 (इला०) (डी० बी०) के बाद में खण्डपीठ द्वारा अपनाया गया यह मत सही नहीं है कि वह धारा 2 (ग) (iv) के अन्तर्गत आता है। इस तरह से शब्द "प्रोफेसर" इस अधिनियम की धारा 2 (19) द्वारा भी आच्छादित है। *डॉ० जगदम्बा सिंह* बनाम *कुलपति, इलाहाबाद विश्वविद्यालय,* (2010) 3 यू० पी० एल० बी० ई० सी० 2563।

अध्याय II

विश्वविद्यालय

3. विश्वविद्यालयों का निगमन—(1) कुलपति, उप कुलपति और कार्यपरिषद, सभा और विद्या परिषद के तत्समय किसी भी विश्वविद्यालय में इस रूप में पद धारण करने वाले सदस्य, उस विश्वविद्यालय के नाम से निगमित निकाय का गठन करेंगे।

(2) प्रत्येक विश्वविद्यालय का शाश्वत उत्तराधिकार होगा और उसकी सामान्य मुहर होगी और वह अपने नाम से वाद को लाएगा और उस पर वाद को लाया जाएगा।

टिप्पणी

रजिस्ट्रार विधिक सत्ता नहीं—इस अधिनियम को धारा 3 की उपधारा (2) के अनुसार विश्वविद्यालय का शाश्वत उत्तराधिकार एवं सामान्य मुहर होता है तथा वह अपने नाम से वाद चलाने का हकदार होता है एवं उस पर वाद चलाया जा सकता है। विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार कोई विधिक सत्ता नहीं है और इसलिए वह वाद चलाने का हकदार नहीं है एवं उस पर वाद नहीं चलाया जा सकता। यदि नियम द्वारा या अन्य प्रकार से प्राधिकृत हो तो वह विश्वविद्यालय की ओर से अभिवचनों पर हस्ताक्षर करने के लिए सक्षम हो सकता है, लेकिन वह रजिस्ट्रार के रूप में वाद नहीं चला सकता और न ही उस पर वाद चलाया जा सकता है। ऐसे वाद में विश्वविद्यालय के विरुद्ध कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता। *आयकर आयुक्त* बनाम *गोलक नाथ,* ए० आई० आर० 1979 गौहाटी 10 ।

4. नये विश्वविद्यालयों की स्थापना एवं विश्वविद्यालयों के क्षेत्रों अथवा नामों में परिवर्तन—(1) उस तारीख से जिसे राज्य सरकार गजट में अधिसूचना के माध्यम से इस निमित्त नियत कर सकेगी, अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्रमशः क्षेत्रों के लिए नैनीताल में कुमायूं विश्वविद्यालय, श्रीनगर (जिला गढ़वाल) में गढ़वाल विश्वविद्यालय स्थापित किया जायेगा [1][जिसे 25 अप्रैल, 1989 से हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के नाम से जाना जायेगा]।

[2][(1-क) उस तारीख या तारीखों से जिसे राज्य सरकार गजट में अधिसूचना के माध्यम से नियत कर सकेगी, अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्रमशः क्षेत्रों के लिए निम्नलिखित की स्थापना की जायेगी—

(क) झांसी में बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय;

(ख) फैजाबाद में अवध विश्वविद्यालय [3][जिसे 18 जून, 1994 से डॉ० राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, फैजाबाद के नाम से और 11 जुलाई, 1995 से डॉ० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद के नाम से जाना जायेगा]; [4][* * *]

---

1. [illegible] के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 26 द्वारा अन्तःस्थापित (24-4-1989 से प्रभावी)।
2. [illegible] के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 29 द्वारा अन्तःस्थापित।
3. [illegible] के अधिनियम संख्यांक 4 द्वारा अन्तःस्थापित (11-7-1995 से प्रभावी)।
4. [illegible] के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 19 द्वारा लोपित।

(ग) बरेली में रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय [1][जिसे उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1997 के प्रारम्भ होने की तारीख से महात्मा ज्योतिबा फूले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली के नाम से जाना जायेगा];

[2][(घ) जौनपुर में पूर्वांचल विश्वविद्यालय के नाम से विदित विश्वविद्यालय, जिसे उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1999 के प्रारम्भ होने की तारीख से वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर के नाम से जाना जायेगा];

[3][(ङ) विश्वविद्यालय को उर्दू, उत्तर प्रदेश अरबी, फारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ के रूप में जाना जायेगा।]

(1-ख) उपधारा (1-क) के अधीन स्थापित किये जाने वाले विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में—

(क) राज्य सरकार विश्वविद्यालय के अन्तरिम अधिकारियों (कुलपति को छोड़कर) की नियुक्ति करेगी और वह उन विश्वविद्यालयों के अन्तरिम प्राधिकारियों का ऐसी रीति से गठन करेगी जिसे वह उपयुक्त समझे;

[4][(ख) खण्ड (क) के अधीन नियुक्त अधिकारी और गठित प्राधिकारियों के सदस्य तब तक पद धारित करेंगे [5][* * *] जब तक कि अधिकारियों की नियुक्ति अथवा प्राधिकारियों का गठन खण्ड (ग) के अनुसार न हो [6][अथवा ऐसी अन्य पूर्वोत्तर तारीख पर जिसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियत किया जा सकेगा] :

[7][परन्तु यह कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसे प्राधिकारियों के सदस्यों के कार्यकाल को ऐसी अवधि तक विस्तारित कर सकेगी जो एक वर्ष से अधिक नहीं होगी]।

(ग) राज्य सरकार उन विश्वविद्यालयों के अधिकारियों की नियुक्ति और प्राधिकारियों के गठन के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कदम उठायेगी ताकि उसे खण्ड (ख) के अधीन अन्तरिम अधिकारियों और सदस्यों के क्रमशः कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पूर्ण किया जा सके।]

(2) उस तारीख से जिसे राज्य सरकार गजट में अधिसूचना के माध्यम से उस निमित्त नियत करे, वाराणसी में काशी विद्यापीठ के नाम से विदित संस्थान को इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय के रूप में समझा जायेगा [8][जिसे 11 जुलाई, 1995 से महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी के नाम से जाना जायेगा]।

(3) उपधारा (2) के अधीन नियत तारीख से—

(i) काशी विद्यापीठ, वाराणसी के नाम से विदित सोसाइटी का विघटन हो जायेगा, और उस सोसाइटी की स्थावर एवं जंगम सभी सम्पत्तियां एवं अधिकार, शक्तियां तथा विशेषाधिकार

---

1. 1997 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 18 द्वारा अन्तःस्थापित (16-8-1997 से प्रभावी)।
2. 1999 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 11 द्वारा प्रतिस्थापित (18-1-1997 से प्रभावी)।
3. 2010 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 11 द्वारा प्रतिस्थापित (1-10-2009 से प्रभावी)।
4. 1978 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 12 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. 1997 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 19 द्वारा लोपित।
6. 1997 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 19 द्वारा प्रतिस्थापित।
7. 1977 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 5 द्वारा अन्तःस्थापित।
8. 1996 के राष्ट्रपति अधिनियम संख्यांक 4 द्वारा अन्तःस्थापित (11-7-1995 से प्रभावी)।

विश्वविद्यालय को अन्तरित तथा उसमें निहित हो जायेंगे और उन उद्देश्यों एवं प्रयोजनों के लिए लागू किए जायेंगे जिनके लिए विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी है;

(ii) उक्त सोसाइटी के सभी ऋण, दायित्व और बाध्यतायें विश्वविद्यालय को अन्तरित हो जायेंगी और तत्पश्चात् उनका निर्वहन एवं समाधान उसके द्वारा किया जायेगा;

(iii) उक्त सोसाइटी के लिए किसी भी अधिनियमिति में सभी सन्दर्भ उस विश्वविद्यालय के सन्दर्भ में अर्थान्वित किये जायेंगे;

(iv) कोई भी वसीयत, विलेख या अन्य दस्तावेज, चाहे उन्हें इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व या पश्चात् निष्पादित किया गया हो, जिसमें उक्त सोसाइटी के पक्ष में कोई भी निवेदन, दान या न्यास का उसी प्रकार के अर्थान्वयन किया जायेगा मानो उसमें उस सोसाइटी के बजाय विश्वविद्यालय को बताया गया हो;

(v) इस अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन, उक्त सोसाइटी में उक्त तारीख के तत्काल पूर्व नियोजित प्रत्येक व्यक्ति उस तारीख से प्रभावी उसी कार्यावधि एवं सेवा की उन्हीं शर्तों पर या उस जैसी शर्तों पर विश्वविद्यालय का कर्मचारी बन जायेगा जिनकी परिवर्तित परिस्थितियां अनुमति दें, जिसे उसने उक्त सोसाइटी के अधीन उस दशा में धारित किया होता यदि उस अधिसूचना को जारी किया गया होता।

(2) राज्य सरकार गजट में अधिसूचना के माध्यम से—

(क) विश्वविद्यालय के क्षेत्र में वृद्धि कर सकेगी;

(ख) विश्वविद्यालय के क्षेत्र को कम कर सकेगी; अथवा

(ग) विश्वविद्यालय के नाम में परिवर्तन कर सकेगी :

परन्तु यह कि राज्य विधानमण्डल के दोनों सदनों के संकल्प द्वारा पूर्वानुमोदन के सिवाय ऐसी कोई भी अधिसूचना जारी नहीं की जायेगी।

(3) इस धारा के अधीन किसी भी अधिसूचना में उस अधिसूचना द्वारा प्रभावित विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालयों की अनुसूची, तथा परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों के संशोधन के ऐसे प्रावधान को निर्दिष्ट कर सकेगी जो उस अधिसूचना के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक हों और तत्पश्चात् वह अनुसूची एवं वो परिनियम, अध्यादेश एवं विनियम तदनुसार संशोधित हो जायेंगे।

(4) उपधारा (5) के प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस धारा के अधीन किसी भी अधिसूचना में निम्नलिखित मामलों के लिए प्रावधान किया जा सकेगा, अर्थात्—

(क) उक्त अधिसूचना द्वारा प्रभावित विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालयों के प्राधिकारियों में व्यक्तियों के विभिन्न हितों या वर्गों के प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में प्रावधान;

(ख) उस समय विद्यमान किसी विश्वविद्यालय के पंजीकृत स्नातकों द्वारा उसी विश्वविद्यालय के पंजीकृत स्नातक बने रहने या किसी नये स्थापित किये गये विश्वविद्यालय में पंजीकरण कराने के विकल्प का प्रयोग करने हेतु प्रावधान, लेकिन कोई भी व्यक्ति एक से अधिक विश्वविद्यालय का पंजीकृत स्नातक नहीं होगा;

(ग) ऐसे अन्य सम्पूरक, आनुषंगिक तथा पारिणामिक प्रावधान जिन्हें राज्य सरकार आवश्यक समझे।

स्पष्टीकरण—इस धारा और धारा 5 के प्रयोजनों के लिए, ''काशी विद्यापीठ'' उस संस्थान से अभिप्रेत है जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन पंजीकृत काशी विद्यापीठ के रूप में विदित सोसाइटी द्वारा वाराणसी में स्थापित और प्रशासित काशी विद्यापीठ के नाम से जानी जाती है, जिसके सम्बन्ध में उक्त सोसाइटी की निरीक्षक सभा में 28 मई, 1972 को राज्य सरकार से उक्त संस्थान की सम्पूर्ण स्थावर और जंगम सम्पत्तियों का अधिग्रहण करने और उसे राज्य विश्वविद्यालय में संपरिवर्तित करने का निवेदन करते हुए संकल्प पारित किया है।

5. शक्तियों के राज्य क्षेत्र का प्रयोग—(1) इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन अन्यथा यथा उपबन्धित के सिवाय प्रत्येक विश्वविद्यालय सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय को छोड़कर [1][* * *] को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग अनुसूची में उसके सामने विनिर्दिष्ट तत्समय क्षेत्र के सम्बन्ध में प्रयोग किया जा सकेगा।

(2) सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भी भाग में स्थित संस्थाओं को सम्बद्ध कर सकेगा और ऐसे राज्यक्षेत्र के या विदेश के अध्यापकों को मान्यता प्रदान कर सकेगा और अपनी परीक्षाओं के लिए उस राज्यक्षेत्र या विदेश से अभ्यर्थियों को प्रवेश दे सकेगा :

परन्तु यह कि विश्वविद्यालय सम्बन्धित सरकार की सिफारिश के सिवाय—

(क) उत्तर प्रदेश से बाहर संस्था को सम्बद्ध नहीं करेगा, अथवा

(ख) उत्तर प्रदेश से बाहर अवस्थित तथा किसी भी सरकार द्वारा अनुरक्षित संस्था में नियोजित किसी भी अध्यापक को मान्यता प्रदान नहीं करेगा।

(3) [2][* * *]

(4) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए, औषधि की आयुर्वेदिक तथा यूनानी पद्धतियों की संस्था एवं अनुसंधान कार्य के सम्बन्ध में [3][[4][छत्रपति] शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर] और उनके ज्ञान की वृद्धि और प्रसार के लिए प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में किया जा सकेगा।

[5][(5) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होम्योपैथिक शैक्षिक और शैक्षणिक संस्थाओं को [6][डॉ० भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय, आगरा अथवा [7][छत्रपति] शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर] से सम्बद्ध किया जा सकेगा।]

[8][(6) उपधारा (1) अथवा धारा 37 की उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए, भारतीय चिकित्सा उपाधि अधिनियम, 1916 में यथा परिभाषित पश्चिमी चिकित्सा विज्ञान, अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी अथवा प्रबन्धन को उत्तर प्रदेश में कहीं भी शिक्षा या निर्देश प्रदान करने के लिए स्थापित या

---

1. उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2009 का उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 6 द्वारा लोप किया गया [24-2-2009 को राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्राप्त और उ० प्र० गजट असाधारण, भाग 1, अनुभाग (क) में दिनांक 25-2-2009 को प्रकाशित]।
2. उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2009 का उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 6 द्वारा लोप किया गया [24-2-2009 को राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्राप्त और उ० प्र० गजट असाधारण, भाग 1, अनुभाग (क) में दिनांक 25-2-2009 को प्रकाशित]।
3. 1996 के राष्ट्रपति अधिनियम संख्यांक 4 द्वारा प्रतिस्थापित (23-9-1995 से प्रभावी)।
4. 1997 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 12 द्वारा ''श्री'' के लिए प्रतिस्थापित किया गया।
5. 1977 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 14 द्वारा अन्त:स्थापित।
6. 1996 के राष्ट्रपति अधिनियम संख्यांक 6 द्वारा प्रतिस्थापित (23-9-1995 से प्रभावी)।
7. 1997 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 12 द्वारा ''श्री'' के लिए प्रतिस्थापित।
8. 1996 के राष्ट्रपति अधिनियम संख्यांक 4 द्वारा अन्त:स्थापित (25-8-1995 से प्रभावी)।

स्थापित किये जाने के लिए प्रस्तावित संस्थायें इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा जारी किये जा सकने वाले निदेशों के अध्यधीन किसी भी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध की जा सकेंगी।]

[1][(7) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए, उर्दू, अरबी, और फारसी में शिक्षा और अनुसंधान एवं उसके ज्ञान की वृद्धि तथा विस्तार के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश उर्दू, अरबी, फारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ की प्रदत्त शक्तियां सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में प्रयोग की जायेंगी।]

टिप्पणी

विश्वविद्यालय द्वारा डिग्री कालेज को सम्बद्धता—धारा 5 (1) एवं अनुसूची—कतिपय वाद में जहाँ याची डिग्री कालेज इलाहाबाद में अवस्थित था, उसे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय (जौनपुर विश्वविद्यालय) द्वारा सम्बद्धता प्रदान की गयी थी। लेकिन 2006 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 28 [उ० प्र० राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2006] द्वारा अनुसूची के संशोधन द्वारा इलाहाबाद का सम्पूर्ण जिला कानपुर विश्वविद्यालय (छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर) के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार में अन्तरित कर दिया गया। इस तरह से, याची महाविद्यालय से यह कहा गया कि वह कानपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करे। याची महाविद्यालय को इससे पूर्व प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र का कोई प्रयोजन नहीं हो सकता है। *प्रबन्ध समिति, इन्द्रावास कुमारी मेमोरियल डिग्री कालेज, आनापुर, इलाहाबाद बनाम उ० प्र० राज्य एवं अन्य*, (2007) 2 यू० पी० एल० बी० ई० सी० 1733 (इला०)।

6. विश्वविद्यालय सभी वर्गों एवं सम्प्रदायों के लिए खुला रहेगा—विश्वविद्यालय वर्ग या सम्प्रदाय को ध्यान में रखे बिना सभी व्यक्तियों के लिए खुला रहेगा, लेकिन इस धारा में कही गयी किसी भी बात का विश्वविद्यालय से किसी भी पाठ्यक्रम में उससे भी अधिक संख्या में विद्यार्थियों को प्रवेश देने की अपेक्षा नहीं की जायेगी जिसे अध्यादेशों द्वारा अवधारित किया जाये :

परन्तु यह कि इस धारा में कही गयी किसी भी बात का [2][अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों] के विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए विशेष प्रावधानों को करने से विश्वविद्यालय को निवारित करना नहीं समझा जायेगा।

7. विश्वविद्यालय की शक्तियां एवं कर्तव्य—विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां एवं कर्तव्य होंगे, अर्थात्—

(1) ज्ञान की ऐसी शाखाओं में शिक्षण की व्यवस्था करना जिन्हें विश्वविद्यालय उपयुक्त समझे, तथा अनुसंधान के लिए और ज्ञान की वृद्धि तथा प्रसार के लिए प्रावधानों को करना;

(2) किसी महाविद्यालय को सम्बद्धता या मान्यता का विशेषाधिकार प्रदान करना अथवा पहले से सम्बद्ध या जैसा विषय हो मान्यता प्राप्त महाविद्यालय के विशेषाधिकारों में वृद्धि करने, या वापस लेने या उनमें कमी करने तथा सम्बद्ध और सहयुक्त महाविद्यालयों का मार्गदर्शन करना और उनके कार्य को नियंत्रित करना;

(3) उपाधियों, डिप्लोमा और अन्य शैक्षिक विशिष्टिताओं को प्रस्तुत करना;

(4) ऐसे व्यक्तियों के लिए परीक्षाओं को आयोजित करना एवं ऐसे व्यक्तियों को उपाधियों, डिप्लोमाओं और अन्य शैक्षिक विशिष्टिताओं को प्रदान करना, जिन्होंने—

(क) विश्वविद्यालय, संघटक महाविद्यालय या सम्बद्ध महाविद्यालय, या सहयुक्त महाविद्यालय में अध्ययन के पाठ्यक्रम का अनुशीलन किया है; अथवा

---

1. 2010 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 11 द्वारा प्रतिस्थापित (1-11-2009 से प्रभावी)।
2. 1994 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 20 द्वारा प्रतिस्थापित (15-7-1994 से प्रभावी)।

(ख) विश्वविद्यालय में या उस विश्वविद्यालय में उस निमित्त मान्यता प्राप्त किसी संस्था में या स्वतन्त्र रूप से परिनियमों और अध्यादेशों में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन अनुसंधान किया है; अथवा

(ग) पत्राचार के माध्यम से चाहे विश्वविद्यालय के किसी क्षेत्र में रहते हुए हो या नहीं अध्ययन के पाठ्यक्रम का अनुशीलन किया है और विश्वविद्यालय द्वारा ऐसी शर्तों के अध्यधीन जिन्हें परिनियमों और अध्यादेशों में निर्दिष्ट किया जाये, बाह्य अभ्यर्थियों के रूप में पंजीकृत किया गया है; अथवा

(घ) विश्वविद्यालय में या किसी संस्थान में या संघटक या सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय में या परिनियमों और अध्यादेशों में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन अन्य किसी शैक्षिक संस्थाओं में अध्यापक अथवा अन्य कर्मचारी हैं अथवा वे राज्य सरकार के शिक्षा विभाग में स्थायी रूप से नियोजित निरीक्षण करने वाले अधिकारी हैं और जिन्होंने परिनियमों और अध्यादेशों में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन निजी अध्ययन किया है; अथवा

(ङ) विश्वविद्यालय के क्षेत्र के भीतर निवास करने वाली स्त्रियां हैं और जिन्होंने परिनियमों में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन निजी रूप से अध्ययन को किया है; अथवा

(च) नेत्रहीन हैं और विश्वविद्यालय के क्षेत्र में निवास कर रहे हैं तथा जिन्होंने परिनियमों और अध्यादेशों में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन निजी रूप से अध्ययनों को किया है;

(5) विश्वविद्यालय के क्षेत्र में निवास कर रहे व्यक्तियों के लिए कला अथवा वाणिज्य स्नातक या कला अथवा वाणिज्य के स्नातकोत्तर के लिए परीक्षाओं को आयोजित करना और उनके लिए उपाधि प्रदान करना जिन्होंने परिनियमों और अध्यादेशों में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन निजी रूप से अध्ययन को किया है;

(6) परिनियमों में निर्दिष्ट रीति से और उसके अधीन निर्दिष्ट शर्तों के अधीन सम्मानिक उपाधियों अथवा अन्य शैक्षिक विशिष्टिताओं को प्रदान करना;

(7) ऐसे व्यक्तियों के लिए जो विश्वविद्यालय के विद्यार्थी नहीं हैं, ऐसे डिप्लोमाओं को प्रदान करना, अथवा ऐसे व्याख्यानों तथा शिक्षा सम्बन्धी निर्देशों का प्रावधान करना जिन्हें विश्वविद्यालय अवधारित कर सकेगा;

(8) अन्य विश्वविद्यालयों और प्राधिकारियों के साथ ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजनों के लिए सहयोग अथवा सहकार्य करना जिन्हें विश्वविद्यालय अवधारित कर सकेगा;

(9) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित अध्यापन पदों को संस्थित करना और उन पदों के लिए व्यक्तियों की नियुक्ति करना;

(10) छात्र निवास में शिक्षण प्रदान करने के लिए अध्यापकों को मान्यता प्रदान करना;

(11) महाविद्यालयों को सम्बद्धता अथवा मान्यता की शर्तों को निर्दिष्ट करना और समय समय पर निरीक्षण द्वारा या अन्यथा अपना समाधान करना कि उन शर्तों को पूरा किया गया है;

(12) परिनियमों और अध्यादेशों के अनुसार छात्रवृत्ति, अधिछात्रवृत्तियां (जिनमें यात्रा अधिछात्रवृत्ति सम्मिलित है) विद्यावृत्तियों एवं पारितोषकों को संस्थित करना और उन्हें प्रदान करना;

(13) विश्वविद्यालय संस्थानों अथवा संघटक या सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए छात्र निवासों एवं छात्रावासों को संस्थित करना और उन्हें अनुरक्षित करना तथा निवास के स्थानों को मान्यता प्रदान करना;

(14) ऐसे शुल्कों और अन्य प्रभारों को मांग करना एवं उन्हें प्राप्त करना जिन्हें अध्यादेशों द्वारा नियत किया जा सकेगा;

(15) विश्वविद्यालय, संस्थान और संघटक या सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के निवास का पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण करना और उनके अनुशासन को विनियमित करना तथा उनके स्वास्थ्य के सुधार के लिए प्रबन्ध को करना;

(16) प्रशासनिक या लिपिकवर्गीय और अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना तथा उनके लिए नियुक्तियों को करना; और

(17) ऐसे सभी कार्यों एवं चीजों को करना चाहे वे पूर्वोक्त शक्तियों से आनुषंगिक हो या नहीं जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के उद्देश्य से अपेक्षित हो सकते हैं।

टिप्पणी

विश्वविद्यालय के कर्तव्य और शक्तियाँ—विश्वविद्यालय का यह कर्तव्य है कि वह उन नियमों तथा विनियमों का पालन करे जिनसे आबद्ध होने की वह प्रत्यंजना करता है न कि वह अन्य व्यक्तियों के अधिकारों को प्रतिकूल ढंग से प्रभावित करेगा। *वीरेन्द्र कपूर* बनाम *जोधपुर विश्वविद्यालय*, ए० आई० आर० 1964 राज० 161 (एफ० बी०); *मिर्जा शौकत बेग* बनाम *राजस्थान विश्वविद्यालय*, ए० आई० आर० 1979 राज० 37।

[1][**7-क. कतिपय विश्वविद्यालय की अतिरिक्त शक्तियां एवं कर्तव्य**—उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक औषधि अधिनियम, 1951 के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किये जाने पर, [2][डॉ० भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय, आगरा अथवा जैसा विषयक हो [3][छत्रपति] शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर]—

(क) होम्योपैथी में डिप्लोमाओं के लिए परीक्षाओं को आयोजित करेगा और उन्हें प्रदान करेगा;

(ख) उक्त अधिनियम के अधीन गठित होम्योपैथी औषधि परिषद् द्वारा निधारित पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षाओं को आयोजित करने के कार्यों को हाथों में लेना और डिप्लोमाओं को प्रदान करना तथा उन परीक्षाओं को आयोजित करने एवं डिप्लोमाओं को प्रदान करने के सम्बन्ध में उक्त अधिनियम के अधीन उस परिषद् से सभी शक्तियों का प्रयोग करना और कार्यों का संपादन करना।]

[4][**7-ख. कतिपय विश्वविद्यालयों की अतिरिक्त शक्ति एवं कर्तव्य**—अधिसूचना से राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किये जाने पर, उत्तर प्रदेश उर्दू, अरबी, फारसी विश्वविद्यालय उच्चतर शिक्षा प्रदान करने वाली अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं को सम्बद्धता में सहायता करेगा और सुविधा प्रदान करेगा।]

अध्याय III

निरीक्षण और जाँच

8. **परिदर्शन**—(1) राज्य सरकार को विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित किसी संघटक महाविद्यालय या संस्था का जिसमें उसके भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएँ, कार्यशालाएँ और उपस्कर सम्मिलित हैं और विश्वविद्यालय अथवा उन महाविद्यालयों या संस्थान द्वारा किये जाने वाले अथवा संचालित किये जाने वाली परीक्षाओं, अध्यापन और अन्य कार्यों का ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जिन्हें

---

1. 1977 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 14 द्वारा अन्तःस्थापित (8-8-1977 से प्रभावी)।
2. 1996 के राष्ट्रपति अधिनियम संख्यांक 4 द्वारा प्रतिस्थापित (23-9-1995 से प्रभावी)।
3. 1997 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 12 द्वारा "श्री" को प्रतिस्थापित (12-8-1997 से प्रभावी)।
4. 2010 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 11 द्वारा प्रतिस्थापित (1-11-2009 से प्रभावी)।

का निर्देशित कर सकेगी, निरीक्षण कराने का अथवा उस विश्वविद्यालय या उस महाविद्यालय या उस संस्थान के प्रशासन तथा वित्त से सम्बन्धित किसी भी मामले के सम्बन्ध में उसी प्रकार से जांच कराने का भी अधिकार प्राप्त होगा।

(2) जहां राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण अथवा जाँच को कराने का निर्णय लेती है, तो वहाँ वह विश्वविद्यालय को उसके बारे में रजिस्ट्रार के माध्यम से सूचित करेगी और कार्यपरिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई भी व्यक्ति ऐसे निरीक्षण या जाँच के समय विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित होगा और उसे उस रूप में सुने जाने का अधिकार प्राप्त होगा :

परन्तु यह कि कोई भी विधि व्यवसायी ऐसे निरीक्षण अथवा जाँच के समय विश्वविद्यालय की ओर से उपसंजात नहीं होगा, अभिवचन या कार्य नहीं करेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण अथवा जाँच करने के लिए नियुक्त व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन वाद के विषय में विचारण करते समय शपथ पर साक्ष्य को लेने तथा साक्षियों की उपस्थिति कराने एवं दस्तावेजों और तात्विक वस्तुओं के प्रस्तुतीकरण को विवश करने के प्रयोजनार्थ सिविल न्यायालय की सभी शक्तियाँ प्राप्त होंगी और ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों का [1][दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 345 एवं 346] की अर्थव्याप्ति में सिविल न्यायालय होना समझा जायेगा, और उसके अथवा उनके समक्ष किसी भी कार्यवाही का भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193 एवं 228 की अर्थव्याप्ति में न्यायिक कार्यवाही होना समझा जायेगा।

(4) राज्य सरकार उपकुलपति को उस निरीक्षण अथवा जाँच के परिणाम के सन्दर्भ में सम्बोधित करेगी और उपकुलपति कार्यपरिषद् को राज्य सरकार के विचारों को ऐसी सलाह के साथ जिसे राज्य सरकार प्रस्तावित कर सकेगी के साथ उस पर की जाने वाली कार्रवाई पर संसूचित करेगी।

(5) उपकुलपति तब ऐसे समय के भीतर जिसे राज्य सरकार नियत कर सकेगी उसके समक्ष कार्यपरिषद् द्वारा की गयी अथवा किये जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई के सम्बन्ध में रिपोर्ट दाखिल करेगा।

(6) यदि विश्वविद्यालय प्राधिकारीगण युक्तियुक्त समय के भीतर राज्य सरकार के समाधान के लिए कार्रवाई नहीं करते हैं, तो सरकार ऐसे किसी भी स्पष्टीकरण पर विचार करने के पश्चात् जिसे विश्वविद्यालय के प्राधिकारीगण प्रदान कर सकेंगे, ऐसे निदेशों को जारी कर सकेंगी जिन्हें वह उपयुक्त समझे, और विश्वविद्यालय के प्राधिकारी ऐसे निदेशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होंगे।

(7) राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन कराये जाने वाले निरीक्षण अथवा जाँच की प्रत्येक रिपोर्ट की और उपधारा (5) के अधीन उपकुलपति से प्राप्त प्रत्येक संसूचना की और उपधारा (6) के अधीन जारी प्रत्येक निदेश की और साथ ही ऐसी प्रत्येक रिपोर्ट या संसूचना की भी, जिसे उस निदेश के अनुपालन अथवा अननुपालन के सम्बन्ध में प्राप्त किया गया हो, प्रति कुलपति को प्रेषित करेगी।

(8) उपधारा (6) के प्रावधानों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यदि कुलपति को, इस धारा की उपधारा (7) में निर्दिष्ट किसी भी दस्तावेज या सामग्री, जिसमें इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व आयोजित जांच की कोई भी रिपोर्ट सम्मिलित है, के विचारण पर, यह राय हो कि कार्यपरिषद् अपने कार्यों को करने में असफल हुआ है अथवा उसने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है तो वह उसे लिखित स्पष्टीकरण दाखिल करने का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, यह आदेशित कर सकेगा कि उक्त कार्यपरिषद्

1. 1977 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 5 द्वारा प्रतिस्थापित।

के अतिष्ठान में उपकुलपति अथवा ऐसे अन्य व्यक्तियों, जो संख्या में 10 से अधिक नहीं होंगे, जिन्हें कुलपति अतिष्ठित कार्यपरिषद् के किसी भी सदस्य को सम्मिलित करते हुए उस निमित्त नियुक्त कर सकेगा, को सम्मिलित करते हुए तदर्थ कार्यपरिषद् ऐसी अवधि के लिए जो दो वर्ष से अधिक नहीं होगी जिसे कुलपति समय-समय पर विनिर्दिष्ट कर सकेगा और उपधारा (11) के प्रावधानों के अध्यधीन इस अधिनियम के अधीन कार्यपरिषद् को सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा और सभी कार्यों का संपादन कर सकेगा।

(9) धारा 20 में कही गयी कोई भी बात तदर्थ कार्यपरिषद् की संरचना के लिए लागू नहीं होगी जिसका उपधारा (8) के अधीन गठन किया जा सकेगा।

(10) उपधारा (8) के अधीन किये जा रहे आदेश पर, तद्द्वारा अतिष्ठित कार्यपरिषद् के सभी सदस्यों, जिनमें पदेन सदस्य सम्मिलित हैं, के पद का कार्यकाल समाप्त हो जायेगा और ऐसे सभी सदस्य उस रूप में अपने पदों को रिक्त कर देंगे।

(11) उपधारा (8) के अधीन आदेश के प्रवर्तन की अवधि के दौरान, इस अधिनियम के प्रावधानों का निम्नलिखित रूपान्तरणों के अध्यधीन प्रभाव होगा अर्थात् :

(क) धारा 20 में, उपधारा (5) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा का अन्तःस्थापित होना समझा जायेगा :

"(6) कार्यपरिषद् की बैठक प्रत्येक दो माह में कम से कम एक बार बुलायी जायेगी";

(ख) धारा 21 में, उपधारा (1) में, पदावली "इस अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन" के पश्चात् पदावली "और कुलपति के नियंत्रणाधीन भी" का अन्तःस्थापित होना समझा जायेगा;

(ग) उपधारा (4) में, उपधारा (2) में, पदावली, "और सभा की कुल सदस्यता के कम से कम एक चौथाई द्वारा हस्ताक्षरित लिखित अध्यपेक्षा पर" का लोपित किया जाना समझा जायेगा।

(12) उपधारा (8) के अधीन आदेश के प्रवर्तन की अवधि के समाप्त होने से प्रभावी धारा 20 के प्रावधानों के अनुसार नई कार्यपरिषद् का गठन किया जायेगा।

(13) इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार जैसा कि वे उपधारा (11) के प्रावधानों के कारण उपान्तरित समझे जायेंगे, उपधारा (8) के अधीन किसी आदेश के प्रवर्तन की अवधि में बनाया गया कोई भी परिनियम, अध्यादेश, विनियम या आदेश ऐसी अवधि के समाप्त होने पर तब तक प्रभावी बना रहेगा जब तक कि इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उसे संशोधित, निरसित या विखण्डित न कर दिया जाये।

अध्याय IV

विश्वविद्यालय के अधिकारी

9. विश्वविद्यालय के अधिकारी—विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे—

(क) कुलपति;

(ख) केवल सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय की दशा में प्रति कुलपति;

(ग) उप कुलपति;

(घ) धारा 14 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट विश्वविद्यालयों की दशा में, प्रति कुलपति;

(ङ) वित्त अधिकारी;

(च) रजिस्ट्रार;

[1][(चच) नियुक्त किया गया परीक्षा नियंत्रक, यदि कोई हो];

(छ) संकायों का संकायाध्यक्ष;

(ज) छात्र कल्याण का संकायाध्यक्ष;

(झ) ऐसे अन्य अधिकारी जिनका परिनियम द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी होना घोषित किया जा सकेगा।

टिप्पणी

विश्वविद्यालय के अधिकारी—विश्वविद्यालय के अधिकारियों का अभिप्राय विश्वविद्यालय के कर्मचारियों से नहीं है। जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, यहाँ प्रयुक्त अभिव्यक्ति "विश्वविद्यालय के अधिकारी" का साधारणतया वही अर्थ माना जायेगा जो कि सम्पूर्ण अधिनियम में दिया गया है। *सुभाष चन्द्र बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य*, 1978 लेबर इण्डस्ट्रियल केसेज, 1294 (डी० बी०) : 1978 (1) एस० एल० आर० 681।

10. कुलपति—(1) राज्यपाल विश्वविद्यालय का कुलपति होगा। वह अपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय का प्रधान तथा सभा का अध्यक्ष होगा तथा जब कभी उपस्थित हो, सभा की बैठक में तथा विश्वविद्यालय के किसी भी दीक्षान्त समारोह में अध्यक्षता करेगा।

(2) सम्मानिक उपाधि के प्रदान करने का प्रत्येक प्रस्ताव कुलपति की तुष्टि के अध्यधीन होगा।

(3) उपकुलपति का यह कर्तव्य होगा कि वह विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कार्यों से सम्बन्धित ऐसी सूचना अथवा अभिलेख प्रदान करे जिसकी कुलपति जाँच करे।

(4) कुलपति को ऐसी अन्य शक्तियाँ प्राप्त होंगी जिन्हें उसे इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा अथवा उनके अधीन प्रदान किया जा सकेगा।

11. प्रति कुलपति—(1) वाराणसी के महाराजा विभूति नारायण सिंह सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के आजीवन प्रति कुलपति बने रहेंगे।

(2) प्रति कुलपति, कुलपति की अनुपस्थिति में सभा की बैठकों और विश्वविद्यालय के किसी भी दीक्षान्त समारोह में अध्यक्षता करेगा।

(3) प्रति कुलपति को ऐसी अन्य शक्तियाँ प्राप्त होंगी जिन्हें उसे इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा अथवा उनके अधीन प्रदान किया जा सकेगा।

12. उप-कुलपति—(1) उपकुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और उसे कुलपति द्वारा उन व्यक्तियों में से उपधारा (5) अथवा उपधारा (10) द्वारा यथा उपबन्धित के सिवाय नियुक्त किया जायेगा जिनके नामों को उपधारा (2) के प्रावधान के अनुसार गठित समिति द्वारा उसे दाखिल किया जाये।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्—

(क) एक ऐसा व्यक्ति (जो विश्वविद्यालय, संस्थान, संघटक महाविद्यालय, सहयुक्त अथवा सम्बद्ध महाविद्यालय या छात्र निवास या छात्रावास से सम्बद्ध नहीं है) कार्यपरिषद् द्वारा [2][उस तारीख के कम से कम तीन माह पूर्व जब उप-कुलपति के पद में उसकी कार्यावधि के समाप्त होने के कारण रिक्ति उत्पन्न होने वाली है, निर्वाचित किया जायेगा];

---

1. 1995 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 14 द्वारा अन्तःस्थापित (25-2-1995 से प्रभावी)।
2. 1977 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 5 द्वारा अन्तःस्थापित।

(ख) एक व्यक्ति जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है अथवा रह चुका है जिसमें उसका मुख्य न्यायाधीश सम्मिलित है, उक्त मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामोदिष्ट किया गया हो।

(ग) एक ऐसा व्यक्ति, जिसे कुलपति द्वारा नामोदिष्ट किया जायेगा, जो समिति का आयोजक भी होगा :

[1][परन्तु यह कि जहाँ कार्यपरिषद् खण्ड (क) के अनुसार किसी व्यक्ति का चुनाव नहीं कर पाती है, तो कुलपति खण्ड (ग) के अधीन उसके द्वारा नामोदिष्ट व्यक्ति के अतिरिक्त कार्य परिषद् के, प्रतिनिधि के बदले एक व्यक्ति को नामोदिष्ट करेगी।]

(3) समिति, जहाँ तक सम्भव हो उस तारीख के कम से कम साठ दिन पूर्व, जब उपकुलपति के पद में उपधारा (7) के अधीन कार्यकाल की समाप्ति अथवा त्याग-पत्र के कारण रिक्ति उत्पन्न होने वाली है और साथ ही जब कभी इस प्रकार अपेक्षित हो और उस तारीख के पूर्व जिसे कुलपति द्वारा विनिर्दिष्ट किया जा सकेगा, कुलपति को, कम से कम तीन और अधिक से अधिक पाँच ऐसे व्यक्तियों के नामों को दाखिल करेगी जो उपकुलपति के पद को धारित करने के लिए उपयुक्त हो। समिति, नामों को दाखिल करते समय, कुलपति के समक्ष इस प्रकार सिफारिश किये गये व्यक्तियों में से प्रत्येक की शैक्षिक अर्हताएं और अन्य विशिष्टताओं को दर्शित करते हुए संक्षिप्त विवरण को अग्रेषित करेगी, लेकिन वह अधिमान के किसी भी क्रम को नहीं बतायेगी।

(4) जहाँ कुलपति समिति द्वारा सिफारिश किये गये व्यक्तियों में से एक या अधिक का उप कुलपति के रूप में नियुक्त हेतु उपयुक्त होना नहीं समझता है अथवा यदि सिफारिश किये गये व्यक्तियों में से एक या अधिक व्यक्ति नियुक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है अथवा है और कुलपति का चुनाव तीन व्यक्तियों से कम तक सीमित है तो वह समिति से उपधारा (3) के अनुसार नये नामों की सूची दाखिल करने की अपेक्षा कर सकेगा।

(5) यदि समिति उपधारा (3) या उपधारा (4) में निर्दिष्ट किये गये बाद में कुलपति द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर किन्हीं नामों का सुझाव देने में विफल होती है अथवा, असमर्थ है [2][अथवा यदि कुलपति उप कुलपति के रूप में नियुक्ति हेतु उपयुक्त समिति द्वारा सिफारिश किये गये नये नामों में से किसी एक या अधिक पर विचार नहीं करता है], तो शैक्षिक प्रतिष्ठा के तीन व्यक्तियों को सम्मिलित करते हुए कुलपति द्वारा एक अन्य समिति का गठन किया जायेगा जो उपधारा (3) के अनुसार नामों को दाखिल करेगी।

(6) समिति का कोई भी कार्य या कार्यवाही मात्र उसके सदस्यों में रिक्ति अथवा रिक्तियों की विद्यमानता के कारण अथवा कार्यवाहियों में किसी ऐसे व्यक्ति के भाग लेने के कारण, जिसका बाद में ऐसा करने का हकदार न होना पाया गया हो, अविधिमान्य नहीं हो जायेगा।

[3][(7) (क) उप-कुलपति के पद हेतु केवल वही व्यक्ति पात्र होगा जिसने 65 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो;

(ख) उप-कुलपति उस तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद को धारित करेगा जब वह अपने पद को धारित करता है अथवा जब तक वह अड़सठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता जो भी पहले हो;

(ग) उप-कुलपति जिसने पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है, उस रूप में द्वितीय अवधि के लिए नियुक्त किया जा सकेगा :

---

1. 1977 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 5 द्वारा अन्त:स्थापित।
2. 1977 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 5 द्वारा अन्त:स्थापित और उसका सदैव अन्त:स्थापित किया जाना समझा जायेगा।
3. 2007 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 26 द्वारा प्रतिस्थापित (25-8-2007 से प्रभावी)।

परन्तु यह कि उपकुलपति कुलपति को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर से लिखित रूप में अपने पद से त्याग पत्र दे सकेगा, और उसका कुलपति द्वारा उस त्याग पत्र के स्वीकार किये जाने पर अपने पद को धारित करना बंद हो जायेगा।]

(8) इस अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन, उप कुलपति की परिलब्धियाँ और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जिन्हें राज्य सरकार द्वारा उस निमित्त सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा अवधारित किया जा सकेगा।

(9) उप कुलपति धारा 33 के अधीन गठित किसी पेंशन, बीमा अथवा भविष्य निधि का हकदार नहीं होगा :

[1][परन्तु यह कि जब किसी विश्वविद्यालय या किसी सम्बद्ध अथवा सहयुक्त महाविद्यालय के किसी अध्यापक अथवा अन्य कर्मचारी को उप कुलपति के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो उसे भविष्यनिधि में अंशदान करते रहने की अनुमति दी जायेगी जिसका वह अभिदायकर्ता है और विश्वविद्यालय का अंशदान उस तक सीमित रहेगा जिसके लिए वह उप कुलपति के रूप में अपनी नियुक्ति के तत्काल पूर्व अंशदान करता आ रहा था।]

(10) निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी में, जिनके विद्यमान होने के बारे में कुलपति एकमात्र निर्णायक होगा कुलपति 6 माह से अनधिक की अवधि के लिए उप-कुलपति के पद पर किसी ऐसे उपयुक्त व्यक्ति की नियुक्ति कर सकेगा जिसे वह विनिर्दिष्ट करे—

(क) जहाँ उप कुलपति के पद में रिक्ति अवकाश के कारण या अन्य किसी कारण से, जो त्याग-पत्र अथवा उस कार्यावधि की समाप्ति नहीं है, उत्पन्न होती है अथवा उसका उत्पन्न होना सम्भाव्य है, जिसकी रिपोर्ट रजिस्ट्रार द्वारा कुलपति को अविलम्ब दी जायेगी;

(ख) जहाँ उपकुलपति के पद में रिक्ति उत्पन्न होती है और उसे उपधारा (1) से (5) के प्रावधानों के अनुसार सुविधाजनक ढंग से और शीघ्र ही न भरा जा सकता हो;

(ग) अन्य कोई आपात स्थिति :

परन्तु यह कि कुलपति, समय-समय पर, इस उपधारा के अधीन उप-कुलपति के पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति की कार्यावधि को विस्तारित कर सकेगा, किन्तु ऐसे कि उस व्यक्ति की कुल कार्यावधि (मूल आदेश में नियत कार्यावधि सहित) एक वर्ष से अधिक न हो।

(11) जब तक उपधारा (2) या उपधारा (5) या उपधारा (10) के अधीन नियुक्त उप कुलपति पद को धारित करता है, प्रति उपकुलपति, यदि कोई हो अथवा जहाँ कोई प्रति उप-कुलपति न हो तो गोरखपुर विश्वविद्यालय और धारा 38 में उल्लिखित अथवा उसके अधीन विनिर्दिष्ट किसी विश्वविद्यालय की दशा में उस विश्वविद्यालय का वरिष्ठतम प्रोफेसर अथवा किसी अन्य विश्वविद्यालय की दशा में सम्बद्ध महाविद्यालय का वरिष्ठतम प्राचार्य उप-कुलपति के कर्तव्यों का भी निर्वहन करेगा।

[2][(12) यदि कुलपति की राय में, उप-कुलपति इस अधिनियम के प्रावधानों का इच्छायुक्त ढंग से कार्यान्वयन करने से लोप कर देता है अथवा उससे इन्कार कर देता है अथवा अपने में निहित शक्तियों का दुरुपयोग करता है, अथवा यदि कुलपति को अन्यथा यह लगता है कि उप-कुलपति के पद में बने रहना विश्वविद्यालय के हित के प्रतिकूल है, तो कुलपति, ऐसी जाँच करने के पश्चात् जिसे वह उपयुक्त समझे, आदेश द्वारा उपकुलपति को अपसारित कर सकेगा।

---

1. 1975 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 21 द्वारा अन्तःस्थापित।
2. 1994 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 20 द्वारा अन्तःस्थापित।

(13) उपधारा (12) में निर्दिष्ट किसी भी जांच के लम्बनकाल के दौरान अथवा उसके अनुध्यान में कुलपति यह आदेशित कर सकेगा कि अग्रेतर आदेशों के होने तक—

(क) वह उपकुलपति, उपकुलपति के पद के कार्यों का संपादन करने से विरत रहेगा, लेकिन वह उप परिलब्धियों को प्राप्त करता रहेगा जिनका वह उपधारा (8) के अधीन अन्यथा हकदार था;

(ख) उपकुलपति के पद के कार्यों का आदेश में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा पालन किया जायेगा।]

टिप्पणियाँ

1. समिति के सभी सदस्यों को बैठक की नोटिस देना अनिवार्य
2. कार्य परिषद् की बैठक की नोटिस की पर्याप्तता
3. कार्य परिषद् द्वारा समिति के सदस्य का चुनाव
4. कुलपति को उत्तरोत्तर आदेशों को पारित करने की शक्ति प्राप्त है
5. जाँच की प्रकृति
6. नियुक्ति करने की शक्ति निरंकुश नहीं होनी चाहिए
7. उपकुलपति का अपसारण

1. समिति के सभी सदस्यों को बैठक की नोटिस देना अनिवार्य—यह आवश्यक है कि समिति के सभी सदस्यों को नोटिस जारी की जायेगी। यदि किसी कारण से उनमें से कोई उपस्थित नहीं हो पाता है तो इससे अन्य व्यक्तियों की बैठक अविधिक नहीं हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में गणपूर्ति को नियत करने के लिए कोई नियम या विनियम अथवा कोई प्रावधान नहीं है तो सदस्यों के बहुमत से वैध बैठक का गठन होगा एवं उसमें विचार किये गये मामलों का अवैध होना नहीं माना जा सकता है। *ईश्वर चन्द बनाम सत्यनारायण सिंहा एवं अन्य,* ए० आई० आर० 1972 एस० सी० 1972।

2. कार्य परिषद् की बैठक की नोटिस की पर्याप्तता—विनियमों के अधीन प्रावधान द्वारा अपेक्षित 7 दिन की नोटिस में भी बैठक में संव्यवहार किये जाने वाले काम-काज का उल्लेख होना चाहिए और इसके साथ में बैठक में संव्यवहार किये जाने वाले काम-काज को विनिर्दिष्ट करते हुए कार्य सूची को संलग्न किया जाना चाहिए। इस वाद में केवल 4 दिन की नोटिस अपर्याप्त मानी गयी थी और इसलिए उक्त समिति की सिफारिश अवैध ठहरायी गयी। *काशी नाथ मिश्रा बनाम इलाहाबाद विश्वविद्यालय,* ए० आई० आर० 1967 इला० 101।

3. कार्य परिषद् द्वारा समिति के सदस्य का चुनाव—कार्य परिषद् की समिति के सदस्य का चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अनुसार किया जायेगा। *काशी नाथ मिश्रा बनाम इलाहाबाद विश्वविद्यालय,* ए० आई० आर० 1967 इला० 101।

4. कुलपति को उत्तरोत्तर आदेशों को पारित करने की शक्ति प्राप्त है—*कुलपति, वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय बनाम जगदीश नारायण पाण्डेय,* ए० आई० आर० 1969 इलाहाबाद 376 के वाद में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूर्णपीठ को इस धारा की उपधारा (10) के समान, उ० प्र० वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम (1956 का 28) की धारा 12 (6) पर विचार करने का अवसर प्राप्त हुआ एवं उस वाद में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि कुलपति को उत्तरोत्तर आदेशों को पारित करने की शक्ति प्राप्त है। अग्रेतर यह अभिनिर्धारित किया गया कि यदि इस शक्ति का दुरुपयोग किया जाता है अथवा छद्म रूप से प्रयोग किया जाता है अथवा यदि इस शक्ति का अपेक्षित शर्तों की विद्यमानता के अभाव में प्रयोग किया जाता है, तो उस शक्ति के प्रयोग को समुचित विधिक कार्यवाहियों में प्रश्नगत किया जा सकेगा और समुचित वादों में उसे समाप्त किया जा सकेगा, लेकिन उसका अभिप्राय यह नहीं होगा कि वह शक्ति विद्यमान ही नहीं है।

5. जाँच की प्रकृति—जाँच को न्याय और निष्पक्षता की मूल धारणा से सुसंगत रीति से किया जायेगा। *उड़ीसा राज्य बनाम डॉ० (कु०) वीना पानी,* ए० आई० आर० 1967 एस० सी० 1269 (1271)।

6. नियुक्ति करने की शक्ति निरंकुश नहीं होनी चाहिए—उपकुलपति को नियुक्त करने की शक्ति का क्षेत्र विश्वविद्यालय अधिनियम में है। इसका प्रयोग निरंकुश ढंग से नहीं किया जाना चाहिए। इसका प्रयोग केवल अच्छे हेतुक के लिए अर्थात् विश्वविद्यालय के हित में ही किया जा सकता है और केवल तभी जब, नैसर्गिक न्याय के नियमों से सुसंगत रीति से जांच करने के पश्चात् यह पाया जाये कि उस पद का धारक उपकुलपति के रूप में बने रहने के लिए अनुपयुक्त है। *बूल चन्द बनाम कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय*, ए० आई० आर० 1968 एस० सी० 292।

7. उपकुलपति का अपसारण—विश्वविद्यालय द्वारा विरचित प्रथम परिनियमों के अधीन, यदि कुलपति की यह राय है कि उपकुलपति ने जानबूझ कर और इच्छायुक्त ढंग से इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया है और उनका पालन करने से लोप किया है अथवा अपने में निहित की गयी शक्तियों का दुरुपयोग किया एवं कुलपति को यह लगता है कि उसका उपकुलपति का अपने पद में बने रहना विश्वविद्यालय के हित में नहीं है, तो कुलपति सम्यक् जांच के पश्चात्, आदेश से उसे उसके पद से अपसारित कर सकेगा। (टिप्पणी अधिनियम के प्रावधानों पर आधारित)।

13. उपकुलपति की शक्तियाँ एवं कर्तव्य—(1) उपकुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा और वह—

(क) विश्वविद्यालय और उसके सम्बद्ध एवं सहयुक्त महाविद्यालयों द्वारा अनुरक्षित संघटक महाविद्यालयों और संस्थानों सहित विश्वविद्यालय के कार्यकलापों का सामान्य पर्यवेक्षण करेगा और उन पर नियंत्रण रखेगा;

(ख) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के विनिश्चयों को प्रभावी बनायेगा;

(ग) कुलपति की अनुपस्थिति में, सभा की बैठकों एवं विश्वविद्यालय के किसी भी दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगा;

(घ) विश्वविद्यालय में अनुशासन को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा;

[1][(ङ) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को आयोजित करने एवं उन्हें समुचित ढंग से और सम्यक् समय पर संचालित करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा कि उन परीक्षाओं के परिणामों को शीघ्र ही प्रकाशित किया जाये और यह कि विश्वविद्यालय का शैक्षिक सत्र समुचित तारीखों पर प्रारम्भ हो तथा समाप्त हो।]

(2) वह कार्यपरिषद्, विद्या परिषद् एवं वित्त समिति का पदेन सदस्य एवं अध्यक्ष होगा।

(3) उसे विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकारी अथवा निकाय की बैठक में बोलने और अन्य प्रकार से उसमें भाग लेने का अधिकार प्राप्त होगा, लेकिन वह इस उपधारा के आधार पर मतदान करने का हकदार नहीं होगा।

(4) उपकुलपति का यह कर्तव्य होगा कि वह इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के प्रावधानों का सत्यनिष्ठा से पालन करे और वह [2][धारा 10 एवं 68 के अधीन] कुलपति की शक्तियों पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उन सभी शक्तियों को धारित करेगा जो उस निमित्त आवश्यक हो।

(5) उपकुलपति को कार्यपरिषद्, सभा, विद्या परिषद् और वित्त समिति की बैठकों को आयोजित करने अथवा उन्हें आयोजित कराने की शक्ति प्राप्त होगी :

परन्तु यह कि वह विश्वविद्यालय के अन्य किसी भी अधिकारी को यह शक्ति प्रत्यायोजित कर सकेगा।

---

1. 1977 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 5 द्वारा अन्तःस्थापित।
2. 1974 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 29 द्वारा प्रतिस्थापित।

(6) जहां [1][विश्वविद्यालय के अध्यापक की नियुक्ति को छोड़कर] अन्य कोई भी मामला अत्यावश्यक प्रकृति का है जिसमें तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है और उससे विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी या अन्य ऐसे किसी निकाय द्वारा तत्काल संव्यवहार नहीं किया जा सकता था, जो इस अधिनियम द्वारा अथवा उसके अधीन उससे संव्यवहार करने के लिए सशक्त था, तो वहां उपकुलपति ऐसी कार्रवाई कर सकेगा जिसे वह उपयुक्त समझे और वह अपने द्वारा की गयी कार्रवाई की रिपोर्ट अविलम्ब कुलपति को और साथ ही उस अधिकारी, प्राधिकारी, अथवा अन्य निकाय को देगा जिसने साधारण अनुक्रम में उस मामले से संव्यवहार किया होता :

परन्तु यह कि कुलपति के पूर्वानुमोदन के बिना उपकुलपति द्वारा ऐसी कोई भी कार्रवाई नहीं की जायेगी यदि वह परिनियमों या अध्यादेशों के प्रावधानों से विचलन में लिप्त होता हो :

परन्तु अग्रेतर यह कि यदि उन अधिकारियों, प्राधिकारी अथवा अन्य निकाय की यह राय हो कि उस कार्रवाई को नहीं किया जाना चाहिए था तो वह मामला कुलपति के समक्ष निर्दिष्ट कर सकेगा जो या तो उपकुलपति द्वारा की गयी कार्रवाई की पुष्टि कर सकेगा अथवा उसे रद्द कर सकेगा या उसे ऐसी रीति से उपान्तरित कर सकेगा जिसे वह उपयुक्त समझे और तत्पश्चात् उसका प्रभावी होना बन्द हो जायेगा अथवा जैसा विषय हो उस उपान्तरित रूप में प्रभावी होगा किन्तु ऐसे निष्प्रभावी होने या उपान्तरित होने का उपकुलपति द्वारा अथवा उसके आदेश के अधीन पूर्वतन की गयी किसी भी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा :

परन्तु यह भी कि विश्वविद्यालय की सेवा में ऐसा कोई भी व्यक्ति, जो इस उपधारा के अधीन उपकुलपति द्वारा की गयी कार्रवाई से क्षुब्ध है, को उस कार्रवाई के विरुद्ध कार्यपरिषद् के समक्ष उस तारीख से तीन माह के भीतर अपील करने का अधिकार प्राप्त होगा जिस पर उस कार्रवाई पर विनिश्चय की सूचना उसे दी जाती है और उसके पश्चात् कार्यपरिषद् उपकुलपति द्वारा की गयी कार्रवाई की पुष्टि कर सकेगी, उसे उपान्तरित कर सकेगी या उसे अभिशून्य करार दे सकेगी।

(7) उपधारा (6) में कही गयी किसी भी बात का उपकुलपति को ऐसे किसी भी व्यय को उपगत करने के लिए सशक्त करना नहीं समझा जायेगा जिसे करने के लिए वह सम्यक् रूप से प्राधिकृत नहीं है और जिसका बजट में प्रावधान नहीं किया गया है।

(8) जहाँ उपधारा (6) के अधीन उपकुलपति द्वारा शक्ति के प्रयोग में किसी अधिकारी [2][* * *] की नियुक्ति अन्तर्वलित है तो वहाँ वह नियुक्ति निर्धारित रीति से नियुक्ति के किए जाने पर अथवा जो भी पहले हो, उपकुलपति के आदेश की तारीख से छः माह की अवधि के समाप्त होने पर समाप्त हो जायेगी।

(9) उपकुलपति ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जिन्हें परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा निर्दिष्ट किया जाये।

टिप्पणियाँ

1. अवसर की प्रकृति का उपकुलपति द्वारा बताया जाना
2. नैतिक अधमता को अन्तर्वलित करते हुए अपराध
3. कुलपति द्वारा मौखिक परिवाद/स्पष्टीकरण ग्रहण करना
4. तदर्थ नियुक्ति की कोई शक्ति
5. उपकुलपति की शक्ति न्यायिक-कल्प प्रकृति की

---

1. 1992 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 1 द्वारा अन्तःस्थापित (22-11-1991 से प्रभावी)।
2. शब्दावली "अथवा विश्वविद्यालय के अध्यापक" का 1992 के उ०प्र० अधिनियम संख्यांक 1 द्वारा लोपित (22-11-1991 से प्रभावी)।

1. अवसर की प्रकृति का उपकुलपति द्वारा बताया जाना—जब तक व्यक्ति को इस तथ्य से भिज्ञ नहीं किया जाता कि उसे किसी बात के लिए दोषारोपित किया जा रहा है, तब तक आरोपों को खण्डित करने अथवा अपनी प्रतिरक्षा को करने का प्रश्न नहीं उठता है। यदि उसे उसके विरुद्ध लगाये गये आरोप से भिज्ञ किये बिना कोई कार्रवाई की जाती है, तो आवश्यक रूप से यह परिणामित होगा कि उसे अपनी प्रतिरक्षा प्रस्तुत करने से वंचित किया गया है। *शाहब अहमद* बनाम *रुड़की विद्यालय,* 1978 ए० एल० जे० 567।

2. नैतिक अधमता को अन्तर्वलित करते हुए अपराध—प्रत्युत्तरदाता-विश्वविद्यालय ने याची श्री जसवन्त सिंह नजवान को पुनर्बहाल किया था जिसे उत्पादक शुल्क अधिनियम की धारा 60 के अधीन सिद्धदोष किया गया था और उसे दो पाउच अवैध मदिरा रखने के लिए 150 रु० का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया था। तथ्यात्मक भूमि से यह उपधारित किया जा सकता है कि विश्वविद्यालय अवैध मदिरा के कब्जे को नैतिक अधमता अन्तर्वलित करते हुए अपराध के रूप में नहीं मान रहा था। याची, जिसे उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 60 के अधीन इसी प्रकार के अपराध का दोषी पाया गया, की सेवाओं को समाप्त करने में प्रत्युत्तरदातागण की कार्रवाई मनमानापूर्ण एवं भेदभावकारी था। *परशु राम सेमवाल* बनाम *रजिस्ट्रार, हेमवती नन्दन बहुगुणा, गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल,* (2001) 1 यू० पी० एल० बी० ई० सी० 33 (इला०)।

3. कुलपति द्वारा मौखिक परिवाद/स्पष्टीकरण ग्रहण करना—जहाँ कोई व्यक्ति लिखित रूप में परिवाद नहीं करता है अथवा लिखित स्पष्टीकरण नहीं देता है, तो उपकुलपति अथवा प्रॉक्टर मौखिक रूप से किये गये परिवाद अथवा स्पष्टीकरण की अनदेखी नहीं कर सकता है। उस व्यक्ति के, जिसके विरुद्ध कार्यवाही की गयी हो, मौखिक स्पष्टीकरण के बारे में अविचारण, भले ही उसने उपसंजाति न की हो, ऐसा दोष होगा जो जांच समिति की कार्यवाहियों को दूषित कर देगा क्योंकि वह नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के उल्लंघन की कोटि में आयेगा। *उपकुलपति, इलाहाबाद विश्वविद्यालय* बनाम *श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित एवं अन्य,* लोककान्तर्गत वर्ष 1973 की विशेष अपील सं० 193, खण्डपीठ द्वारा 27-9-1973 को विनिश्चित।

4. तदर्थ नियुक्ति की कोई शक्ति—जैसा कि इस धारा के प्रावधानों से स्पष्ट है, उपकुलपति को विश्वविद्यालय के अध्यापक को तदर्थ नियुक्ति की कोई नियुक्ति प्रदान नहीं की जानी चाहिए। *डॉ० प्रभु नारायण सक्सेना* बनाम *उपकुलपति, डॉ० भीम राव अम्बेदकर विश्वविद्यालय, आगरा,* (2001) 1 यू० पी० एल० बी० ई० सी० 86 (इला०)।

5. उपकुलपति की शक्ति न्यायिक-कल्प प्रकृति की—उपधारा (1) के खण्ड (च) के अनुसार, उपकुलपति से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अनुशासन के भंग हेतु विद्यार्थियों को दण्डित करने में न्यायिक-कल्प शक्तियों का प्रयोग करेगा। *गजाधर प्रसाद* बनाम *इलाहाबाद विश्वविद्यालय,* ए० आई० आर० 1966 इलाहाबाद 477।

14. **प्रति उपकुलपति**—(1) यह धारा केवल लखनऊ, [1][* * *] और गोरखपुर के विश्वविद्यालयों के लिए और गजट में अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार द्वारा उस निमित्त विनिर्दिष्ट किये गये अन्य किसी भी विश्वविद्यालय के लिए लागू होती है।

(2) उप-कुलपति, यदि वह आवश्यक समझे, विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों में से प्रति उप-कुलपति को नियुक्त कर सकेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन नियुक्त प्रति उपकुलपति प्रोफेसर के रूप में अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

(4) प्रति उपकुलपति उपकुलपति के प्रसाद पर पद को धारित करेगा।

(5) प्रति उपकुलपति को तीन सौ रुपये प्रतिमाह का मानदेय प्राप्त होगा।

---

1. शब्द "इलाहाबाद" का 2005 के अधिनियम संख्या 26 द्वारा लोपित (14-7-2005 से प्रभावी)।

(6) प्रति उपकुलपति उपकुलपति की ऐसे मामलों के सम्बन्ध में सहायता करेगा जिन्हें उपकुलपति द्वारा इस निमित्त समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जा सकेगा और वह उपकुलपति की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय की बैठकों में अध्यक्षता करेगा और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जिन्हें उपकुलपति द्वारा उसे समनुदेशित या प्रत्यायोजित किया जा सकेगा।

अधिसूचना

दिनांक 14 नवम्बर, 1994 के उ० प्र० गजट, असाधारण, भाग-4, अनुभाग (ख) के पृष्ठ 2 पर प्रकाशित दिनांक 14 नवम्बर, 1994 की शिक्षा अनुभाग-10 अधिसूचना 3452/XV-X-94-6(6)-94 का अंग्रेजी अनुवाद

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुन: अधिनियमितीकरण और संशोधन) अधिनियम, 1974 (1974 का उ० प्र० अधिनियम संख्या 29) द्वारा यथा संशोधित और पुन: अधिनियमित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (वर्ष 1973 का राष्ट्रपति महोदय का अधिनियम संख्या 10) की धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल महोदय ने गजट में इस अधिसूचना के प्रकाशन को दिनांक से निम्नलिखित अन्य विश्वविद्यालयों को विनिर्दिष्ट करने में संतोष का अनुभव किया है जिनके लिए उक्त अधिनियम की धारा 4 लागू होगी,—

(1) आगरा विश्वविद्यालय;

(2) कानपुर विश्वविद्यालय;

(3) चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ;

(4) सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी;

(5) काशी विद्यापीठ, वाराणसी;

(6) कुमायूं विश्वविद्यालय;

(7) हेमवती नन्दन बहुगुणा विश्वविद्यालय, गढ़वाल;

(8) डॉ० राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, फैजाबाद;

(9) बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय;

(10) रोहिलखण्ड विश्वविद्यालय।

15. वित्त अधिकारी—(1) विश्वविद्यालय के लिए एक वित्त अधिकारी होगा जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा शासकीय गजट में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा की जायेगी एवं उसके पारिश्रमिक तथा भत्तों को विश्वविद्यालय द्वारा संदाय किया जायेगा।

(2) वित्त अधिकारी बजट (वार्षिक प्राक्कलन) और लेखा विवरणों को कार्यपरिषद् के समक्ष प्रस्तुत करने और साथ ही विश्वविद्यालय की ओर से निधियों को निकालने एवं उनका संवितरण करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) उसे कार्यपरिषद् की कार्यवाहियों में बोलने और अन्य प्रकार से उनमें भाग लेने का अधिकार प्राप्त होगा, लेकिन वह मतदान करने का हकदार नहीं होगा।

(4) वित्त अधिकारी के निम्न कर्तव्य होंगे—

(क) यह सुनिश्चित करना कि ऐसा कोई भी व्यय, जिसे बजट में प्राधिकृत नहीं किया गया है, विश्वविद्यालय द्वारा (विनियोग को छोड़कर अन्य किसी प्रकार से) उपगत नहीं किया जायेगा;

(ख) ऐसे किसी भी प्रस्तावित व्यय को अननुज्ञात करना जिससे इस अधिनियम के प्रावधानों अथवा किन्हीं परिनियमों अथवा अध्यादेशों के निबन्धनों का अतिलंघन होता हो;

(ग) यह सुनिश्चित करना कि अन्य कोई वित्तीय अनियमितता कारित न की जाये और अंकेक्षण के दौरान बतायी गयी किन्हीं अनियमितताओं को ठीक करने के लिए कदमों को उठाना;

(घ) यह सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालय की सम्पत्ति एवं विनियोगों को सम्यक् रूप से परिरक्षित एवं प्रबन्धित किया जाये।

(5) वित्त अधिकारी को विश्वविद्यालय के ऐसे अभिलेखों और दस्तावेजों तक पहुंच प्राप्त होगी और वह उनके प्रस्तुत किये जाने तथा उसके कार्यकलापों से सम्बन्धित ऐसी सूचना के प्रदान करने की अपेक्षा कर सकेगा जो उसकी राय में, उसके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हो।

(6) सभी संविदाओं को वित्त अधिकारी द्वारा विश्वविद्यालय की ओर से किया जायेगा और उसके द्वारा उन पर हस्ताक्षर किये जायेंगे।

(7) वित्त अधिकारी की अन्य शक्तियां एवं कार्य वो होंगे जिन्हें निर्धारित किया जा सकेगा।

16. रजिस्ट्रार—(1) रजिस्ट्रार विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा।

(2) रजिस्ट्रार को धारा 17 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार नियुक्त किया जायेगा और उसकी सेवा की शर्तें उनके द्वारा शासित होंगी।

(3) रजिस्ट्रार को विश्वविद्यालय के अधीन अभिलेखों को अधिप्रमाणित करने की शक्ति प्राप्त होगी।

(4) रजिस्ट्रार विश्वविद्यालय के अभिलेखों और सामान्य मुहर की सम्यक् अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। वह कार्यपरिषद् सभा, [1][विद्या परिषद् और प्रवेश समिति] का और विश्वविद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति हेतु प्रत्येक चयन समिति का पदेन सचिव होगा और वह इन प्राधिकारियों के समक्ष उन सभी सूचनाओं को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होगा जो उनके कामकाज को करने के लिए आवश्यक हों। वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का भी पालन करेगा जिन्हें परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा विहित किया जा सकेगा, जिनकी कार्यपरिषद् या उपकुलपति द्वारा समय-समय पर अपेक्षा की जाये, लेकिन वह इस उपधारा के आधार पर वेतन प्रदान करने का हकदार नहीं होगा।

(5) [2][* * *]

(6) रजिस्ट्रार को धारा 17 के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा यथा उपबन्धित को छोड़कर विश्वविद्यालय में किसी भी कार्य के लिए कोई भी पारिश्रमिक नहीं दिया जायेगा न ही वह उसे स्वीकार करेगा।

[3][16-क. परीक्षा नियंत्रक—(1) यह धारा केवल लखनऊ, इलाहाबाद, गोरखपुर और कानपुर के विश्वविद्यालयों के लिए और शासकीय गजट में अधिसूचना द्वारा राज्यपाल द्वारा उस निमित्त विनिर्दिष्ट अन्य किसी भी विश्वविद्यालय के लिए लागू होती है।

(2) परीक्षा नियंत्रक विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा।

(3) परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा शासकीय गजट में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा की जायेगी और उसके पारिश्रमिक एवं भत्तों को विश्वविद्यालय द्वारा संदाय किया जायेगा।

---

1. 1995 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 14 द्वारा प्रतिस्थापित (25-2-1995 से प्रभावी)।
2. 1995 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 14 द्वारा लोपित (25-2-1995 से प्रभावी)।
3. 1995 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 14 द्वारा अन्तःस्थापित (25-2-1995 से प्रभावी)।

(4) परीक्षा नियंत्रक अपने कार्य से सम्बन्धित अभिलेखों की सम्यक् अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। वह विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति का पदेन सचिव होगा और वह उन सभी सूचनाओं को उस समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होगा जो उसके कामकाज को करने के लिए आवश्यक हो सकेंगी। वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का भी संपादन करेगा जो कार्यपरिषद् अथवा उपकुलपति द्वारा समय-समय पर यथा अपेक्षित विनियमनों और अध्यादेशों द्वारा विहित किये जा सकेंगे, लेकिन वह इस उपधारा के आधार पर मतदान करने का हकदार नहीं होगा। वह विश्वविद्यालय के किसी भी कार्यालय अथवा संस्थान से उस विवरणी के प्रस्तुत किये जाने अथवा उस सूचना के प्रदान करने की अपेक्षा कर सकेगा जो उसके कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए आवश्यक हों।

(5) परीक्षा नियंत्रक को अपने अधीनस्थ कार्य कर रहे कर्मचारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण प्राप्त होगा और उसे इस सम्बन्ध में रजिस्ट्रार की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी।

(6) परीक्षा समिति के अधीक्षण के अध्यधीन परीक्षा नियंत्रक को परीक्षाओं को संचालित करना होगा और उनके लिए अन्य सभी प्रबन्धों को करना होगा एवं वह उससे सम्बद्ध सभी प्रक्रियाओं के सम्यक् निष्पादन के लिए उत्तरदायी होगा।

(7) परीक्षा नियंत्रक को राज्य सरकार के आदेश को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार से विश्वविद्यालय से किसी भी कार्य के लिए कोई भी पारिश्रमिक नहीं दिया जायेगा न ही वह उसे स्वीकार करेगा।

(8) जबकि परीक्षा नियंत्रक किसी भी कारण से कार्य करने के लिए असमर्थ है अथवा परीक्षा नियंत्रक का पद रिक्त है तो उस पद के सभी कर्तव्यों का पालन उस व्यक्ति द्वारा किया जायेगा जिसे कुलपति द्वारा नियुक्त किया जाये, जब तक कि परीक्षा नियंत्रक अपने कर्तव्यों का भार ग्रहण न कर ले अथवा जैसा विषय हो रिक्ति न भर दी जाये।

[1][**16-ख. कतिपय विश्वविद्यालयों में परीक्षाओं के सम्बन्ध में रजिस्ट्रार के कर्तव्य**—उन विश्वविद्यालय में, जिनके लिए धारा 16-क के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, परीक्षा नियंत्रक के कर्तव्यों का निर्वहन रजिस्ट्रार द्वारा किया जायेगा और उन विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में, रजिस्ट्रार का इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए परीक्षा नियंत्रक होना समझा जायेगा।

17. रजिस्ट्रारों, उप रजिस्ट्रारों और सहायक रजिस्ट्रारों की सेवाओं का केन्द्रीकरण—(1) राज्य सरकार शासकीय गजट में अधिसूचना द्वारा बनाये गये नियमों के माध्यम से सभी विश्वविद्यालयों के लिए सामान्य रजिस्ट्रारों, उप-रजिस्ट्रारों और सहायक रजिस्ट्रारों की पृथक् सेवा के सृजन का उपबन्ध करेगी और ऐसी किसी सेवा के लिए नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती को और सेवा की शर्तों को शासित करेगी :

[2][परन्तु यह कि इस उपधारा के अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों को ऐसी तारीख से भूतलक्षी प्रभाव से किया जायेगा जो 31 अक्टूबर, 1975 के पूर्व न हो।]

(2) जब ऐसी किसी सेवा का सृजन किया जाता है तो [3][रजिस्ट्रारों, उप-रजिस्ट्रारों तथा सहायक रजिस्ट्रारों के प्रशासनिक पदों] पर उस समय सेवारत व्यक्तियों को यदि 14 मई, 1973 के पूर्व स्थायी किये जा चुके, अन्तिम रूप से सेवा में आपेलित कर लिया जायेगा, और उक्त पदों पर सेवारत अन्य व्यक्तियों को,

---

1. 1995 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 14 द्वारा अन्तःस्थापित (25-2-1995 से प्रभावी)।
2. 1977 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 5 द्वारा अन्तःस्थापित।
3. 1978 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 29 द्वारा प्रतिस्थापित।

यदि उपयुक्त पाये जायें, उस सेवा में या तो अस्थायी रूप से या अन्तिम रूप से आमेलित किया जा सकेगा। और यदि पश्चात्वर्ती दशा में किसी व्यक्ति को अन्तिम रूप से आमेलित नहीं किया जाता है तो उसकी सेवाओं का मुआवजे के रूप में एक माह के वेतन के संदाय पर समाप्त कर दिया जाना समझा जायेगा।

(3) जहां उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को सेवा में आमेलित किया जाता है तो उसे अनुमन्य सेवा की शर्तें उसके आमेलन के पूर्व उसके लिए प्रयोज्य शर्तों से कम लाभकारी नहीं होंगी, सिवाय इसके कि वह एक विश्वविद्यालय से किसी अन्य विश्वविद्यालय में अन्तरित किये जाने के लिए दायी होगा :

[1][परन्तु यह कि सेवा में ऐसा आमेलन उस आमेलन की तारीख के पूर्व कारित किसी भी कार्य के सम्बन्ध में सेवा के सदस्य के विरुद्ध किसी भी आनुशासनिक कार्यवाही को करने या करते रहने के विरुद्ध कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।]

(4) इस धारा के अधीन बनाये गये सभी नियम, जैसे ही उन्हें उनके बनाये जाने के पश्चात् यथा राज्य विधानमण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह अपने एक सत्र में अथवा एक से अधिक उत्तरोत्तर सत्रों में विस्तारित होते हुए कम से कम तीस दिन की कुल अवधि के लिए सत्र में हो और यह, जब तक कोई पश्चात्वर्ती तारीख नियत न की गयी हो, ऐसे उपान्तरणों या निष्प्रभावों के अध्यधीन गजट में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा: जिन्हें संसद के दोनों सदन उक्त अवधि के दौरान करने के लिए सहमत हों किन्तु इस प्रकार कि ऐसे किसी भी उपान्तरण या निष्प्रभाव का उसके अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

18. **अन्य अधिकारी**—कुलपति, प्रति कुलपति, उप कुलपति, प्रति उप कुलपति, [2][वित्त अधिकारी, रजिस्ट्रार और परीक्षा नियंत्रक, यदि कोई नियुक्त किया गया हो], को छोड़कर विश्वविद्यालय के अधिकारियों की शक्तियां वह होंगी जिन्हें परिनियमों तथा अध्यादेशों द्वारा निर्दिष्ट किया जायेगा।

[3][अध्याय IV-क

समन्वय परिषद् और केन्द्रीय अध्ययन परिषद्

18-क. **समन्वय परिषद्**—(1) एक समन्वय परिषद् होगी जिसमें उसके अध्यक्ष के रूप में कुलाधिपति और निम्नलिखित अन्य सदस्य अन्तर्विष्ट होंगे, अर्थात् :

(i) विश्वविद्यालयों के कुलपति;

(ii) उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा राज्य परिषद्;

(iii) न्यायिक विभाग में राज्य सरकार का सचिव;

(iv) वित्त विभाग में राज्य सरकार का सचिव;

(v) राज्यपाल का सचिव;

(vi) उच्चतर शिक्षा विभाग में राज्य सरकार का सचिव, जो समन्वय परिषद् का पदेन होगा।

(2) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों के, अथवा उसके द्वारा जारी मार्ग दर्शक सिद्धान्तों के अध्यधीन, समन्वय परिषद् की शक्तियाँ एवं कार्य निम्नवत् होंगे, अर्थात् :

---

1. 1977 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 5 द्वारा अन्त:स्थापित और उसका सदैव अन्त:स्थापित किया जाना समझा जा
2. 1995 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 14 द्वारा प्रतिस्थापित (25-2-1995 से प्रभावी)।
3. 1996 के राष्ट्रपति अधिनियम संख्यांक 4 द्वारा अन्त:स्थापित अध्याय IV-क (11-7-1995 से प्रभावी)।

(क) स्नातक की उपाधि के लिए अध्ययन के सामान्य पाठ्यक्रमों की सिफारिश करना;

(ख) आधार पाठ्यक्रम के लिए अथवा प्रत्येक विषय के लिए या विषयों के समूह के लिए केन्द्रीय अध्ययन परिषद् के गठन के सम्बन्ध में सिफारिश करना;

(ग) विश्वविद्यालयों में शैक्षिक कार्यक्रमों में सहयोग के तरीकों एवं माध्यमों की सिफारिश करना;

(घ) विश्वविद्यालयों के लिए सामान्य हित के मामलों पर विचार करना और सिफारिश करना।

(3) समन्वय परिषद् लखनऊ में अथवा ऐसे अन्य स्थान पर और ऐसे अन्तराल पर बैठक करेगी जिसे कुलपति अवधारित कर सकेगा।

18-ख. केन्द्रीय अध्ययन परिषद्—(1) आधार पाठ्यक्रम अथवा ऐसे अन्य विषयों या विषयों के समूह के लिए केन्द्रीय अध्ययन परिषद् होगा जिन्हें कुलपति, समन्वय परिषद् की सिफारिश पर, आदेश द्वारा निर्दिष्ट कर सकेगा।

(2) आधार पाठ्यक्रम के लिए केन्द्रीय अध्ययन परिषद् में निम्न सम्मिलित होंगे—

(i) प्रत्येक विश्वविद्यालय से एक अध्यापक जो रीडर अथवा सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के प्राचार्य की पंक्ति से अनिम्न होगा जिसे उपकुलपति द्वारा मनोनीत किया जायेगा; और

(ii) पाँच शिक्षाविद् जो समन्वय परिषद् की सिफारिश पर कुलपति द्वारा मनोनीत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ख्यातिलब्ध प्रोफेसरों की सूचियों पर हों।

(3) अन्य विषयों अथवा विषयों के समूह के लिए केन्द्रीय अध्ययन परिषद् में निम्न सम्मिलित होंगे—

(i) उस विषय या विषयों के समूह के सम्बन्ध में, जिनके लिए केन्द्रीय अध्ययन परिषद् का गठन किया जाना हो, प्रत्येक विश्वविद्यालय के अध्ययन परिषद् का आयोजन :

परन्तु यह कि यदि विश्वविद्यालय का विषय या विषयों के समूह में अध्ययन परिषद् न हो, तो उप-कुलपति विश्वविद्यालय में रीडर के अथवा सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के प्राचार्य की पंक्ति से अनिम्न किसी भी अध्यापक को मनोनीत कर सकेगा;

(ii) कुलपति द्वारा मनोनीत सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय में एक विभागाध्यक्ष जो स्नातकोत्तर स्तर तक के विषय का अध्यापन करता हो;

(iii) कुलपति द्वारा मनोनीत सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय में एक विभागाध्यक्ष जो उपाधि स्तर तक के विषय का अध्यापन करता हो;

(iv) उस विषय पर तीन विशेषज्ञ, जो समन्वय परिषद् की सिफारिश पर कुलपति द्वारा मनोनीत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ख्यातिलब्ध प्रोफेसरों की सूची में हो; और

(v) कुलपति द्वारा मनोनीत राज्य से बाहर उस विषय पर दो अन्य विशेषज्ञ।

(4) कुलपति केन्द्रीय अध्ययन परिषद् के अध्यक्ष को मनोनीत करेगा—

(i) उपधारा (2) के खण्ड (i) में निर्दिष्ट सदस्यों में से आधार पाठ्यक्रम के लिए; और

(ii) उपधारा (3) के खण्ड (i) तथा (ii) में निर्दिष्ट सदस्यों में से अन्य विषय अथवा विषयों में से समूह के लिए।

(5) केन्द्रीय अध्ययन परिषद् के गठन और उस पर अध्यक्ष एवं सदस्यों, पदेन सदस्यों को छोड़कर, का नामनियन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जायेगा।

(6) केन्द्रीय अध्ययन परिषद् का कार्यकाल उपधारा (5) में निर्दिष्ट अधिसूचना की तारीख से 3 वर्ष का होगा और अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल उसके साथ ही समाप्त हो जायेगा :

परन्तु यह कि आकस्मिक रिक्त को भरने के लिए मनोनीत सदस्य के पद की कार्यकाल उसके पूर्ववर्ती के कार्यकाल की शेष बची हुई अवधि के लिए होगा।

(7) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों के, अथवा उसके द्वारा जारी मार्ग दर्शक सिद्धान्तों के अध्यधीन केन्द्रीय अध्ययन परिषद् के कार्य निम्नवत् होंगे, अर्थात् :

(क) अध्ययन पाठ्यक्रमों और परीक्षाओं, और शैक्षिक कलेण्डर को निर्धारित करने, और पूर्व स्नातक स्तर के लिए पाठ्यपुस्तकों एवं अन्य पुस्तकों को सिफारिश करने के लिए समन्वय परिषद् की सिफारिशों और कुलपति के अनुमोदन के अध्यधीन;

(ख) समन्वय परिषद्, अथवा कुलपति द्वारा उसके समक्ष निर्दिष्ट किसी भी मामले पर विचार करना और उस पर रिपोर्ट देना; और

(ग) ऐसे समय के भीतर जिसे कुलपति, लिखित आदेश द्वारा उससे संपादित करने की अपेक्षा करें, इस अधिनियम से सुसंगत ऐसे अन्य कार्यों को संपादित करना।

(8) अपने कार्यों को कार्यान्वित करने के लिए केन्द्रीय अध्ययन परिषद् उन विशेषज्ञों से भी परामर्श कर सकेगी जो उसके सदस्य नहीं हैं :

(9) कुलपति द्वारा अनुमोदित केन्द्रीय अध्ययन परिषद् की सिफारिशें राज्य में सभी विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में उस तारीख से प्रभावी होंगी जिसे कुलपति द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकेगा।

(10) कुलपति केन्द्रीय अध्ययन परिषद् के किसी भी विनिश्चय को इस आधार पर किसी भी समय निलम्बित, उपान्तरित अथवा इस आधार पर संशोधित कर सकेगा कि उसने इस धारा में अपवर्णित उद्देश्यों को पूरा नहीं किया है और वह उस परिषद् को मामले पर नये सिरे से विचार करने के लिए निदेशित कर सकेगा।

18-ग. **सचिवीय सहायता**—उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा राज्य परिषद् अधिनियम, 1995 के अधीन गठित उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा राज्य परिषद् समन्वय परिषद् और केन्द्रीय अध्ययन परिषद् को सचिवीय सहायता प्रदान करेगी।]

अध्याय V

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

19. **विश्वविद्यालय के प्राधिकारी**—विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे,—

(क) कार्यपरिषद्;

(ख) सभा;

(ग) विद्या परिषद्;

(घ) वित्त समिति;

(ङ) संकायों के परिषद्;

(च) विश्वविद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति के लिए चयन समितियाँ;

(छ) प्रवेश समिति;

(ज) परीक्षा समिति; और

(झ) ऐसे अन्य प्राधिकारी जिन्हें परिनियम द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के रूप में घोषित किया जा सकेगा।

20. कार्य परिषद् का गठन—(1) कार्य परिषद् में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे—

(क) उप-कुलपति जो उसका अध्यक्ष होगा;

(ख) प्रति उप-कुलपति, यदि कोई हो;

(ग) निर्धारित रीति से चक्रानुक्रम से दो संकायों के संकाया अध्यक्ष;

[1][(गग) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के प्रोफेसरों या रीडरों से दो सदस्य एवं नागरिकों अन्य पिछड़े वर्गों के प्रोफेसरों या रीडरों से दो सदस्य];

[2][(घ) कुमाऊ और बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालयों और डॉ० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा, छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर, हेमवती नन्दन बहुगुणा, गढ़वाल विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ, डॉ० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद और महात्मा ज्योतिबा फूले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली की दशा में,—

(i) उपरोक्त खण्ड (ग) में निर्दिष्ट प्रति उप-कुलपति अथवा संकायाध्यक्ष को छोड़कर एक प्रोफेसर, विश्वविद्यालय का एक रीडर और एक प्रवक्ता निर्धारित रीति से चयनित किया जायेगा;

(ii) सम्बद्ध महाविद्यालयों के 3 प्राचार्य और दो अन्य अध्यापक जिनका चयन निर्धारित रीति से किया जायेगा;

और धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित किसी अन्य विश्वविद्यालय की दशा में सम्बद्ध महाविद्यालय के 4 प्राचार्यों और चार अध्यापकों का चयन निर्धारित रीति से किया जायेगा;

(घघ) दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर की दशा में,—

(i) उपरोक्त खण्ड (ग) में निर्दिष्ट प्रति उप-कुलपति अथवा संकायाध्यक्ष को छोड़कर एक प्रोफेसर, विश्वविद्यालय का एक रीडर तथा एक प्रवक्ता का चयन निर्धारित रीति से किया जायेगा;

(ii) महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद्, गोरखपुर के एक प्रतिनिधि का चयन उक्त परिषद् द्वारा अपने सदस्यों में से किया जायेगा;

(iii) सम्बद्ध महाविद्यालयों के तीन प्राचार्य और दो अन्य अध्यापकों का चयन निर्धारित रीति से किया जायेगा];

---

[1] वर्ष 2004 उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 1 द्वारा अन्तःस्थापित (11-7-2003 से प्रभावी)।

[2] 2006 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 20 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ङ) धारा 38 की उपधारा (1) में अथवा उसके अधीन उल्लिखित विश्वविद्यालय की दशा में,—

(i) विश्वविद्यालय के दो प्रोफेसर (उपरोक्त खण्ड (ग) में निर्दिष्ट प्रति उप-कुलपति या संकायाध्यक्ष को छोड़कर), दो रीडर एवं दो प्रवक्ता, जिनका चयन निर्धारित रीति से किया जायेगा;

(ii) सहयुक्त महाविद्यालय का एक प्राचार्य जिसका चयन निर्धारित रीति से किया जायेगा,

(च) सभा के सदस्यों द्वारा उनमें से ऐसे चार व्यक्तियों का चयन किया जायेगा जो उस विश्वविद्यालय या संस्था के अथवा संघटक महाविद्यालय या सम्बद्ध या सहयुक्त या छात्र निवास या छात्रावास के विद्यार्थियों के रूप में नामांकित अथवा उसकी सेवा में नहीं है;

(छ) कुलपति द्वारा चार शैक्षिक प्रतिष्ठा वाले व्यक्तियों को नामांकित किया जायेगा :

[1][परन्तु यह कि इस प्रकार मनोनीत व्यक्तियों में से एक ऐसा व्यक्ति होगा जो उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है अथवा रह चुका है।]

[2][(ज) प्रतिष्ठित उद्योगपतियों में से एक व्यक्ति जिसने उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान किया है, राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया जायेगा।]

[3][(2) निम्न में उल्लिखित सदस्यों के पद का कार्यकाल—

(i) उपधारा (1) के खण्ड (ग), [4][(गग)], (घ) और (ङ) में एक वर्ष होगा;

(ii) उपधारा (1) के खण्ड (च) में तीन वर्ष होगा; और

(iii) [5][उपधारा (1) के खण्ड (छ) अथवा खण्ड (ज) में दो वर्ष होगा।]

(3) कोई भी व्यक्ति उपधारा (1) के खण्ड (च) खण्ड (छ) [6][अथवा खण्ड (ज)] के अधीन लगातार दो कार्यावधियों के लिए कार्य परिषद् का सदस्य नहीं होगा।

(4) उपधारा (1) में किसी भी बात के होते हुए, किसी भी व्यक्ति को कार्य परिषद् के सदस्य के रूप में तब तक चयनित या मनोनीत नहीं किया जायेगा जब तक कि वह स्नातक न हो।

(5) कोई व्यक्ति कार्य परिषद् के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए और सदस्य बनने के लिए उस दशा में निरर्हित हो जायेगा जब वह अथवा उसका रिश्तेदार विश्वविद्यालय में या उसके लिए किसी कार्य या विश्वविद्यालय के लिए माल के प्रदाय अथवा किसी कार्य के निष्पादन के लिए किसी संविदा के लिए पारिश्रमिक को स्वीकार कर लेता है :

परन्तु यह कि इस उपधारा में कही गयी कोई भी बात अध्यापक द्वारा उस रूप में अथवा विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षा के सम्बन्ध में सम्पादित किन्हीं कर्तव्यों के लिए अथवा प्रशिक्षण इकाई के या किसी छात्र निवास अथवा छात्रावास के अधीक्षक अथवा वार्डेन के रूप में अथवा विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में इसी प्रकार की प्रकृति के किन्हीं कर्तव्यों के लिए, प्राक्टर अथवा आनुशिक्षक के रूप में किसी पारिश्रमिक के स्वीकार किये जाने के लिए लागू नहीं होगी।

---

1. 1988 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 9 द्वारा अन्तःस्थापित (15-1-1988 से प्रभावी)।
2. 1995 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 14 द्वारा अन्तःस्थापित (25-2-1995 से प्रभावी)।
3. 1981 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 10 द्वारा प्रतिस्थापित (8-7-1981 से प्रभावी)।
4. 2003 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 1 द्वारा अन्तःस्थापित (11-7-2003 से प्रभावी)।
5. 1995 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 14 द्वारा प्रतिस्थापित (25-2-1995 से प्रभावी)।
6. 1995 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 14 द्वारा अन्तःस्थापित (25-2-1995 से प्रभावी)।

स्पष्टीकरण—इस धारा में, "रिश्तेदार" कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 में निर्धारित रिश्तेदारों से अभिप्रेत है और इसमें पत्नी का (अथवा पति का) भाई, पत्नी का (अथवा पति का) पिता, पत्नी की अथवा पति की) बहन, भाई का पुत्र और भाई की पुत्री सम्मिलित है।

टिप्पणी

रिश्तेदार का अभिप्राय—शब्द "रिश्तेदार" मात्र उन व्यक्तियों को निर्दिष्ट करता है जो किसी व्यक्ति के रक्त अथवा विवाह से सम्बन्धित हैं। *राज किशोर शर्मा* बनाम *किसान शिक्षा समिति*, 1978 ए० एल० जे० 1207।

21. कार्य परिषद् की शक्तियाँ और कर्तव्य—(1) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यकारी निकाय होगा और इस अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन उसकी निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्—

(i) विश्वविद्यालय की सम्पत्ति और निधियों को धारित एवं नियंत्रित करना;

(ii) विश्वविद्यालय की ओर से किसी जंगम अथवा स्थावर सम्पत्ति को अर्जित अथवा अन्तरित करना;

(iii) परिनियमों एवं अध्यादेशों को बनाना, संशोधित करना अथवा उन्हें निरसित करना;

(iv) विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय के पास उपलब्ध निधियों का प्रशासन करना;

(v) विश्वविद्यालय के बजट को तैयार करना;

(vi) परिनियमों तथा अध्यादेशों के अनुसार छात्रवृत्ति, अधिछात्र वृत्तियां निर्धन छात्रवृत्तियां, पदक और अन्य पारितोषिकों को प्रदान करना;

(vii) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों को नियुक्त करना तथा उनकी सेवा के सम्बन्ध में उनके कर्तव्यों एवं शर्तों को परिभाषित करना एवं उनके पदों में अस्थायी आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए प्रावधान करना;

(viii) परीक्षकों के शुल्कों, परिलब्धियों और यात्रा तथा अन्य भत्तों को नियत करने के लिए [1][* * *];

(ix) [2][धारा 37 के प्रावधानों के अध्यधीन] किसी भी महाविद्यालय की सम्बद्धता या मान्यता के सम्बन्ध में विशेषाधिकारों को प्रदान करना अथवा पहले से सम्बद्ध, मान्यता प्राप्त किसी भी महाविद्यालय के विशेषाधिकारों को प्रदान करना अथवा ऐसे किसी भी विशेषाधिकार को वापस लेना या उसमें कमी करना;

(x) संस्थाओं, सम्बद्ध, सहयुक्त या संघटक महाविद्यालयों, छात्र निवासों, छात्रावासों और विद्यार्थियों के निवास के अन्य स्थानों के लिए प्रबन्ध करना और उनके निरीक्षण का निदेश करना;

(xi) विश्वविद्यालय की सामान्य मुहर के निर्माण एवं प्रयोग का निदेश करना;

(xii) परिनियमों और अध्यादेशों के अनुसार विश्वविद्यालय के अध्यापन, प्रशासनिक और अन्य कर्मचारियों के सदस्यों के मध्य अनुशासन को विनियमित तथा लागू करना;

(xiii) विश्वविद्यालय के वित्तों, लेखों, विनियोगों, सम्पत्ति, कामकाज और उसके अन्य सभी प्रशासनिक कार्यकलापों का प्रबन्ध तथा उन्हें विनियमित करना और उस प्रयोजनार्थ उन अधिकर्ताओं की नियुक्ति करना जिन्हें वह उपयुक्त समझे;

---

[1]1977 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 5 द्वारा लोपित।

[2]1977 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 5 द्वारा अन्तःस्थापित।

(xiv) विश्वविद्यालय के किसी धन को जिसमें न्यास और विन्यासित सम्पत्ति से प्राप्त होने वाली आय सहित ऐसे स्कन्धों, निधियों, अंशों अथवा प्रतिभूतियों में जिन्हें वह समय-समय पर उपयुक्त समझे या भारत में किसी स्थावर सम्पत्ति को क्रय करने में विनियोजित करना एवं समय-समय पर ऐसे विधान में परिवर्तन करना;

(xv) विश्वविद्यालय के कार्यों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक भवनों, स्थानों, फर्नीचर और साधित्र प्रदान करना;

(xvi) विश्वविद्यालय की ओर से संविदाओं को करना, उनमें फेरबदल करना, कार्यान्वित करना और उन्हें रद्द करना;

(xvii) इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के अनुसार विश्वविद्यालय साथ ही संस्थाओं, संघटक, सम्बद्ध और सहयुक्त महाविद्यालयों से सम्बन्धित अन्य सभी मामलों को विनियमित तथा अवधारित करना।

(2) राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना कार्य परिषद् बंधक, विक्रय, विनिमय, दान अथवा अन्य प्रकार से विश्वविद्यालय की किसी भी स्थावर सम्पत्ति को प्रबन्धक के साधारण अनुक्रम में प्रत्येक माह किराये पर देने के सिवाय, न तो अन्तरित करेगी और न ही सिवाय राज्य सरकार से विश्वविद्यालय हेतु कोई सहायक अनुदान प्राप्त होने की शर्त के रूप में अथवा राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से किसी अन्य व्यक्ति से उसकी प्रतिभूमि पर कोई धन उधार या अग्रिम लेगी।

(3) ऐसा कोई भी व्यय जिसके सम्बन्ध में राज्य सरकार के अनुमोदन को इस अधिनियम या परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा अपेक्षा की जाती है, सिवाय पूर्व में प्राप्त किये गये उस अनुमोदन के उपगत नहीं किया जायेगा तथा या तो विश्वविद्यालय में या विश्वविद्यालय द्वारा पोषित किसी भी संस्था या संघटक महाविद्यालय में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के सिवाय, [1][अथवा राज्य सरकार के किसी भी सामान्य या विशेष आदेश को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार से कोई भी पद सृजित नहीं किया जायेगा]।

[2][(3-क) कार्य परिषद्, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, विश्वविद्यालय के अध्यापक के अतिरिक्त पद का उस अध्यापक को, जो तत्समय भारत में या विदेश में शिक्षा सम्बन्धी प्रशासन या अन्य किसी प्रकार के समनुदेशनों में राष्ट्रीय महत्व के उत्तरदायित्वपूर्ण पद को धारित कर रहा है, अपने धारणाधिकार को तथा अध्यापक के रूप में वरिष्ठता को प्रतिधारित करने और अपने समनुदेशन की अवधि के दौरान अपने वेतनमानों में वृद्धि को उपार्जित करते रहने एवं परिनियमों के अनुसार भविष्य निधि के लिए अंशदान करने एवं सेवानिवृत्ति के लाभों, यदि कोई हों को उपार्जित करने के लिए समर्थ बनाने के उद्देश्य से अतिरिक्त पद का सृजन कर सकेगी :

परन्तु यह कि कोई वेतन उस अध्यापक के लिए विश्वविद्यालय द्वारा उस समनुदेशन की अवधि के लिए संदेय नहीं होगा।

(4) विश्वविद्यालय के या किसी संस्थान के या संघटक महाविद्यालय या सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के कर्मचारियों की विभिन्न कोटियों के लिए वेतन एवं अन्य भत्ते ऐसे होंगे जिन्हें राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया जा सकेगा।

(5) कार्य परिषद् वित्त समिति द्वारा नियत किये गये प्रत्येक वित्तीय वर्ष में उपगत किये जाने वाले आवर्ती तथा अनावर्ती व्ययों की सीमा को पार नहीं करेगी।

---

1. 1975 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 21 द्वारा अन्तःस्थापित।
2. 1977 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 5 द्वारा अन्तःस्थापित।

(6) कार्य परिषद् अध्यापकों की संख्या, अर्हताओं तथा परिलब्धियों, और विद्या परिषद् तथा सम्बन्धित संकायों के परिषदों की सलाह पर विचार करने के पश्चात् अन्य किसी भी प्रकार से परीक्षकों को संदेय शुल्क के सम्बन्ध में कोई भी कार्यवाही नहीं करेगी।

(7) कार्य परिषद् न्यायालय के प्रत्येक संकल्प पर सम्यक् विचार करेगी और उस पर ऐसी कार्यवाही करेगी जिसे वह उपयुक्त समझे और न्यायालय को की गयी कार्यवाही अथवा जैसा विषय हो, संकल्प को अस्वीकृति के कारणों की रिपोर्ट देगी।

(8) कार्य परिषद्, परिनियमों में निर्दिष्ट किन्हीं शर्तों के अध्यधीन अपनी ऐसी शक्तियों को जिन्हें वह उपयुक्त समझे, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी अथवा किसी अन्य प्राधिकारी को अथवा अपने द्वारा नियुक्त की गयी समिति को प्रत्यायोजित कर सकेगी।

टिप्पणियाँ

1. कार्य परिषद् की बैठकों को नोटिस का दिया जाना अनिवार्य
2. संकल्प का पारित किया जाना—प्रक्रिया का पारित किया जाना अनिवार्य
3. कार्य परिषद्—विश्वविद्यालय का प्रधान कार्य निकाय
4. विचारणीय मद का सदैव कार्य-सूची में होना आवश्यक नहीं
5. नोटिस का अननुपालन कब अधित्यजित
6. स्थगन का सिद्धान्त—कब अवलम्ब लिया जाना चाहिए
7. समुचित नोटिस न देने का परिणाम
8. अनुसमर्थन द्वारा शून्य संकल्प वैध नहीं हो सकता
9. संकल्प को मात्र दर्ज करना ही कोई अनुसमर्थन नहीं
10. कार्य परिषद् के सदस्य का पद-लोक पद
11. नियुक्ति—कार्यपरिषद् सदस्य द्वारा उसके संकल्प को चुनौती नहीं दे सकती
12. नियुक्ति आदेश का पुनर्विलोकन, उपान्तरण या प्रतिसंहरण नहीं किया जा सकता
13. यदि उपकुलपति जाँच में अपना साक्ष्य देता है, तो वह कार्य परिषद् की बैठक में सम्मिलित नहीं हो सकता
14. नियुक्ति करने के पूर्व अध्यादेशों को विरचित करने की कोई बाध्यता नहीं
15. नियुक्त करने की शक्ति में सेवा से मुक्त करने की शक्ति सम्मिलित है भले ही अधिनियम द्वारा यथापेक्षित अध्यादेश न किया गया हो
16. उपकुलपति द्वारा की गयी नियुक्ति अवैध

1. *कार्य परिषद् की बैठकों की नोटिस का दिया जाना अनिवार्य*—आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने कार्य परिषद् की बैठकों की विधि से सम्बन्धित प्रतिपादनों को निम्न प्रकार से निर्दिष्ट किया है—

(क) "बैठक" की धारणा अपनी परिधि में "सभी व्यक्तियों का एक साथ आना" समाविष्ट करती है;

(ख) नोटिस का उद्देश्य बैठक में भाग लेने के हकदार व्यक्तियों को बैठक में सम्मिलित होने और उसमें होने वाले विचार-विमर्श में भाग लेने के लिए समर्थ बनाना है;

(ग) यदि बैठक को उसमें भाग लेने के हकदार व्यक्तियों को नोटिस दिये बिना आयोजित किया जाता है, तो बैठक अवैध हो जायेगी एवं उसमें की गयी परिणामिक कार्यवाहियाँ भी उसी प्रकार के शैथिल्य प्रभावित होंगी। *ग्रंथी रघुरामा गुप्ता* बनाम *राजस्व परगना अधिकारी*, ए० आई० आर० 1973 आन्ध्र प्रदेश 174।

2. *संकल्प का पारित किया जाना—प्रक्रिया का पारित किया जाना अनिवार्य*—विश्वविद्यालय विधिक व्यक्ति है। इसका किसी मनुष्य की भाँति न तो जीवित मस्तिष्क होता है, न कि स्वर। यह अपनी इच्छा को केवल औपचारिक संकल्प के माध्यम से ही व्यक्त कर सकता है और इसलिए, वह केवल अपने संविधान द्वारा निर्दिष्ट रीति से ही समुचित ढंग से विचार किये गये, कार्यान्वित और सम्यक् रूप से अभिलिखित

संकल्पों द्वारा अपनी नियमित प्रास्थिति में ही कार्य कर सकता है। यदि विश्वविद्यालय के नियमों में इस बात की अपेक्षा की जाती है कि ऐसे संकल्पों का प्रस्तुत एवं पारित किया जाना अपेक्षित है, तो कार्यपरिषद् की बैठक बुलायी जाती है, एवं निकाय के प्रत्येक सदस्य को जिसे उस बैठक में भाग लेने का अधिकार प्राप्त होता है, नोटिस दी जानी आवश्यक होती है ताकि वह उसमें भाग ले सके एवं अपने मत को व्यक्त कर सके। इन परिस्थितियों में एक भी सदस्य को नोटिस देने की चूक बैठक को अविधिमान्य बना देगी और परिणामिक रूप से संकल्प जिन्हें पारित किया जाना है, भी अविधिमान्य हो जायेंगे। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि सार स्वरूप से अधिक महत्वपूर्ण है और यदि विधि का सारत: पालन किया जाता है, तो स्वरूप में अनावश्यक दोष उस संकल्प को विफल नहीं कर देगा जो अन्यथा आवश्यक रूप से समुचित और वैध संकल्प है। *उपकुलपति* बनाम *एस० के० घोष,* ए० आई० आर० 1954 एस० सी० 217।

3. कार्य परिषद्—विश्वविद्यालय का प्रधान कार्य निकाय—कार्य परिषद् विश्वविद्यालय का प्रधान कार्य निकाय है। यह अधिनियम की धारा 19 की अर्थव्याप्ति में "प्राधिकारी" है। विश्वविद्यालय विधिक सत्ता है और अधिनियम की धारा 3 के अधीन यथा उपबंधित निगम है। चूंकि विश्वविद्यालय प्राकृत व्यक्ति नहीं है, इसलिए, कार्य परिषद् के कार्य विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। विश्वविद्यालय को चलाने के लिए इस धारा के अधीन कार्य परिषद् को व्यापक शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं। खण्ड (xvii) द्वारा कार्य परिषद् को अवशिष्ट शक्ति प्रदान की जाती है जिसमें कार्यपरिषद् को विश्वविद्यालय और साथ ही संस्था, घटक, सम्बद्ध एवं सहयुक्त महाविद्यालयों से सम्बन्धित अन्य सभी मामलों को अधिनियम परिनियमों एवं अध्यादेशों के अनुसार विनियमित तथा अवधारित किया जाता है। सामान्य तरीका, जिसमें कार्य परिषद् के विनिश्चयों को किया जाता है, कार्य परिषद् की समुचित ढंग से गठित बैठक में पारित संकल्प के माध्य से है। किस तरह से कार्य परिषद् के संकल्प को पारित किया जाना चाहिए, इस पर भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा *उपकुलपति* बनाम *एस० के० घोष,* ए० आई० आर० 1954 एस० सी० 217 के वाद में विचार किया गया।

4. विचारणीय मद का सदैव कार्य-सूची में होना आवश्यक नहीं—यह आवश्यक नहीं कि किसी मामले पर कार्य परिषद् द्वारा विचार किये जाने के पूर्व, उक्त मामले का उक्त बैठक की कार्यसूची के मदों में से एक होना चाहिए। *द किंग* बनाम *पुल्सफोर्ड,* (1928) 108 ई० आर० 1073 (बी०); *ला कॉम्पेन डी मेवीले* बनाम *वाइटले,* 1896 (1) चां० 788 (सी०), और *पारकर एण्ड कूपर लि०* बनाम *रीडिंग,* 1926 (1) चां० 975 (डी)।

5. नोटिस का अननुपालन कब अधित्यजित—ऐसे किसी वाद में, जहाँ नियमावली द्वारा यथा अपेक्षित सभी सदस्यों को नोटिस जारी नहीं की जाती, लेकिन उक्त सदस्य आता है और बैठक में सम्मिलित होता है, तो उक्त अनियमितता का उक्त सदस्य द्वारा त्यजित किया जाना समझा जायेगा और कार्य परिषद् की बैठक में लिए जाने वाले विनिश्चय को नियमों के अननुपालन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। *उपकुलपति* बनाम *एस० के० घोष,* ए० आई० आर० 1954 एस० सी० 217।

6. त्यजन का सिद्धान्त—कब अवलम्ब लिया जाना चाहिए—त्यजन के सिद्धान्त का अवलम्ब का केवल तभी लिया जा सकता है जब सभी सदस्य बैठक में उपस्थित हों। अधिकारातीत कृत्य को संरक्षण प्रदान करने के लिए आन्तरिक प्रबन्धन के सिद्धान्त का लागू नहीं किया जा सकता। *काशी नाथ मिश्रा* बनाम *इलाहाबाद विश्वविद्यालय,* ए० आई० आर० 1967 इला० 101 (105)।

7. समुचित नोटिस न देने का परिणाम—ऐसे किसी वाद, जहाँ सदस्य को कोई नोटिस तामील नहीं की जाती और ऐसे किसी वाद जहाँ नोटिस तो तामील की जाती है, लेकिन सदस्यों को बैठक में सम्मिलित होने से या विधि द्वारा या शारीरिक बल के प्रयोग द्वारा निवारित किया जाता है, के मध्य कोई अन्तर नहीं है। दोनों ही आकस्मिकताओं में सदस्यों को बैठक में सम्मिलित होने का युक्तियुक्त अवसर प्राप्त नहीं होता; और इसलिए, ऐसी बैठक में किया गया कोई भी कामकाज वैध नहीं ठहराया जा सकता। *एन० जी० गुप्ता* बनाम *आगरा विश्वविद्यालय,* 1975 (1) लेबर एण्ड इण्डस्ट्रियल केसेज 3 ।

बैठक में सम्मिलित होने के हकदार व्यक्ति को नोटिस के बिना बैठक को आयोजित करने के वाद तथा ऐसे वाद के मध्य सिद्धान्तों के बिन्दु पर किसी भी अन्तर का होना प्रतीत नहीं होता है जहाँ ऐसे व्यक्ति का

हितबद्ध पक्षकार द्वारा बैठक में सम्मिलित होने से निवारित किया गया हो। *एम० जी० गुप्ता* बनाम *आगरा विश्वविद्यालय*, 1975 (1) लेबर एण्ड इण्डस्ट्रियल केसेज 3 ।

8. अनुसमर्थन द्वारा शून्य संकल्प वैध नहीं हो सकता—नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का उल्लंघन करते हुए पारित आदेश शून्य होता है। उसी प्राधिकारी द्वारा या अपील अथवा पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा उस विनिश्चय की पश्चात्वर्ती अभिपुष्टि या उसका दोहराया जाना उस विनिश्चय को वैधकृत नहीं करता है। यारम्बार शून्य आदेश अथवा संकल्प का पुनः अभिपुष्टिकरण मूल कार्रवाई को वैध या विधिक बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। *एम० जी० गुप्ता* बनाम *आगरा विश्वविद्यालय*, 1975 (1) लेबर एण्ड इण्डस्ट्रियल केसेज 3 ।

9. संकल्प को मात्र दर्ज करना ही कोई अनुसमर्थन नहीं—संकल्प को मात्र दर्ज करना ही अनुसमर्थन की कोटि में नहीं आता। *जी० डी० चावला* बनाम *जोधपुर विश्वविद्यालय*, 1976 खण्ड I, लेबर एण्ड इण्डस्ट्रियल केसेज 713।

10. कार्य परिषद् के सदस्य का पद—लोक पद—कार्य परिषद् की सदस्यता न केवल पद है, बल्कि वह एक लोक पद है। विश्वविद्यालय का स्नातक, जो पंजीकृत स्नातक है, को अधिकार पृच्छा की रिट माँगने का अधिकार प्राप्त है, बशर्ते ऐसे व्यक्ति को परिनियमों और अध्यादेशों का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए निर्वाचित किया गया हो। *सतीश चन्द्र शर्मा* बनाम *राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर*, 1970 आर० एल० डब्ल्यू० 403।

11. नियुक्ति—कार्यपरिषद् सदस्य द्वारा उसके संकल्प को चुनौती नहीं दे सकती—कार्य परिषद् का सदस्य स्वयं कार्य परिषद् द्वारा की गयी रीडरों एवं प्रोफेसरों की नियुक्ति को चुनौती नहीं दे सकता क्योंकि वह प्रतिद्वंदी अभ्यर्थी नहीं है एवं उसका हित प्रभावित नहीं होता है। *के० पी० नारायन रेड्डी* बनाम *बंगलौर विश्वविद्यालय*, 1973 (2) एस० एल० आर० 235।

12. नियुक्ति आदेश का पुनर्विलोकन, उपान्तरण या प्रतिसंहरण नहीं किया जा सकता—यदि नियुक्ति आदेश को जारी किया गया तथा कर्मचारी ने पद धारण कर लिया है, तो उस आदेश का पुनर्विलोकन नहीं किया जा सकता, न ही उसे उपान्तरित या प्रतिसंहृत किया जा सकता है। *आर० वी० स्वामी* बनाम *उपकुलपति*, 1973 (1) एस० एल० आर० 889।

13. यदि उपकुलपति जाँच में अपना साक्ष्य देता है, तो वह कार्य परिषद् की बैठक में सम्मिलित नहीं हो सकता—प्रत्येक न्यायिक अथवा न्यायिक कल्प प्राधिकारी, जिससे न्यायिक रूप से कार्य करने की अपेक्षा की जाती है, को पक्षपात रहित होकर निष्पक्ष ढंग से कार्य करना होगा। पक्षपातपूर्ण न्यायाधीश अपने समक्ष विवादों का अवधारण करने के लिए अनर्हित है। यदि सिद्धान्त उस वैधानिक प्राधिकारी के लिए भी लागू होती है जिससे न्यायिक रूप से कार्य करने की अपेक्षा की जाती है। पक्षपात से न्यायिक और साथ ही न्यायिक कल्प विनिश्चय भी दूषित हो जाते हैं। पक्षपात का सिद्धान्त कार्य परिषद् के लिए भी प्रयोज्य था और कार्य परिषद् के सदस्यों से यह अपेक्षा की गयी थी कि वह याची के विरुद्ध आरोपों पर विचार करने एवं उन्हें विनिश्चित करने की अपेक्षा की गयी। कार्यपरिषद् की कार्यवाही में पक्षपातपूर्ण सदस्यों की भागीदारी निश्चित रूप से उसके विनिश्चय को दूषित करने के लिए बाध्य थी। उपकुलपति और कार्य परिषद् के एक सदस्य, जिन्होंने जाँच समिति के समक्ष याची के विरुद्ध साक्ष्य दिया था, याची के विरुद्ध पक्षपातपूर्ण थे। कार्य परिषद् की बैठक में उनकी भागीदारी से याची की सेवाओं का समाप्त करने का संकल्प शून्य हो गया था। *एम० जी० गुप्ता* बनाम *आगरा विश्वविद्यालय*, 1975 (1) लेबर एण्ड इण्डस्ट्रियल केसेज 3 ।

14. नियुक्ति करने के पूर्व अध्यादेशों को विरचित करने की कोई बाध्यता नहीं—कार्य परिषद् के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वह अध्यापकों की नियुक्ति करने की शक्ति का प्रयोग करने के पूर्व अध्यापकों की अर्हता से सम्बन्धित अध्यादेश विरचित करे। *हरीश चन्द्र खरे* बनाम *कुलपति, इलाहाबाद विश्वविद्यालय*, वर्ष 1969 की रिट 3911, इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा 29-4-1970 को विनिश्चित।

15. नियुक्त करने की शक्ति में सेवा से मुक्त करने की शक्ति सम्मिलित है भले ही अधिनियम द्वारा यथापेक्षित अध्यादेश न किया गया हो—कार्य परिषद् के पास विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की शक्ति प्राप्त है, भले ही उन निबन्धनों एवं शर्तों को निर्दिष्ट करते हुए कोई अध्यादेश विरचित न किया गया हो जिनके अधीन उक्त कार्रवाई को सम्बन्धित व्यक्ति के विरुद्ध किया जा सकता है। *अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी* बनाम *नादिर रजा नकवी*, 1978 ए० एल० जे० 950 : 1978 लेबर एण्ड इण्डियन केसेज 991।

16. उपकुलपति द्वारा की गयी नियुक्ति अवैध—इस धारा की उपधारा (1) के खण्ड (vii) के अनुसार, सहायक रजिस्ट्रार की नियुक्त करने की शक्ति कार्य परिषद् में निहित है। यदि नियुक्ति की उपकुलपति द्वारा किया जाता है, तो वह अधिकारातीत एवं अवैध है। *उपकुलपति* बनाम *शिव शंकर सिंह*, 10-3-1975 को विनिश्चित वर्ष 1975 की विशेष अपील संख्या 46।

22. सभा—सभा में निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित होंगे, अर्थात्—

श्रेणी I—पदेन सदस्य

(i) कुलपति;

(ii) कार्य परिषद् के सदस्य;

(iii) वित्त अधिकारी;

श्रेणी II—आजीवन सदस्य

(iv) किसी विद्यमान विश्वविद्यालय की दशा में, प्रत्येक सदस्य, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व सभा या सीनेट का आजीवन सदस्य था;

श्रेणी III—अध्यापकों के प्रतिनिधि आदि

(v) विश्वविद्यालय के और उसके द्वारा पोषित संघटक महाविद्यालयों के सभी विभागाध्यक्ष;

(vi) औषधि और अभियांत्रिकी के संकायाध्यक्ष, बशर्ते वे कार्य परिषद् के सदस्य न हों;

(vii) विश्वविद्यालय और उसके संघटक महाविद्यालयों एवं संस्थानों के छात्रावासों और छात्र निवासों के प्रोवोस्टो तथा वार्डनों के दो प्रतिनिधियों का चयन निर्धारित रीति से चक्रानुक्रम द्वारा किया जायेगा।

(viii) राज्य सरकार द्वारा पोषित संघटक महाविद्यालयों के सभी प्राचार्य;

(ix) पन्द्रह अध्यापक जिनका चयन निर्धारित रीति से किया जायेगा;

(x) सम्बद्ध अथवा सहयुक्त महाविद्यालयों के प्रबन्ध तंत्र के दो प्रतिनिधियों का निर्धारित रीति से चक्रानुक्रम द्वारा चयन किया जायेगा;

श्रेणी IV—पंजीकृत स्नातक

(xi) पंजीकृत स्नातकों में से पन्द्रह प्रतिनिधियों का उस प्रास्थिति वाले पंजीकृत स्नातकों द्वारा चयन किया जायेगा जिन्हें उनमें से ऐसे व्यक्तियों में से विहित किया जा सकेगा, जो विश्वविद्यालय की या किसी संस्थान की या किसी संघटक महाविद्यालय की सेवा में नहीं है अथवा सम्बद्ध महाविद्यालय, सहयुक्त महाविद्यालय, छात्र-निवास अथवा छात्रावास के प्रबन्ध तंत्र में सेवा में नहीं है या उससे सम्बद्ध नहीं है;

श्रेणी V—विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व

(xii) संकायों में से प्रत्येक में से एक विद्यार्थी जिसने किसी भी विश्वविद्यालय की पूर्ववर्ती उपाधि की परीक्षा में उस संकाय में अधिकतम अंकों को प्राप्त किया है और वह विश्वविद्यालय में [सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय सहित] किसी स्नातकोत्तर उपाधि या विधि या चिकित्सीय या अभियांत्रिकी उपाधि के लिए अध्ययन के पाठ्यक्रम का अनुशीलन कर रहा है;

श्रेणी VI—कुलपति के नाम निर्देशिती

(xiii) [1][* * *]

---

1. 1971 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 29 द्वारा लोपित।

श्रेणी VII—राज्य विधानमण्डल के प्रतिनिधि

(xiv) विधान परिषद् के दो सदस्यों का उसके द्वारा चुनाव किया जायेगा;

(xv) विधान सभा के पांच सदस्यों का उसके द्वारा चुनाव किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) में श्रेणी I, II तथा V के सिवाय प्रत्येक वर्ग के सदस्यों के पद का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा और उक्त श्रेणी V के सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष होगा।

23. सभा की शक्तियाँ एवं कर्तव्य—सभा सलाहकारी निकाय होगी और इस अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन उसकी निम्नलिखित शक्तियों एवं कार्य होंगे, अर्थात्—

(क) विश्वविद्यालय के परिषद् की पालिसियों और कार्यक्रमों की समय-समय पर समीक्षा करना और विश्वविद्यालय के सुधार एवं विकास के उपायों का सुझाव देना;

(ख) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखों तथा उन पर अंकेक्षण रिपोर्ट पर विचार करना तथा संकल्पों को पारित करना;

(ग) किसी ऐसे मामले के सम्बन्ध में कुलपति को सलाह देना जिसे उसके समक्ष सलाह के लिए निर्दिष्ट किया जाये; और

(घ) इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा या कुलपति द्वारा उसे समनुदेशित किये जा सकने वाले ऐसे अन्य कर्तव्यों का संपादन करना और ऐसे अन्य कार्यों का प्रयोग करना।

24. सभा की बैठक—(1) सभा कुलपति द्वारा नियत की जाने वाली तारीख पर वर्ष में एक बार बैठक करेगी और उस बैठक को सभा की वार्षिक बैठक कहा जायेगा।

(2) उपकुलपति, जब कभी वह उपयुक्त समझे सभा की कुल सदस्यता के कम से कम एक चौथाई द्वारा हस्ताक्षरित लिखित अध्यपेक्षा पर सभा की विशेष बैठक को आयोजित कर सकेगा और करेगा।

25. विद्यापरिषद्—(1) विद्या परिषद् विश्वविद्यालय के प्रधान विद्या निकाय की भी और इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के अध्यधीन—

(क) विश्वविद्यालय में चलाये जाने वाले या दिए जाने वाले अनुदेश, शिक्षा और शोध के मानक को बनाये रखने के नियंत्रण और सामान्य विनियमन को रखेगी और उसके लिए उत्तरदायी होगी;

(ख) कार्यपरिषद् को, विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षाओं के सम्बन्ध में मामलों सहित सभी विद्या सम्बन्धी मामलों पर सलाह दे सकेगी; और

(ग) ऐसी शक्तियों और कर्तव्यों को प्राप्त करेगी जिन्हें परिनियमों द्वारा उसे प्रदत्त किया जा सकेगा अथवा उस पर अधिरोपित किया जा सकेगा।

(2) विद्या परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्—

(i) उपकुलपति;

(ii) सभी संकायों, यदि कोई हों, के संकायाध्यक्ष;

(iii) विश्वविद्यालय के सभी विभागाध्यक्ष और जहाँ विश्वविद्यालय में किसी विषय में कोई विभाग न हो तो सम्बन्धित संकाय पर उस विषय का प्रतिनिधित्व करने वाले सम्बद्ध महाविद्यालयों से वरिष्ठतम अध्यापक;

(iv) विश्वविद्यालय के सभी प्रोफेसर, जो विभागाध्यक्ष नहीं हैं;

(v) संघटक महाविद्यालयों के प्राचार्य और संस्थान, यदि कोई हो, के निदेशक;

(vi) प्रत्येक संघटक महाविद्यालय, यदि कोई हो, से वरिष्ठता के क्रम में चक्रानुक्रम द्वारा दो प्रोफेसरों को निर्धारित रीति से अवधारित किया जायेगा।

(vii) सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालयों के तीन प्राचार्यों का चयन निर्धारित रीति से चक्रानुक्रम द्वारा किया जायेगा;

(viii) पन्द्रह अध्यापकों का चयन निर्धारित रीति से किया जायेगा;

(ix) विद्यार्थियों के कल्याण का संकायाध्यक्ष;

(x) विश्वविद्यालय का पुस्तकालयाध्यक्ष; और

(xi) शैक्षिक प्रतिष्ठा के पांच सदस्यों का चुनाव निर्धारित रीति से किया जायेगा।

[1][परन्तु यह कि यदि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों या नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों का कोई भी सदस्य इस उपधारा के अधीन गठित विद्या परिषद् में नहीं है तो उपकुलपति अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के दो सदस्यों और विश्वविद्यालय के अध्यापकों में से नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के दो सदस्यों को निर्धारित रीति से चक्रानुक्रम द्वारा मनोनीत कर सकेगा।]

(3) धारा [2][65] के प्रावधानों के अध्यधीन पदेन सदस्यों को छोड़कर अन्य सदस्यों के पद का कार्यकाल वह होगा जिसे निर्धारित किया जाये।

26. वित्त समिति—वित्त समिति में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे—

(क) उपकुलपति;

[3][(ककक) उच्च शिक्षा विभाग में राज्य सरकार का सचिव;

(ककक) वित्त विभाग में राज्य सरकार का सचिव];

(ख) प्रति-उपकुलपति, यदि कोई हो;

(ग) रजिस्ट्रार;

[4][(गग) परीक्षा नियंत्रक];

(घ) एक व्यक्ति जो कार्यपरिषद् या विधान परिषद् का सदस्य अथवा विश्वविद्यालय की या किसी संस्थान की या संघटक महाविद्यालय की सेवा में व्यक्ति या किसी सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति का सदस्य या उस महाविद्यालय की सेवा में नहीं है, कार्य परिषद् द्वारा चुना जायेगा; और

(ङ) वित्त अधिकारी, जो समिति का सचिव भी होगा।

[5][(1-क) उपधारा (1) के खण्ड (ककक) अथवा (खण्ड ककक) में निर्दिष्ट सदस्य स्वयं वित्त समिति की बैठक में सम्मिलित होने के बजाय किसी अधिकारी को, जो राज्य सरकार के संयुक्त सचिव के अनिम्न स्तर का नहीं होगा, प्रतिनियुक्त कर सकेगा और इस प्रकार प्रतिनियुक्त किये गये अधिकारी को मतदान करने का भी अधिकार प्राप्त होगा]।

---

[1] 2004 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 1 द्वारा अन्तःस्थापित परन्तुक (11-7-2003 से प्रभावी)।

[2] 2017 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 5 द्वारा "60" के लिए प्रतिस्थापित।

[3] 2995 के राष्ट्रपति के अधिनियम संख्यांक 4 द्वारा अन्तःस्थापित।

[4] 2995 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 14 द्वारा अन्तःस्थापित (25-2-1995 से प्रभावी)।

[5] 2995 के राष्ट्रपति के अधिनियम संख्यांक 4 द्वारा अन्तःस्थापित (11-7-1995 से प्रभावी)।

(2) वित्त समिति विश्वविद्यालय की सम्पत्ति और निधियों के प्रशासन से सम्बन्धित मामलों पर कार्य परिषद् को सलाह देगी। वह विश्वविद्यालय की आय एवं स्रोतों को ध्यान में रखते हुए आगामी वित्तीय वर्ष के लिए आवर्ती और अनावर्ती कुल व्यय की सीमाओं को नियत करेगी और किन्हीं विशेष कारणों से वह उस प्रकार नियत किये गये व्ययों की सीमाओं को उस वित्तीय वर्ष के दौरान पुनरीक्षित कर सकेगी और इस प्रकार नियत की गयी सीमाएं कार्य परिषद् पर आबद्धकर होंगी।

(3) वित्त समिति को ऐसी अन्य शक्तियाँ एवं कर्तव्य प्राप्त होंगे जिन्हें इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा उसे प्रदान या उस पर अधिरोपित किया जा सकेगा।

[1][(4) जब तक वित्त समिति द्वारा वित्तीय विवक्षा को रखने वाले प्रस्ताव की सिफारिश न की गयी हो, तब तक कार्य परिषद् उस पर निर्णय नहीं लेगी और यदि कार्यपरिषद् वित्त समिति की सिफारिशों से असहमत है तो वह उस असहमति के लिए वित्त समिति को प्रस्ताव वापस निर्दिष्ट कर देगी और यदि कार्यपरिषद् पुनः वित्त समिति की सिफारिश से असहमत है तो मामले को कुलपति के समक्ष निर्दिष्ट किया जायेगा जिसका उस पर दिया गया विनिश्चय अन्तिम होगा।]

27. संकाय—(1) विश्वविद्यालय के ऐसे संकल्प होंगे जिन्हें निर्धारित किया जा सकेगा।

(2) प्रत्येक संकाय में अध्यापन के ऐसे विभाग सम्मिलित होंगे जिन्हें निर्धारित किया जा सकेगा और प्रत्येक विभाग में अध्ययन के ऐसे विषय होंगे जिन्हें अध्यादेश द्वारा उसे समनुदेशित किया जा सकेगा।

(3) प्रत्येक संकाय का परिषद् होगा, जिसका गठन (उसके सदस्यों के पद के कार्यकाल सहित) और शक्तियाँ एवं कर्तव्य, ऐसे होंगे जिन्हें निर्धारित किया जा सकेगा।

(4) प्रत्येक संकाय का संकायाध्यक्ष होगा जिसे वरिष्ठता के क्रम से चक्रानुक्रम द्वारा प्रोफेसरों में से चुना जायेगा :

[2][परन्तु यह कि मेडिकल, अभियांत्रिकी, आयुर्वेदिक या ललित कला महाविद्यालय की दशा में उन महाविद्यालयों का प्राचार्य मेडिकल, अभियांत्रिकी, आयुर्वेदिक या जैसा विषय हो, ललित कला संकाय का पदेन संकायाध्यक्ष होगा] :

परन्तु अग्रेतर यह कि जहाँ एक से अधिक ऐसे महाविद्यालय हों तो ऐसे प्रत्येक संकाय के संकायाध्यक्ष का पद उन महाविद्यालयों के प्राचार्यों में से चक्रानुक्रम में होगा :

[3][परन्तु यह भी कि यदि संकाय में कोई प्रोफेसर न हो तो संकायाध्यक्ष का पद रीडरों द्वारा धारित किया जायेगा और यदि कोई रीडर न हों तो उस संकायाध्यक्ष में अन्य अध्यापकों द्वारा वरिष्ठता के क्रम में चक्रानुक्रम द्वारा धारित किया जायेगा]।

(5) संकायाध्यक्ष संकाय के परिषद् का सभापति होगा और वह निम्न के लिए उत्तरदायी होगा—

(क) संकाय में सम्मिलित किये गये विभागों के अध्यापन तथा शोधकार्य का संगठन एवं संचालन; और

(ख) संकाय के सम्बन्ध में परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का सम्यक् पालन।

---

1. 1996 के राष्ट्रपति के अधिनियम संख्यांक 4 द्वारा अन्तःस्थापित (11-7-1995 से प्रभावी)।
2. 1974 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 29 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. 1977 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 5 द्वारा प्रतिस्थापित।

[1][(6) विश्वविद्यालय में अध्यापन के प्रत्येक विभाग में, एक विभागाध्यक्ष होगा जिसकी नियुक्ति परिनियमों द्वारा विनियमित की जायेगी :

परन्तु यह कि इस उपधारा के प्रारम्भ होने की तारीख के तत्काल पूर्व विभागाध्यक्ष के पद को धारित करने वाला प्रत्येक व्यक्ति इस अधिनियम एवं परिनियमों के प्रावधानों के अध्यधीन, पद को उन्हीं निबन्धनों एवं शर्तों पर धारित करता रहेगा जिसे उसने उक्त तारीख के ठीक पहले धारित किया था।]

(7) विभागाध्यक्ष विभाग में अध्यापन के कार्य को संगठित करने के लिए संकायाध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होगा और उसे ऐसी अन्य शक्तियाँ एवं कर्तव्य प्राप्त होंगे जिन्हें अध्यादेशों में प्रदान किया जा सकेगा।

(8) अध्यादेशों के प्रावधानों के अनुसार अध्ययन के भिन्न विषयों के सम्बन्ध अध्ययन परिषदों का गठन किया जायेगा और एक अध्ययन परिषद् को एक से अधिक विषय समनुदेशित किये जा सकेंगे।

टिप्पणियाँ

1. संकाय के संकायाध्यक्ष का पद-लोक पद
2. यदि संकाय में केवल एक ही प्रोफेसर है, तो वह संकायाध्यक्ष बना रहेगा

1. संकाय के संकायाध्यक्ष का पद-लोक पद—विश्वविद्यालय में संकाय के संकायाध्यक्ष का पद लोक पद होता है और वह मूल प्रकृति का है और इस तरह से, उसकी नियुक्ति को चुनौती देते हुए एवं अधिकार पृच्छा की रिट की मांग करते हुए याचिका दाखिल की जा सकेगी। *रामेश्वरम् भटाटा* बनाम *जोधपुर विश्वविद्यालय*, 1973 (2) एस० एल० आर० 716।

2. यदि संकाय में केवल एक ही प्रोफेसर है, तो वह संकायाध्यक्ष बना रहेगा—यदि किसी संकाय में केवल एक ही प्रोफेसर है, तो उसे सीनेट में, बिना किसी चुनाव के हुए ही, प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा, और संकायाध्यक्ष के लिए उस प्रतिनिधित्व के बारे में चुनाव की प्रक्रिया द्वारा अधिनियम की योजना में परिकल्पना नहीं की जाती है। के० *एस० सिद्दलिंगय्या* बनाम *राज्य*, ए० आई० आर० 1979 कर्नाटक 190।

28. **प्रवेश समिति**—(1) विश्वविद्यालय की एक प्रवेश समिति होगी जिसका गठन ऐसा होगा जिन्हें अध्यादेश में प्रावधानित किया जा सकेगा।

(2) प्रवेश समिति को उतनी संख्या में उपसमितियाँ नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त होगी जितनी वह उपयुक्त समझे।

(3) विद्यापरिषद् के अधीक्षण और उपधारा (5) के प्रावधानों के अध्यधीन, प्रवेश समिति विश्वविद्यालय में अध्ययन के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश की नीति को शासित करते हुए सिद्धान्तों अथवा मानकों को निर्दिष्ट करेगी और वह विश्वविद्यालय द्वारा पोषित संस्थान या संघटक महाविद्यालय में अध्ययन के किसी भी पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति का उपसमिति को भी प्रवेश देने वाले प्राधिकारी के रूप में नामोनीत कर सकेगी।

(4) उपधारा (5) के प्रावधानों के अध्यधीन, समिति राज्य सरकार द्वारा पोषित संघटक महाविद्यालयों और सम्बद्ध अथवा सहयुक्त महाविद्यालयों को प्रवेश के मानदण्डों या पद्धतियों [2][प्रवेश दिये जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या समेत] के सम्बन्ध में कोई भी निदेश जारी कर सकेगी और ऐसे निदेश उन महाविद्यालयों पर आबद्धकर होंगे।

[3][(5) इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान में अन्तर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए—

---

1. 1974 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 29 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. 1975 के उ० प्र० अधिनियम 21 द्वारा अन्तःस्थापित।
3. 1974 के उ० प्र० अधिनियम 20 द्वारा प्रतिस्थापित (15-7-1994 से प्रभावी)।

(क) विश्वविद्यालय, संस्थान, संघटक महाविद्यालय, सम्बद्ध महाविद्यालय अथवा सहयुक्त महाविद्यालय में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिए अध्ययन के किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए सीटों का आरक्षण ऐसे आदेशों द्वारा किया एवं विनियमित किया जा सकेगा जिन्हें राज्य सरकार अधिसूचना के माध्यम से उस निमित्त कर सकेगी :

परन्तु यह कि इस खण्ड में आरक्षण किसी भी पाठ्यक्रम में सीटों की कुल संख्या के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगा :

परन्तु अग्रेतर यह कि इस खण्ड के अधीन आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड 1 में निर्दिष्ट अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित एवं प्रशासित संस्था की दशा में लागू नहीं होगा :

परन्तु यह भी कि इस खण्ड में आरक्षण उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का आरक्षण) अधिनियम, 1994 की अनुसूची 11 में विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों की कोटि के लिए लागू नहीं होगा।

(ख) मेडिकल और अभियांत्रिकी महाविद्यालयों और शिक्षा एवं औषधि की आयुर्वेदिक या यूनानी पद्धतियों में उपाधि के लिए शिक्षा के पाठ्यक्रमों (प्रवेश दिये जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या समेत) में प्रवेश, खण्ड (क) के अध्यधीन ऐसे आदेशों द्वारा विनियमित किया जायेगा (जो यदि आवश्यक हो भूतलक्षी प्रभाव के साथ होगा लेकिन 1 जनवरी, 1979 के पूर्व प्रभावकारी नहीं) जिन्हें राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उस निमित्त कर सकेगी :

परन्तु यह कि इस खण्ड के अधीन प्रवेश को विनियमित करने वाला कोई भी आदेश अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाओं को स्थापित और प्रशासित करने के मामले में अल्पसंख्यकों के अधिकारों से असंगत नहीं होगा।

(ग) खण्ड (क) के अधीन आदेश को करने में, राज्य सरकार यह निदेश कर सकेगी कि कोई भी व्यक्ति, जो उस आदेश के प्रयोजनों का अतिलंघन करने या उन्हें विफल बनाने के लिए आशयित रीति से कार्य करता है, ऐसी अवधि के कारावास से जो तीन माह से अधिक नहीं होगी अथवा अर्थदण्ड से, जो एक हजार रुपये से अधिक नहीं होगा अथवा दोनों से दण्डनीय होगा जिसे आदेश में विनिर्दिष्ट किया जा सकेगा।

(5-क) उपधारा (5) के खण्ड (क) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, जैसे ही उसे किया जाता है, विधानमण्डल के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23 क की उपधारा (1) के प्रावधान उसी प्रकार से लागू होंगे जैसे कि वे किसी भी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के सम्बन्ध में लागू होते हैं।]

(6) इस धारा के प्रावधानों का अतिलंघन करते हुए किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश दिये गये किसी भी विद्यार्थी को विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी भी परीक्षा को करने की अनुमति नहीं दी जायेगी और उपकुलपति को ऐसे उल्लंघन में किये गये किसी भी प्रवेश को निरस्त करने की शक्ति प्राप्त होगी।

टिप्पणियाँ

1. प्रवेश को मेरिट के आधार पर ही किया जाना चाहिए
2. विश्वविद्यालयानुसार आरक्षण
3. विश्वविद्यालयानुसार आरक्षण—विस्तार
4. आरक्षण की सीमा
5. प्रवेश में आरक्षण का प्रयोजन एवं उद्देश्य
6. सम्बद्ध महाविद्यालय के विरुद्ध मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अतिलंघन के लिए कार्यवाई

7. राज्य सरकार मेडिकल और इन्जीनियरिंग कालेजों को चला सकती है
8. प्रवेश को चुनौती देते हुए याचिका में पक्षकार
9. प्राधिकारी को अध्यादेश के उल्लंघन की दशा में विबंधित किया जायेगा
10. कतिपय परिस्थितियों में विद्यार्थी विबन्ध का अवलम्ब ले सकता है
11. विद्यार्थी-शोध छात्र सम्मिलित
12. साम्यपूर्ण विबन्ध का विश्वविद्यालय के विरुद्ध लागू होना
13. इलाहाबाद विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005—धारा 28 (1), 28(2), 28(5), 8(2), 3 (ण) एवं 7—विश्वविद्यालय का प्रथम परिनियम, परिनियम 30 (4) एवं 30 (5)
14. उ० प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973—धारा 28 (5)—कन्या-अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण
15. उ० प्र० राज्य विश्वविद्यालय (सम्बद्ध, सहयुक्त और संघटक महाविद्यालयों में शिक्षा में डिग्री हेतु शिक्षा के पाठ्यक्रम में प्रवेश का विनियमन) आदेश, 1987, दिनांक 9-9-2004 का शासनादेश

1. प्रवेश को मेरिट के आधार पर ही किया जाना चाहिए—चयन के सभी मामलों में, चाहे वह सिविल पद हो या महाविद्यालय में या राज्य द्वारा पोषित अन्य किसी भी संस्था में, सर्वाधिक मेधावी अभ्यर्थी, यदि वह किसी अन्य निर्योग्यता से ग्रसित नहीं है, समुचित चयन प्राधिकारी द्वारा चुना जाना अपेक्षित है और यदि उसे नहीं किया जाता है, तो यह स्थापित है कि उससे भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा। *डॉ० वाई० रान्था* बनाम *गवर्नमेन्ट मेडिकल कालेज*, ए० आई० आर० 1978 कर्नाटक 66।

2. विश्वविद्यालयानुसार आरक्षण—जहाँ किसी वाद में, इस नियम को वैधता पर विचार किया गया था कि स्नातकोत्तर स्तर पर 70 प्रतिशत सीटें दिल्ली विश्वविद्यालय के स्नातकों के लिए आरक्षित की जायें और शेष 30 प्रतिशत दिल्ली के अन्य स्नातकों सहित सभी के लिए उपलब्ध हों। यह सम्प्रेक्षण किया गया कि 70 प्रतिशत आरक्षण अत्यन्त अधिक है और इस तरह से, असंवैधानिक होगा। न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर, जिन्होंने बहुमत का निर्णय दिया था, ने निम्नवत् सम्प्रेक्षण किया था :

"हम इस बात को मान्यता देते हैं कि संस्था-अनुसार आरक्षण संवैधानिक रूप से सीमाबद्ध है और यदि उसका बिना सोचे विचारे अवलम्ब लिया गया, तो अधिकारातीत हो जायेगा। लेकिन ऐसे नियम भी, जब तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा पुनरीक्षित या न्यायिक रूप से समाप्त न कर दिये जायें, पूर्णरूपेण लागू होंगे। यही कारण है कि हमें यह स्वीकार करना पड़ रहा है कि जब तक 'बाहरी व्यक्तियों को कोई प्रवेश नहीं' का संकेत पर अन्य विश्वविद्यालय से नहीं हटा दिया जाता और अन्य विश्वविद्यालयों में सीटों को कुछ समुचित प्रतिशत खुली प्रतिस्पर्धा के लिए नहीं छोड़ा जाता, तब तक दिल्ली के विद्यार्थियों को संविधान का शहीद नहीं बनाया जा सकता। *डॉ० जगदीश सरन* बनाम *भारत संघ*, ए० आई० आर० 1980 एस० सी० 820 : 1980 (2) एस० सी० सी० 768।

3. विश्वविद्यालयानुसार आरक्षण—विस्तार—प्रस्तुत वाद में, विश्वविद्यालयानुसार आरक्षण को असंवैधानिक मानकर चुनौती दी गयी थी। उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि कतिपय परिस्थितियों में, विश्वविद्यालयानुसार वर्गीकरण एवं आरक्षण सांविधानिक रूप से अनुज्ञेय था। *डॉ० एन० चन्द्राले* बनाम *मैसूर राज्य*, (1971) सप्ली० एस० सी० आर० 608 : (1971) 2 एस० सी० सी० 293 : ए० आई० आर० 1971 एस० सी० 1762।

4. आरक्षण की सीमा—आरक्षण लक्ष्य नहीं है, बल्कि साधन है—ऐसा साधन जिससे सामाजिक और आर्थिक न्याय की प्राप्ति होती है। तथापि, वास्तविक हल उन कारणों को समाप्त करने में निहित है जिनके कारण समुदाय के दुर्बल वर्ग के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ेपन की उत्पत्ति होती है। लेकिन, अब तक चूंकि उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई है, इसलिए आरक्षण "क्षतिपूरक प्रकृति का उपाय है", "अवसर की समानता को सुनिश्चित करने के लिए अजेय अवरोधों के प्रभाव को कम करना है। *केरल राज्य* बनाम *एन० एम० थामस*, ए० आई० आर० 1976 एस० सी० 490।

जहाँ 100 सीटों में से 54 सीटें आरक्षित थीं, विद्वान मुख्य न्यायाधीश द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि इससे समानता नष्ट हो जायेगी। *टी० देवादासन* बनाम *भारत संघ*, ए० आई० आर० 1964 एस० सी० 179।

आरक्षण केवल सीमित सीमा तक ही अनुज्ञेय है। आरक्षण की अधिकतम अनुज्ञेय सीमा पर पहली बार उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान के प्रभावी होने के लगभग 12 वर्ष के पश्चात् *एम० आर० बालाजी* बनाम *मैसूर राज्य*, ए० आई० आर० 1963 एस० सी० 649। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि सामान्यतौर और व्यापक रूप से, विशेष प्रावधान 50 प्रतिशत से कम होना चाहिए; 50 प्रतिशत से कितना कम होना चाहिए, यह प्रत्येक वाद में सुसंगत विद्यमान परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। उठाया गया प्रश्न यह था कि क्या 50 प्रतिशत की सीमा आरक्षण की अधिकतम सीमा है अथवा यह कि क्या बालाजी के वाद में 50 प्रतिशत से अधिक के आरक्षण की अनुमति दी गयी थी। उस वाद में इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि पिछड़े वर्गों के सदस्यों से भरे जाने के लिए किसी शैक्षिक संस्था में सीटों के आधे से अधिक आरक्षण असांवैधानिक है। *एम० आर० बालाजी* बनाम *मैसूर राज्य*, ए० आई० आर० 1963 एस० सी० 649।

5. प्रवेश में आरक्षण का प्रयोजन एवं उद्देश्य—संविधान के अनुच्छेद 46 के अनुसार, राज्य जनता के दुर्बल वर्गों के विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ सम्बन्धी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्य और सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि जब संविधान लागू हुआ, तो जनसंख्या का एक भाग सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ था। पिछड़ा वर्ग आयोग के अनुसार, शैक्षिक रूप से एवं सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों में पिछड़ेपन के कारण निम्नवत् हैं—

(1) सामाजिक एवं पर्यावरणीय दशाओं या व्यवसाय सम्बन्धी निर्योग्यताओं के कारण शिक्षा हेतु पारम्परिक उदासीनता;

(2) ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता और शैक्षिक संस्थाओं की कमी;

(3) दूर-दराज के क्षेत्रों में रहना;

(4) आवासिक छात्रावास सुविधाओं की कमी;

(5) शिक्षित व्यक्तियों में बेरोजगारी जो लोगों को अपने बच्चों को शिक्षित करने की इच्छा को हतोत्साहित करना है;

(6) पर्याप्त शिक्षा सम्बन्धी सहायता की कमी जैसे कि शिक्षा शुल्क की माफी, स्कालरशिप एवं धन सम्बन्धी अनुदान;

(7) दोषपूर्ण शिक्षा व्यवस्था जो विद्यार्थियों को समुचित व्यवसायों और वृत्तियों के लिए प्रशिक्षित नहीं करती है। *एम० आर० बालाजी* बनाम *उ० प्र० राज्य*, ए० आई० आर० 1963 एस० सी० 649।

6. सम्बद्ध महाविद्यालय के विरुद्ध मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अतिलंघन के लिए कार्रवाई—विश्वविद्यालयों द्वारा अपने से सम्बद्ध सभी शिक्षा कालेजों को जारी बी० एड० पाठ्यक्रम में प्रवेश के प्रयोजनों के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्तों को वैधानिक स्वीकृति में समाविष्ट किया गया है। पारिणामिक रूप से यह परिणामित होगा कि मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अतिलंघन के लिए, विश्वविद्यालय उस महाविद्यालय के विरुद्ध कार्रवाई करने एवं सम्बद्धता को वापस लेने तथा उसके उल्लंघन में प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों का पंजीयन करने से इन्कार करने का हकदार है। *कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय* बनाम *रूरल कालेज आफ एजुकेशन (एफ०बी०)*, ए० आई० आर० 1980 पंजाब और हरियाणा 103।

7. राज्य सरकार मेडिकल और इन्जीनियरिंग कालेजों को चला सकती है—राज्य सरकार मेडिकल कालेजों एवं इन्जीनियरिंग कालेजों को चला सकती है, उसे ऐसे अर्हित विद्यार्थियों को प्रवेश देने की शक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता जो उसके द्वारा निर्दिष्ट युक्तियुक्त परीक्षाओं को उत्तीर्ण करते हैं। यह ऐसी शक्ति है जिसे प्रत्येक कालेज का निजी स्वामी प्राप्त करेगा और सरकार जो अपने निजी कालेजों को चलाती है, उस शक्ति से वंचित नहीं की जा सकती। *चित्र लेखा* बनाम *मैसूर राज्य*, ए० आई० आर० 1964 एस० सी० 1823।

8. प्रवेश को चुनौती देते हुए याचिका में पक्षकार—यह आवश्यक है कि चयनित अभ्यर्थियों और साथ ही विश्वविद्यालय को रिट याचिका में पक्षकार बनाया जाना चाहिए, अन्यथा वह समर्थनीय नहीं होगा। *पद्मराज समरेन्द्र* बनाम *राज्य*, ए० आई० आर० 1979 पटना 266 (एफ० बी०)।

9. प्राधिकारी को अध्यादेश के उल्लंघन की दशा में विबंधित किया जायेगा—जहाँ कतिपय वाद में, किसी विद्यार्थी को विश्वविद्यालय द्वारा जारी अध्यादेश के उल्लंघन अथवा भंग में प्रवेश दिया जाता है तथा अध्यादेश में अग्रेतर यह प्रावधान किया गया हो कि विश्वविद्यालय प्राधिकारियों को विद्यार्थी के प्रवेश को नियमित करते हुए अध्यादेशों में से किसी के प्रवर्तन से छूट प्रदान करने की शक्ति प्राप्त है, तो ऐसी दशा में यह अभिनिर्धारित किया गया कि ऐसे वाद में विद्यार्थी का प्रवेश केवल अध्यादेश के ही विरुद्ध था, न कि वह अधिकारातीत था, बल्कि वह केवल अनियमित कृत्य ही था और इस तरह से, यह सिद्धान्त, कि परिनियम के विरुद्ध विबन्ध हो सकता था, वर्तमान वाद में लागू नहीं होता है। *दिल्ली विश्वविद्यालय* बनाम *अशोक कुमार*, ए० आई० आर० 1968 दिल्ली 131; *के० के० जैकब* बनाम *मदुरई विश्वविद्यालय (डी० बी०)*, ए० आई० आर० 1978 मद्रास 315।

10. कतिपय परिस्थितियों में विद्यार्थी विबन्ध का अवलम्ब ले सकता है—इस धारा की उपधारा (6) के प्रावधानों के विरुद्ध किया गया प्रवेश अविधिक है, लेकिन कतिपय परिस्थितियों में, विद्यार्थी यह अभिकथन कर सकते हैं कि विश्वविद्यालय को उस प्रवेश को रद्द करने से विबंधित किया जाता है, बशर्ते विद्यार्थी को पूर्ण शैक्षिक वर्ष में अपने अध्ययन के पाठ्यक्रम को अभियोजित करने की अनुमति दी गयी हो। यदि अनन्तिम प्रवेश दिया गया हो, प्राधिकारीगण को शैक्षिक वर्ष के समाप्त होने के पश्चात् प्रवेश को रद्द करने से विबंधित किया जाता है। *दिल्ली विश्वविद्यालय* बनाम *अशोक कुमार*, ए० आई० आर० 1968 दिल्ली 131।

11. विद्यार्थी-शोध छात्र सम्मिलित—शोध कक्षाओं में प्रवेश लेने वाला कोई भी व्यक्ति विश्वविद्यालय का उतना ही विद्यार्थी है जितना कि बी० ए०, बी० एस० सी० अथवा बी० काम का विद्यार्थी होता है, 27-9-1973 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा विनिश्चित उपकुलपति, *इलाहाबाद विश्वविद्यालय* बनाम *जगदीश चन्द्र दीक्षित* शीर्षकान्तर्गत वर्ष 1973 की विशेष अपील संख्या 193।

12. साम्यपूर्ण विबन्ध का विश्वविद्यालय के विरुद्ध लागू होना—जहाँ किसी विद्यार्थी को एम० ए०, भाग I में प्रवेश दिया गया था, यद्यपि उक्त विद्यार्थी पात्र नहीं था और उसने बी० ए० परीक्षा में अंकों के निर्धारित न्यूनतम प्रतिशत को प्राप्त नहीं किया था, विश्वविद्यालय ने सम्बन्धित महाविद्यालय को यह सूचित किया था कि उक्त विद्यार्थी के प्रवेश को रद्द कर दिया जाये, लेकिन चूंकि महाविद्यालय ने विद्यार्थी को सूचित नहीं किया था तथा उक्त विद्यार्थी नियमित रूप से पूरे शैक्षिक वर्ष कक्षा में उपस्थित होता रहा और परीक्षा के कुछ ही दिन पूर्व सूचित किया गया। यह अभिनिर्धारित किया गया कि विद्यमान परिस्थितियों में साम्यपूर्ण विबन्ध का सिद्धान्त लागू हुआ और विश्वविद्यालय उसे परीक्षा में सम्मिलित होने से इन्कार नहीं कर सकता था। कु० *संगीता* बनाम *प्रो० ए० एन० सिंह*, ए० आई० आर० 1980 दिल्ली 27।

13. इलाहाबाद विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005—धारा 28 (1), 28 (2), 28 (5), 8 (2), 3 (ण) एवं 7—विश्वविद्यालय का प्रथम परिनियम, परिनियम 30 (4) एवं 30 (5)—मोतीलाल नेहरू कालेज (एम० एल० एन० सी०) एवं स्वरूपरानी नेहरू हास्पिटल (एस० आर० एन० एच०) विश्वविद्यालय महाविद्यालय है। प्रस्तुत वाद में राज्य सरकार ने दो आवेदनों द्वारा यह विवाद्यक उठाया था कि परिनियम 30 (4) को विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् द्वारा संशोधित किया जाए जिससे कि पूर्वोल्लिखित एम० एल० एन० सी० तथा एस० आर० एन० एच० को विश्वविद्यालय महाविद्यालयों के रूप में अपवर्जित किया जा सके। यह अभिनिर्धारित किया गया कि अधिनियम की धारा 28 (2) के अधीन विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति विधायी शक्ति है। अतः, कार्यपरिषद् को यह निदेश जारी नहीं किया जा सकता है कि वह विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम को संशोधित करने के लिए राज्य सरकार के अभ्यावेदनों पर विचार करे। कमला नेहरू पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट इलाहाबाद और हरिश्चन्द्र रिसर्च इन्स्टीट्यूट इलाहाबाद के सम्बन्ध में भेदभाव को लेकर राज्य सरकार के तर्क को स्वीकार नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, राज्य के इस अभिवाक् को भी स्वीकार नहीं किया गया है कि चूंकि एम० एल० एन० सी० उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के अधीन विश्वविद्यालय का संघटक महाविद्यालय था, उसे उस रूप में अधिनियम, 2005 की धारा 8 (2) के अधीन बने रहना चाहिए। विधान का यह कर्तव्य है कि वह यह अवधारित करे कि क्या कोई विशिष्ट महाविद्यालय विश्वविद्यालय महाविद्यालय होगा या नहीं। चूंकि धारा 30 (4) के अधीन एम० एल० एन० सी० एवं एस० आर० एन० एच० को विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों के रूप में घोषित किया गया है, इसलिए वे राज्य के ऐसे आवेदन नामंजूर कर दिये गये हैं। *आलोक चतुर्वेदी* बनाम *उ० प्र० राज्य*, (2007) 1 यू० पी० एल० बी० ई० सी० (सन०) 22 (इला०)।

14. उ० प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973—धारा 28 (5)—कन्या-अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण—जहाँ कतिपय वाद में राज्यपाल/कुलपति द्वारा दिनांक 26-8-1989 और 16-6-2000 को अधिसूचनाओं को जारी किया गया था जिसमें कन्या अभ्यर्थियों के कुल स्थानों के एक तिहाई तक की शाखा एवं संस्था को वरीयता का प्रावधान किया गया था जबकि अन्य किसी भी प्रावधान में लड़कियों के लिए कोई आरक्षण नहीं किया गया था, उ० प्र० राज्य अभियांत्रिकी प्रवेश परीक्षा, 2001 आयोजित की गयी, इसी विषयक इसी बीच दिनांक 17-5-1994 एवं 22-11-1995 के शासनादेश भी जारी किये गये। क्या ऐसा अधिमान भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15 (1) तथा 15 (4) सपठित अनुच्छेद 29 (2) का उल्लंघन करता है। क्या ऐसा अधिमान लड़कियों के लिए अप्रत्यक्ष आरक्षण के समतुल्य है, यह अभिनिर्धारित किया गया कि लड़कियों के लिए अधिमान/अप्रत्यक्ष आरक्षण, जबकि अधिसूचना द्वारा प्रदत्त किसी भी परिनियम के अधीन ऐसा कोई भी आरक्षण अधिकारातीत माना गया। *संदीप पोद्दार* बनाम *उ० प्र० राज्य,* (2001) 3 यू० पी० एल० बी० ई० सी० 1968 (इला०)।

15. उ० प्र० राज्य विश्वविद्यालय (सम्बद्ध, सहयुक्त और संघटक महाविद्यालयों में शिक्षा में डिग्री हेतु शिक्षा के पाठ्यक्रम में प्रवेश का विनियमन) आदेश, 1987, दिनांक 9-9-2004 का शासनादेश—कतिपय वाद में जहाँ सीटों के सम्बन्ध में प्रबन्धतंत्र के कोटे को लेकर विवाद उठा था कि सीटों के प्रबन्ध-तंत्र के कोटे का प्रतिशत का अवधारण कौन करेगा राज्य सरकार या विश्वविद्यालय जिससे संस्था सम्बद्ध है। ऐसी दशा में यह प्रश्न उठा कि क्या दिनांक 9-9-2004 का शासनादेश विश्वविद्यालय और साथ ही संस्था पर आबद्धकर है। क्या 15 प्रतिशत की सीमा तक दिनांक 9-9-2004 के शासनादेश के अधीन सीटों के सम्बन्ध में प्रबन्धतंत्र के कोटे का निर्धारण *टी० एम० ए० पई,* (2002) 3 यू० पी० एल० बी० ई० सी० 2817 (एस० सी०) के वाद में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय का उल्लंघनकारी है। क्या *इस्लामिक एकेडमी,* (2003) 3 यू० पी० एल० बी० ई० सी० 2424 *(एस० सी०)* के वाद में उच्चतम न्यायालय के निदेशों को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 2-7-2003 के शासनादेश के अधीन राज्य सरकार द्वारा गठित समिति के शैक्षिक वर्ष 2003-04 के लिए प्रबन्धतंत्र के कोटे की सीटों के लिए किसी भी प्रतिशत की सिफारिश न करने के कारण 50 प्रतिशत का कोटा वर्ष 2004 05 के लिए भी लागू होगा। क्या प्रबन्धतंत्र स्नातक पाठ्यक्रमों में प्राप्त किये गये अंकों के आधार पर प्रबन्धतंत्र के कोटे की सीटों को भरने का हकदार है। *एसोसिएशन आफ प्रोफेशनल कालेजेज एवं अन्य* बनाम *उ० प्र० राज्य एवं एक अन्य,* (2005) 1 यू० पी० एल० बी० ई० सी० 554 (इला०)।

29. परीक्षा समिति—(1) विश्वविद्यालय में परीक्षा समिति होगी जिसका गठन अध्यादेशों में यथा उपबन्धित किया जायेगा।

(2) धारा 42 की उपधारा (2) में यथा उपबन्धित के सिवाय, समिति अनुशीमन एवं सारिणीकरण समेत विश्वविद्यालय की सभी परीक्षाओं का सामान्य तौर पर पर्यवेक्षण किया जायेगा और वह निम्नलिखित अन्य कार्यों का संपादन करेगी अर्थात्—

(क) परीक्षकों तथा अनुशीमकों की नियुक्ति करना और यदि आवश्यक हो तो उन्हें अपसारित करना;

(ख) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के परिणामों की समय-समय पर समीक्षा करना और उन पर कार्य परिषद् को रिपोर्टें दाखिल करना;

(ग) परीक्षा पद्धति के सुधार के लिए विद्या परिषद् से सिफारिशें करना;

(घ) अध्ययन परिषद् द्वारा प्रस्तावित परीक्षकों की सूची की संवीक्षा करना उसे अन्तिम रूप प्रदान करना एवं विश्वविद्यालय के परिणाम को घोषित करना।

(3) परीक्षा समिति उतनी संख्या में उपसमिति की नियुक्ति कर सकेगी जितनी वह उपयुक्त समझे और विशेषकर किसी एक या अधिक व्यक्तियों या उपसमितियों को परीक्षार्थियों द्वारा अनुचित साधनों के प्रयोग से सम्बन्धित मामलों से संव्यवहार करने और उन्हें विनिश्चित करने की शक्ति प्रत्यायोजित कर सकेगी।

[1][(4) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए, परीक्षा समिति अथवा जैसा विषय हो उपसमिति या किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसे परीक्षा समिति ने उपधारा (3) के अधीन इस निमित्त अपनी शक्ति प्रत्यायोजित की है, के लिए किसी परीक्षार्थी को विश्वविद्यालय की भावी परीक्षाओं से विवर्जित करना विधिपूर्ण होगा, बशर्ते उसकी राय में वह परीक्षार्थी ऐसी किसी परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने का दोषी हो।]

30. **अन्य प्राधिकारी**—विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों का गठन, शक्तियां एवं कर्तव्य ऐसे होंगे जिन्हें निर्धारित किया जा सकेगा।

अध्याय 6

अध्यापकों और अधिकारियों की नियुक्ति एवं सेवा की शर्तें

31. **अध्यापकों की नियुक्ति**—(1) इस अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन, विश्वविद्यालय के अध्यापकों और सम्बद्ध अथवा सहयुक्त महाविद्यालय (राज्य सरकार द्वारा अपवर्जित रूप से पोषित महाविद्यालय को छोड़कर) के अध्यापकों [2][* * *] सम्बद्ध या जैसा विषय हो, सहयुक्त महाविद्यालय की कार्यपरिषद् या प्रबन्धन-तंत्र द्वारा चयन समिति की सिफारिश पर ऐसी रीति से की जा सकेगी जिसका प्रावधान किया गया हो [3][चयन समिति, जितनी बार आवश्यक हो, बैठक करेगी]।

(2) ऐसे प्रत्येक अध्यापक, निदेशक एवं प्राचार्य की नियुक्ति, जिसकी नियुक्ति उपधारा (3) के अधीन न हुई हो, प्रथम बार में एक वर्ष की परिवीक्षा पर होगी जिसे एक वर्ष से अनधिक विस्तारित किया जायेगा :

परन्तु यह कि यदि सेवा की समाप्ति परिवीक्षा की अवधि के दौरान या उसके समाप्त होने के पश्चात् हुई हो, कोई भी आदेश पारित नहीं किया जायेगा—

(क) विश्वविद्यालय के अध्यापक की दशा में, उपकुलपति एवं (जब तक स्वयं अध्यापक विभागाध्यक्ष न हो), सम्बन्धित विभागाध्यक्ष की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् कार्य परिषद् के आदेश के सिवाय;

(ख) सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के प्रधानाचार्य की दशा में, प्रबन्धतन्त्र के आदेश के सिवाय;

(ग) सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के अन्य किसी अध्यापक की दशा में, प्राचार्य की रिपोर्ट और (जब तक वह अध्यापक उस विषय का वरिष्ठतम अध्यापक न हो) और साथ ही उस विषय के वरिष्ठतम अध्यापक की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् प्रबन्धतन्त्र द्वारा किए गए आदेश के सिवाय :

[4][परन्तु अग्रेतर यह कि सेवा समाप्ति का ऐसा कोई भी आदेश, उन आधारों के सम्बन्ध में, जिन पर उनकी सेवाओं का समाप्त किया जाना प्रस्तावित है, उसे जांच का अवसर प्रदान करते हुए सम्बन्धित अध्यापक को नोटिस के सिवाय, अन्य किसी भी प्रकार से पारित नहीं किया जायेगा :

परन्तु यह भी कि यदि परिवीक्षा की अवधि अथवा, जैसा विषय हो, परिवीक्षा की विस्तारित अवधि के समाप्त होने के पूर्व नोटिस दी जाती है, तो परिवीक्षा की अवधि उस समय तक विस्तारित हो जायेगी

---

1. 1977 के उ० प्र० अधिनियम 5 द्वारा अन्तःस्थापित।
2. शब्दावली "अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा" का 1978 के उ० प्र० अधिनियम 12 द्वारा लोपित।
3. 1992 के उ० प्र० अधिनियम 1 द्वारा अन्तःस्थापित (22-11-1991 से प्रभावी)।
4. 1977 के उ० प्र० अधिनियम 5 द्वारा अन्तःस्थापित।

जब तक कि प्रथम परन्तुक के खण्ड (क) के अधीन कार्यपरिषद् का अन्तिम आदेश अथवा, जैसा विषय हो, जब तक धारा 35 के अधीन उपकुलपति का अनुमोदन सम्बन्धित अध्यापक को संसूचित न कर दिया जाये।]

(3) (क) प्रोफेसर को छोड़कर विश्वविद्यालय के अध्यापक की दशा में, संकाय के डीन तथा सम्बन्धित विभागाध्यक्ष और उस निमित्त कुलपति द्वारा नामोदिष्ट विशेष के साथ परामर्श करके एवं सम्बद्ध अथवा सहयुक्त महाविद्यालय के अध्यापक की दशा में, उस निमित्त उपकुलपति द्वारा नामोदिष्ट विशेष के साथ परामर्श करते प्रबन्धतन्त्र चयन समिति के निर्देश के बिना दस माह से अनधिक की अवधि के लिए पदधारी को अनुमति प्रदान करके कारित रिक्ति में स्थानापन्न नियुक्ति कर सकेगा, लेकिन वह अन्य किसी ऐसी रिक्ति या पद को नहीं भरेगा जिसका उस निर्देश के बिना छः माह से अधिक चलना संभाव्य हो।

[1][(ख) जहाँ, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व अथवा पश्चात्, कोई अध्यापक किसी ऐसे अस्थायी पद (चयन समिति को निर्देश के पश्चात्) नियुक्ति किया जाता है जिसका छः माह से अनधिक चलना सम्भाव्य है और उस पद को बाद में स्थायी पद में संपरिवर्तित कर दिया जाता है अथवा दस माह से अधिक की अवधि के लिए पदधारी को अनुमति प्रदान करके कारित रिक्ति में स्थायी पद के लिए नियुक्त किया जाता है और वह पद बाद में स्थायी रूप से रिक्त हो जाता है अथवा किसी कॉडर एवं ग्रेड के पद को नवसृजित किया जाता है अथवा उसी विभाग में रिक्त हो जाता है तो जब तक कार्यपरिषद् अथवा, जैसा विषय हो, प्रबन्धतन्त्र कारण बताओ का अवसर प्रदान करने के पश्चात् उसकी सेवाओं को समाप्त करने का निर्णय न ले, तब तक वह, चयन समिति के निर्देश के बिना, उस पद के लिए अधिष्ठायी रूप में उस अध्यापक की नियुक्ति कर सकेगा :

परन्तु यह कि यह खण्ड उस समय लागू नहीं होगा जब तक कि सम्बन्धित अध्यापक उस मूल नियुक्ति के समय पद के लिए निर्धारित अर्हता को धारित न करता हो और उसने चयन समिति को निर्देश के पश्चात् की गयी नियुक्ति के पश्चात् कम से कम एक वर्ष की अवधि तक लगातार सेवा की है :

परन्तु अग्रेतर यह कि उस नियुक्ति के पूर्व, अध्यापक जिसने लगातार कम से कम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की थी, की इस खण्ड के अधीन अधिष्ठायी रूप में नियुक्ति एक वर्ष की परिवीक्षा पर होगी जो एक वर्ष से अनधिक की अवधि तक विस्तारित की जा सकेगी और उपधारा (2) के प्रावधान तदनुसार लागू होंगे।]

[2][(ग) विश्वविद्यालय का कोई भी अध्यापक, जिसे उस नियुक्ति के लिए तत्समय प्रवृत्त प्रावधानों के अनुसार अल्पकालिक या अंशकालिक प्रबन्ध के माध्यम से चयन समिति को निर्देश के बिना 31 दिसम्बर, 1997 को या उसके आस-पास प्रवक्ता/अंशकालिक प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया था, कार्यपरिषद् द्वारा मूल नियुक्ति प्रदान की जा सकेगी, बशर्ते उसी विभाग में उसी कॉडर एवं ग्रेड में कोई मूल नियुक्ति उपलब्ध हो, यदि वह अध्यापक—

(i) 31 दिसम्बर, 1997 को उस रूप में लगातार उस प्रारम्भिक नियुक्ति के समय से अल्पकालिक/अंशकालिक प्रबन्ध के रूप में सेवा करता आ रहा है;

---

1. 1977 के उ० प्र० अधिनियम 5 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. 2004 के उ० प्र० अधिनियम 23 द्वारा खण्ड (ग) को प्रतिस्थापित (20-5-2004 से प्रभावी)।

[1][(ii) प्रारम्भिक नियुक्ति की तारीख पर प्रवृत्त सुसंगत परिनियमों के प्रावधानों के अधीन पद पर नियमित नियुक्ति हेतु अपेक्षित अर्हताओं को रखता था;

(iii) कार्यपरिषद् द्वारा नियमित नियुक्ति हेतु उपयुक्त पाया गया हो,

यथा पूर्वोल्लिखित अल्पकालिक/अंशकालिक नियुक्ति के माध्यम से नियुक्त अध्यापक, जो इस खण्ड के अधीन मूल नियुक्ति को प्राप्त नहीं करता है, उस तारीख पर उस पद को धारित करना बन्द कर देगा जिसे कार्यपरिषद् विनिर्दिष्ट कर सकेगी]।

(4) (क) विश्वविद्यालय के अध्यापक की नियुक्ति के लिए चयन समिति (संहिता के निदेशक और संघटक महाविद्यालय के प्राचार्य को छोड़कर) निम्न को अन्तर्विष्ट करेगी—

(i) कुलपति, जो उसका चेयरमैन होगा;

(ii) सम्बन्धित विभाग का विभागाध्यक्ष :

परन्तु यह कि विभागाध्यक्ष चयन समिति में उस समय बैठक नहीं करेगा जब वह नियुक्ति के लिए स्वयं अभ्यर्थी हो अथवा जब सम्बन्धित पद उसके अधिष्ठायी पद से उच्चतर पंक्ति का हो और उस दशा में उस पद को विभाग में प्रोफेसर द्वारा भरा जायेगा और यदि कोई प्रोफेसर न हो तो संकाय के डीन द्वारा भरा जायेगा :

[2][परन्तु अग्रेतर यह कि जहां कुलपति का इस विषयक समाधान हो गया हो कि बाद की विशेष परिस्थितियों में, चयन समिति को पूर्ववर्ती परन्तुक के अनुसार गठित नहीं किया जा सकता है, तो वहां वह चयन समिति के ऐसी रीति से गठन का निदेश कर सकेगा जैसा वह उपयुक्त समझे];

(iii) प्रोफेसर या रीडर की दशा में, तीन विशेषज्ञ और अन्य किसी भी दशा में, विशेषज्ञों को कुलपति द्वारा नामोदिष्ट किया जाये;

(iv) केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत किसी भी योजना के अधीन उन्नत किए गए संघटक मेडिकल कालेज के विभाग में अध्यापकों की नियुक्ति की दशा में केन्द्र सरकार और राज्य सरकार से प्रत्येक का एक नाम निर्देशिती;

(v) संस्था अथवा संघटक महाविद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति की दशा में संस्था का निदेशक अथवा, जैसा विषय हो, संघटक महाविद्यालय का प्राचार्य।

(ख) संस्था के निदेशक या संघटक महाविद्यालय के प्राचार्य की नियुक्ति के लिए चयन समिति में निम्नलिखित अन्तर्विष्ट होंगे—

(i) उपकुलपति, जो उसका अध्यक्ष होगा;

(ii) दो विशेषज्ञों को कुलपति द्वारा नामोदिष्ट किया जायेगा।

(ग) सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के प्राचार्य की नियुक्ति के लिए चयन समिति राज्य सरकार द्वारा घोषित महाविद्यालय को छोड़कर [3][* * *] में निम्नलिखित अन्तर्विष्ट होंगे—

(i) प्रबन्ध समिति का अध्यक्ष अथवा उसके द्वारा नामोदिष्ट प्रबन्ध समिति का सदस्य, जो अध्यक्ष होगा;

---

1. 2004 के उ० प्र० अधिनियम 23 द्वारा उपखण्ड (ii) को प्रतिस्थापित (7-6-2004 से प्रभावी)।
2. 1977 के उ० प्र० अधिनियम 5 द्वारा अन्तःस्थापित।
3. पदावली "अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा" का 1978 के उ० प्र० अधिनियम 12 द्वारा लोपित।

[1][(ii) उन संकायों के डीनों अथवा प्रोफेसरों में से एक जो महाविद्यालय में पढ़ाये जाने वाले विषयों को समाविष्ट करते हैं, जिसे उपकुलपति द्वारा नामोदिष्ट किया जायेगा];

(iii) प्रबन्ध समिति द्वारा नामोदिष्ट प्रबन्ध समिति का एक सदस्य; और उपकुलपति द्वारा नामोदिष्ट किए जाने वाले दो सदस्य;

(iv) उपकुलपति द्वारा मनोनीत किये जाने वाले दो विशेषज्ञ :

परन्तु यह कि सम्बद्ध महाविद्यालय के प्राचार्य की दशा में, संकाय का डीन चयन समिति में पीठासीन नहीं होगा बशर्ते वह उस महाविद्यालय का अध्यापक हो :

परन्तु अग्रेतर यह कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित एवं प्रशासित महाविद्यालयों की दशा में विशेषज्ञ को प्रबन्ध समिति द्वारा उपकुलपति द्वारा सुझाव दिये गये एवं अनुमोदित प्रबन्ध समिति द्वारा पांच विशेषज्ञों के पैनल से नामोदिष्ट किया जायेगा।

[2][परन्तु यह भी कि पूर्ववर्ती परन्तुक में निर्दिष्ट महाविद्यालयों की दशा में, डीन या प्रोफेसर, जो उपखण्ड (iv) के अधीन चयन समिति के सदस्य होंगे, को भी प्रबन्ध समिति द्वारा सुझाये गये एवं उपकुलपति द्वारा अनुमोदित पांच डीनों या प्रोफेसरों के पैनल से नामोदिष्ट किया जायेगा और यदि ऐसे डीनों या प्रोफेसरों की अपेक्षित संख्या इस प्रकार उपलब्ध नहीं है, तो पैनल में सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालयों के प्राचार्यों के नाम सम्मिलित हो सकेंगे।]

(घ) सम्बद्ध अथवा सहयुक्त महाविद्यालय राज्य सरकार द्वारा अपवर्जी रूप से पोषित महाविद्यालय को छोड़कर [3][* * *] के अन्य अध्यापकों की नियुक्ति के लिए चयन समिति में निम्न अन्तर्विष्ट होंगे—

(i) प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष अथवा उसके द्वारा नामोदिष्ट प्रबन्ध समिति का सदस्य, जो अध्यक्ष होगा;

(ii) महाविद्यालय का प्राचार्य और उस प्राचार्य द्वारा नामोदिष्ट महाविद्यालय का कोई अन्य अध्यापक;

(iii) उपकुलपति द्वारा मनोनीत किए जाने वाले दो विशेषज्ञ :

[4][परन्तु यह कि किसी ऐसे महाविद्यालय की दशा में, जहाँ उपखण्ड (ii) के अधीन चयन समिति का सदस्य बनने के लिए कोई प्राचार्य अथवा अन्य अध्यापक उपलब्ध नहीं है, तो इस खण्ड में निर्दिष्ट शेष सदस्यों से उन चयन समितियों का गठन होगा :]

परन्तु अग्रेतर यह कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित महाविद्यालयों की दशा में विशेषज्ञों को प्रबन्ध समिति द्वारा सुझाये गये एवं उपकुलपति द्वारा अनुमोदित पांच विशेषज्ञों के पैनल में से नामोदिष्ट किया जायेगा।

(5) (क) अध्ययन के प्रत्येक विषय में छः या अधिक विशेषज्ञों के पैनल को कुलपति द्वारा भारतीय विश्वविद्यालयों में तत्समानी संकाय अथवा ऐसे शैक्षिक निकायों अथवा उत्तर प्रदेश के भीतर या बाहर शोध संस्थाओं से परामर्श करने के पश्चात् तैयार किया जायेगा जिन्हें कुलपति आवश्यक समझे। उपधारा (4) के अधीन कुलपति द्वारा नामोदिष्ट किये जाने वाला प्रत्येक विशेषज्ञ वह व्यक्ति होगा जिसका नाम उस पैनल पर अंकित हो।

---

1. 1978 के उ० प्र० अधिनियम 12 द्वारा अन्तःस्थापित।
2. 1977 के उ० प्र० अधिनियम 5 द्वारा परन्तुक को अन्तःस्थापित।
3. पदावली "अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा" का 1978 के उ० प्र० अधिनियम 12 द्वारा लोपित।
4. 1974 के उ० प्र० अधिनियम 29 द्वारा अन्तःस्थापित और उसका सदैव अन्तःस्थापित किया जाना समझा जायेगा।

निर्णय लेने की अपेक्षा कर सकेगा जिसे कुलपति समय-समय पर अनुज्ञात करे और वह उपकुलपति को उस प्रयोजनार्थ कार्यपरिषद् की बैठक आहूत करने के लिए निदेशित कर सकेगा :

परन्तु यह कि—

(i) यदि कार्यपरिषद् चयन समिति द्वारा की गयी सिफारिशों से सहमत नहीं है, तो कार्यपरिषद् मामले को उस असहमति के कारणों के साथ कुलपति के समक्ष निर्दिष्ट करेगा और उसका निर्णय अन्तिम होगा;

(ii) यदि कार्यपरिषद् कुलपति द्वारा अनुज्ञात किये गये समय के भीतर निर्णय नहीं लेती है, तो कुलपति मामले का निर्णय करेगा और उसका निर्णय अन्तिम होगा।]

(ख) सम्बद्ध अथवा सहयुक्त महाविद्यालय के अध्यापक की नियुक्ति की दशा में, यदि प्रबन्ध समिति चयन समिति द्वारा की गयी सिफारिश से सहमत नहीं होता है, तो प्रबन्ध समिति उस असहमति के कारणों के साथ उपकुलपति के समक्ष मामले को निर्दिष्ट करेगा, और उसका निर्णय अन्तिम होगा :

परन्तु यह कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित एवं प्रशासित सम्बद्ध अथवा सहयुक्त महाविद्यालय के अध्यापक की नियुक्ति की दशा में, यदि प्रबन्ध समिति चयन समिति द्वारा की गयी सिफारिश से सहमत नहीं होता है, तो प्रबन्ध समिति को एक अन्य चयन समिति की नियुक्ति करने का अधिकार प्राप्त होगा और उस समिति का निर्णय अन्तिम होगा।

(9) विश्वविद्यालय के अध्यापकों और ऐसे सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालयों के प्राचार्यों तथा अन्य अध्यापकों की नियुक्ति हेतु चयन समिति के सदस्यों की, समितियों के विचार-विमर्श में भाग लेने में हित के आधार पर अनर्हता एवं ऐसे प्राचार्यों और अध्यापकों की नियुक्ति से सम्बन्धित अन्य विषय परिनियमों द्वारा विहित किये जायेंगे।

(10) इस धारा के अधीन की गयी नियुक्ति के लिए, कोई भी चयन उत्तर प्रदेश में पर्याप्त प्रसार वाले दो समाचार-पत्रों के कम से कम तीन अंकों में, उस रिक्ति का विज्ञापन दिये बिना अन्य किसी भी प्रकार से नहीं किया जायेगा।

[1][(11) (क) चयन समिति द्वारा सिफारिश किये गये किसी भी अध्यापक की नियुक्ति सम्बद्ध अथवा सहयुक्त महाविद्यालय (राज्य सरकार द्वारा अपवर्जी रूप से पोषित महाविद्यालय को छोड़कर) के प्रबन्ध समिति द्वारा नहीं की जायेगी जब तक कि उपकुलपति के पूर्वानुमोदन को प्राप्त न कर लिया गया हो।

(ख) यथा संभव शीघ्र प्रबन्ध समिति चयन समिति की बैठक के पश्चात्, समिति का सिफारिशों को अन्य सुसंगत दस्तावेजों के साथ उपकुलपति के समक्ष अनुमोदन के लिए दाखिल करेगा।

(ग) उपकुलपति, यदि उसका यह समाधान हो जाये कि चयन समिति द्वारा सिफारिश किये गये अभ्यर्थी के पास न्यूनतम अर्हताएँ अथवा विहित अनुभव नहीं है, अथवा यह कि उस अध्यापक के चयन के लिए अधिनियम में निर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है, तो अपने अननुमोदन के बारे में प्रबन्ध समिति को बतायेगा :

---

1 1977 के उ० प्र० अधिनियम 5 द्वारा प्रतिस्थापित।

परन्तु यह कि यदि उपकुलपति खण्ड (ख) में निर्दिष्ट दस्तावेजों के प्राप्त होने की तारीख से एक माह की अवधि के भीतर अपने अनुमोदन के बारे में सूचना नहीं देता है अथवा यह प्रबन्ध समिति को उसके सम्बन्ध में कोई सूचना प्रेषित नहीं करता है, तो उसका उस प्रस्ताव का अनुमोदन करना माना जायेगा।

(12) इस धारा में अन्तर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए, कार्यपरिषद्, कुलपति के पूर्वानुमोदन से, अथवा प्रबन्ध समिति, उपकुलपति के पूर्वानुमोदन से अध्यापक के किसी भी पद पर ऐसे किसी सरकारी सेवक की प्रतिनियुक्ति कर सकेगा जिसके पास उस पद के लिए विहित अर्हताएँ हों।]

(13) [1][* * *]

टिप्पणियाँ

1. महाविद्यालय के एक विभाग के प्रवक्ताओं के मध्य परस्पर वरिष्ठता—उ० प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973—धारा 31—गोरखपुर विश्वविद्यालय का प्रथम परिनियम—परिनियम संख्या 18.11
2. नियुक्ति
3. नियुक्ति—गोरखपुर विश्वविद्यालय का 1977 का प्रथम परिनियम, परिनियम 10.02—संस्कृत में प्रवक्ता की मूल नियुक्ति

1. महाविद्यालय के एक विभाग के प्रवक्ताओं के मध्य परस्पर वरिष्ठता—उ० प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973—धारा 31—गोरखपुर विश्वविद्यालय का प्रथम परिनियम—परिनियम संख्या 18.11—परिनियम 18.11 में सेवा में प्रवक्ताओं की वरिष्ठता का अवधारण करने की प्रक्रिया को निर्धारित किया गया है। परिनियम 18.13 में चयन समिति द्वारा तैयार की गयी मेरिट सूची के आधार पर नियुक्ति के पूर्व वरिष्ठता का अवधारण करने की प्रक्रिया को निर्धारित किया गया है। ऐसी मेरिट सूची अभिलेख में उपलब्ध नहीं है। एक प्रवक्ता के अभ्यावेदन पर उपकुलपति ने याची को सुनने का कोई भी अवसर प्रदान किए बिना अभिकथित मेरिट सूची के आधार पर वरिष्ठता का अवधारण किया था। परिनियम 18.11 के अधीन आयु के आधार पर प्रबन्ध समिति द्वारा वरिष्ठता का अवधारण किया गया। ऐसी दशा में यह अभिनिर्धारित किया गया कि उपकुलपति का आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का उल्लंघनकारी था। *श्रीमती उषा सिंह* बनाम *उपकुलपति, गोरखपुर विश्वविद्यालय एवं अन्य,* (2000) 1 यू० पी० एल० बी० ई० सी० (सम०) 56 (इला०)।

2. नियुक्ति—जहां कतिपय वाद में "पूरन इतिहास" में प्रवक्ता के पद पर नियुक्ति के लिए कार्यपरिषद् का संकल्प प्रत्यक्षतः अविधिक था। इसलिए कुलपति द्वारा उसे नामंजूर कर दिया गया। चूंकि नियुक्ति के संकल्प को कुलपति द्वारा प्रत्यक्षतः अविधिक पाया गया था, इसलिए हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं थी। ऐसी दशा में यह प्रश्न उठा कि क्या पद नियमित था अथवा अस्थायी रूप से अनियमित। न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि याची की नियुक्ति प्रत्यक्ष अविधिक है और यह तथ्य कि यह पद जिस पर नियुक्ति की गयी है, अस्थायी पद है, इसका कोई महत्व नहीं हो सकता है। यह सामान्य जानकारी की बात है कि अस्थायी पदों पर नियुक्त व्यक्ति अनेक वर्षों तक कार्य करते रहते हैं और अकसर वे उस पद से अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करते हैं। कुलपति के यह पाये जाने पर कि याची की नियुक्ति करते हुए कार्यपरिषद् का संकल्प प्रत्यक्ष रूप से अविधिक था, इसलिए इस न्यायालय के लिए उसे अधिखण्डित करना संभव नहीं है। *डॉ० उमापति उपाध्याय* बनाम *कुलपति सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय एवं अन्य,* 2002) यू० पी० एस० बी० ई० सी० 1311 (इला०)।

3. नियुक्ति—गोरखपुर विश्वविद्यालय का 1977 का प्रथम परिनियम, परिनियम 10.02—संस्कृत में प्रवक्ता की मूल नियुक्ति—जहां कतिपय वाद में विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 31 (3) (ग) के उपबन्धों के अनुसार जूनियर रिसर्च फेलोशिप से नियुक्ति का दावा किया गया था तो न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि याची हकदार नहीं है क्योंकि विश्वविद्यालय को कार्यपरिषद् ने नियुक्ति के

---

1. 1983 के उ० प्र० अधिनियम 10 द्वारा उपधारा (13) का लोपित (18-7-1981 से प्रभावी)।

प्रयोजनों के लिए केवल रिसर्च फेलो एवं रिसर्च असिस्टेण्टों की अभ्यर्थना पर ही विचार किया था न कि जूनियर रिसर्च फेलो की अभ्यर्थना पर। याची के अभ्यावेदन पर सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा याची को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् कारणयुक्त आदेश से विनिश्चित किया जाना निदेशित किया गया। *डॉ० राजेश कुमार मिश्रा बनाम उ० प्र० राज्य एवं अन्य,* (2007) 1 यू० पी० एल० बी० ई० सी० (सम०) 12 (इला०)।

[1][**31-क. विश्वविद्यालय के अध्यापकों के लिए निजी प्रोन्नति**—(1) इस अधिनियम के अन्य किसी भी प्रावधान में अन्तर्विष्ट प्रतिकूल किसी भी बात के होते हुए, [2][धारा 31 के अधीन नियुक्त विश्वविद्यालय में प्रवक्ता, अथवा धारा 31 के अधीन नियुक्त अथवा इस धारा के अधीन प्रोन्नत विश्वविद्यालय में रीडर], जिसने सेवा की इतनी लम्बी अवधि पूरी की है और जिसके पास ऐसी अर्हताएं हैं, जिसे विहित किया जाये, को क्रमशः रीडर अथवा प्रोफेसर के पद पर निजी प्रोन्नति प्रदान की जायेगी।]

(2) ऐसी निजी प्रोन्नति धारा 31 की उपधारा (4) के खण्ड (क) के अधीन गठित चयन समिति की सिफारिश पर ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जायेगी जिन्हें विहित किया जाये।

(3) इस धारा में कही गयी कोई भी बात धारा 31 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्यक्ष नियुक्ति द्वारा भरे जाने वाले विश्वविद्यालय के अध्यापकों के पदों को प्रभावित नहीं करेगी।]

[3][**31-कक. सहयुक्त प्रोफेसर एवं प्रोफेसर के पद पर प्रोन्नति**—(1) इस अधिनियम के अन्य किसी भी प्रावधान में अन्तर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए, लखनऊ विश्वविद्यालय के औषधि अथवा दन्त विज्ञानों के संकाय में मूलरूप से नियुक्त सहायक प्रोफेसर अथवा उक्त विश्वविद्यालय के उक्त संकायों में इस धारा के अधीन मूलरूप से नियुक्त, अथवा प्रोन्नत सहयुक्त प्रोफेसर, जिसने इतनी लम्बी की अवधि तक सेवा प्रदान की है और जो ऐसी अर्हताओं को रखता है जिन्हें विहित किया जाये, को सहयुक्त प्रोफेसर या प्रोफेसर के पद पर क्रमशः निजी प्रोन्नति प्रदान की जा सकेगी।]

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रोन्नति धारा 31 की उपधारा (4) के खण्ड (क) के अधीन गठित चयन समिति की सिफारिश पर ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जायेगी जिन्हें विहित किया जाये।

स्पष्टीकरण—लखनऊ विश्वविद्यालय के औषधि अथवा दन्त विज्ञानों के संकाय के सम्बन्ध में धारा 31 की उपधारा (4) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट शब्द ''रीडर'' का ''सहयुक्त प्रोफेसर'' के रूप में अर्थान्वयन किया जायेगा।]

[4][(3) उपधारा (1) अथवा उपधारा (2) में अथवा इस अधिनियम के अन्य किसी भी प्रावधान में अन्तर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए, प्रत्येक व्यक्ति, जिसे राज्य सरकार द्वारा जारी दिनांक 11 अप्रैल, 1997 के आदेश सं० 841/15-10-97-11(7)/96 के अनुसार उपधारा (1) में निर्दिष्ट सहयुक्त प्रोफेसर या प्रोफेसर के पद पर प्रोन्नत किया गया था और वह उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 1999 के प्रारम्भ होने की तारीख पर उस रूप में सेवा में बना हुआ है, का उस प्रोन्नति की तारीख से उपधारा (1) के अधीन उस पद पर प्रोन्नत किया जाना समझा जायेगा।]

1. 1985 के उ० प्र० अधिनियम 9 द्वारा अन्तःस्थापित लोपित (10-10-1984 से प्रभावी)।
2. 1996 के राष्ट्रपति के अधिनियम 4 द्वारा प्रतिस्थापित (11-7-1995 से प्रभावी)।
3. 1998 के उ० प्र० अधिनियम 9 द्वारा अन्तःस्थापित (19-9-1997 से प्रभावी)।
4. 1999 के उ० प्र० अधिनियम 21 द्वारा अन्तःस्थापित।

[1][31-ख. **प्रोन्नति के सम्बन्ध में विशेष प्रावधान**—(1) इस अधिनियम के अन्य किसी भी प्रावधान में अथवा उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम में अन्तर्विष्ट प्रतिकूल किसी भी बात के होते हुए, मोती लाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद के प्राचार्य अथवा अध्यापक के पद पर नियुक्ति मोतीलाल रीजनल इंजीनियरिंग कालेज सोसाइटी, इलाहाबाद के नियमों एवं उपनियमों के अनुसार की जायेगी।

(2) उपधारा (1) के प्रावधानों के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1998 के प्रारम्भ होने के पूर्व की गयी सभी नियुक्तियों का उक्त उपधारा के अधीन उसी प्रकार से किया गया समझा जायेगा मानों उक्त उपधारा के प्रावधान सभी सुसंगत समयों पर प्रवृत्त थे।]

32. विश्वविद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति का संविदा—(1) परिनियमों द्वारा यथा अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, विश्वविद्यालय के किसी भी वैतनिक अधिकारी या अध्यापक की नियुक्ति लिखित संविदा के सिवाय अन्य प्रकार से नहीं की जायेगी जो इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के प्रावधानों से सुसंगत होगा।

(2) मूल संविदा रजिस्ट्रार के पास जमा किया जायेगा और उसकी प्रति सम्बन्धित अधिकारी या अध्यापक को प्रदान की जायेगी।

(3) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व नियोजित अधिकारी या अध्यापक की दशा में, उस प्रारम्भ होने के तत्काल पूर्व प्रवृत्त सभी संविदाओं का, इस अधिनियम पर परिनियमों या अध्यादेशों के प्रावधानों से असंगत होने की सीमा तक उक्त प्रावधानों द्वारा संशोधित किया जाना समझा जायेगा।

(4) किसी भी संविदा या अन्य लिखत में अन्तर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए, किसी भी संघटक मेडिकल कालेज के अध्यापकों को उस सीमा तक के सिवाय, यदि कोई हो, और ऐसी शर्तों तथा निबन्धनों के अध्यधीन, जिन्हें राज्य सरकार सामान्य अथवा विशेष आदेश से विनिर्दिष्ट कर सकेगी, निजी प्रैक्टिस का कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

टिप्पणी

संविदात्मक नियोजन—जहां कतिपय वाद में याचीगण को संविदात्मक आधार पर प्रयोगशाला परिचारक के रूप में नियुक्त किया गया था, विश्वविद्यालय ने स्पष्ट रूप से यह उल्लेख करते हुए रिक्तियों को विज्ञापित कराया था कि यह नियुक्ति संविदात्मक आधार पर की गयी है। वह तब तक अनुज्ञेय नहीं है जब तक कि परिनियम में नियमितीकरण का दावा करने के लिए उपबन्ध न किया गया हो। संविदात्मक आधार पर नियुक्ति लगातार पद पर बने रहने के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी। जब पद पर रहने का अधिकार या तो परिनियम के आधार पर या अन्य प्रकार से विधिनुसार नहीं है तो याचीगण को बने रहने के लिए प्राधिकारियों को विवश करते हुए परमादेश की रिट जारी नहीं की जा सकती है—*अरविन्द कुमार सिंह एवं अन्य* बनाम *भारत संघ एवं अन्य*, (2010) 1 यू० पी० एल० बी० ई० सी० 789।

33. पेंशन, भविष्य निधि, आदि—विश्वविद्यालय और प्रत्येक सम्बद्ध अथवा सहयुक्त महाविद्यालय अपने अधिकारियों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के लाभ के लिए ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अध्यधीन [2][जैसा राज्य सरकार द्वारा सामान्य और विशेष आदेश से विनिर्दिष्ट किया जाये] ऐसे पेंशन, बीमा या भविष्य निधि का गठन करेगा जिसे वह ऐसी निधि को सम्मिलित करते हुए उपयुक्त समझे जिससे उन अध्यापकों या जैसा विषय हो उनके वारिसों को उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (परीक्षाओं के संचालन सम्बन्धी

---

1. 1998 के उ० प्र० अधिनियम 9 द्वारा अन:स्थापित (12-2-1998 से प्रभावी)।
2. 1975 के उ० प्र० अधिनियम 21 द्वारा प्रतिस्थापित।

उपबन्ध) अधिनियम, 1965 में यथा परिभाषित केन्द्र के अधीक्षक अथवा निरीक्षक के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के सम्बन्ध में नियोग्यता, उपहति अथवा मृत्यु को उपगत करने की दशा में पेंशन अथवा ग्रेच्युटी संदाय की जायेगी।

टिप्पणी

पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति के लाभ—कतिपय वाद में याची उ० प्र० राज्य द्वारा सहायता प्राप्त डिग्री कालेज में प्रवक्ता के रूप में सेवारत रहने के पश्चात् सेवानिवृत्त हुआ था। प्रवक्ता के पद पर अपनी नियुक्ति के पूर्व उसने 10 वर्ष से अधिक के लिए मध्य प्रदेश में किसी सरकारी विद्यालय में अध्यापक के रूप में सेवा की थी। सेवा की अवधि की संगणना करते समय मध्य प्रदेश में प्रदान की गयी इस सेवा की अवधि को पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति के लाभों की संगणना के प्रयोजनार्थ सम्मिलित नहीं किया जायेगा। इस प्रयोजनार्थ सेवा के मानदण्ड को दिनांक 24-12-1983 के शासनादेश द्वारा शासित किया जायेगा न कि दिनांक 29-8-1990 के अथवा 5-2-2003 के शासनादेशों द्वारा ऐसा इसलिए है क्योंकि मध्य प्रदेश राज्य एवं उत्तर प्रदेश राज्य के मध्य उनके राज्य में प्रदान की गयी सेवा की अवधि को सेवा अवधि की संगणना करने हेतु सम्मिलित करने का कोई करार नहीं हुआ है। दिनांक 24-12-1983 का शासनादेश उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 33 के अनुरूप है—*डॉ० ए० पी० पालीवाल* बनाम *उ० प्र० राज्य एवं अन्य*, (2010) 3 यू० पी० एल० बी० ई० सी० 2365।

34. अध्यापकों के लिए अनुज्ञेय अतिरिक्त पारिश्रमिक कार्य की सीमाएं—(1) विश्वविद्यालय के अथवा सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के अध्यापकों को भारतीय विश्वविद्यालय अथवा लोक सेवा आयोग को छोड़कर अन्य निकाय द्वारा संचालित किसी भी परीक्षा के सम्बन्ध में संपादित किन्हीं कर्तव्य के लिए पारिश्रमिक के संदाय [1][* * *] से सम्बन्धित शर्तें वही होंगी जिन्हें विहित किया जा सकेगा।

(2) विश्वविद्यालय का अथवा सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय का कोई भी अध्यापक किसी भी समय किसी भी परीक्षा से सम्बद्ध अध्यापन या कर्तव्यों को छोड़कर अन्य कर्तव्यों को करने के लिए एक से अधिक पारिश्रमिक पद को धारित नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण—पदावली "पारिश्रमिक पद" में छात्र-निवास या छात्रावास के वार्डेन या अधीक्षक, प्राक्टर, क्रीड़ा अधीक्षक, पुस्तकालयाध्यक्ष के पद और राष्ट्रीय कैडेट कोर, राष्ट्रीय क्रीड़ा संगठन समाज सेवा योजना और विश्वविद्यालय रोजगार कार्यालय में कोई भी पद सम्मिलित होगा।

35. सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा पोषित को छोड़कर अन्य सम्बद्ध अथवा सहयुक्त महाविद्यालयों के अध्यापकों की सेवा की शर्तें—(1) सम्बद्ध अथवा सहयुक्त महाविद्यालय (राज्य सरकार [2][* * *] द्वारा अपवर्जी रूप से पोषित महाविद्यालय को छोड़कर) में प्रत्येक अध्यापक को लिखित संविदा के अधीन नियुक्त किया जायेगा जिसमें ऐसे निबन्धन और शर्तें अन्तर्विष्ट होंगी जिन्हें विहित किया जा सकेगा। संविदा को विश्वविद्यालय के पास जमा किया जायेगा और उसकी प्रति सम्बन्धित अध्यापक को दी जायेगी एवं उसकी एक अन्य प्रति सम्बन्धित महाविद्यालय द्वारा प्रतिधारित की जायेगी।

(2) किसी अध्यापक को बर्खास्त अथवा अपसारित करने अथवा उसे पंक्ति में कम करने अथवा उसे अन्य किसी भी रीति से दण्डित करने के लिए उस महाविद्यालय से प्रबन्ध समिति का प्रत्येक विनिश्चय, इससे पूर्व कि उसे उसकी सूचना दी जाये, उपकुलपति को सूचित किया जायेगा और वह तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि उपकुलपति द्वारा उसका अनुमोदन न किया गया हो :

परन्तु यह कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित महाविद्यालयों की दशा में, किसी भी अध्यापक को बर्खास्त, अपसारित करते हुए या पंक्ति में कम करते हुए या अन्य किसी भी प्रकार से दण्डित करते हुए प्रबन्ध समिति के निर्णय में

---

[1] पदावली "और उनके द्वारा पारिश्रमिक पदों को धारित करना" का 1974 के उ० प्र० अधिनियम 29 द्वारा लोपित।

[2] पदावली "अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा" का 1978 के उ० प्र० अधिनियम 12 द्वारा लोपित।

उपकुलपति के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन उसकी उसे सूचना दी जायेगी और जब तक उसका यह समाधान न हो जाये कि इस निमित्त निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया है, तब तक उस निर्णय को प्रभावी नहीं किया जायेगा।

(3) उपधारा (2) के प्रावधान अध्यापक की सेवाओं को, चाहे वह दण्ड के रूप में हो या अन्यथा, समाप्त करने के किसी भी निर्णय के लिए लागू होंगे, लेकिन वे उस अवधि के समाप्त होने पर, जिसके लिए उस अध्यापक को नियुक्त किया गया था सेवा की किसी भी समाप्ति के लिए लागू नहीं होंगे :

परन्तु यह कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित एवं प्रशासित महाविद्यालयों की दशा में, किसी भी अध्यापक को सेवा को समाप्त करते हुए प्रबन्ध समिति के निर्णय में उपकुलपति के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन उसे उसकी सूचना दी जायेगी और जब तक उसका यह समाधान न हो जाये कि इस निमित्त निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया है, उसे प्रभावी नहीं बनाया जायेगा।

(4) उपधारा (2) में कही गयी किसी भी बात का जाँच के लम्बित रहने तक निलम्बन के आदेश के लिए लागू होना नहीं समझा जायेगा, लेकिन ऐसे किसी भी आदेश पर उपकुलपति द्वारा रोक लगायी जा सकेगी, जिसे खण्डित या उपान्तरित किया जा सकेगा :

परन्तु यह कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित एवं प्रशासित महाविद्यालयों की दशा में, उस आदेश पर उपकुलपति द्वारा केवल तभी रोक लगायी जा सकेगी, उसे खण्डित या उपान्तरित किया जा सकेगा जब उस निलम्बन के लिए निर्धारित शर्तों का पालन न हुआ हो।

(5) उन महाविद्यालयों के अध्यापकों की सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जिन्हें विहित किया जाये।

टिप्पणियाँ

1. सेवा समाप्ति
2. संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गयी
3. नियुक्ति—उ० प्र० उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980—धारा 13 (3)

1. *सेवा समाप्ति*—किसी ऐसे वाद में जहां मामले को वादकरण के पूर्वतर चक्र में ही समाप्त कर दिया गया है, तो वहां पुनर्विलोकन याचिका तथा विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया गया। मामले में विचार किये जाने के लिए कुछ भी शेष नहीं बचा था। याची ने कुलपति के आदेश के पश्चात् 4 वर्ष तक प्रतीक्षा की थी, लेकिन कोई पर्याप्त स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था। यह अभिनिर्धारित किया गया कि कुलपति ने ठीक ही यह सम्प्रेक्षण किया है कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के विनिश्चयों के पश्चात् किसी भी आदेश को पारित करना उचित नहीं था। यह पाया गया था कि दिनांक 6-9-1990 के याची के सेवाओं के अनुमोदन के पत्र में उसे 2-5-1990 को सेवाओं की समाप्ति के पश्चात् उसे लागू करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि इस सम्बन्ध में आन्वयिक पूर्व न्याय तथा अन्वेक्षा के सिद्धान्त न्यायालय को मामले पर पुनः विचार करने की अनुमति नहीं देते हैं। आक्षेपित निर्णय तथा आदेश में कोई भी त्रुटि नहीं पायी गयी। पुनर्विलोकन याचिका को खारिज कर दिया गया। *डॉ० ऊषा शर्मा बनाम उ० प्र० राज्य एवं अन्य,* (2009) 2 यू० पी० एल० बी० ई० सी० 1798 (इला०)।

2. *संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गयी*—जहां कतिपय वाद में धारा 35 (2) और उसके परन्तुक के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रधानाचार्य को अपसारित करने के लिए प्रबंधन समिति के प्रस्ताव के अनुमोदन को उप-कुलपति द्वारा इन्कार कर दिया गया था तो वहां उप-कुलपति द्वारा पारित आदेश को रिट याचिका के माध्यम से चुनौती दी गयी। सांविधानिक वैधता को भी चुनौती दी गयी। उच्च न्यायालय ने रिट को इस आधार पर खारिज कर दिया कि धारा 68 के अधीन वैकल्पिक उपचार उपलब्ध है। यह पाया गया था कि विधि की त्रुटि कारित की गयी थी। धारा 35 (2) की सांविधानिक वैधता को भी चुनौती दी गयी थी, कुलपति के पास धारा 68 के अधीन व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं लेकिन उसे किसी प्रावधान को सांविधानिक

वैधता पर विचार करने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। ऐसी शक्ति केवल उच्च न्यायालय में ही निहित होती है। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि उच्च न्यायालय को रिट विनिश्चित करनी चाहिए थी। उच्च न्यायालय को रिट याचिका का गुणावगुण के आधार पर विनिश्चय करने का निदेश किया गया। *प्रबन्ध समिति एवं एक अन्य* बनाम *उप कुलपति एवं अन्य*, (2009) 2 यू० पी० एल० बी० ई० सी० 1345 (इला०)।

3. नियुक्ति—उ० प्र० उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980—धारा 13 (3)—जहां कतिपय वाद में उ० प्र० उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने किसी "त" का चयन किया था और उसको महिला डिग्री कालेज के प्रधानाचार्य की नियुक्ति हेतु सिफारिश की थी, पद ग्रहण करने के पश्चात् उसने अपना त्याग-पत्र दे दिया था। तत्पश्चात् आयोग ने उक्त पद पर "ध" की सिफारिश की जिसने कार्यभार ग्रहण कर लिया। "त" द्वारा इस तर्क के साथ रिट याचिका दाखिल की गयी कि उसने अपना त्याग-पत्र वापस ले लिया है। रिट न्यायालय के निदेश पर उपकुलपति ने "त" के अभ्यावेदन को विनिश्चित किया और प्रबन्ध समिति को यह निदेशित किया कि वह प्रधानाचार्य के पद का प्रभार उसे सौंप दे। इसके अतिरिक्त "त" द्वारा रिट याचिका उपकुलपति के आदेश के अनुपालन के लिए भी दाखिल की गयी। न्यायालय ने "त" की रिट याचिका को अनुज्ञात करते हुए प्रबन्ध समिति को यह निदेश किया कि वह "त" को अविलम्ब कालेज के प्रधानाचार्य के रूप में बहाल करे। *प्रबन्ध समिति, प्रयाग महिला विद्यापीठ* बनाम *उ० प्र० राज्य एवं अन्य*, (2007) 2 यू० पी० एल० बी० ई० सी० (सम०) 68 (इला०)।

36. माध्यस्थम् का अधिकरण—(1) धारा 32 अथवा धारा 33 में निर्दिष्ट नियुक्ति के संविदा से प्रादुभूत होने वाला कोई भी विवाद माध्यस्थम् के अधिकरण के समक्ष निर्दिष्ट किया जायेगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित होंगे, अर्थात् :

(क) विश्वविद्यालय के अधिकारी या अध्यापक की दशा में, कार्यपरिषद् द्वारा नामोदिष्ट एक सदस्य, सम्बन्धित अधिकारी अथवा अध्यापक द्वारा नामोदिष्ट एक सदस्य और कुलपति द्वारा नामोदिष्ट एक सदस्य (जो आयोजक के रूप में कार्य करेगा);

(ख) सम्बद्ध अथवा सहयुक्त महाविद्यालय के अध्यापक की दशा में, महाविद्यालय के प्रबन्ध समिति द्वारा नामोदिष्ट एक सदस्य, सम्बन्धित अध्यापक द्वारा नामोदिष्ट एक सदस्य और उपकुलपति द्वारा नामोदिष्ट एक सदस्य (जो आयोग के रूप में कार्य करेगा) :

परन्तु यह कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित एवं प्रशासित महाविद्यालयों की दशा में, आयोजक का चयन प्रबन्ध समिति एवं सम्बन्धित अध्यापक के नाम-निर्देशितियों द्वारा प्रबन्ध समिति द्वारा सुझाव दिये गये और उपकुलपति द्वारा अनुमोदित पांच व्यक्तियों के पैनल से किया जायेगा :

परन्तु अग्रेतर यह कि निर्धारित समय के भीतर आयोजक की नियुक्ति करने की उनकी असफलता की दशा में, उपकुलपति उस पैनल से आयोजक को नामोदिष्ट करेगा।

(2) यदि किसी भी कारण से, अधिकरण के सदस्य के पद में रिक्ति उत्पन्न होती है, तो समुचित व्यक्ति अथवा सम्बन्धित निकाय उस रिक्ति को भरने के लिए उपधारा (1) के प्रावधानों के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति को नामोदिष्ट करेगा और कार्यवाहियों अधिकरण के समक्ष उस प्रक्रम से जारी रखी जा सकेगी जिस पर रिक्ति को भरा गया है।

(3) अधिकरण का विनिश्चय अन्तिम होगा और वह पक्षकारों पर आबद्धकर होगा एवं उसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जायेगी।

(4) माध्यस्थम् अधिकरण को निम्न कार्यों को करने की शक्ति प्राप्त होगी—

(i) अपनी ही प्रक्रिया को विनियमित करना;

(ii) सम्बन्धित अधिकारी अथवा अध्यापक की पुनर्बहाली का आदेश देना; और

(iii) सम्बन्धित अधिकारी अथवा अध्यापक को वेतन, उससे उस आय को कम करने के पश्चात् प्रदान करना जिसे उस अधिकारी अथवा अध्यापक ने अन्यथा सेवा से अपने निलम्बन, अपसारण, बर्खास्तगी अथवा सेवा समाप्ति के दौरान प्राप्त किया होता।

(5) माध्यस्थम् से सम्बन्धित तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि में अन्तर्विष्ट कोई भी बात इस धारा के अधीन माध्यस्थम् के लिए लागू नहीं होगा।

(6) ऐसे किसी भी मामले के सम्बन्ध में जिसका माध्यस्थम् अधिकरण के समक्ष उपधारा (1) द्वारा निर्दिष्ट किया जाना अपेक्षित है, किसी भी न्यायालय में कोई भी वाद अथवा कार्यवाही दाखिल नहीं की जा सकेगी :

परन्तु यह कि उपधारा (3) में निर्दिष्ट अधिकरण का प्रत्येक निर्णय प्रादेशिक क्षेत्राधिकार को रखने वाले निम्नतम न्यायालय द्वारा उसी प्रकार से निष्पाद्य होगा मानो वह उस न्यायालय की डिक्री हो।

अध्याय 7

सम्बद्धता और मान्यता

37. सम्बद्ध महाविद्यालय—(1) यह धारा आगरा, गोरखपुर, कानपुर एवं मेरठ के विश्वविद्यालयों और ऐसे अन्य विश्वविद्यालयों (लखनऊ [1][* * *] विश्वविद्यालय नहीं) के लिए लागू होगी जिन्हें राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

(2) कार्यपरिषद् [2][राज्य सरकार] की पूर्व अनुमति से, किसी भी महाविद्यालय को, जो सम्बद्धता की उन शर्तों की पूर्ति करता है, जिन्हें विहित किया जाये, सम्बद्धता के विशेषाधिकारों को प्रदान कर सकेगी अथवा पहले से सम्बद्ध किसी महाविद्यालय के विशेषाधिकारों को विस्तारित कर सकेगी अथवा उपधारा (8) के प्रावधानों के अध्यधीन ऐसे किसी विशेषाधिकार को वापस ले सकेगी या उसे कम कर सकेगी :

[3][परन्तु यह कि यदि [4][राज्य सरकार] की राय में, महाविद्यालय सारवान् रूप से सम्बद्धता की शर्तों को पूरा करता है, तो [5][राज्य सरकार] उस महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रदान करने की स्वीकृति दे सकेगी अथवा ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में एक अवधि के लिए विनिर्दिष्ट विषयों में उसके विशेषाधिकारों को विस्तारित कर सकेगी जिन्हें वह उपयुक्त समझे] :

[6][परन्तु अग्रेतर यह कि जब तक सम्बद्धता की सभी निर्धारित शर्तों का महाविद्यालय द्वारा पालन न किया गया हो, तब तक वह अध्ययन के उस पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश नहीं देगा जिसके लिए उस सम्बद्धता के प्रारम्भ होने की तारीख से एक वर्ष के पश्चात् पूर्वगामी परन्तुक के अधीन सम्बद्धता प्रदान की जाती है]।

(3) किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के लिए विधिपूर्ण यही होगा कि वह उसी स्थानीय क्षेत्र में अवस्थित किसी अन्य सम्बद्ध महाविद्यालय के साथ अथवा विश्वविद्यालय के साथ अध्यापन अथवा अनुसंधान कार्य में सहयोग के लिए प्रबन्ध करे।

---

1. पदावली "तथा इलाहाबाद" 2005 के अधिनियम संख्या 26 द्वारा लोपित (14-7-2005 से प्रभावी)।
2. 2007 के उ० प्र० अधिनियम संख्या 12 द्वारा प्रतिस्थापित (2-6-2007 से प्रभावी)।
3. 2004 के उ० प्र० अधिनियम संख्या 1 द्वारा अन्त:स्थापित (11-7-2003 से प्रभावी)।
4. 2007 के उ० प्र० अधिनियम संख्या 12 द्वारा प्रतिस्थापित (2-6-2007 से प्रभावी)।
5. 2007 के उ० प्र० अधिनियम संख्या 12 द्वारा प्रतिस्थापित (2-6-2007 से प्रभावी)।
6. 2004 के उ० प्र० अधिनियम 1 द्वारा परन्तुकों को अन्त:स्थापित (11-7-2003 से प्रभावी)।

(4) इस अधिनियम द्वारा यथा उपबन्धित के सिवाय, सम्बद्ध महाविद्यालय का प्रबन्ध समिति महाविद्यालय के कार्यकलापों का प्रबन्ध करने और उनका नियंत्रण करने के लिए स्वतन्त्र होगा और उसके अनुरक्षण एवं रख-रखाव के लिए उत्तरदायी होगा एवं उसका प्राचार्य उसके विद्यार्थियों के अनुपालन के लिए और उसके कर्मचारिवृन्द पर अधीक्षक एवं नियंत्रण करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(5) प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय ऐसी रिपोर्टों, विवरणियों और अन्य विशिष्टियों को प्रदान करेगा जिन्हें कार्यपरिषद् अथवा उपकुलपति माँगे।

(6) कार्यपरिषद् प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय का निरीक्षण, उस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा पांच वर्ष से अनधिक के अन्तराल पर समय-समय पर करायेगा और उस निरीक्षण की रिपोर्ट कार्यपरिषद् को दी जायेगी।

(7) कार्यपरिषद् इस प्रकार निरीक्षण किये गये सम्बद्ध महाविद्यालय को ऐसी कार्रवाई करने का निदेश कर सकेगा जो उसे उस अवधि के भीतर, जिसे विहित किया जाये आवश्यक लगे।

(8) ऐसे किसी महाविद्यालय की सम्बद्धता का विशेषाधिकार, जो उपधारा (7) के अधीन कार्यपरिषद् के किसी भी निदेश का अनुपालन करने में विफल हो जाता है अथवा सम्बद्धता की शर्तों का पालन नहीं कर पाता है, उस महाविद्यालय के प्रबन्ध समिति से रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात् और [1][राज्य सरकार] के पूर्व स्वीकृति से, कार्यपरिषद् द्वारा परिनियमों के प्रावधानों के अनुसार वापस लिया जा सकेगा या उसमें कमी की जा सकेगी।

[2][(9) उपधारा (2) एवं (8) में अन्तर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए, यदि सम्बद्ध महाविद्यालय का प्रबन्ध समिति सम्बद्धता की शर्तों का पालन करने में विफल हुआ है तो [1][राज्य सरकार] प्रबन्ध समिति अथवा उपकुलपति से रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात्, सम्बद्धता के विशेषाधिकारों को वापस ले सकेगी अथवा उनमें कमी कर सकेगी]।

[3][(10) इस अधिनियम के अन्य किसी भी प्रावधान में अन्तर्विष्ट प्रतिकूल किसी भी बात के होते हुए, महाविद्यालय, जिसे विनिर्दिष्ट अवधि के लिए विनिर्दिष्ट विषयों में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2003 के प्रारम्भ होने के पूर्व विश्वविद्यालय द्वारा पहले से सम्बद्धता प्रदान की गयी हो, अध्ययन के उस पाठ्यक्रम को जारी करने का हकदार होगा जिसके लिए पहले ही प्रवेश लिए जा चुके हैं लेकिन वह उपधारा (2) के अधीन सम्बद्धता को प्राप्त किये बिना अध्ययन के उस पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश नहीं देगा]।

टिप्पणियाँ

1. संस्था को सम्बद्धता—के लिए आवेदन—विचारण के लिए लम्बित
2. महाविद्यालयों को मान्यता
3. बी० एड० पाठ्यक्रम की सम्बद्धता—राष्ट्रीय शिक्षा शिक्षक परिषद अधिनियम, 1993—धारा 14, 2 (घ) एवं 2 (ण)
4. परीक्षा—राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973, धारा 37 (2)
5. विश्वविद्यालय द्वारा डिग्री कालेज को सम्बद्धता—कुलपति की शक्तियाँ—प्रयोग की व्याप्ति
6. अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी के संकाय की पंजी से नाम का अपसारण—अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अध्यादेश (एकेडेमिक), अध्याय 34 (ङ), खण्ड 14.2—भारत का संविधान, 1950—अनुच्छेद 226

---

1. दिनांक 2 जून, 2007 के उ० प्र० गजट, असाधारण, भाग 2, अनुभाग (क) में प्रकाशित वर्ष 2007 के उ० प्र० अध्यादेश संख्या 5 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. 2007 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 12 द्वारा प्रतिस्थापित (2-6-2007 से प्रभावी)।
3. 2004 के उ० प्र० अधिनियम 1 द्वारा अन्तःस्थापित (11-7-2003 से प्रभावी)।

7. नौकरी का प्रतिषेध नहीं—गोरखपुर विश्वविद्यालय में एल० एल० बी० पाठ्यक्रम

8. प्रवेश—गोरखपुर विश्वविद्यालय में एल० एल० बी० पाठ्यक्रम—विवाद

9. भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956—धारा 10-क एवं धारा 19—उ० प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973—धारा 7, 5, 37 (2) तथा 37 (10)

10. परीक्षा—अनुचित साधनों का प्रयोग—काशी हिन्दू विश्वविद्यालय का परिनियम, परिनियम 1.13.2, 1.13.3, 1.13.4, 1.13.6, 8.13.9 तथा 8.13.10

11. परीक्षा—का रद्दकरण—अनुचित साधनों के प्रयोग के कारण

12. परीक्षा—काशी हिन्दू विश्वविद्यालय अधिनियम, 1915—धारा 11 एवं 18

13. परिणाम की घोषणा—इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रथम परिनियम—अध्यादेश संख्या 9, अध्याय 11, नियम 9—एल० एल० बी० की परीक्षा

14. बी० एड० पाठ्यक्रम में प्रवेश—शैक्षिक संस्था को मान्यता का प्रदान किया जाना—राष्ट्रीय शिक्षा शिक्षक परिषद अधिनियम, 1993—धारा 14, 15, 18, 20 तथा 32—उ० प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973—धारा 37 (2)

15. बी० एड० पाठ्यक्रम में प्रवेश—उ० प्र० राज्य विश्वविद्यालय (सम्बद्ध, सहयुक्त और संघटक महाविद्यालय में शिक्षा में उपाधि हेतु संस्था के पाठ्यक्रमों में प्रवेश का विनियमन आदेश, 1987—अध्याय 11, विनियम 7 (क) एवं (2)

16. एम० एस० सी० पर्यावरण प्रबन्धन पाठ्यक्रम में प्रवेश

17. भारत का संविधान, 1950—अनुच्छेद 226—एम० एफ० ए० दो वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश

18. वैकल्पिक उपचार की उलब्धता—याचिका खारिज

19. सांविधानिक को चुनौती

20. कुलपति को विवाद का निपटारा करने की शक्तियाँ प्राप्त

21. मुस्लिमों द्वारा याचिका दाखिल—ए० एम० यू० अल्पसंख्यकों का विश्वविद्यालय नहीं

22. याची कालेजों को मान्यता

1. संस्था की सम्बद्धता—के लिए आवेदन—विचारण के लिए लम्बित—कतिपय वाद में जहां आवेदक-महाविद्यालय ने इस प्रत्याशा में विद्यार्थियों को प्रवेश दिया था कि उसे मान्यताप्राप्त हो जायेगी लेकिन उसने अपने प्रति शपथ-पत्र में इस तथ्य से इन्कार कर दिया था। ऐसी स्थिति में मामला राज्य सरकार के समक्ष वापस प्रतिप्रेषित किया गया जिससे कि सम्बद्धता के आवेदन के लम्बनकाल के दौरान विद्यार्थियों को प्रवेश देने के बारे में विवादित तथ्य को विनिश्चित किया जा सके और तत्पश्चात् सम्बद्धता के मामले को निपटाया जा सके। *प्रबन्ध समिति, श्री भगवान शिव महाविद्यालय ग्राम उमेदपुर, पोस्ट अम्बरपुर, जिला एटा एवं एक अन्य* बनाम *उ० प्र० राज्य एवं अन्य*, (2009) 3 यू० पी० एल० बी० ई० सी० 2186 (इला०)।

2. महाविद्यालयों को मान्यता—कतिपय वाद में जहां राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन० सी० टी० ई०) ने याची महाविद्यालयों को सत्र 2003-04 के लिए एक वर्ष के बी० एड० पाठ्यक्रम को चलाने के लिए धारा 14 (1) के अधीन मान्यता प्रदान की थी। कुलपति ने इस मान्यता के आधार पर उन महाविद्यालयों की सम्बद्धता का प्रत्युत्तरदाता-विश्वविद्यालय के साथ जोड़े जाने का निदेश किया था उसके शीघ्र पश्चात् "अ' के परिवाद पर, उक्त सत्र के पूर्ण होने के पश्चात् उस सम्बद्धता को वापस ले लिया गया था। "अ" को उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका दाखिल करनी पड़ी जिसके पश्चात् उच्च न्यायालय ने यह निदेशित किया कि मामले पर समुचित प्राधिकारी द्वारा विचार किया जाये, उस निदेश के अनुपालन किया जाये। रजिस्ट्रार द्वारा उस परिवाद में जांच करने के लिए तीस सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। उस समिति ने रजिस्ट्रार को रिपोर्ट दाखिल की थी। उस आधार पर कार्यपरिषद् द्वारा याची-महाविद्यालयों की सम्बद्धता वापस लेने का आदेश पारित किया गया। उच्च न्यायालय द्वारा यह पाया गया था कि सम्बद्धता को वापस लेने का आदेश धारा 37 (2), 37 (7) तथा 37 (8) में यथा उल्लिखित प्रक्रिया का अनुपालन किये बिना ही पारित किया गया था। इसके अतिरिक्त, ऐसा करने के किसी भी कारण को नहीं बताया गया था। इस प्रकार

उच्च न्यायालय ने उस आदेश को अभिखण्डित किया और मामला समुचित प्राधिकारी के समक्ष प्रतिप्रेषित किया। *श्री राम गोविन्द महाविद्यालय हीरापुर (गोपी) अलीगढ़, उ० प्र० एवं एक अन्य* बनाम *उ० प्र० राज्य एवं अन्य*, (2010) 1 यू० पी० एल० बी० ई० सी० 9 (इला०)।

3. बी० एड० पाठ्यक्रम की सम्बद्धता—राष्ट्रीय शिक्षा शिक्षक परिषद् अधिनियम, 1993—धारा 14. 2 (च) एवं 2 (थ)—किसी महाविद्यालय को बी० एड० पाठ्यक्रम के लिए विश्वविद्यालय के साथ सम्बद्धता प्रदान करने की कुलपति को शक्ति प्राप्त है। यदि सम्बन्धित महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तों को पूरा कर देता है तो उसका एक अवधि के लिए प्रयोग किया जा सकता है। यदि उन शर्तों को महाविद्यालय द्वारा पूरा नहीं किया जाता है तो वह अगली अवधि के लिए अग्रेतर मान्यता प्रदान करने से इन्कार करने के लिए स्वतंत्र है। प्रस्तुत वाद में याची महाविद्यालय को राष्ट्रीय शिक्षा शिक्षक परिषद् द्वारा मान्यता प्रदान की गयी थी उसे एक अवधि के लिए अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की गयी थी। उस अवधि के समाप्त होने पर याची महाविद्यालय ने अगली अवधि की मान्यता के लिए प्रार्थना की। अतः उसे यह तर्क करने से विवर्जित किया जाता है कि पूर्वतर सम्बद्धता स्थायी आधार पर थी न कि एक अवधि के लिए। लेकिन सम्बद्धता इन्कार किए जाने के पूर्व याची महाविद्यालय सुनवाई के अवसर का हकदार था। सुनवाई का ऐसा अवसर प्रदान न किये जाने के कारण सम्बद्धता से इन्कारी अभिखण्डित कर दी गयी। याची महाविद्यालय के निवेदन पर नये सिरे से विचार किये जाने का निर्देश किया गया। *आर० एन० कालेज, सामने पाण्डवन मन्दिर, हिस्तनापुर, मेरठ द्वारा सचिव* बनाम *कुलपति, बी० आर० अम्बेडकर विश्वविद्यालय राजभवन, लखनऊ एवं अन्य*, (2006) 1 यू० पी० एल० बी० ई० सी० 1025 (इला०) (एल० बी०)।

4. परीक्षा—राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973—धारा 37 (2)—कतिपय वाद में जहाँ याची संस्था को विश्वविद्यालय द्वारा तीन वर्षों के लिए अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की गयी थी। बाद में उस असम्बद्धता को अग्रेतर तीन वर्षों के लिए विस्तारित किया गया। संस्था में विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया। लेकिन बी० ए० प्रथम वर्ष की परीक्षा को लेने से विश्वविद्यालय ने इस आधार पर इन्कार कर दिया कि संस्था ने इससे पूर्व मांगी गयी कतिपय औपचारिकताओं को पूरा नहीं किया है। रिट दाखिल करने पर विश्वविद्यालय को दो माह के भीतर शैक्षिक सत्र 2003 04 के लिए संस्था से नियमित विद्यार्थियों के सम्बन्ध में बी० ए० प्रथम वर्ष की परीक्षा आयोजित करने का निदेश जारी किया गया। *श्री राधारमण महाविद्यालय, आदर्श विद्यापीठ, रूहीपुर, गाजीपुर* बनाम *उ० प्र० राज्य एवं अन्य*, (2005) 1 यू० बी० एल० जे० सी० 401 (इला०)।

5. विश्वविद्यालय द्वारा डिग्री कालेज को सम्बद्धता—कुलपति की शक्तियाँ—प्रयोग की व्याप्ति—प्रस्तुत वाद में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि किसी विशिष्ट विश्वविद्यालय द्वारा डिग्री कालेज को सम्बद्धता केवल तभी प्रदान की जा सकती है जब वह उसके धारा 5 सपठित अनुसूचित में उल्लिखित क्षेत्र में आता हो। राज्य सरकार द्वारा उस महाविद्यालय को उस सम्बद्धता के लिए कोई भी अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया था, लेकिन इससे अधिक सम्बद्धता वैधकृत नहीं हो सकती है। *(डॉ०) अख्तर रिजवी एजूकेशनल ट्रस्ट, कौशाम्बी* बनाम *उ० प्र० राज्य एवं अन्य*, (2006) 1 यू० पी० एल० बी० ई० सी० 1131 (इला०) (एफ० बी०)।

6. अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी के संकाय की पंजी से नाम का अपसारण—अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अध्यादेश (एकेडेमिक), अध्याय 34 (ङ), खण्ड 14.2—भारत का संविधान, 1950—अनुच्छेद 226—कतिपय वाद में नहीं जहाँ याची बी० टेक पाठ्यक्रम विद्यार्थी, के नाम को अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी के संकाय से अपसारित करने के आदेश को इस आधार पर चुनौती देते हुए रिट याचिका दाखिल की गयी थी कि याची प्रथम वर्ष के प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर परीक्षाओं में खण्ड 14.2 द्वारा निर्धारित न्यूनतम अपेक्षित अंकों को प्राप्त करने में असफल हुआ था। उच्च न्यायालय द्वारा अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता था क्योंकि साम्या भी उसके विरुद्ध है। मात्र यह तथ्य कि प्रथम सेमेस्टर के परिणाम की घोषणा में विलम्ब कारित किया गया था, भी उसकी सहायता नहीं कर सकता है क्योंकि उसे प्रतिष्ठित केन्द्रीय विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हेतु अपेक्षित अंकों के अपेक्षित मानक को उपार्जित करने के लिए अपात्र पाया गया था। अपेक्षित प्रत्ययों को उपार्जित करने के मानक के स्थिरीकरण का नियमों द्वारा स्थापित है और उसकी असाधारण कारणों से प्राविधिक कमियों के लिए भी अनदेखी नहीं की जा सकती है। *मोहम्मद महफूज आलम* बनाम *अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ एवं एक अन्य*, (2006) 1 यू० पी० एल० बी० ई० सी० 166 (इला०)।

7. नौकरी का प्रतिषेध नहीं—गोरखपुर विश्वविद्यालय में एल० एल० बी० पाठ्यक्रम—एल० एल० बी० पाठ्यक्रम में अध्ययन के दौरान किसी भी नौकरी करने से प्रतिषेध नहीं किया गया है। इस प्रकार मात्र यह तथ्य कि एल० एल० बी० का विद्यार्थी यदि किसी नियोजन में प्रवेश करता है तो वह स्वयं को एल० एल० बी० पाठ्यक्रम की पढ़ाई जारी रखने के लिए अनुपयुक्त नहीं कर सकता है। वह अपनी पढ़ाई को जारी रख सकता है और विश्वविद्यालय के समय के पश्चात् कार्य कर सकता है। *दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर एवं अन्य* बनाम *उर्मिला सिंह एवं अन्य*, (2005) 3 यू० पी० एल० बी० ई० सी० 2792 (इला०)।

8. प्रवेश—गोरखपुर विश्वविद्यालय में एल० एल० बी० पाठ्यक्रम—विबन्ध—कतिपय वाद में जहाँ वर्ष 1999-2000 में याची को प्रवेश दिया गया था। वह अपना अध्ययन करता रहा, उसने एल० एल० बी० द्वितीय वर्ष को उत्तीर्ण कर लिया एवं उसे वर्ष 2002-03 में तृतीय वर्ष में प्रवेश दिया गया। ऐसी दशा में, विश्वविद्यालय को विलम्बित प्रक्रम पर उसके प्रवेश को रद्द करने से एवं एल० एल० बी० तृतीय वर्ष के सेमेस्टरों में सम्मिलित होने से रोकने के लिए विबन्धित किया गया। *दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय एवं अन्य* बनाम *उर्मिला सिंह एवं अन्य*, (2005) 3 यू० पी० एल० बी० ई० सी० 2792 (इला०)।

9. भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956—धारा 10-क एवं धारा 19—उ० प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973—धारा 7, 5, 37 (2) तथा 37 (10)—कतिपय वाद में जहाँ याची तुलार्थ न्यास को मेडिकल कालेज, डेण्टल कालेज और फिजियो थिरैपी कालेज से सम्बद्धता थी और विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षाओं को आयोजित नहीं किया गया था तथा परिणामों की घोषणा नहीं की गयी थी। ऐसी दशा में न्यायालय द्वारा रिट याचिका को अनुज्ञात किया गया और यह अभिनिर्धारित किया गया कि चूंकि उक्त महाविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को केन्द्र सरकार से अनुमति एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करने के पश्चात् प्रवेश दिया गया था इसलिए साम्या याची के पक्ष में थी। विश्वविद्यालय प्रत्युत्तरदातागण को यह निदेश किया गया कि वह परीक्षा को आयोजित करे तथा परिणाम को घोषित करे। *सुधारति के० के० बी० चैरिटेबिल ट्रस्ट आदि* बनाम *उ० प्र० राज्य एवं एक अन्य आदि*, (2006) 3 यू० पी० एल० बी० ई० सी० 2978 (इला०)।

10. परीक्षा—अनुचित साधनों का प्रयोग—काशी हिन्दू विश्वविद्यालय का परिनियम, परिनियम 1.13.2, 1.13.3, 1.13.4, 1.13.6, 8.13.9 तथा 8.13.10—कतिपय वाद में जहाँ उड़नदस्ता ने जोमेस्ट्री बाक्स को यह कहते हुए बरामद किया था कि उसके पिछली ओर कुछ नकल को सामग्री लिखी गयी थी। जबकि याची बी० ए० भाग तृतीय के परीक्षा के भूगोल के प्रश्न को हल कर रहा था। बाद में परीक्षा जिसमें याची भी सम्मिलित हुआ था और जिसमें उसका भविष्य में वर्तमान परीक्षा में सम्मिलित होना संभाव्य था, रद्द कर दी गयी। याची को सुनवायी का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया था। उसके विरुद्ध रिट याचिका दाखिल की गयी। रिट याचिका को अनुज्ञात की गयी। यह अभिनिर्धारित किया गया कि चूंकि अनुचित साधन समिति न्यायिक कल्प निकाय/प्राधिकारी है, इसलिए वह याची को सुनवायी का अवसर प्रदान करने एवं अपने विनिश्चयों के समर्थन में कारणों को बताने के लिए बाध्य थी और चूंकि सुनवायी का कोई भी अवसर प्रदान नहीं किया गया था और कारण नहीं बताये गये थे, इसलिए आक्षेपित आदेश अपास्त किये जाने के लिए दायी है और उसे तदनुसार अपास्त किया जाता है। प्रत्युत्तरदातागण को यह निर्देशित किया जाता है कि वे याची के परिणामों को घोषित करे। *अमित आनन्द सिंह* बनाम *उपकुलपति, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी एवं अन्य*, (2007) 1 यू० पी० एल० बी० ई० सी० (सम०) 9 (इला०)।

11. परीक्षा—का रद्दकरण—अनुचित साधनों के प्रयोग के कारण—जहाँ कतिपय वाद में अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए बी० ए० द्वितीय वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित होते समय, याची ने अपनी उत्तर पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ पर पेंसिल से कुछ रफ कार्य को किया था। उसे अनुचित साधन का प्रयोग मानते हुए याची की वर्ष 2002 की परीक्षा को रद्द कर दिया गया था और उसे वर्ष 2003 की परीक्षा से प्रतिबन्धित किया गया था। रिट दाखिल किये जाने पर न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि उक्त लिखावट को अप्राधिकृत सामग्री नहीं माना जा सकता है, इस प्रकार याची के परिणाम रद्दकरण और उसे 2003 की परीक्षा से प्रतिबन्धित करना पूर्णतः अनुचित माना गया। *शिवसेवक पाण्डेय* बनाम *उपकुलपति, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद एवं अन्य*, (2003) 4 यू० पी० एल० बी० ई० सी० 3619 (इला०)।

12. परीक्षा—काशी हिन्दू विश्वविद्यालय अधिनियम, 1915—धारा 11 एवं 18—कतिपय वाद में, अभ्यर्थी हेतु परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए उपस्थिति कम थी। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि विश्वविद्यालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह किसी भी विद्यार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने से अवरुद्ध कर दे बशर्ते उसकी उपस्थिति अपेक्षित प्रतिशत से कम हो। लेकिन यदि विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया हो तो विश्वविद्यालय उन्हें एकपक्षीय ढंग से, उन्हें सुने जाने का अवसर प्रदान किये बिना शेष प्रश्न-पत्रों में सम्मिलित होने से अवरुद्ध नहीं कर सकता है एवं यह समझा जायेगा कि विश्वविद्यालय ने उपस्थिति की कमी को माफ कर दिया है। *अमरेश कुमार चौधरी* बनाम *काशी हिन्दू विश्वविद्यालय एवं अन्य,* (2006) 3 यू० पी० एल० बी० ई० सी० 2404 (इला०)।

13. परिणाम की घोषणा—इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रथम परिनियम—अध्यादेश संख्या 9, अध्याय 11, नियम 9—एल० एल० बी० की परीक्षा—अभ्यर्थी को प्रत्येक विषय में कम से कम 36 प्रतिशत और कुल मिलाकर 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करने अनिवार्य हैं। याची ने एल० एल० बी० प्रथम वर्ष की परीक्षा में सांवैधानिक विधि में केवल 32 प्रतिशत अंक ही प्राप्त किये थे। याची के कुल मिलाकर 45 प्रतिशत से कम था। उसे एल० एल० बी० द्वितीय वर्ष में गलत ढंग से प्रोन्नत किया गया। वह लगातार अध्ययन करता रहा। वह एल० एल० बी० तृतीय वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ। लेकिन परिणाम उच्च न्यायालय द्वारा वाद के विनिश्चय के अध्यधीन होना था। एल० एल० बी० प्रथम वर्ष का परिणाम बाद में पूर्व घोषणा को उपान्तरित करते हुए असफल घोषित कर दिया गया। प्रश्न उठा कि क्या वचन विबन्ध विधि के वैधानिक प्रावधानों को अकृत करने के लिए भी लागू होगा? यह अभिनिर्धारित किया गया कि वचन विबन्ध का कोई भी सिद्धान्त विधि के वैधानिक प्रावधान को अकृत बनाने के लिए लागू नहीं हो सकता है। एल० एल० बी० प्रथम वर्ष की परीक्षा के परिणाम को उसे उपान्तरित करके घोषित किया गया और वैधानिक विधि के अनुसार अभ्यर्थी को अनुत्तीर्ण घोषित किया गया। *उपकुलपति, इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं एक अन्य* बनाम *सोम प्रकाश रत्नाकर एवं एक अन्य,* (2001) 3 यू० पी० एल० बी० ई० सी० 1984 (इला०)।

14. बी० एड० पाठ्यक्रम में प्रवेश—शैक्षिक संस्था को मान्यता का प्रदान किया जाना—राष्ट्रीय शिक्षा शिक्षक परिषद् अधिनियम, 1993—धारा 14, 15, 18, 20 तथा 32—उ० प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973—धारा 97 (2)—जहाँ कतिपय वाद में किसी संस्था ने बी० एड० पाठ्यक्रम की मान्यता के लिए आवेदन किया था और उस आवेदन को क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा नामंजूर कर दिया गया था और नामंजूरी के विरुद्ध दाखिल की गयी अपील को खारिज कर दिया गया था, तो उस संस्था में प्रवेश केवल तभी दिया जा सकता है जब राष्ट्रीय शिक्षा शिक्षक परिषद् द्वारा अनुमति प्रदान की गयी है, मात्र इसलिए कि राज्य सरकार ने अनापत्ति जारी की थी और आदेश को विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 37 (2) के अधीन पारित किया गया था, उसे कमजोर बनाये जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। चूंकि सत्र 1996-97 तथा 97-98 के लिए आवेदनों को समय पर समावेदित नहीं किया गया था, इसलिए क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा आवेदन की नामंजूरी तथा अपील की खारिजी समुचित नहीं थी और ये आदेश अन्तिम हो गये थे। चूंकि याचीगण ने गैर-मान्यता प्राप्त संस्था से बी० एड० की उपाधि प्राप्त की है, इसलिए न्यायालय अधिनियम के प्रावधानों के तथा शिक्षा के मानकों के महत्व को कम नहीं कर सकता है। रिट याचिका खारिज कर दी गयी। *राजीव कुमार* बनाम *उ० प्र० राज्य एवं एक अन्य,* (2007) 3 यू० पी० एल० बी० ई० सी० 2855 (इला०)।

15. बी० एड० पाठ्यक्रम में प्रवेश—उ० प्र० राज्य विश्वविद्यालय (सम्बद्ध, सहयुक्त और संघटक महाविद्यालय में शिक्षा में उपाधि हेतु संस्था के पाठ्यक्रमों में प्रवेश का विनियमन आदेश, 1987—अध्याय 11, विनियम 7 (क) एवं (2)—जहाँ संस्था को बी० एड० पाठ्यक्रम में शिक्षा प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था, जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम है, तो इस बात का विवाद नहीं किया जा सकता है कि किसी व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए मेरिट सदैव महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। किसी विद्यार्थी की मेरिट का अवधारण या तो अर्हकारी परीक्षा में प्राप्त अंकों द्वारा या प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा के आधार पर व्यावसायिक संस्था में प्रवेश हेतु अवधारित किया जा सकता है लेकिन कठिनाई उस समय उत्पन्न होती है जब सूचियों को विश्वविद्यालय द्वारा निजी संस्थाओं को प्रवेश हेतु प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा के आधार पर भेजा जाता है और विद्यार्थी प्रवेश लेने के लिए लौटकर नहीं आते हैं तो इसके परिणामस्वरूप स्थान रिक्त हो जाते

हैं ऐसी दशा में यह प्रतिवाद नहीं किया जा सकता है कि निजी व्यावसायिक संस्थाएँ ढांचागत आधार, नियुक्ति स्टाफ और अध्यापकों आदि में भारी व्यय के साथ स्थापित की गयी हैं यदि स्थान इस प्रकार रिक्त छोड़ दिये जायें तो संस्था को भारी हानि उठानी पड़ेगी।

दिनांक 14-2-1999 के शासनादेश से यह स्पष्ट हो जाता है कि गैर-सहायता प्राप्त निजी महाविद्यालयों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आधार पर तैयार की गयी मेरिट सूची से ही स्थानों को ही भरें तथापि, यदि स्थान नहीं भर जाते हैं तो महाविद्यालयों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे उन रिक्तियों के बारे में सूचित करें और द्वितीय सूची मांगे यदि विश्वविद्यालय द्वारा एक सप्ताह के भीतर अन्य सूची प्रदान की जाती है तो विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित सूची के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा अन्यथा रिक्त स्थानों को निजी महाविद्यालयों द्वारा स्वयंमेव ही भर लिया जायेगा।

इस बाद में प्रत्युत्तरदातागण द्वारा पारित दिनांक 14-6-2002 के आदेश को अभिखण्डित कर दिया गया। प्रत्युत्तरदातागण को यह निदेशित किया गया कि वे सत्र 2002-03 में बी० एड० पाठ्यक्रम में याची द्वारा किये गये विद्यार्थियों के प्रवेश को नियमित मानें तथा उन विद्यार्थियों के परिणाम को प्रत्युत्तरदाता सं० 2 के समक्ष इस आदेश की प्रमाणित प्रति के पेश किये जाने की तारीख से एक माह के भीतर घोषित करें। *आर्यन इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेन्ट एण्ड कम्प्यूटर स्टडीज, आगरा बनाम उपकुलपति, डा० बी० आर० अम्बेडकर विश्वविद्यालय (लोकप्रिय रूप में आगरा विश्वविद्यालय), आगरा तथा एक अन्य,* (2004) 2 यू० पी० एल० बी० ई० सी० 1603 (इला०)।

16. एम० एस० सी० पर्यावरण प्रबन्धन पाठ्यक्रम में प्रवेश— जहाँ एम० एस० सी० पर्यावरण प्रबन्धन पाठ्यक्रम में प्रवेश से सम्बन्धित वाद में, पात्रता केवल बी० एस० सी० ही थी तो ऐसी दशा में अपीलार्थी को प्रवेश से इस आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता है कि अभ्यर्थी ने दो वर्षीय पाठ्यक्रम को करते हुए बी० एस० सी० की उपाधि प्राप्त की थी अपीलार्थी ने तत्काल याचिका दाखिल की। तो ऐसी दशा में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि उच्च न्यायालय को याचिका अनुज्ञात करनी चाहिए थी। अपीलार्थी को अगले सत्रों में प्रवेश दिये जाने का निदेश किया गया। *सदानन्द मिश्रा* बनाम *फारेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट,* (2002) 1 यू० पी० एल० बी० ई० सी० 922 (एस० सी०)।

17. भारत का संविधान, 1950—अनुच्छेद 226—एम० एफ० ए० दो वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश— जहाँ कतिपय वाद में अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी के दो वर्षीय एम० एफ० ए० के पाठ्यक्रम में प्रवेश के विवाद में, याची से कहा गया था कि वह विनिर्दिष्ट तारीख एवं समय पर चेयरमैन के कार्यालय में प्रवेश समिति के समक्ष प्रस्तुत हो लेकिन वह कतिपय कारणों से एक दिन विलम्ब से प्रस्तुत हुई तो ऐसी दशा में उसे प्रवेश से वंचित कर दिया गया, ऐसी दशा में उच्च न्यायालय रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए प्रवेश समिति के समक्ष प्रस्तुत होने में विलम्ब के कारणों की पर्याप्तता की जांच नहीं कर सकता है। *कविता यादव* बनाम *अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ एवं अन्य,* (2005) 1 यू० पी० एल० बी० ई० सी० 988 (इला०)।

18. वैकल्पिक उपचार की उपलब्धता—याचिका खारिज— जहाँ कतिपय वाद में ऐसे आदेश के विरुद्ध याचिका दाखिल की गयी थी जिसके विरुद्ध पहले से वैकल्पिक उपचार उपलब्ध था तो ऐसी दशा में याचिका को खारिज किया जा सकता है भले ही रिट याचिका को ग्रहण किया जा चुका हो तथा पक्षकारों के मध्य शपथ-पत्रों का विनिमय हुआ हो। प्रस्तुत याचिका में धारा 68 के अधीन आक्षेपित आदेश के विरुद्ध वैकल्पिक उपचार उपलब्ध था। अतः वैकल्पिक उपचार की उपलब्धता के आधार पर याचिका खारिज कर दी गयी ऐसा कोई पूर्ण नियम अथवा विधि का सिद्धान्त नहीं है जो उच्च न्यायालय को वैकल्पिक उपचार के आधार पर रिट याचिका खारिज करने से विवर्जित करता हो। *(डॉ०) मानवेन्द्र मिश्रा* बनाम *गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर एवं अन्य,* (2000) 1 यू० पी० एल० बी० ई० सी० 702 (इला०)।

19. सांविधानिक को चुनौती—अनुच्छेद 226, अधिनियम की धारा 12 (2) (ग)— जहाँ याची इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अध्यापकों का एसोसिएशन है। उसका प्रत्येक सदस्य विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किये जाने वाली विभिन्न शाखाओं में प्रवेश दिये गये विद्यार्थी समुदाय को शिक्षित करने के कार्य में लगा हुआ है। निश्चित रूप से वे शैक्षिक कार्यों में लगे हुए हैं जो विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्य है। यह शैक्षिक कार्यकलाप कुलपति के नेतृत्व में गठित, विनियमित किया जाता है और उसे प्रोन्नत किया जाता है। इसलिए लाभप्रद ढंग से यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रवक्ताओं का याचीगण का संगठन किसी भी प्रकार से उपकुलपति के चयन में हितबद्ध नहीं है अथवा उससे सम्बन्धित नहीं है। अतः याचीगण को

याचिका लाने की वैध प्रास्थिति प्राप्त है। *इलाहाबाद युनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन, इलाहाबाद* बनाम *कुलपति, उ० प्र० राज्य विश्वविद्यालय, लखनऊ एवं एक अन्य,* (2000) 1 यू० पी० एस० बी० ई० सी० 350 (इला०)।

20. कुलपति को विवाद का निपटारा करने की शक्तियाँ प्राप्त— कुलपति को अधिनियम, 1973 के अधीन विवादक को विनिश्चित करने की सभी शक्तियाँ प्राप्त हैं तथा याची ने अधिनियम के अधीन उपबन्धित वैधानिक उपचार को समाप्त किये बिना इस न्यायालय से उपागम किया है। वाद ऐसी कोई विशेष बातें को प्रस्तुत नहीं करता है जिनके कारण इस वाद में सामान्य नियम के प्रति उसे अपवाद बनाते हुए किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता हो कि पक्षकार को इस न्यायालय से निवेदन करने के पूर्व वैधानिक उपचार को समाप्त करना होगा। *(डॉ०) सुभाष चन्द्र अग्रवाल* बनाम *उपकुलपति, छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर एवं एक अन्य,* (2003) 4 यू० पी० एल० बी० ई० सी० 3550 (इला०)।

21. मुस्लिमों द्वारा याचिका दाखिल—ए० एम० यू० अल्पसंख्यकों का विश्वविद्यालय नहीं—मुस्लिम द्वारा रिट याचिका दाखिल की गयी थी जिसके द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यकों का विश्वविद्यालय न होना पाया था। यह अभिवाक् लिया गया था कि उस रिट याचिका में याची पक्षकार नहीं था। इसलिए उस रिट याचिका का विनिश्चय प्रभावित नहीं हुआ था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने उस वाद में न तो अभियोजन आवेदन दाखिल किया न ही पुनर्विलोकन याचिका दाखिल करके उस विनिश्चिय को चुनौती दी। वह विनिश्चय अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर आबद्धकर है। *(डॉ०) नरेश अग्रवाल* बनाम *भारत संघ,* (2005) 3 यू० पी० एल० बी० ई०सी० 2248 (इला०)।

22. याची कालेजों को मान्यता—जहां कतिपय वाद में याची कालेजों को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन० सी० टी० ई०) द्वारा वर्ष 2003-04 के लिए एन० सी० टी० ई० अधिनियम, 1993 की धारा 14 (1) के अधीन एक वर्षीय बी० एड० पाठ्यक्रम को चलाने के लिए मान्यता प्रदान की गयी थी, कुलपति ने उसके आधार पर याची कालेजों की प्रत्युत्तरदाता विश्वविद्यालय के साथ सम्बद्धता का निदेश किया। लेकिन "क" के परिवाद पर उसके शीघ्र पश्चात्, यह सम्बद्धता उक्त सत्र के समाप्त होने के पश्चात् वापस ले ली गयी। उच्च न्यायालय में "क" द्वारा जनहित याचिका दाखिल की गयी जिसमें उच्च न्यायालय ने यह निर्देशित किया कि परिवाद के मामले पर किसी समुचित प्राधिकारी द्वारा विचार किया जाये। उस निदेश के अनुपालन में विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार द्वारा परिवाद की जांच करने के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया। इस समिति ने रजिस्ट्रार के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उस रिपोर्ट के आधार पर कार्यपरिषद् द्वारा सम्बद्धता को वापस लेने का आदेश पारित किया गया। उच्च न्यायालय ने यह पाया कि याची कालेज की सम्बद्धता के वापस लिए जाने का आदेश उ० प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 37 (2), 37 (7) एवं 37 (8) में अन्तर्विष्ट सुसंगत प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया था और उसके कोई कारण भी नहीं बताये गये थे। उच्च न्यायालय ने उस आदेश को अभिखण्डित कर दिया और मामला समुचित प्राधिकारी के समक्ष प्रतिप्रेषित किया— *श्री राधा गोविन्द महाविद्यालय, होरापुर (गोपी), अलीगढ़, उ० प्र० एवं अन्य* बनाम *उ० प्र० राज्य एवं अन्य,* (2010) 1 यू० पी० एल० बी० ई० सी० 9।

38. सहयुक्त महाविद्यालय—[1]["(1) यह धारा लखनऊ विश्वविद्यालय के लिए लागू होगी।"

(2) सहयुक्त महाविद्यालय वो महाविद्यालय होंगे जिन्हें परिनियमों द्वारा बताया जाये।

(3) सहयुक्त महाविद्यालय के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह किसी अन्य सहयुक्त महाविद्यालय अथवा महाविद्यालयों के साथ या विश्वविद्यालय के साथ अध्यापन कार्य में सहयोग के लिए प्रबन्ध करे।

(4) सहयुक्त महाविद्यालय की मान्यता की शर्तों को परिनियमों द्वारा विहित अथवा कार्यपरिषद् द्वारा अधिरोपित किया जायेगा, लेकिन कोई भी सहयुक्त महाविद्यालय, [2][राज्य सरकार] के पूर्वानुमोदन के सिवाय, स्नातकोत्तर उपाधियों के लिए शिक्षा प्रदान करने के लिए प्राधिकृत नहीं किया जायेगा :

---

1. दिनांक 24 अक्टूबर, 2006 के उ० प्र० गजट, असाधारण भाग 1, अनुभाग (क) में प्रकाशित वर्ष 2006 के उ० प्र० अधिनियम संख्या 28 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. दिनांक 2 जून, 2007 के उ० प्र० गजट, असाधारण, भाग 1, अनुभाग (क) में प्रकाशित वर्ष 2007 के उ० प्र० अध्यादेश संख्या 12 द्वारा प्रतिस्थापित (2-6-2007 से प्रभावी)।

परन्तु यह कि यदि सहयुक्त महाविद्यालय को स्नातकोत्तर उपाधियों के लिए शिक्षा प्रदान करने की मान्यता नामंजूर कर दी जाती है, तो वह महाविद्यालय [1][राज्य सरकार] के अनुमोदन से धारा 37 में, धारा 5 में किसी भी बात के होते हुए, निर्दिष्ट विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता प्रदान की जा सकेगी और तत्पश्चात् उस महाविद्यालय का सहयुक्त महाविद्यालय होना बन्द हो जायेगा।

(5) इस अधिनियम द्वारा यथा उपबंधित के सिवाय, सहयुक्त महाविद्यालय का प्रबन्ध समिति उस महाविद्यालय के कार्यकलापों का प्रबन्ध करने और उन्हें नियंत्रित करने के लिए स्वतन्त्र होगा एवं उसके अनुरक्षण तथा रख-रखाव के लिए उत्तरदायी होगा। ऐसे महाविद्यालय का प्राचार्य उसके विद्यार्थियों के अनुशासन के लिए और उसके कर्मचारिवृन्द पर अधीक्षण एवं नियंत्रण करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(6) कार्यपरिषद् प्रत्येक सहयुक्त महाविद्यालय का उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किये गये एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा तीन वर्ष से अनधिक के अन्तराल पर समय-समय पर निरीक्षण करवायेगा और निरीक्षण की रिपोर्ट कार्यपरिषद् को दी जायेगी।

(7) सहयुक्त महाविद्यालय की मान्यता को [2][राज्य सरकार] की पूर्व स्वीकृति से कार्यपरिषद् द्वारा वापस लिया जा सकेगा बशर्ते उसका प्रबन्ध समिति द्वारा प्रदान किये गये किसी भी स्पष्टीकरण पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो जाये कि उसका उसको मान्यता की शर्तों को पूरा करना बन्द हो गया है अथवा यह कि वह इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों के पालन में अथवा कार्यपरिषद् द्वारा बताये गये अपने कार्य में किसी भी दोष को दूर करने में अभी भी व्यतिक्रम कारित कर रहा है।

[3][(8) इस धारा में अथवा धारा 5 में कही गयी किसी भी बात के होते हुए, किसी भी विश्वविद्यालय के उस क्षेत्र में अवस्थित किसी भी सहयुक्त महाविद्यालय के लिए जिसके लिए यह धारा लागू होती है, ऐसी शर्तों से अध्यधीन, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त जारी किया जा सकेगा, किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा जिसके लिए धारा 37 लागू होती है, सम्बद्धता के विशेषाधिकार प्रदान किये जा सकेंगे।]

39. प्रबन्ध समिति की सदस्यता के लिए अनर्हता—कोई व्यक्ति सम्बद्ध अथवा सहयुक्त महाविद्यालय (राज्य सरकार द्वारा या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अपवर्जित रूप से पोषित महाविद्यालय को छोड़कर) के प्रबन्ध समिति के सदस्य के रूप में चुने जाने और सदस्य बनने के लिए अनर्हित होगा यदि वह या उसका रिश्तेदार उस महाविद्यालय किसी कार्य के लिए या उस महाविद्यालय के लिए किसी पारिश्रमिक को अथवा उस महाविद्यालय को माल के प्रदाय के लिए या किसी कार्य के निष्पादन के लिए किसी भी संविदा को स्वीकार कर लेता है :

परन्तु यह कि इस धारा में कही गयी कोई भी बात उस रूप में अध्यापक द्वारा किसी भी पारिश्रमिक के स्वीकार किये जाने के लिए अथवा उस महाविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षा के सम्बन्ध में संपादित किसी भी कर्तव्य के लिए अथवा उस महाविद्यालय के प्रशिक्षण इकाई के अथवा छात्र निवास या छात्रावास के अधीक्षक अथवा वार्डेन के रूप में या प्राक्टर अथवा ट्यूटर के रूप में किन्हीं कर्तव्यों के लिए अथवा उस महाविद्यालय के सम्बन्ध में किसी प्रकृति के किन्हीं कर्तव्यों के सम्बन्ध में किसी भी पारिश्रमिक को स्वीकार कर लेता है।

स्पष्टीकरण—पद "रिश्तेदार" का वही अर्थ होगा जो उसे धारा 20 के स्पष्टीकरण में प्रदान किया गया है।

---

1. दिनांक 2 जून, 2007 के उ० प्र० गजट, असाधारण, भाग 1, अनुभाग (क) में प्रकाशित वर्ष 2007 के उ० प्र० अध्यादेश संख्या 12 द्वारा प्रतिस्थापित (2-6-2007 से प्रभावी)।
2. 2007 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 12 द्वारा प्रतिस्थापित (2-6-2007 से प्रभावी)।
3. 1987 के उ० प्र० अधिनियम संख्या 29 द्वारा प्रतिस्थापित।

40. सम्बद्ध और सहयुक्त महाविद्यालयों का निरीक्षण आदि—राज्य सरकार को किसी भी सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय जिसमें, प्रयोगशालाएँ तथा उसके उपकरण सम्मिलित हैं और उसके द्वारा संचालित परीक्षाओं, अथवा किये गये शिक्षण एवं अन्य कार्य का भी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जिन्हें वह निर्देशित करे, निरीक्षण कराने अथवा उस महाविद्यालय के प्रशासन अथवा वित्त के सम्बन्ध में किसी भी मामले के सम्बन्ध में जांच कराने का अधिकार प्राप्त होगा।

(2) जहाँ राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण या जांच कराने का निर्णय लेती है, तो वह उसके प्रबन्ध समिति को और प्रबन्ध समिति द्वारा नियुक्त किये गये प्रतिनिधि को सूचित करेगी और जहाँ प्रबन्ध समिति किसी प्रतिनिधि को नियुक्त करने में विफल होता है, तो उस महाविद्यालय का प्राचार्य ऐसे निरीक्षण अथवा जाँच के समय उपस्थित हो सकेगा और उसे प्रबन्ध समिति की ओर से सुने जाने का अधिकार प्राप्त होगा, लेकिन कोई भी विधि व्यवसायी उस निरीक्षण या जाँच में महाविद्यालय की ओर से उपसंजात नहीं होगा, अभिवचन या कार्य नहीं करेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण या जाँच करने के लिए नियुक्त व्यक्ति या व्यक्तियों को शपथ पर साक्ष्य लेने के और साक्षियों की उपस्थिति कराने एवं दस्तावेजों और तात्विक वस्तुओं को पेश करने के लिए विवश करने के प्रयोजनार्थ सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन वाद के विषय में विचार करते समय सिविल न्यायालय की सभी शक्तियाँ प्राप्त होंगी और उसका दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898[1] की धारा 480 और 482 की अर्थव्याप्ति में सिविल न्यायालय होना समझा जायेगा और उसके अथवा उसके समक्ष किसी भी भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193 एवं 228 की अर्थव्याप्ति में न्यायिक कार्यवाही का कार्यवाही होना समझा जायेगा।

(4) राज्य सरकार प्रबन्ध समिति को उस निरीक्षण या जांच के परिणाम की संसूचित कर सकेगी और वह कार्यवाही किये जाने के बारे में निदेश जारी कर सकेगी एवं प्रबन्ध समिति उन निदेशों का अविलम्ब पालन करेगा।

(5) राज्य सरकार उपकुलपति को उपधारा (4) के अधीन प्रबन्ध समिति को उसके द्वारा की गयी किसी भी संसूचना के बारे में सूचित करेगा।

(6) राज्य सरकार किसी भी समय उस निरीक्षण या जांच के सम्बन्ध में सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के प्रबन्ध समिति अथवा प्राचार्य से किसी भी सूचना को मांग सकेगी।

41. संघटक महाविद्यालय—(1) संघटक महाविद्यालय वो महाविद्यालय होंगे जिन्हें परिनियमों द्वारा बताया जा सकेगा।

(2) संघटक महाविद्यालय का प्राचार्य महाविद्यालय में नामांकित विद्यार्थियों के अनुशासन के लिए उत्तरदायी होगा और उसका महाविद्यालय की आवंटित लिपिक वर्गीय तथा अवर कर्मचारिवृन्द पर सामान्य नियंत्रण प्राप्त होगा। वह ऐसी अन्य व्यक्तियों का प्रयोग करेगा जिन्हें परिनियमों द्वारा विहित किया जाये।

42. स्वायत्तशासी महाविद्यालय—(1) विश्वविद्यालय ऐसे सम्बद्ध अथवा सहयुक्त महाविद्यालय को जो उस निमित्त निर्धारित शर्तों की पूर्ति करता है, निर्धारित रीति से उस महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अध्ययन के पाठ्यक्रमों में परिवर्तन करने और इस प्रकार परिवर्तित किये गये पाठ्यक्रमों में परीक्षा को आयोजित कराने के विशेषाधिकारों को प्रदान कर सकेगा।

(2) वह सीमा, जहाँ तक उस महाविद्यालय द्वारा पाठ्यक्रमों में परिवर्तन किया जाये और वह रीति जिसमें परीक्षा को आयोजित किया जाये, का अवधारण प्रत्येक वाद में विश्वविद्यालय द्वारा किया जा सकेगा।

---

1. अब, द० प्र० सं० 1973 (1974 का 2)।

(3) ऐसे महाविद्यालय को निर्धारित रीति से स्वायत्तशासी महाविद्यालय के रूप में घोषित किया जायेगा।

43. **श्रमजीवी महाविद्यालय**—(1) विश्वविद्यालय ऐसी शर्तों के अधीन जिन्हें विहित किया जाये, किसी सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय को, उन व्यक्तियों को उपाधियों के पाठ्यक्रमों को प्रदान करने के प्रयोजनार्थ जो अन्यथा ऐसे पाठ्यक्रमों में प्रवेश के पात्र हैं, और जो व्यवसाय व्यापार, कृषि या उद्योग में लगे होने या सेवा के अन्य किसी भी रूप में नियोजित होने के कारण पूर्णकालिक विद्यार्थियों के रूप में नामांकित होने में असमर्थ हो सकते हैं, मान्यता प्रदान कर सकेगा।

(2) उन विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम ऐसी अवधि तक विस्तारित होगा जो अन्य विद्यार्थियों के लिए उन पाठ्यक्रमों के लिए निर्धारित अवधि के डेढ़ गुना से कम नहीं होगी।

(3) ऐसे प्रत्येक पाठ्यक्रम को पृथक् रूप से आयोजित किया जायेगा।

44. **संस्थाएँ**—विश्वविद्यालय किसी भी विषय में अध्यापन और अनुसंधान को आयोजित तथा संचालित करने के लिए एक या अधिक संस्थाओं को स्थापित कर सकेगा।

अध्याय 8

प्रवेश और परीक्षाएँ

45. **विद्यार्थियों का प्रवेश**—(1) कोई भी विद्यार्थी उपाधि के अध्ययन के पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश हेतु पात्र तब तक नहीं होगा जब तक कि, उसने—

(क) निम्न को उत्तीर्ण न किया हो—

(i) उ० प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद् की हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि द्वारा समाविष्ट किसी भी विश्वविद्यालय या परिषद् की परीक्षा; अथवा

(ii) किसी अन्य विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त कोई भी परीक्षा या उपाधि जो उस विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त परीक्षा या उपाधि ऐसी है जो इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा विश्वविद्यालय की उपाधि के समकक्ष है।

(ख) उसके पास ऐसी अतिरिक्त अर्हता, यदि कोई हो, है जिसे अध्यादेशों में विनिर्दिष्ट किया जा सकेगा :

परन्तु यह कि विश्वविद्यालय अध्यादेशों द्वारा ललित कलाओं में उपाधि के लिए प्रवेश हेतु किसी कम अर्हताओं को विहित कर सकेगा।

(2) वो शर्तें, जिनके अधीन विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जा सकेगा, अध्यादेशों द्वारा विहित की जायेगी।

(3) विश्वविद्यालय को (किसी उपाधि के अध्ययन के पाठ्यक्रम में प्रवेश के प्रयोजनों के लिए) किसी अन्य विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त किसी भी उपाधि को अपनी निजी उपाधि के समकक्ष मानकर अथवा, किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा संचालित किसी भी परीक्षा को किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय की इण्टरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष मानकर मान्यता प्रदान करने की शक्ति प्राप्त होगी।

(4) कोई भी विद्यार्थी, जिसका कार्य अथवा आचरण असंतोषजनक है, विश्वविद्यालय या संस्था या संघटक महाविद्यालय या सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय से अध्यादेशों के प्रावधानों के अनुसार अपसारित किया जा सकेगा।

46. **महाविद्यालय में प्रवेश हेतु किसी भी दान, आदि को लेने पर प्रतिबन्ध**—सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के प्रबन्ध समिति से सम्बद्ध कोई भी व्यक्ति और उसके कोई भी प्राचार्य या अन्य अध्यापक अथवा अन्य कर्मचारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अध्यादेश में निर्दिष्ट दरों पर शुल्क के सिवाय, किसी भी

विद्यार्थी से या उसकी ओर से [1][उस महाविद्यालय में उसे प्रवेश प्रदान करने अथवा उस प्रवेश के पश्चात् उसे उसमें बने रहने की शर्त के रूप में], या तो नगद या वस्तु के रूप में कोई भी योगदान, दान, फीसों या अन्य किसी भी प्रकार के संदाय को नहीं लेगा या प्राप्त नहीं करेगा अथवा न संदाय प्राप्त करायेगा या न करायेगा।

[2][46-क. महाविद्यालयों के लिए योगदान एवं दान—जहाँ राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अपवर्ती रूप से पोषित किसी सम्बद्ध अथवा सहयुक्त महाविद्यालय द्वारा नगद या वस्तु के रूप में कोई योगदान अथवा दान को लिया जाता है या प्राप्त किया जाता है तो वहाँ इस प्रकार प्राप्त किए गए अन्य दान अथवा दान का प्रयोग केवल उस प्रयोजनार्थ ही किया जाएगा जिसके लिए उसे दिया गया था और राज्य सरकार द्वारा अपवर्जी रूप से पोषित महाविद्यालय की दशा में कोई भी नगद योगदान या दान उस संस्था के निजी लेजर खाते में धनी किया जायेगा जिसे राज्य सरकार के सामान्य अथवा विशेष आदेशों के अनुसार संचालित किया जायेगा।]

47. विश्वविद्यालय के छात्र निवास, छात्रावास और डेलीगेसी—(1) यह धारा लखनऊ, [3][* * *] गोरखपुर और ऐसे अन्य विश्वविद्यालय के लिए लागू होगी जिसे राज्य सरकार अधिसूचना के माध्यम से विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

(2) विश्वविद्यालय के छात्र निवास और छात्रावास होंगे—

(क) जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा पोषित और परिनियमों में बताया गया हो;

(ख) जिन्हें कार्यपरिषद् द्वारा ऐसी सामान्य अथवा विशेष शर्तों पर मान्यता प्रदान की गयी हो जो अध्यादेशों द्वारा प्रदान की जा सकेगी।

(3) छात्र निवासों और छात्रावासों के वार्डेन तथा अन्य कर्मचारिवृन्द अध्यादेशों द्वारा उपबन्धित रीति से नियुक्त किये जायेंगे।

(4) कार्यपरिषद् को किसी छात्र निवास अथवा छात्रावास की मान्यता को निलम्बित करने अथवा उसे वापस लेने की शक्ति प्राप्त होगी जिसे उपधारा (2) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार पोषित न किया गया हो :

परन्तु यह कि ऐसी कोई भी कार्रवाई प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध अन्यावेदन करने का उस छात्र निवास अथवा छात्रावास के प्रबन्ध समिति को अवसर प्रदान किए बिना नहीं की जायेगी।

(5) किसी भी संघटक महाविद्याल या छात्र निवास की देख-रेख में या उसके तहत निवास न करने वाले विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के निवास, स्वास्थ्य एवं कल्याण के सम्बन्ध में प्रबन्धों का पर्यवेक्षण करने के लिए डेलीगेसी होगी। उस डेलीगेसी का गठन, शक्ति एवं कर्तव्य परिनियमों द्वारा विहित किये जायेंगे।

48. परीक्षाएँ—इस अधिनियम एवं परिनियमों के प्रावधानों के अध्यधीन, परीक्षा समिति परीक्षाओं के संचालन के लिए प्रबन्धों का निदेश कर सकेगी।

टिप्पणी

नये सिरे से परीक्षाएँ—कतिपय वाद में उन विद्यार्थियों के लिए नये सिरे से परीक्षा हेतु रिट याचिका दाखिल की गयी थी जिन्हें आदेश की प्रमाणित प्रति के प्रस्तुत किये जाने की तारीख से एक माह के भीतर वर्ष 2008-09 की मुख्य परीक्षा में छोड़ दिया गया था। न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि विश्वविद्यालय प्रत्युत्तरदाता के माध्यम से प्रतिनिधित्व किये गये विद्यार्थियों के लिए नये सिरे से परीक्षाओं को आयोजित करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता—*सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी एवं एक अन्य* बनाम *शान्ती पाण्डेय एवं एक अन्य*, (2010) 3 यू० पी० एल० बी० ई० सी० 2424।

---

1. 1977 के उ० प्र० अधिनियम 5 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. 1977 के उ० प्र० अधिनियम 5 द्वारा अन्तःस्थापित।
3. शब्द "इलाहाबाद" का वर्ष 2005 के अधिनियम संख्यांक 26 द्वारा लोपित (14-7-2007 से प्रभावी)।

अध्याय 9

परिनियम, अध्यादेश और विनियम

49. परिनियम—इस अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन, परिनियम में विश्वविद्यालय से सम्बन्धित किसी भी मामले के लिए प्रावधान किया जा सकेगा और विशेषरूप से निम्न के लिए उपबन्ध किया जाएगा—

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों का गठन, शक्ति तथा कर्तव्य;

(ख) प्रथम सदस्यों के पद में बने रहने, उनकी सदस्यता में रिक्तियों के भरने और इन प्राधिकारियों से सम्बन्धित अन्य मामलों के लिए, जिसके लिए उपबन्ध करना आवश्यक हो, सहित विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के सदस्यों के पद के चुनाव, नियुक्ति तथा कार्यकाल;

(ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की शक्तियाँ एवं कर्तव्य;

[1][(घ) विश्वविद्यालय के और सम्बद्ध तथा सहयुक्त महाविद्यालयों के प्राचार्यों एवं अन्य अध्यापकों का वर्गीकरण एवं भर्ती (न्यूनतम अर्हता एवं अनुभव सहित) उनके द्वारा अपनी वार्षिक शैक्षिक प्रगति रिपोर्ट को अनुरक्षित करना, उनके द्वारा पालन किए जाने वाले आचरण के नियमों और उनके परिलब्धियों तथा सेवा की अन्य शर्तें (अनिवार्य सेवानिवृत्ति से सम्बन्धित प्रावधानों सहित)];

(ङ) विश्वविद्यालय के अधीन अन्य पदों पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों की भर्ती (न्यूनतम अर्हताओं तथा अनुभव सहित) उनके परिलब्धियों एवं सेवा की अन्य शर्तें (अनिवार्य सेवानिवृत्ति से सम्बन्धित प्रावधानों सहित);

(च) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के लाभ के लिए पेंशन अथवा भविष्य निधि का गठन अथवा बीमा योजना का स्थापित किया जाना;

(छ) उपाधियों तथा डिप्लोमा का संस्थित किया जाना;

(ज) मानक उपाधियों को प्रदान करना;

(झ) उपाधियों तथा डिप्लोमा, प्रमाण-पत्रों और अन्य शैक्षिक विशेषताओं को वापस लेना;

(ञ) संकायों की स्थापना, विलय, उन्मूलन तथा पुनर्गठन;

(ट) संकायों के अध्यापन के विभागों की स्थापना करना;

(ठ) विश्वविद्यालय द्वारा पोषित छात्र निवासों एवं छात्रावासों की स्थापना उन्मूलन और पुनर्गठन;

(ड) वो शर्तें जिनके अधीन महाविद्यालय एवं अन्य संस्थाओं को विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता अथवा मान्यता प्रदान करने के विशेषाधिकार प्रदान किए जा सकेंगे और वो शर्तें जिनके अधीन ऐसे किसी विशेषाधिकार को वापस लिया जा सकेगा;

(ढ) किसी सम्बद्ध अथवा सहयुक्त महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति की मान्यता;

[2][(ण) विश्वविद्यालय अथवा सम्बद्ध अथवा सहयुक्त महाविद्यालय के वैतनिक कर्मचारियों (अध्यापक नहीं) की सेवानिवृत्ति की आयु एवं अनिवार्य सेवानिवृत्ति से सम्बन्धित

---

1. 1977 के उ० प्र० अधिनियम 5 द्वारा प्रतिस्थापित और उसका सदैव प्रतिस्थापित किया जाना समझा जायेगा।
2. 1977 के उ० प्र० अधिनियम 5 द्वारा प्रतिस्थापित।

प्रावधानों सहित संख्या, न्यूनतम अर्हताएँ और अनुभव, परिलब्धियाँ तथा सेवा की अन्य शर्तें];

(त) छात्रवृत्तियों, अधिछात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों, पदकों तथा पारितोषिकों को संस्थित करना;

(थ) स्नातकों की अर्हताएँ, शर्तें एवं पंजीयन की रीति और पंजीकृत स्नातकों की पंजी का अनुरक्षण;

(द) दीक्षान्त समारोह, यदि कोई हो को आयोजित करना; और

(ध) अन्य सभी मामले जो इस अधिनियम द्वारा परिनियमों द्वारा उपबन्धित किए जाने चाहिए या उपबन्धित किए जा सकेंगे।

टिप्पणी

न्यूनतम अर्हताएं—उ० प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973—धारा 49—परिनियम 50—अधिवक्ता अधिनियम, 1961—धारा 7, नियम 12—परिनियम 50 के अधीन महाविद्यालय में पढ़ाये जाने वाले किसी भी विषय में मास्टर की उपाधि को शर्त का लोप कर दिया गया था। जबकि नियम 12 में उस अर्हता को निर्धारित किया गया है। दोनों प्रावधान असंगत हैं। यह अभिनिर्धारित किया गया कि उ० प्र० राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम, 1973 विशेष विधान होने के कारण अधिवक्ता अधिनियम, 1961 पर अभिभावी होगा, जो कि सामान्य विधान है। भारतीय विधिज्ञ परिषद् को अध्यापकों अथवा प्रधानाचार्य की न्यूनतम अर्हताओं को निर्धारित करने की कोई भी शक्ति प्राप्त नहीं है। *बोर्ड आफ मैनेजमेन्ट, दयानन्द कालेज आफ लॉ, कानपुर बनाम उ० प्र० राज्य एवं अन्य,* (2001) यू० पी० एल० बी० ई० सी० 440 (इला०)।

50. **परिनियम कैसे बनाए जाएंगे**—विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियमों को राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा बनाया जाएगा और किसी विद्यमान विश्वविद्यालय की दशा में, जब प्रथम परिनियमों को इस प्रकार नहीं बनाया जाता है, तो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के तत्काल पूर्व यथा प्रवृत्त परिनियम, जहाँ तक वे इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत नहीं हैं, ऐसे अनुकूलनों तथा उपान्तरणों के अध्यधीन, चाहे वे निरसन, संशोधन अथवा परिवर्धन द्वारा हो, जैसा आवश्यक हो या समीचीन हो, जिन्हें राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा उपबन्धित कर सकेगी, प्रभावी बने रहेंगे और ऐसे अनुकूलन या उपान्तरण को चुनौती नहीं दी जाएगी।

[1][(1-क) राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा प्रथम परिनियमों को किसी भी समय [2][31 दिसम्बर, 1990 तक] चाहे परिवर्धन, प्रतिस्थापन या लोप द्वारा हो संशोधन कर सकेंगे और ऐसे संशोधन उस प्रारम्भ होने की तारीख से अपश्चात् किसी तारीख से भूतलक्षी हो सकेंगे।]

[3][(1-ख) इस धारा के अधीन पूर्वांचल विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियमों के इस धारा के अधीन बनाये जाने तक गोरखपुर विश्वविद्यालय के परिनियम, जैसा कि वे उक्त विश्वविद्यालय के स्थापित किये जाने के ठीक पूर्व प्रवृत्त थे, उसके लिए ऐसे अनुकूलनों और उपान्तरणों के अध्यधीन लागू होंगे जैसा राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा प्रावधान कर सके।]

[4][(2) कार्यपरिषद् [5][31 दिसम्बर, 1990 के पश्चात्] किसी भी समय, नये अथवा अतिरिक्त परिनियमों को बना सकेगी अथवा उपधारा (1) अथवा उपधारा (1-क) में निर्दिष्ट परिनियमों को संशोधित अथवा निरसित कर सकेगी।]

1974 के उ० प्र० अधिनियम 29 द्वारा अन्तःस्थापित।

2. 1988 के उ० प्र० अधिनियम 9 द्वारा प्रतिस्थापित।

3. 1987 के उ० प्र० अधिनियम 19 द्वारा अन्तःस्थापित।

4. 1974 के उ० प्र० अधिनियम 29 द्वारा प्रतिस्थापित।

5. 1988 के उ० प्र० अधिनियम 9 द्वारा प्रतिस्थापित।

(3) कार्यपरिषद् विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी की प्रास्थिति, शक्ति अथवा गठन को प्रभावित करते हुए किसी भी परिनियम के किसी भी प्रारूप को तब तक प्रस्तावित नहीं करेगा जब तक उस प्राधिकारी को उस प्रस्ताव पर अपनी राय व्यक्त करने का अवसर प्रदान न किया गया हो और इस प्रकार व्यक्त की गयी कोई भी राय लिखित रूप में होगी और उसे कुलपति के समक्ष दाखिल किया जायेगा।

(4) प्रत्येक नया परिनियम अथवा किसी परिनियम में परिवर्तन अथवा परिनियम के किसी संशोधन या निरसन को कुलपति के समक्ष दाखिल किया जायेगा जो उस पर सहमति दे सकेगा अथवा उससे अपनी सहमति को प्रतिधारित कर सकेगा अथवा उसे अग्रेतर विचार किये जाने के लिए कार्यपरिषद् के समक्ष विप्रेषित कर सकेगा।

(5) कार्यपरिषद् द्वारा पारित परिनियम उस तारीख से, जब उस पर कुलपति द्वारा सहमति दी जाती है अथवा ऐसी पश्चात्वर्ती तारीख से प्रभावी होगा जिसे उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जा सकेगा।

[1][[2][(6) पूर्वगामी उपधारा में अन्तर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए, राज्य सरकार अपने द्वारा जान, अध्यापन अथवा अनुसंधान के हित में अथवा अध्यापकों, विद्यार्थियों अथवा अन्य कर्मचारिवृन्द के लाभ के लिए, लिये गये अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के किसी सुझाव या सिफारिश या अध्यापकों की अर्हताओं के सम्बन्ध में राज्य अथवा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर लिए गए किसी भी विनिश्चय को पूरा करने के उद्देश्य से, कार्यपरिषद् से विनिर्दिष्ट समय के भीतर नये या अतिरिक्त परिनियमों को बनाने अथवा उपधारा (1) या उपधारा (1-क) में निर्दिष्ट परिनियमों को संशोधित या निरसित करने की अपेक्षा कर सकेगी और यदि कार्यपरिषद् उस शर्त का पालन करने में विफल होती है तो राज्य सरकार कुलपति की सहमति से, नये या अतिरिक्त परिनियमों को बना सकेगी अथवा उपधारा (1) अथवा उपधारा (1-क) में निर्दिष्ट परिनियमों का संशोधन अथवा निरसन कर सकेगी।]

(7) कार्यपरिषद् को उपधारा (6) के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये परिनियमों को संशोधित या निरसित करने अथवा उन परिनियमों के असंगत नये अथवा अतिरिक्त परिनियमों को बनाने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं होगी।]

51. अध्यादेश—(1) इस अधिनियम और परिनियमों के प्रावधानों के अध्यधीन अध्यादेशों में ऐसे किसी भी मामले के लिए प्रावधान किया जा सकेगा जिसे इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा अध्यादेशों द्वारा प्रावधान किया जाना चाहिए अथवा किया जा सकेगा।

(2) उपधारा (1) के प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अध्यादेश में निम्नलिखित मामलों के लिए प्रावधान किया जा सकेगा, अर्थात्—

(क) विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के प्रवेश और उनका नामांकन एवं इस रूप में बने रहना;

(ख) सभी उपाधियों, डिप्लोमा एवं विश्वविद्यालय की अन्य शैक्षिक विशेषताओं के लिए अध्ययन के पाठ्यक्रम को निर्दिष्ट किया जाना;

(ग) वो शर्तें जिनके अधीन विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, उपाधियों तथा डिप्लोमा में प्रवेश किया जायेगा और वे उन उपाधियों तथा डिप्लोमा के प्रदान किये जाने के पात्र होंगे;

(घ) छात्रवृत्तियों, अधिछात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों विशेष छात्रवृत्तियों, पदकों तथा पारितोषिकों के प्रदान किये जाने की शर्तें;

(ङ) विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के निवास की शर्तें तथा विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित छात्र निवासों एवं छात्रावासों का प्रबन्धन;

---

1. 1995 के उ० प्र० अधिनियम 4 द्वारा अन्तःस्थापित (17-12-1994 से प्रभावी)।
2. 1998 के उ० प्र० अधिनियम 9 द्वारा प्रतिस्थापित (19-9-1997 से प्रभावी)।

(च) विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित न किये जाने वाले छात्र निवासों और छात्रावासों की मान्यता और प्रबन्धन;

(छ) विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के मध्य अनुशासन को बनाये रखना;

(ज) पत्राचार पाठ्यक्रमों तथा निजी विद्यार्थियों से सम्बन्धित सभी मामले;

[1][(झ) माता-पिता अध्यापक एसोसिएशन का गठन];

(ञ) फीस, जिसे विश्वविद्यालय द्वारा या सम्बद्ध अथवा सहयुक्त महाविद्यालय द्वारा किसी भी प्रयोजनार्थ लिया जा सकेगा;

(ट) शर्तें, जिनके अधीन व्यक्तियों को छात्र निवासों एवं छात्रावासों में शिक्षण प्रदान करने के लिए अर्हित मानकर मान्यता प्रदान की जा सकेगी;

(ठ) परीक्षण निकायों, परीक्षकों, अनुसीमकों, अन्तरीक्षकों तथा सारिणी कारकों को नियुक्त करने की शर्तें एवं रीति तथा उनके कर्तव्य;

(ड) परीक्षाओं का संचालन;

(ढ) विश्वविद्यालय के कामकाज के लिए नियोजित व्यक्तियों को संदाय किये जाने वाले यात्रा, पारिश्रमिक तथा किसी दैनिक भत्तों सहित अन्य भत्ते;

(ण) अन्य सभी मामले जो इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन उपबन्ध किये जाने में, अध्यादेशों द्वारा किये जायें।

टिप्पणियाँ

1. प्रवेश—एम० काम द्वितीय वर्ष—उ० प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973—धारा 51 एवं उसके अधीन विरचित अध्यादेश का पैरा 26
2. प्रवेश—विशेष बी० टी० सी० कोर्स
3. प्रवेश शुल्क—का प्रतिदाय

1. प्रवेश—एम० काम द्वितीय वर्ष—उ० प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973—धारा 51 एवं उसके अधीन विरचित अध्यादेश का पैरा 26—याची ने एम० काम प्रथम वर्ष उत्तीर्ण किया था। उसने अगले वर्ष एम० काम द्वितीय वर्ष हेतु प्रवेश के लिए आवेदन नहीं किया। तथापि, उसने दो वर्ष के व्यपगमन के पश्चात् एम० काम द्वितीय वर्ष में प्रवेश के लिए आवेदन किया। विश्वविद्यालय प्राधिकारियों ने उसे प्रवेश देने से इन्कार कर दिया। रिट को खारिज करते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया कि विश्वविद्यालय प्राधिकारी राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम के अधीन विरचित अध्यादेशों के पैरा 26 को दृष्टिगत रखते हुए प्रवेश से इन्कार करने में न्यायोचित थे क्योंकि याची ने दो वर्ष के पश्चात् प्रवेश के लिए आवेदन किया था। *संजीव कुमार जायसवाल* बनाम *उपकुलपति, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ (विश्वविद्यालय), वाराणसी एवं अन्य,* (2005) 2 यू० पी० एल० बी० ई० सी० 1583 (इला०)।

2. प्रवेश—विशेष बी० टी० सी० कोर्स—जहाँ याची ने दिनांक 19-5-1999 के विश्वविद्यालय के सरकुलर पर निर्भर किया था जिसमें पैरा 3 में यह प्रावधान किया गया है कि पत्राचार पाठ्यक्रम और नियमित परीक्षा एक ही प्रश्न-पत्र पर आधारित है, और पैरा 5 में यह उपबन्ध किया गया है कि दोनों पाठ्यक्रमों में बी० ए० की उपाधि समान रूप से मान्यता प्राप्त है, तो ऐसी दशा में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अभ्यर्थना को नामंजूर करने का आदेश इस आधार पर वैध नहीं है कि अभ्यर्थी ने पत्राचार पाठ्यक्रम में बी० एड० की उपाधि को प्राप्त किया था। *जोतेन्द्र कुमार* बनाम *उ० प्र० राज्य एवं अन्य,* (2002) यू० पी० एल० बी० ई० सी० 1301 (इला०)।

3. प्रवेश शुल्क—का प्रतिदाय—जहाँ कतिपय वाद में 7-7-2003 को निक्षेपित धनराशि अपेक्षित शुल्क का ही भाग था, जबकि सम्पूर्ण शुल्क को 16-7-2003 को निक्षेपित किया जा चुका था। इस तरह से तीन

---

1. 1977 के उ० प्र० अधिनियम 5 द्वारा प्रतिस्थापित।

सप्ताह की संगणना करने की अवधि का 16-7-2003 से प्रारम्भ किया जाना समझा जाएगा जब सम्पूर्ण शुल्क निक्षेपित किया गया था, न कि 7-7-2003 से। इसलिए, याची द्वारा शुल्क के प्रतिदाय का आवेदन तीन सप्ताह से भीतर ही था और इसलिए न्यायालय विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अपनाये गये मत से सहमत हैं। *उपकुलपति, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी एवं एक अन्य बनाम सुशान्त बसु एवं एक अन्य,* (2004) 2 यू० पी० एल० बी० ई० सी० 2094 (इला०)।

52. अध्यादेश कैसे बनाये जायेंगे—(1) प्रत्येक विद्यमान विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यादेश वो अध्यादेश होंगे जो, जहां तक वे इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हों, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त थे :

परन्तु यह कि ऐसे किसी भी अध्यादेश के प्रावधानों को इस अधिनियम एवं परिनियमों के प्रावधानों के अनुरूप लाने के प्रयोजनार्थ, कुलपति आदेश द्वारा अध्यादेशों के ऐसे अनुकूलन या उपान्तरणों को चाहे वे निरसन, संशोधन या जैसा आवश्यक या समीचीन हो परिवर्धन के रूप में कर सकेगा और यह प्रावधान कर सकेगा कि अध्यादेश आदेश में विनिर्दिष्ट की जाने वाली तारीख से इस प्रकार किये गये अनुकूलनों तथा उपान्तरणों के अध्यधीन प्रभावी होंगे और ऐसे किसी भी अनुकूलन अथवा उपान्तरण को प्रश्नगत नहीं किया जा सकेगा।

(2) कुमायूं और गढ़वाल विश्वविद्यालयों के अथवा इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् स्थापित किये जाने वाले अन्य किसी भी विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यादेश राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना से बनाये जायेंगे।

[1][(2-क) जब तक पूर्वांचल विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यादेशों को उपधारा (2) के अधीन न बनाया जाये, गोरखपुर विश्वविद्यालय के अध्यादेश, जैसा कि वे उक्त विश्वविद्यालय के स्थापित किये जाने के तत्काल पूर्व प्रवृत्त हों, ऐसे अनुकूलनों तथा उपान्तरणों के अध्यधीन, जिनका राज्य सरकार अधिसूचना के माध्यम से उपबन्ध कर सकेगी, उसके लिए लागू होंगे।]

(3) इस धारा में अन्यथा यथा उपबन्धित के सिवाय कार्यपरिषद्, समय-समय पर नये या अतिरिक्त अध्यादेशों को बना सकेगी अथवा उपधारा (1) तथा (2) में निर्दिष्ट अध्यादेशों को संशोधित अथवा निरसित कर सकेगी :

परन्तु यह कि ऐसे किसी भी अध्यादेशों को नहीं किया जायेगा जो—

(क) विद्यार्थियों के प्रवेश को प्रभावित करता हो, या विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के समकक्ष मानकर मान्यता प्रदान की जाने वाली परीक्षाओं को अथवा विश्वविद्यालय के उपाधि के पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश हेतु धारा 45 की उपधारा (1) में उल्लिखित अतिरिक्त अर्हताओं को विहित करता है, जब तक कि शैक्षिक परिषद् द्वारा उसके प्रारूप को प्रस्तावित न किया गया हो; अथवा

(ख) परीक्षकों की नियुक्ति एवं कर्तव्यों की शर्तों और पद्धति तथा परीक्षाओं के संचालन या मानक या अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम, सम्बन्धित संकाय या संकायों के प्रस्ताव के अनुसार के सिवाय, प्रभावित करता हो और जब तक उस अध्यादेश के प्रस्ताव को शैक्षिक परिषद् द्वारा प्रस्तावित न किया गया हो; अथवा

(ग) विश्वविद्यालय के अध्यापकों की संख्या, अर्हताओं तथा परिलब्धियों अथवा विश्वविद्यालय के आय या व्यय को प्रभावित करता हो, जब तक कि उसके प्रारूप को राज्य सरकार द्वारा मंजूरी प्रदान की गयी हो।

---

1. 1987 के उ० प्र० अधिनियम 19 द्वारा अन्तःस्थापित।

(4) कार्यपरिषद् को उपधारा (3) के अधीन शैक्षिक परिषद् द्वारा प्रस्तावित किसी भी प्रारूप को संशोधित करने की शक्ति प्राप्त नहीं होगी लेकिन वह उसे नामंजूर कर सकेगा या ऐसे किसी भी संशोधन के साथ, जिसे कार्यपरिषद् सुझाव दे सकेगी, या तो पूर्णतः या आंशिक रूप से पुनर्विचार किये जाने के लिए शैक्षिक परिषद् को लौटा सकेगी।

(5) कार्यपरिषद् द्वारा बनाये गये सभी अध्यादेश उस तारीख से प्रभावी होंगे जिसे वह निदेशित करे और उसे जितना शीघ्र संभव हो कुलपति के समक्ष दाखिल किया जायेगा।

(6) कुलपति किसी भी समय उपधारा (3) के परन्तुक के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट अध्यादेशों को छोड़कर अन्य अध्यादेशों के सम्बन्ध में अपनी नामंजूरी को संज्ञापित कर सकेगा और उस नामंजूरी की सूचना की कार्यपरिषद् द्वारा प्राप्ति की तारीख से वो अध्यादेश शून्य हो जायेंगे।

(7) कुलपति यह निदेशित कर सकेगा कि उपधारा (3) के परन्तुक के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट अध्यादेश को छोड़कर अन्य किसी भी अध्यादेश का प्रवर्तन निलम्बित कर दिया जायेगा जब तक कि उसे नामंजूरी की अपनी शक्ति का प्रयोग करने का अवसर प्राप्त न हुआ हो। इस उपधारा के अधीन निलम्बन का आदेश उस आदेश की तारीख से एक माह के समाप्त होने पर प्रभाव रखना बन्द कर देगा।

टिप्पणियाँ

1. सेवा का विस्तार—उ० प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973—धारा 52 (ग)—वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर का प्रथम परिनियम—परिनियम 15.23 एवं 15.24
2. एल० एल० बी० आनर्स पाठ्यक्रम

1. सेवा का विस्तार—उ० प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973, धारा 52 (ग)—वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर का प्रथम परिनियम—परिनियम 15.23 एवं 15.24—महाविद्यालय के नियमित प्रधानाचार्य की अधिवर्षिता की दशा में, याची को उसकी वरिष्ठता के आधार पर स्थानापन्न प्रधानाचार्य के रूप में नियुक्त किया गया था। 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति के पश्चात् याची को पुनः नियोजन में माना गया और शेष शैक्षिक सत्र के लिए प्रशासनिक शक्तियों से वंचित किया गया। दिनांक 4-2-2004 के शासनादेश द्वारा विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों के अध्यापकों की सेवा निवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ा कर 62 वर्ष कर दी गयी। अग्रेतर दिनांक 17-6-2004 के शासनादेश द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि दिनांक 4-2-2004 के शासनादेश से जारी किये जाने के पूर्व सत्र के मध्य पर कार्यरत अध्यापकों को प्रशासनिक पद प्रदान नहीं किया जायेगा। इसलिए इस अभिकथन के साथ वर्तमान रिट याचिका प्रस्तुत की गयी कि द्वितीय शासनादेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघनकारी है। रिट को खारिज करते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया कि याची मांगे गये अनुतोष का हकदार नहीं था। *डॉ० राधेश्याम सिंह बनाम उ० प्र० राज्य द्वारा उसका सचिव (उच्चतर शिक्षा) सिविल सचिवालय, लखनऊ एवं अन्य*, (2006) 1 यू०पी० एल० बी० ई० सी० 428 (इला०)।

2. एल० एल० बी० आनर्स पाठ्यक्रम—जहां किसी निश्चित वाद में याचीगण एल० एल० बी० के किसी विशेष सेमेस्टर के प्रश्न-पत्रों में से कुछ में असफल हो गये थे, तो वहां यदि उन्हें इन प्रश्न-पत्रों में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाती है तो उन्हें उनके शैक्षिक जीवन में भारी हानि उठानी पड़ेगी। यह पाया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश का अनेक वर्षों तक नियमतः पालन किया जाना नहीं पाया गया है। न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अध्यादेश को याचीगण के लिए लागू नहीं किया जा सकता है, इसलिए याचीगण को इन प्रश्न-पत्रों में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की जायेगी जिनमें वे उस विशिष्ट सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण हो गये थे। *मयंक कुमार सिंह एवं 5 अन्य* बनाम *लखनऊ विश्वविद्यालय एवं एक अन्य*, (2009) 2 यू०पी०एल०बी०ई०सी० 977 (इला०)।

53. विनियमन—(1) इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के प्रावधानों के अध्यधीन, विश्वविद्यालय का प्राधिकारी या अन्य निकाय विनियमों की रचना कर सकेगा जिनमें—

(क) बैठक में पालन की जाने वाली प्रक्रिया और गणपूर्ति का गठन करने के लिए अपेक्षित सदस्यों की संख्या को निर्दिष्ट किया जायेगा;

(ख) ऐसे सभी मामलों के लिए उपबन्ध करना जिन्हें इस अधिनियम, परिनियम अथवा अध्यादेशों द्वारा विनियमों के उपबन्धित किया जाना चाहिए; और

(ग) उस प्राधिकारी या निकाय के सम्बन्ध में ही किसी अन्य मामले के लिए प्रावधान करना और जिनके बारे में इस अधिनियम, परिनियमों एवं अध्यादेशों द्वारा प्रावधान नहीं किया जाता है।

(2) विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी या अन्य निकाय द्वारा बनाये गये विनियमों में बैठकों की तारीखों और उनमें संव्यवहार किये जाने वाले कामकाज के सम्बन्ध में उसके सदस्यों को नोटिस देने के लिए और उन बैठकों में कार्यवाही के अभिलेखों को रखने के लिए प्रावधान किये जायेंगे।

(3) कार्यपरिषद् न्यायालय को छोड़कर विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी अथवा अन्य निकाय को यह निदेशित कर सकेगा कि वह उस प्राधिकारी या निकाय द्वारा बनाये गये किसी भी विनियम को निदेश में जैसा विनिर्दिष्ट किया जाये उस रूप में रद्द किया या संशोधित करेगा और वह प्राधिकारी या निकाय तत्पश्चात् विनियम को तद्नुसार रद्द या संशोधित करेगा :

परन्तु यह कि विश्वविद्यालय का कोई भी प्राधिकारी या अन्य निकाय, यदि ऐसे किसी निदेश से असंतुष्ट हो जाता है तो कुलपति से अपील कर सकेगा जो कार्यपरिषद् के मत को प्राप्त करने के पश्चात् ऐसे आदेशों को पारित कर सकेगा जिन्हें वह उपयुक्त समझे।

(4) शिक्षा परिषद्, अध्यादेशों के प्रावधानों के अध्यधीन, विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा, उपाधि अथवा डिप्लोमा के अध्ययन के पाठ्यक्रम के लिए उपबन्ध करते हुए, विनियमों को विरचना सम्बन्धित संकाय के परिषद् के उसके प्रारूप को प्रस्तावित करने के पश्चात् ही कर सकेगी।

(5) शिक्षा परिषद् उपधारा (4) के अधीन संकाय के परिषद् द्वारा प्रस्तावित किसी भी प्रारूप को संशोधित या नामंजूर करने की शक्ति नहीं रखेगी लेकिन वह उसे अपने निजी सुझावों के साथ अग्रेतर विचार किए जाने के लिए परिषद् को लौटा सकेगी।

अध्याय 10

वार्षिक रिपोर्ट एवं खाते

54. वार्षिक रिपोर्ट—(1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट को कार्यपरिषद् के निदेशाधीन तैयार किया जायेगा और उसे सभा के समक्ष उसकी वार्षिक बैठक के एक माह पूर्व दाखिल किया जायेगा और सभा उस पर अपनी वार्षिक बैठक में विचार करेगा।

(2) सभा उस रिपोर्ट पर सिफारिशों को संकल्प द्वारा कर सकेगा एवं उसे कार्यपरिषद् को संसूचित कर सकेगा जो उस पर ऐसी कार्यवाई कर सकेगी जिसे वह उपयुक्त समझे।

55. खाते एवं अंकेक्षण—(1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे एवं तुलन-पत्र को कार्यपरिषद् के निदेश के अधीन तैयार किया जायेगा और चाहे जिस भी स्रोत से विश्वविद्यालय को उपार्जित होने वाले अथवा प्राप्त सभी धन एवं संवितरित अथवा संदत्त सभी धनराशियों की प्रविष्टि विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित खातों में प्रविष्टि की जायेगी।

(2) वार्षिक खाते एवं तुलन-पत्र की प्रति राज्य सरकार को दाखिल की जायेगी जो उसका अंकेक्षण करायेगी।

(3) वार्षिक खातों एवं अंकेक्षण किये गये तुलन-पत्र को मुद्रित किया जायेगा और उसकी प्रतियां कार्यपरिषद् द्वारा अंकेक्षण की रिपोर्ट की प्रतियों के साथ सभा एवं राज्य सरकार के समक्ष दाखिल की जायेगी।

(4) कार्यपरिषद् ऐसी तारीख के पूर्व जिसे विहित किया जा सकेगा, आने वाले वर्ष के लिए भी बजट को तैयार करेगी।

(5) उपरोक्त नये व्यय के प्रत्येक मद जिसे विहित किया जा सकेगा जिसका बजट में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है, कार्यपरिषद् द्वारा वित्त समिति को निर्दिष्ट किया जाये, जो उस पर सिफारिशों को कर सकेगी।

(6) कार्यपरिषद्, वित्त समिति की सिफारिशों, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् बजट का अन्तिम रूप से अनुमोदन करेगी।

(7) वार्षिक खातों, तुलन-पत्र और अंकेक्षण रिपोर्ट पर सभा द्वारा उसकी वार्षिक बैठक में विचार किया जायेगा और सभा संकल्प द्वारा उसके संदर्भ में सिफारिशों को कर सकेगी और उसे कार्यपरिषद् को संसूचित करेगी।

(8) उपकुलपति अथवा कार्यपरिषद् के लिए निम्न के लिए किसी भी व्यय को उपगत करना विधिपूर्ण नहीं होगा—

(क) जो या तो बजट में स्वीकृत न हो अथवा जो विश्वविद्यालय को प्रदान की गयी निधियों की दशा में, बजट की स्वीकृति के पश्चात्, राज्य सरकार या भारत सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन या फाउण्डेशन द्वारा, उस अनुदान के निबन्धनों के सिवाय अन्य किसी भी प्रकार से प्रदान किये जाने वाली निधियों की दशा में :

परन्तु यह कि धारा 13 की उपधारा (7) में अन्तर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए, उपकुलपति अग्नि, बाढ़, अत्यधिक जलवर्षा या अन्य अचानक अप्रत्याशित परिस्थितियों की दशा में पांच हजार रुपये से अनाधिक अनावर्ती व्यय को उपगत कर सकेगा जिसकी बजट में स्वीकृति प्रदान न की गयी हो और वह उस सभी व्यय के सम्बन्ध में राज्य सरकार को तत्काल सूचित करेगा।

[1][(ख) कुलपति के अथवा राज्य सरकार के ऐसे किसी भी आदेश के, जिसका इस अधिनियम के अधीन किया जाना तात्पर्यित हो, के विरोध में किसी वादकरण पर।]

[2][55-क. अधिभार—(1) धारा 9 के खण्ड (ग) से (झ) में से किसी में भी विनिर्दिष्ट अधिकारी विश्वविद्यालय के किसी भी धन या सम्पत्ति की हानि, दुर्व्यय अथवा दुरुपयोजन के लिए अधिभार हेतु दायी होगा बशर्ते वह हानि, दुर्व्यय अथवा दुरुपयोजन उसकी उपेक्षा या कदाचार का सीधा परिणाम हो।

(2) ऐसी हानि, दुर्व्यय का दुरुपयोजन में अन्तर्वलित अधिभार की प्रक्रिया और धनराशि की वसूली की रीति वह होगी जिसे विहित किया जाये।]

अध्याय 11

डिग्री कालेजों का विनियमन

56. परिभाषाएं—इस अध्याय में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) किसी सम्बद्ध अथवा सहयुक्त महाविद्यालय के सम्बन्ध में "सम्पत्ति" में महाविद्यालय की सम्पत्ति सम्मिलित है जिसमें स्थावर एवं जंगम सम्पत्ति सम्मिलित है जो उस महाविद्यालय से सम्बन्धित हो या उस महाविद्यालय के लाभ के लिए पूर्णतः या आंशिक रूप से विन्यासित हो और जिसमें भूमियां, भवन (छात्रावासों सहित), संक्रम, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, उपकरण, उपस्कर, फर्नीचर, लेखन सामग्री, भण्डारण, जिससे आटोमोबाइल और अन्य

---

1. 1978 के उ० प्र० अधिनियम 12 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. 1978 का उ० प्र० अधिनियम 12 द्वारा अन्तःस्थापित।

यान, यदि कोई हो और महाविद्यालय से सम्बन्धित अन्य चीजें, हस्तगत रोकड़, बैंक में रोकड़, विनियोग, पुस्तकीय ऋण और ऐसे अन्य सभी अधिकार एवं हित उस सम्पत्ति से उत्पन्न होते हैं, जो महाविद्यालय के स्वामित्व कब्जे, शक्ति या नियंत्रण में हो सकते हैं और सभी लेखा पुस्तकें, पंजियां तथा उनसे सम्बन्धित किसी भी प्रकृति के सभी दस्तावेज सम्मिलित हैं और उनका महाविद्यालय के किसी भी प्रकार के सभी अस्तित्वयुक्त उधारियों, दायित्वों एवं बाध्यताओं का सम्मिलित किया जाना समझा जायेगा;

(ख) "वेतन" का अभिप्राय परिलब्धियों जिनमें अनुज्ञेय कटौतियों के पश्चात् किसी अध्यापक अथवा अन्य कर्मचारी को संदेय तत्समय मंहगाई या अन्य कोई भत्ता सम्मिलित है।

57. नोटिस जारी करने की राज्य सरकार की शक्ति—यदि राज्य सरकार किसी सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय (राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अपवर्जी रूप से पोषित महाविद्यालय को छोड़कर) के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त करती है—

(i) कि उसके प्रबन्ध-तंत्र ने उस महाविद्यालय के अध्यापकों या अन्य कर्मचारियों के वेतन के संदाय में उस माह के पश्चात् जिसके सम्बन्ध में या जिसके किसी भाग के सम्बन्ध में वह संदेय है, अगले माह के 20वें दिन तक संदाय करने में लगातार जानबूझकर व्यतिक्रम कारित किया है; अथवा

(ii) कि उसका प्रबन्धतन्त्र ऐसी अर्हताओं को धारित करते हुए अध्यापक स्टाफ की नियुक्ति करने में असफल हुआ है जो उस महाविद्यालय के सम्बन्ध में शैक्षिक मानकों को बनाये रखने को सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ आवश्यक है। परिनियमों अथवा अध्यादेशों के अतिलंघन में किसी अध्यापक को नियुक्ति की अथवा उसे सेवा में प्रतिधारित किया है [1][अथवा उसने उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980 के अधीन उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की सिफारिश के आधार पर किये गये शिक्षा निदेशक (उच्चतर शिक्षा) के आदेशों का पालन करने में विफल हुआ है]।

(iii) कि उसके प्रबन्ध-तन्त्र के विधिपूर्ण पदाधिकारी होने के लिए भिन्न व्यक्तियों द्वारा दावाकृत अधिकार के सम्बन्ध में किसी भी विवाद में महाविद्यालय के निर्बाध और व्यवस्थित प्रशासन को प्रभावित किया है; अथवा

(iv) कि उसका प्रबन्धतन्त्र महाविद्यालय को इतनी पर्याप्त एवं समुचित जगह, पुस्तकालय, फर्नीचर, लेखन सामग्री, प्रयोगशाला, उपस्कर तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करने में लगातार असफल हुआ है जो उस महाविद्यालय के कुशल प्रशासन हेतु आवश्यक है; अथवा

(v) कि उसके प्रबन्धतन्त्र ने महाविद्यालय का अहित करने के लिए महाविद्यालय की सम्पत्ति को पर्याप्त रूप से व्यपवर्तन, दुरुपयोग अथवा दुर्विनियोग किया है;

तो वह प्रबन्धतन्त्र को इस विषयक कारण बताने के लिए आहूत कर सकेगा कि क्यों न धारा 58 के अधीन उपदेश को किया जाये :

परन्तु यह कि जहां इस विषयक विवाद हो कि प्रबन्धतंत्र के पदाधिकारी कौन हैं, तो ऐसा होने का दावा करते हुए सभी व्यक्तियों को वह नोटिस जारी की जायेगी।

---

1. 1998 का उ० प्र० अधिनियम 9 द्वारा अन्तःस्थापित (19-9-1997 से प्रभावी)।

58. प्राधिकृत नियंत्रक—(1) यदि राज्य सरकार का, धारा 57 के अधीन प्रबन्धतन्त्र द्वारा दाखिल स्पष्टीकरण, यदि कोई, पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो जाता है कि उस धारा में उल्लिखित कोई आधार विद्यमान है तो वह आदेश द्वारा किसी भी व्यक्ति को (एतस्मिन् पश्चात् "प्राधिकृत नियंत्रक" के रूप में निर्दिष्ट) दो वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए जिसे विनिर्दिष्ट किया जाये, महाविद्यालय के प्रबन्धतन्त्र का और प्रबन्धतन्त्र को पृथक् करते हुए उसकी सम्पत्ति का अधिग्रहण करने के लिए प्राधिकृत कर सकती है और जब कभी प्राधिकृत नियंत्रक इस प्रकार प्रबन्धतन्त्र का अधिग्रहण करता है तो उसे, केवल ऐसे प्रतिबन्धों के अध्यधीन, जिन्हें राज्य सरकार अधिरोपित कर सकेगी, उस महाविद्यालय के प्रबन्धतन्त्र एवं उसकी सम्पत्ति के सम्बन्ध में उन सभी शक्तियों एवं प्राधिकार को प्राप्त करेगा जिसे प्रबन्धतंत्र ने उस दशा में प्राप्त किया होता जब महाविद्यालय एवं उसकी सम्पत्ति को इस उपधारा के अधीन अधिग्रहीत न किया गया होता :

परन्तु यह कि यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि महाविद्यालय के समुचित प्रबन्धतन्त्र एवं उसकी सम्पत्ति को सुनिश्चित बनाये रखने के उद्देश्य से ऐसा करना समीचीन है, तो वह समय-समय पर उस अवधि के लिए, जो एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं होगी, आदेश के प्रवर्तन को विस्तारित कर सकेगा जैसा वह विनिर्दिष्ट करे, लेकिन इस प्रकार के आदेश के प्रवर्तन की अवधि जिसमें इस उपधारा के अधीन प्रारंभिक आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि को सम्मिलित किया गया है, [1][पांच वर्ष] से अधिक नहीं होगी :

[2][परन्तु अग्रेतर यह कि यदि पांच वर्ष की उक्त अवधि के समाप्त होने पर, उस महाविद्यालय का कोई विधिपूर्ण ढंग से गठित किया गया प्रबन्धतन्त्र नहीं है तो प्राधिकृत नियंत्रक उस रूप में कार्य करता रहेगा जब तक कि राज्य सरकार का यह समाधान न हो जाये कि प्रबन्धतंत्र का विधिपूर्ण ढंग से गठन किया गया है :

परन्तु यह भी कि राज्य सरकार, किसी भी समय, इस उपधारा के अधीन किये गये आदेश का प्रतिसंहरण कर सकेगी।]

(2) जहां राज्य सरकार की, धारा 57 के अधीन नोटिस जारी करते समय, अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, यह राय हो कि महाविद्यालय के हित में तत्काल कार्रवाई आवश्यक है, तो वह प्रबन्धतन्त्र को निलम्बित कर सकेगी जो उसके पश्चात् कार्य करना बन्द कर देगा एवं वह ऐसे प्रबन्ध को कर सकेगी जिसे वह महाविद्यालय के कार्यकलाप और उसकी सम्पत्ति का, अग्रेतर कार्यवाहियों के पूर्ण होने तक प्रबन्ध करने हेतु समुचित समझे :

परन्तु यह कि ऐसा कोई भी आदेश उस आदेश को अग्रसर करने के प्रबन्धतन्त्र के वास्तविक अधिग्रहण की तारीख से छः माह से अधिक के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा :

परन्तु अग्रेतर यह कि छः माह की उक्त अवधि की संगणना करने में, वह समय, जिसके दौरान आदेश के प्रवर्तन को संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए पारित उच्च न्यायालय के किसी भी आदेश द्वारा निलम्बित किया गया था अथवा कोई भी अवधि जिसके दौरान प्रबन्धतन्त्र धारा 57 के अधीन नोटिस के अनुसरण में कारण बताने में असफल हुआ था, अपवर्जित की जायेगी।

(3) उपधारा में कही गयी किसी भी बात का प्राधिकृत नियंत्रक पर राज्य सरकार अथवा भारत सरकार के महाविद्यालय के किसी भी अनुदान को प्राप्त करने की शर्त के सिवाय महाविद्यालय की किसी भी स्थावर सम्पत्ति का अन्तरण करने (प्रबन्धतन्त्र के साधारण अनुक्रम में प्रत्येक माह किराये पर देने अथवा उस पर किसी प्रभार का सृजन करने के सिवाय) की शक्ति को प्रदान करने के रूप में अर्थान्वित नहीं किया जायेगा।

---

1. 1983 के उ० प्र० अधिनियम 4 द्वारा पदावली "चार वर्ष" के लिए प्रतिस्थापित (25-6-1982 से प्रभावी)।
2. 1983 के उ० प्र० अधिनियम 4 द्वारा प्रतिस्थापित (25-6-1982 से प्रभावी)।

(4) इस धारा के अधीन किये गये किसी भी आदेश का महाविद्यालय के अथवा उसकी सम्पत्ति के प्रबन्ध और नियंत्रण से सम्बन्धित अथवा किसी भी अधिनियमिती अथवा किसी भी लिखत में अन्तर्विष्ट उससे असंगत किसी भी बात के होते हुए प्रभाव होगा :

परन्तु यह कि महाविद्यालय की सम्पत्ति और उसके प्राप्त कोई भी आय ऐसे किसी भी लिखत में यथा उपबन्धित महाविद्यालय के प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाती रहेगी।

(5) शिक्षा निदेशक (उच्चतर शिक्षा) प्राधिकृत नियंत्रक को ऐसे निदेश दे सकेगा जिन्हें वह महाविद्यालय अथवा उसकी सम्पत्ति के समुचित प्रबन्ध हेतु आवश्यक समझे और प्राधिकृत नियंत्रण उन निदेशों का पालन करेगा।

59. खण्ड (58) अल्पसंख्यक महाविद्यालयों के लिए लागू नहीं किया होगा—धारा 58 में कही गयी कोई भी बात भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित एवं प्रशासित महाविद्यालय के लिए लागू नहीं होगी।

60. प्राधिकृत नियंत्रक को कब्जे का परिदान करने का कर्तव्य—(1) जहाँ किसी महाविद्यालय के सम्बन्ध में धारा 58 के अधीन आदेश पारित किया गया हो, तो वहाँ ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसका कब्जा या अभिरक्षा अथवा जिसके नियंत्रणाधीन उस महाविद्यालय की कोई भी सम्पत्ति हो सकेगी, प्राधिकृत नियंत्रक को वह सम्पत्ति अविलम्ब परिदान करेगा।

(2) कोई भी व्यक्ति, जो उस आदेश की तारीख पर उस महाविद्यालय से अथवा उसकी सम्पत्ति के सम्बन्धित किन्हीं पुस्तकों अथवा अन्य दस्तावेजों का कब्जा रखता है या उन्हें अपने नियंत्रणाधीन रखता है, तो उक्त पुस्तकों एवं अन्य दस्तावेजों के हिसाब-किताब के लिए प्राधिकृत नियंत्रक के प्रति उत्तरदायी होगा और वह उसे अथवा ऐसे व्यक्ति को जिसे प्राधिकृत नियंत्रक इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, उन्हें परिदत्त करेगा।

(3) प्राधिकृत नियंत्रक महाविद्यालय अथवा उसकी सम्पत्ति या उसके किसी भाग के कब्जे या नियंत्रण के परिदान के लिए कलक्टर के समक्ष प्रार्थना कर सकेगा और कलक्टर उस महाविद्यालय या सम्पत्ति के कब्जे को प्राधिकृत नियंत्रक के लिए सुनिश्चित कराने के लिए सभी आवश्यक कदमों को उठा सकेगा अथवा विशेष रूप से ऐसी शक्ति का प्रयोग कर सकेगा या प्रयोग करा सकेगा जो आवश्यक हो।

टिप्पणी

वैकल्पिक उपचार—भारत का संविधान, 1950—अनुच्छेद 226—की व्याप्ति—उ० प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973—धारा 60—जहाँ उपकुलपति के आदेश के विरुद्ध कुलपति के समक्ष अभ्यावेदन का वैधानिक उपचार उपलब्ध है नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के उल्लंघन के अभिवाक् को लिया गया था, ऐसी दशा में यह अभिनिर्धारित किया गया कि रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के लिए वैकल्पिक उपचार महत्वपूर्ण घटक है। इसकी अवज्ञा केवल आपवादिक परिस्थितियों में ही की जानी चाहिए। इसलिए याचिका को वैकल्पिक उपचार के आधार पर खारिज कर दिया गया। *प्रबन्ध समिति, श्री कृष्ण गीता राष्ट्रीय डिग्री कालेज, आजमगढ़ बनाम उपकुलपति, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर एवं अन्य,* (2002) 1 यू० पी० एल० बी० ई० सी० 1423 (इला०)।

[1][अध्याय 11-क

उपाधि महाविद्यालयों के अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों को वेतन का संदाय

60-क. परिभाषाएँ—इस अध्याय में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(i) "*महाविद्यालय*" का अभिप्राय ऐसे किसी भी महाविद्यालय से है जो इस अधिनियम के अथवा उसके अधीन बनाये गये परिनियमों के प्रावधानों के अनुसार किसी विश्वविद्यालय से

---

1. 1975 के उ० प्र० अधिनियम 21 द्वारा अध्याय 11-क को अन्तःस्थापित।

सम्बद्ध है या उसके द्वारा मान्यता प्राप्त है और राज्य सरकार के तत्समय अनुरक्षण अनुदान प्राप्त कर रहा है, लेकिन इसमें राज्य सरकार अथवा [1][नगरमहापालिका] द्वारा अपवर्जी रूप से पोषित महाविद्यालय सम्मिलित नहीं है;

(ii) *"उपनिदेशक"* से अभिप्राय शिक्षा के क्षेत्रीय उपनिदेशक से है और इसमें इस अध्याय के अधीन उपनिदेशक के सभी या किसी कार्य को संपादित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अन्य अधिकारी सम्मिलित है;

(iii) *"कर्मचारी"*, किसी महाविद्यालय के सम्बन्ध में, उस महाविद्यालय के अध्यापनेत्तर कर्मचारी से अभिप्रेत है :

(क) जिसके नियोजन के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 1974-75 के दौरान राज्य सरकार द्वारा पोषण अनुदान संदाय किया जा रहा था; अथवा

(ख) जिसे शिक्षा निदेशक (उच्चतर शिक्षा) की अनुमति के साथ पद पर नियुक्त किया गया था;

(iv) *"पोषण अनुदान"* का अभिप्राय किसी महाविद्यालय के ऐसे सहायता अनुदान से है जिसे राज्य सरकार उस निमित्त सामान्य अथवा विशेष आदेश से उस महाविद्यालय के स्तर तक समुचित पोषण अनुदान के रूप में माने जाने का निदेश करे;

(v) *"वेतन"* का अर्थ वह होगा जो उसे धारा 56 के खण्ड (ख) में प्रदान किया गया है;

(vi) *"अध्यापक"* किसी महाविद्यालय के सम्बन्ध में ऐसे अध्यापक से अभिप्रेत है जिसके नियोजन के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 1974-75 के दौरान राज्य सरकार द्वारा पोषण अनुदान संदाय किया जा रहा था अथवा जो सम्बन्धित विश्वविद्यालय के उपकुलपति के अनुमोदन से निम्न के लिए नियोजित किया गया हो—

(क) सम्बन्धित उपकुलपति की अनुमति से 1 अप्रैल, 1975 के पूर्व सृजित पद के लिए; अथवा

(ख) शिक्षा निदेशक (उच्चतर शिक्षा) की अनुमति से 31 मार्च, 1975 के पश्चात् सृजित पद के लिए।

टिप्पणी

वेतन का संदाय—उ० प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम—धारा 60-क (vi), 60(ङ) एवं 60(छ)—कोई व्यक्ति वेतन के संदाय का हकदार तभी होता है जब यह स्थापित हो जाये कि वह अध्यापक है। किसी व्यक्ति की नियुक्ति मात्र से ही यह सिद्ध नहीं हुआ कि वह अध्यापक है। यह अभिनिर्धारित किया कि वह अधिनियम के अधीन वेतन का हकदार नहीं है। *शेष नाथ त्रिपाठी* बनाम *प्रबन्ध समिति एवं अन्य*, (2000) 2 यू० पी० एल० बी० ई० सी० 1453 (इला०)।

60-ख. समय के भीतर और अप्राधिकृत कटौतियों को किये बिना वेतन का संदाय—(1) प्रतिकूल किसी भी संविदा के होते हुए 31 मार्च, 1975 के पश्चात् किसी भी अवधि के सम्बन्ध में किसी महाविद्यालय के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी के वेतन का संदाय उस माह के जिस हेतु या जिसके किसी भाग के सम्बन्ध में वह देय हो, अनुवर्ती माह की 20वीं तारीख को समाप्ति के पूर्व या उससे एवं उससे पहले ऐसी तारीख को जिसे राज्य सरकार सामान्य अथवा विशेष आदेश से उस निमित्त नियत करे, किया जायेगा।

---

1. 1980 के उ० प्र० अधिनियम संख्या 15 से "नगर महापालिका" द्वारा प्रतिस्थापित (26-9-1979 से प्रभावी)।

(2) वेतन को इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा अथवा तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी विधि द्वारा प्राधिकृत कटौतियों को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार की कटौतियों के बिना संदाय किया जायेगा।

60-ग. निरीक्षण करने की शक्ति—(1) उपनिदेशक इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए किसी भी समय किसी भी महाविद्यालय का निरीक्षण कर सकेगा या निरीक्षण करा सकेगा अथवा उस सूचना एवं अभिलेखों को (जिसमें पंजियां, लेखा-पुस्तकें एवं वाउचर सम्मिलित हैं) उसके प्रबन्धतन्त्र से उसके अध्यापकों या कर्मचारियों के वेतन के संदाय के सम्बन्ध में मंगा सकेगा अथवा उसके प्रबन्धतन्त्र को वित्तीय औचित्य के ऐसे सिद्धान्तों के, जिन्हें वह उपयुक्त समझे (जिसमें किसी भी अध्यापक अथवा कर्मचारी की छंटनी के लिए अथवा किसी भी व्यर्थ के व्यय के प्रतिषेध के लिए कोई भी निदेश सम्मिलित है) पालन हेतु कोई भी निदेश दे सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन छंटनी के लिए प्रत्येक निदेशक को शिक्षा निदेशक (उच्चतर शिक्षा) के पूर्वानुमोदन को प्राप्त करने के पश्चात् जारी किया जायेगा और वह ऐसी भावी तारीख को विनिर्दिष्ट करेगा जिस पर वह छंटनी प्रवर्ती होगी।

(3) जहाँ छँटनी के लिए कोई निदेश उपधारा (1) तथा (2) के अनुसार जारी किया जाता है, तो सम्बन्धित अध्यापक या कर्मचारी का, उस निदेश में विनिर्दिष्ट तारीख से, उस महाविद्यालय का अध्यापक या कर्मचारी के रूप में, इस अध्याय के अधीन संदेय पोषण अनुदान के प्रयोजनार्थ होना बन्द हो जायेगा।

[1][60-गग. अध्यापकों के अधिसंख्य पद—उपकुलपति राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से किसी ऐसे अध्यापक को, जो तत्समय भारत में या विदेश में शैक्षिक प्रशासन में या इसी प्रकार के अन्य समनुदेशन में राष्ट्रीय महत्व के उत्तरदायी पद को धारित कर रहा है, को अपने धारणाधिकार एवं उस अध्यापक के रूप में वरिष्ठता को प्रतिधारित करने के लिए और वह अपने समनुदेशन की अवधि के दौरान अपने वेतनमान में वार्षिक वृद्धियों को उपार्जित भी करते रहने और भविष्य निधि के लिए अनुदान करने एवं सेवानिवृत्ति के लाभों, यदि कोई हो, परिनियमों के अनुसार उपार्जित करने के लिए सक्षम बनाने के उद्देश्य से किसी अधिसंख्य पद का सृजन कर सकेगा :

परन्तु यह कि उस समनुदेशन की अवधि के लिए महाविद्यालय द्वारा उस अध्यापक को कोई वेतन संदेय नहीं होगा।]

60-घ. कतिपय महाविद्यालयों की दशा में वेतन के संदाय की प्रक्रिया—(1) प्रत्येक महाविद्यालय का प्रबन्धतन्त्र अपने अध्यापकों एवं कर्मचारियों को वेतन के संवितरण के प्रयोजनार्थ किसी अनुसूचित बैंक या सहकारी बैंक या डाकघर में पृथक् खाता (इस अध्याय में एतस्मिन् पश्चात् "वेतन संदाय खाता" के रूप में निर्दिष्ट) खोलेगा जिसे प्रबन्धतन्त्र के प्रतिनिधि द्वारा तथा उपनिदेशक अथवा उस निमित्त उपनिदेशक द्वारा प्राधिकृत किये जा सकने वाले अन्य अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जायेगा :

परन्तु यह कि वेतन संदाय खाते को खोले जाने के पश्चात्, उपनिदेशक, यदि उसका धारा 60 (ज) के अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों के अध्यधीन यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना जनहित में समीचीन है, तो उस बैंक को यह निर्देश दे सकेगा कि खाते को अकेले प्रबन्धतन्त्र के प्रतिनिधि द्वारा चलाया जायेगा और वह किसी भी समय उस निर्देश का प्रतिसंहरण कर सकेगा :

परन्तु अग्रेतर यह कि उपधारा (3) में निर्दिष्ट बाद में, अथवा जहाँ किसी अन्य बाद में प्रबन्धतन्त्र को कारण दर्शित करने का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, उपनिदेशक की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक

---

1. 1977 के उ० प्र० अधिनियम 5 द्वारा अन्तःस्थापित।

अथवा समीचीन है, तो उपनिदेशक बैंक को यह निर्देश दे सकेगा कि वेतन संदाय खाते को अकेले स्वयं उसी के द्वारा या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा जिसे उसके द्वारा उस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो, चलाया जायेगा और वह किसी भी समय उस निर्देश का प्रतिसंहरण कर सकेगा।

(2) राज्य सरकार, समय-समय पर, सामान्य अथवा विशेष आदेश से यह अपेक्षा कर सकेगा कि किसी महाविद्यालय का प्रबन्धतन्त्र वेतन संदाय खाते में विद्यार्थियों से फीस के रूप में प्राप्त धनराशि के उस अंश को और साथ ही महाविद्यालय के लाभ के लिए पूर्णतः या आंशिक रूप से विन्यस्त जंगम अथवा स्थावर किसी भी सम्पत्ति के प्राप्त आय के ऐसे अंश, यदि कोई हो, को भी और उस तारीख तक, जिसे उस आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाये, निक्षेपित करेगा और तत्पश्चात् प्रबन्धतन्त्र उस निदेश का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा।

(3) जहां उपनिदेशक की यह राय हो कि प्रबन्धतन्त्र उपधारा (2) के प्रावधानों अथवा उसके अधीन जारी आदेशों के अनुसार फीस का निक्षेप करने में असफल हुआ है तो उपनिदेशक आदेश द्वारा प्रबन्धतन्त्र को विद्यार्थियों से कोई भी फीस वसूल करने से प्रतिषिद्ध कर सकेगा और तत्पश्चात् उपनिदेशक विद्यार्थियों से सीधे ही फीस को (या तो महाविद्यालय के अध्यापकों के माध्यम से या ऐसी अन्य रीति से जिसे वह उपयुक्त समझे) वसूल कर सकेगा और इस प्रकार वसूल की गयी फीस को वेतन संदाय खाते में निक्षेपित करेगा।

(4) राज्य सरकार वेतन संदाय खाते में पोषण अनुदान के रूप में वह धनराशि भी निक्षेपित करेगा जो, उपधारा (2) तथा (3) के अधीन निक्षेपित धनराशियों पर विचार करने के पश्चात् उपधारा (5) के अनुसार संदाय करने के लिए आवश्यक है।

(5) वेतन संदाय खाते में जमा की गयी कोई भी धनराशि निम्नलिखित के सिवाय अन्य किसी भी प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं की जायेगी, अर्थात्—

(क) 31 मार्च, 1975 के पश्चात् किसी भी अवधि के लिए बकाया होने वाली महाविद्यालय के अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों को वेतन के संदाय के लिए;

(ख) सम्बन्धित महाविद्यालय के अध्यापकों एवं कर्मचारियों के भविष्य निधि खातों में प्रबन्धतन्त्र का अंशदान, यदि कोई हो, जमा करने के लिए;

(6) किसी अध्यापक या कर्मचारी के वेतन को वेतन संदाय खाते से उसके खाते, यदि कोई उसी बैंक में हो, धनराशि के अन्तरण द्वारा संदाय किया जायेगा, अथवा यदि उस बैंक में उसका कोई खाता नहीं है तो चेक द्वारा संदाय किया जायेगा।

60-ङ वेतन के सम्बन्ध में दायित्व—[1][(1) राज्य सरकार ऐसे प्रत्येक महाविद्यालय के अध्यापकों एवं कर्मचारियों के उन पदों के विरुद्ध वेतन के संदाय के लिए दायी होगी जिसे राज्य सरकार द्वारा 31 मार्च, 1975 को या उसके आस-पास सहायता अनुसूची में सम्मिलित किया गया था :

परन्तु प्रथमतः, यह कि उच्चतर शिक्षा निदेशक अथवा उसके द्वारा महाविद्यालय को सहायता अनुदान की स्वीकृति प्रदान करने के लिए उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी ने उस महाविद्यालय से सहायता अनुदान सूची में सम्मिलित किये जाने के पश्चात् एक वर्ष के भीतर उन पदों के विरुद्ध वेतन संदाय कर दिया है :

परन्तु द्वितीयतः, यह कि सहायता अनुदान प्राप्त महाविद्यालय में पद, जिन्हें महाविद्यालय के सहायता अनुदान सूची में सम्मिलित किये जाने के पश्चात् निदेशक, उच्चतर शिक्षा की अनुमति से या राज्य सरकार द्वारा सृजित किया गया था और उन्हें निदेशक, उच्चतर शिक्षा के अथवा उसके द्वारा 31 मार्च, 1975 के पश्चात् प्राधिकृत अधिकारी के अनुमोदन से सम्यक् रूप से भरा गया था :

---

1. 2004 के उ० प्र० अधिनियम 1 द्वारा प्रतिस्थापित (11-7-2003 से प्रभावी)।

परन्तु तृतीयतः यह कि राज्य सरकार ऐसी किसी महाविद्यालय के अध्यापकों और कर्मचारियों के वेतनों के संदाय के लिए दायी नहीं होगी जहां पदों को सृजित करने की अनुमति निदेशक, उच्चतर शिक्षा द्वारा या राज्य सरकार द्वारा इस शर्त के आधार पर प्रदान की गयी थी कि क्रमशः महाविद्यालय का प्रबन्धतन्त्र इस प्रकार सृजित किये गये पद के विरुद्ध वेतन के संदाय के दायित्व को वहन करेगा :

परन्तु चतुर्थतः यह कि महाविद्यालय जिनमें पूर्व स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के कतिपय संख्या में विषयों की सम्बद्धता को कुलपति द्वारा स्वपोषित योजना के अधीन प्रदान किया गया है तो राज्य सरकार उस पाठ्यक्रम में शिक्षा प्रदान करने के सम्बन्ध में नियुक्त अध्यापकों एवं कर्मचारियों के वेतन का संदाय करने हेतु दायी नहीं होगी।]

(2) राज्य सरकार ऐसी कोई भी धनराशि उसी प्रकार से वसूल कर सकेगी जिसके सम्बन्ध में उस महाविद्यालय की या उसमें निहित सम्पत्ति से आय की कुर्की द्वारा उपधारा (1) के अधीन उसके द्वारा कोई दायित्व उपगत किया गया है मानो वह धनराशि उस महाविद्यालय से देय भू-राजस्व का अवशिष्ट थी।

(3) इस धारा में कही गयी किसी भी बात का उस अध्यापक या कर्मचारियों को ऐसे किसी बकायों के लिए महाविद्यालय के दायित्व से अल्पीकरण करना नहीं समझा जायेगा।

60-च. दण्ड, शास्तियां एवं प्रक्रिया—(1) यदि धारा 60-ग के अधीन किसी निदेश का अथवा धारा 60-ख या धारा 60-घ के प्रावधानों का अनुपालन करने में कोई व्यतिक्रम कारित किया जाता है तो प्रत्येक व्यक्ति, जो व्यतिक्रम कारित किये जाने के समय प्रबन्धक अथवा कोई अन्य व्यक्ति था जिसमें उस महाविद्यालय के कार्यकलापों का प्रबन्ध करने एवं उसे संचालित करने का प्राधिकार निहित किया गया था, जब तक वह यह सिद्ध न कर दे कि व्यतिक्रम को उसकी जानकारी के बिना कारित किया गया था अथवा यह कि उसने उस व्यतिक्रम के कारित किये जाने का निवारण करने के लिए समस्त सम्यक् अध्यवसाय का प्रयोग किया था, धारा 60-ख के प्रावधानों के अनुपालन में व्यतिक्रम की दशा में अर्थदण्ड, से जो एक हजार रुपये तक हो सकेगा, और किसी अन्य व्यतिक्रम की दशा में कारावास से, जो छः माह तक हो सकेगा अथवा अर्थदण्ड से जो एक हजार रुपये तक हो सकेगा अथवा दोनों से दण्डनीय होगा।

(2) कोई भी न्यायालय उपनिदेशक की पूर्व स्वीकृति के बिना इस धारा के अधीन दण्डनीय किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।

(3) इस धारा के अधीन पुलिस अपराध संज्ञेय होगा लेकिन उपाधीक्षक की पंक्ति से अनिम्न कोई भी पुलिस अधिकारी प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना ऐसे किसी भी अपराध का अन्वेषण नहीं करेगा अथवा वारंट के बिना उसके लिए गिरफ्तारी नहीं करेगा।

(4) प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से अनिम्न पंक्ति का कोई भी न्यायालय इस धारा के अधीन अपराध का संज्ञान नहीं होगा।

60-छ. आदेशों की अन्तिमतता—राज्य सरकार, शिक्षा निदेशक (उच्चतर शिक्षा), उपनिदेशक या अन्य अधिकारी द्वारा इस अध्याय द्वारा अथवा इस अध्याय के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए किया गया कोई भी आदेश या दिया गया कोई भी निदेश किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जायेगा।

60-ज. नियम बनाने की शक्ति—(1) राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा इस अध्याय के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियमों को बना सकेगी।

(2) इस अध्याय के अधीन बनाये गये सभी नियम, उनके बनाये जाने के शीघ्र पश्चात्, राज्य विधानमण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष उस समय प्रस्तुत किये जायेंगे जब वह एक ही सत्र में या एक से अधिक उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट तीस दिन की कुल अवधि के लिए सत्र में हो, प्रस्तुत किये जायेंगे और जब तक कोई पश्चात्वर्ती तारीख नियत न की गयी हो, ऐसे उपान्तरणों या व्यतिलीकरणों के अध्यधीन

शासकीय गजट में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे जिन्हें संसद के दोनों सदन उक्त अवधि के दौरान करने के लिए सहमत हो जायें, किन्तु इस प्रकार की ऐसा कोई भी उपान्तरण या आतिलीकरण उसके अधीन पूर्वतर की गयी किसी भी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव के बिना होगा।

अध्याय 12

शास्तियां एवं प्रक्रिया

61. शास्तियां—(1) जो कोई धारा 46 के प्रावधानों का अतिलंघन करता है, सिद्धदोष हो जाने पर, ऐसी अवधि के कारावास से, जो तीन माह तक हो सकेगी अथवा अर्थदण्ड से, जो एक हजार रुपये तक हो सकेगा अथवा दोनों से दण्डित किया जायेगा।

(2) कोई भी व्यक्ति जो—

(क) किसी ऐसे महाविद्यालय की किसी भी सम्पत्ति को अपने कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में रखते हुए, जिसके सम्बन्ध में धारा 58 के अधीन आदेश को किया गया है, सदोष उस सम्पत्ति को उस धारा के अधीन नियुक्त प्राधिकृत नियंत्रक से अथवा उसके द्वारा उस निमित्त प्राधिकृत किसी भी व्यक्ति से सदोष प्रतिधारित करता है; अथवा

(ख) उस महाविद्यालय की किसी भी सम्पत्ति का सदोष कब्जा प्राप्त करता है; अथवा

(ग) कोई पुस्तक या अन्य दस्तावेज को उसके कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में हो सकते हैं, प्रतिधारित करता है अथवा प्राधिकृत नियंत्रक या धारा 60 की उपधारा (2) द्वारा यथा अपेक्षित उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति को प्रदान करने में असफल हो जाता है; अथवा

(घ) किसी भी व्यक्ति को इस अधिनियम के सभी प्रावधानों या उनमें से किसी को सम्यक् रूप से कार्यान्वित करने से जानबूझकर व्यवधान उत्पन्न करता है,

सिद्धदोष किये जाने पर ऐसी अवधि के कारावास से जो एक वर्ष तक हो सकेगी अथवा अर्थदण्ड से या दोनों से दण्डित किया जायेगा :

परन्तु यह कि इस उपधारा के खण्ड (क) अथवा खण्ड (ख) के अधीन किसी भी अपराध के विषय में विचार करते हुए न्यायालय अभियुक्त व्यक्ति को सिद्धदोष करने के समय न्यायालय द्वारा नियत किये जाने वाले समय के भीतर सदोष प्रतिधारित या सदोष प्राप्त कोई भी सम्पत्ति अथवा सदोष प्रतिधारित कोई भी पुस्तक या अन्य दस्तावेज परिदत्त या प्रतिदाय करने के लिए आदेशित कर सकेगा।

62. न्यायालयों द्वारा संज्ञान—कोई भी न्यायालय शिक्षा निदेशक (उच्चतर शिक्षा) की पूर्व स्वीकृति के बिना धारा 61 के अधीन दण्डनीय अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।

63. पंजीकृत सोसाइटियों द्वारा अपराध—(1) यदि धारा 61 के अधीन अपराध को कारित करने वाला व्यक्ति सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीकृत सोसाइटी है, तो वह सोसाइटी और साथ ही अपराध के कारित किये जाने के समय उसके काम-काज के संचालन हेतु सोसाइटी का प्रभारी और उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति का उस अपराध का दोषी होना समझा जायेगा और वह अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने तथा दण्डित किये जाने के लिए दायी होगा :

परन्तु यह कि इस धारा में अन्तर्विष्ट कोई भी बात ऐसे किसी भी व्यक्ति को किसी भी दण्ड के लिए दायी नहीं बनायेगी यदि वह यह सिद्ध कर देता है कि अपराध को उसकी जानकारी के बिना कारित किया गया था अथवा यह कि उसने उस अपराध को कारित करने का निवारण करने के लिए समस्त सम्यक् अध्यवसाय का प्रयोग किया था।

(2) उपधारा (2) में अन्तर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई भी अपराध पंजीकृत सोसाइटी द्वारा कारित किया गया हो और यह सिद्ध हो जाये कि उस अपराध को सोसाइटी

के किसी भी सदस्य की सहमति या दुसंधि से कारित किया गया है अथवा यह कि अपराध का वह कारित किया जाना सोसाइटी के किसी सदस्य के पक्ष से किसी उपेक्षा के कारण है तो उस सदस्य का भी उस अपराध का दोषी होना समझा जायेगा और वह विरुद्ध कार्यवाही किये जाने एवं तद्नुसार दण्डित किये जाने के लिए दायी होगा।

अध्याय 13
प्रकीर्ण

64. प्राधिकरणों के अधिकारियों और सदस्यों की नियुक्ति की रीति—(1) इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा अभिव्यक्त रूप से उपबन्धित के सिवाय विश्वविद्यालय के अधिकारियों और विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के सदस्यों को, जहां तक संभव हो चुनाव के सिवाय अन्य पद्धति द्वारा चुना जा सकेगा।

(2) जहां इस अधिनियम अथवा परिनियमों में चक्रानुक्रम द्वारा किसी नियुक्ति अथवा वरिष्ठता के अनुसार या अन्य अर्हताओं द्वारा किसी भी नियुक्ति के लिए प्रावधान किया गया है तो चक्रानुक्रम एवं वरिष्ठता के अवधारण एवं अन्य अर्हताओं की रीति ऐसी होगी जिसे विहित किया जा सकेगा।

(3) जहां इस अधिनियम में चुनाव का प्रावधान किया जाये, तो ऐसा चुनाव एकल हस्तान्तरणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधिक की पद्धति के अनुसार किया जायेगा और जहां चुनाव का प्रावधान परिनियम में किया जाये, तो उसे ऐसी रीति से किया जायेगा जिसे परिनियम में उपबन्धित किया जाये।

(4) इस अधिनियम द्वारा अभिव्यक्त रूप से उपबन्धित के सिवाय, विश्वविद्यालय का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी अथवा अन्य निकाय के लिए चुनाव की ईप्सा करने का पात्र होगा।

65. नैमित्तिक रिक्तियों का भरा जाना—(1) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय के पदेन सदस्यों को छोड़कर सदस्यों में किसी नैमित्तिक रिक्ति को ऐसी रीति से भरा जायेगा जिसमें सदस्य, जिनकी रिक्ति को भरा जाना है, चुना गया था और रिक्ति को भरने वाला व्यक्ति उस प्राधिकरण या निकाय का उस शेष अवधि के लिए सदस्य होगा जिसके लिए उस व्यक्ति, जिसके स्थान को उसने भरा है, सदस्य रहा होता।

(2) व्यक्ति, जो किसी अन्य निकाय के प्रतिनिधि के रूप में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का सदस्य है चाहे वह विश्वविद्यालय का हो या बाहर का, उस प्राधिकरण पर अपने पद को तब तक प्रतिधारित करेगा जब तक वह उस निकाय का सदस्य बना रहता है [1][* * *]।

66. कार्यवाही को रिक्तियों आदि द्वारा अविधिमान्य नहीं बनाया जायेगा—विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय या समिति का कोई भी कार्य या कार्यवाही मात्र निम्न कारण से अवैध नहीं होगी—

(क) उसके गठन में कोई भी रिक्ति या दोष; अथवा

(ख) कार्यवाही में भाग लेने पर कोई व्यक्ति जो सेवा करने का हकदार नहीं था; अथवा

(ग) उसके सदस्य के रूप में कार्य करते हुए व्यक्ति के चुनाव, नामांकन या नियुक्ति में कोई दोष; अथवा

(घ) वाद के गुणावगुण को प्रभावित न करते हुए उसकी प्रक्रिया में कोई भी अनियमितता।

---

1. 1998 के उ० प्र० अधिनियम 9 द्वारा पदावली "और तत्पश्चात् उसके उत्तराधिकारी की सम्यक रूप से नियुक्ति होने तक" लोपित।

[1][66-क. राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न होते हुए नीतिगत मामलों पर समय-समय पर विश्वविद्यालय को ऐसे निदेश जारी कर सकेंगे जिन्हें वह आवश्यक समझे, ऐसे निदेश का विश्वविद्यालय द्वारा अनुपालन किया जायेगा।]

67. विश्वविद्यालय की सदस्यता से अपसारण—न्यायालय वर्तमान सदस्यों को दो-तिहाई बहुमत द्वारा मतदान द्वारा किसी भी व्यक्ति को इस आधार पर विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण अथवा अन्य निकाय की सदस्यता से अपसारित कर सकेगा कि उस व्यक्ति को ऐसे अपराध से सिद्धदोष किया गया है, जो न्यायालय की राय में, नैतिक अधमता को अन्तर्ग्रस्त करते हुए अपराध है अथवा इस आधार पर कि वह कलंककारी आचरण का दोषी है अथवा उसने विश्वविद्यालय के सदस्य के रूप में अशोभनीय रीति से व्यवहार किया है और वह उन्हीं आधारों पर विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त या प्रदान की गयी किसी भी उपाधि, या प्रमाण-पत्र से प्रत्याहरण कर सकेगा।

68. कुलपति को संदर्भ—यदि इस विषयक कोई प्रश्न उठता है कि क्या किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में चुना या नियुक्त किया गया है अथवा वह सदस्य होने का हकदार है, अथवा क्या विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी या अधिकारी का विनिश्चय [2][परिनियम, अध्यादेश या विनियम की वैधता के बारे में प्रश्न सहित, न कि राज्य सरकार द्वारा या कुलपति द्वारा दिये गये या अनुमोदित परिनियम अथवा अध्यादेश की वैधता के बारे में] इस अधिनियम या परिनियम अथवा उसके अधीन तैयार किये गये अध्यादेश के अनुरूप है, तो मामला कुलपति के समक्ष निर्दिष्ट किया जायेगा और उस पर कुलपति का निर्णय अन्तिम होगा :

परन्तु यह कि इस धारा के अधीन कोई भी संदर्भ निम्न दशाओं में नहीं किया जायेगा—

(क) उस तारीख से तीन माह के अधिक के पश्चात् जब प्रश्न पहली बार उठाया जा रहा हो;

(ख) विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी या अधिकारी को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति या क्षुब्ध व्यक्ति द्वारा :

परन्तु अग्रेतर यह कि कुलपति आपवादिक परिस्थितियों में—

(क) पूर्ववर्ती परन्तुक में उल्लिखित अवधि के समाप्त होने के पश्चात् स्वप्रेरणा से कार्य कर सकेगा या संदर्भ को ग्रहण कर सकेगा;

(ख) जहां निर्दिष्ट मामले का सम्बन्ध चुनाव के बारे में विवाद से है और इस प्रकार चुने गये व्यक्ति की पात्रता संदिग्ध है, तो रोक के ऐसे आदेशों को पारित कर सकेगा जिसे वह न्यायसंगत अथवा समीचीन समझे;

(ग) [3][* * *]।

[4][**68-क. प्रबन्धतन्त्र के विरुद्ध कुलपति की अपने आदेश को प्रवर्तित करने की शक्ति**—(1) जहाँ सम्बद्ध अथवा सहयुक्त महाविद्यालय के प्रबन्धतन्त्र का किसी अध्यापक को बर्खास्त करने, अपसारित करने या पंक्ति में कम करने या उसे ऐसी अन्य किसी रीति से दण्डित करने या उसकी सेवाओं को समाप्त करने के निर्णय का उपकुलपति द्वारा अनुमोदन नहीं किया गया है अथवा जहाँ उस अध्यापक के निलम्बन के आदेश को इस अधिनियम के अथवा धारा 74 द्वारा निरसित अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपकुलपति द्वारा रोक लगायी गयी है, उसका प्रतिसंहरण किया गया है या उसे उपान्तरित किया गया है और प्रबन्धतन्त्र में उस अध्यापक के वेतन का संदाय करने में व्यतिक्रम कारित किया गया है जो उसे उपकुलपति के आदेश

---

1. 2004 के उ० प्र० अधिनियम 1 द्वारा अन्तःस्थापित (21-1-2003 से प्रभावी)।
2. 1975 के उ० प्र० अधिनियम 21 द्वारा अन्तःस्थापित।
3. 1977 के उ० प्र० अधिनियम 5 द्वारा लोपित।
4. 1977 के उ० प्र० अधिनियम 5 द्वारा अन्तःस्थापित।

के परिणामस्वरूप देय हुआ था तो उपकुलपति प्रबन्धतन्त्र से वेतन की उस धनराशि को, जिसे आदेश में विनिर्दिष्ट किया गया हो, संदाय करने की अपेक्षा करते हुए आदेश पारित कर सकेगा और निलम्बन की अवधि के दौरान वह प्रबन्धतन्त्र से संदेय वेतन के आधे की दर पर निलम्बन भत्ता संदाय करने की भी अपेक्षा कर सकेगा बशर्ते उक्त धनराशि का संदाय न किया गया हो।

(2) उपधारा (1) में जैसा कि निर्दिष्ट किया गया है, ऐसे किसी भी वाद में उपकुलपति ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन जिन्हें वह उपयुक्त समझे; सम्बन्धित अध्यापक की पुनर्बहाली का आदेश कर सकेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन उपकुलपति के आदेश के अधीन संदाय किये जाने के लिए अपेक्षित वेतन की धनराशि अथवा निलम्बन भत्ता, उस विषयक उसके द्वारा प्रमाण-पत्र जारी किये जाने पर कलक्टर द्वारा भू-राजस्व के अवशिष्टों के रूप में वसूली योग्य होगा।

(4) उपधारा (2) के अधीन उपकुलपति का प्रत्येक आदेश प्रादेशीय क्षेत्राधिकार को रखने वाले निम्नतम् सिविल न्यायालय द्वारा उसी प्रकार से निष्पादन होगा मानो उस न्यायालय की डिक्री हो।

(5) ऐसे किसी भी मामले के सम्बन्ध में जिसके लिए उपकुलपति द्वारा इस धारा के अधीन अनुतोष प्रदान किया जा सकता है, किसी भी प्रबन्धतन्त्र या अध्यापक के विरुद्ध कोई भी वाद दाखिल नहीं किया जा सकेगा।]

[1][**69. वाद का प्रतिषेध**—राज्य सरकार या शिक्षा निदेशक (उच्चतर शिक्षा) या उपनिदेशक (धारा 7-क में यथा परिभाषित) अथवा प्राधिकृत नियंत्रक या विश्वविद्यालय या उसके किसी अधिकारी, प्राधिकारी या निकाय के विरुद्ध ऐसी किसी भी बात के सम्बन्ध में कोई भी वाद अथवा अन्य विधिक कार्यवाही दाखिल नहीं की जायेगी जिसे अधिनियम या उसके अधीन बनायी गयी नियमावली या परिनियमों या अध्यादेशों के अनुसरण में किया गया था या तात्पर्यित था या किया जाना आशयित था।]

70. विश्वविद्यालय अभिलेख के सबूत की पद्धति—(1) विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण या समिति के किसी भी पावती, आवेदन, नोटिस, आदेश, कार्यवाही, अथवा संकल्प की प्रति या विश्वविद्यालय के कब्जे में अन्य दस्तावेज या विश्वविद्यालय द्वारा सम्यक् रूप से अनुरक्षित किसी पंजी में कोई भी प्रविष्टि, यदि रजिस्ट्रार द्वारा प्रमाणित की गयी हो, उस पावती, आवेदन, नोटिस, आदेश, कार्यवाही, संकल्प अथवा दस्तावेज के या पंजी में प्रविष्टि की विद्यमानता के प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य को प्राप्त किया जायेगा और उसे मामलों के साक्ष्य के रूप में तथा उसमें अभिलिखित संव्यवहारों के रूप में ग्रहण किया जायेगा जहां उसकी मूल प्रति, यदि पेश की गयी हो, साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया गया होता।

(2) विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी अथवा सेवक से ऐसी किसी भी कार्यवाही में, जिसमें विश्वविद्यालय पक्षकार नहीं है, विश्वविद्यालय के किसी दस्तावेज, पंजी तथा अन्य अभिलेख को सिवाय, प्रमाणित प्रति के, जिसकी अन्तर्वस्तु को उपधारा (1) के अधीन सिद्ध किया जा सकता है, पेश करने अथवा उसमें अभिलिखित मामलों एवं संव्यवहारों को सिद्ध करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी जब तक कि न्यायालय के आदेश द्वारा विशेष कारण हेतु न किया गया हो।

अध्याय 14

अस्थायी उपबन्ध

71. विश्वविद्यालय के विद्यमान अधिकारियों का बने रहना—इस अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन, इस अधिनियम के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व तारीख पर विद्यमान विश्वविद्यालय के अधिकारी के रूप में पद को धारित करने वाला प्रत्येक व्यक्ति उन्हीं निबन्धनों एवं शर्तों पर, जब तक कि उसके पद का कार्यकाल समाप्त न हो जाये, पद को धारित करता रहेगा।

---

1. 1975 के उ० प्र० अधिनियम 21 द्वारा प्रतिस्थापित।

72. प्राधिकरणों का गठन—[1][(1) विद्यमान विश्वविद्यालय का प्रत्येक प्राधिकरण इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात् यथा शीघ्र इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार गठित किया जायेगा और इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व उस प्राधिकरण के सदस्य के रूप में पद को धारित करने हुए प्रत्येक व्यक्ति, उस प्रारम्भ होने की तारीख पर उस सदस्य के रूप में होना बन्द हो जायेगा।]

(2) जब तक उपधारा (1) के अधीन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का गठन न हो जाये, राज्य सरकार आदेश द्वारा समय-समय पर यह निदेशित कर सकेगी कि किसके द्वारा और किस रीति से इस अधिनियम के अधीन प्रयोग किये जा सकने या उन्मोचित किये जा सकने वाले, शक्तियों एवं कार्यों को विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण द्वारा प्रयोग या उन्मोचित किया जायेगा :

परन्तु यह कि [2][31 दिसम्बर, 1982] के पश्चात् ऐसा कोई भी निदेश जारी नहीं किया जायेगा।

(3) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अध्यादेश, 1973 की धारा 67 की उपधारा (2) के अनुसरण में गठित प्रशासनिक समितियां एवं शिक्षा समितियां 15 सितम्बर, 1973 को उन समितियों द्वारा उस तारीख के पूर्व की गयी बातों या किये जाने के लिए लोपित बातों के सिवाय विघटित हो जायेंगी, लेकिन इस उपधारा में कही गयी किसी भी बात का राज्य सरकार को उस तारीख से, उपधारा (2) के अधीन ऐसी कार्रवाई को करने से प्रतिबाधित करना नहीं समझा जायेगा जिसे वह उपयुक्त समझे।

[3][**72-क. काशी विद्यापीठ के सम्बन्ध में अस्थायी प्रावधान**—इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए—

(क) काशी विद्यापीठ के, उसके विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित होने के ठीक पूर्व तारीख पर अधिकारी के रूप में (कुलपति को छोड़कर) पद को धारित करने वाला प्रत्येक व्यक्ति उन्हीं निबन्धनों एवं शर्तों पर पद को धारित करता रहेगा सिवाय उस पदावधि के सम्बन्ध में, जिसे उसने उक्त तारीख को धारित किया था, जब तक कि खण्ड (ख) के अधीन नई नियुक्तियां न की गयीं हों;

(ख) इस धारा के प्रारम्भ होने की तारीख के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य सरकार उक्त विश्वविद्यालय के अन्तरिम अधिकारियों (कुलपति को छोड़कर) की नियुक्ति करेगी और उक्त विश्वविद्यालय की अन्तरिम प्राधिकरणों का ऐसी रीति से गठन करती रहेगी जिसे वह उपयुक्त समझे, जिसके पश्चात् खण्ड (क) में निर्दिष्ट तत्समानी अधिकारी पद को धारित करना बन्द कर देंगे और तत्समानी प्राधिकरण अविलम्ब विघटित हो जायेंगे;

[4][(ग) खण्ड (ख) के अधीन नियुक्त किये गये अधिकारी और गठित प्राधिकरणों के सदस्य [5][31 दिसम्बर, 1981] तक अथवा जो भी पूर्वतर हो, खण्ड (घ) के अनुसार अधिकारियों की नियुक्ति या प्राधिकारियों के गठन होने तक पद को धारित करते रहेंगे;

(घ) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उक्त विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति और प्राधिकरणों के गठन के लिए कदम उठाएगी ताकि उसे खण्ड (ग) के अधीन अन्तरिम अधिकारियों एवं सदस्यों की क्रमशः पदावधि के समाप्त होने के पूर्व पूर्ण किया जा सके।]

---

1. 1975 के उ० प्र० अधिनियम 21 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. 1980 के उ० प्र० अधिनियम 15 द्वारा प्रतिस्थापित (1-1-1979 से प्रभावी)।
3. 1974 के उ० प्र० अधिनियम 29 द्वारा अन्तःस्थापित।
4. 1978 के उ० प्र० अधिनियम 12 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. 1980 के उ० प्र० अधिनियम 15 द्वारा प्रतिस्थापित (1-1-1979 से प्रभावी)।

[1][72-ख. गढ़वाल विश्वविद्यालय के नाम के परिवर्तन पर अस्थायी उपबन्ध—25 अप्रैल, 1989 से इस अधिनियम या किन्हीं नियमों, परिनियमों, अध्यादेशों, वैधानिक लिखतों, अथवा तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी विधि या किसी दस्तावेज या कार्यवाही में गढ़वाल विश्वविद्यालय के किसी भी संदर्भ को हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के संदर्भ के रूप में अर्थान्वित किया जायेगा।]

[2][72-ग. मेरठ विश्वविद्यालय के नाम के परिवर्तन पर अस्थायी उपबन्ध—17 जनवरी, 1994 से इस अधिनियम या किन्हीं नियमों, परिनियमों, अध्यादेशों, वैधानिक लिखतों, अथवा तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी भी विधि या किसी दस्तावेज या कार्यवाही में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ के संदर्भ में अर्थान्वित किया जायेगा।]

[3][72-घ. अवध विश्वविद्यालय के नाम के परिवर्तन पर अस्थायी उपबन्ध—[4][(1)] 18 जून, 1994 से इस अधिनियम या किन्हीं नियमों, परिनियमों, अध्यादेशों, वैधानिक लिखतों, अथवा तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी भी विधि या दस्तावेज या कार्यवाही में अवध विश्वविद्यालय के किसी भी संदर्भ को डॉ० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के संदर्भ के रूप में अर्थान्वित किया जायेगा।]

[5][(2) 11 जुलाई, 1995 से इस अधिनियम या किन्हीं नियमों, परिनियमों, अध्यादेशों, वैधानिक लिखतों, अथवा तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी भी विधि या दस्तावेज या कार्यवाही में अवध विश्वविद्यालय, अथवा डॉ० राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, फैजाबाद के किसी भी संदर्भ को डॉ० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद के अर्थ में अर्थान्वित किया जायेगा।]

[6][72-ङ. काशी विद्यापीठ के नाम के परिवर्तन पर अस्थायी उपबन्ध—11 जुलाई, 1995 से इस अधिनियम या किन्हीं नियमों, परिनियमों, अध्यादेशों, वैधानिक लिखतों, अथवा तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी भी विधि या दस्तावेज या कार्यवाही में काशी विद्यापीठ के किसी भी संदर्भ को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के अर्थ में अर्थान्वित किया जायेगा।]

[7][72-च. आगरा और कानपुर विश्वविद्यालयों के नाम के परिवर्तन पर अस्थायी उपबन्ध—[8][(1) 24 सितम्बर, 1995 से, इस अधिनियम या किन्हीं अन्य नियमों, परिनियमों, अध्यादेशों वैधानिक लिखतों अथवा तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी भी विधि या दस्तावेज या कार्यवाही में आगरा विश्वविद्यालय एवं कानपुर विश्वविद्यालय के संदर्भ में क्रमशः डॉ० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा और श्री साहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर के संदर्भ में अर्थान्वित किया जायेगा।]

[9][(2) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1997 के प्रारम्भ होने की तारीख से इस अधिनियम या किन्हीं नियमों, परिनियमों, अध्यादेशों, वैधानिक लिखतों, अथवा तत्समय प्रवृत्ति अन्य किसी भी विधि या दस्तावेज में या कार्यवाही में कानपुर विश्वविद्यालय के अथवा श्री साहूजी महाराज

---

1. 1989 के उ० प्र० अधिनियम 26 द्वारा अन्तःस्थापित (24-4-1989 से प्रभावी)।
2. 1994 के उ० प्र० अधिनियम 5 द्वारा अन्तःस्थापित (17-1-1994 से प्रभावी)।
3. 1989 के उ० प्र० अधिनियम 20 द्वारा अन्तःस्थापित (18-6-1994 से प्रभावी)।
4. राष्ट्रपति के वर्ष 1996 के अधिनियम संख्यांक 4 द्वारा पुनर्संख्यांकित (11-7-1995 से प्रभावी)
5. राष्ट्रपति के वर्ष 1996 के अधिनियम संख्यांक 4 द्वारा अन्तःस्थापित (11-7-1995 से प्रभावी)।
6. राष्ट्रपति के वर्ष 1996 के अधिनियम संख्यांक 4 द्वारा उपधारा (1) को पुनर्संख्यांकित (11-7-1995 से प्रभावी)।
7. राष्ट्रपति के वर्ष 1996 के अधिनियम संख्यांक 4 द्वारा अन्तःस्थापित (23-9-1995 से प्रभावी)।
8. 1997 के उ० प्र० अधिनियम 12 द्वारा अन्तःस्थापित।
9. 1997 के उ० प्र० अधिनियम 12 द्वारा अन्तःस्थापित।

विश्वविद्यालय, कानपुर के किसी भी संदर्भ को छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर के संदर्भ के रूप में अर्थान्वित किया जायेगा।]

[1][72-छ. **गोरखपुर विश्वविद्यालय और रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय के नाम के परिवर्तन पर अस्थायी उपबन्ध**—उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1997 के प्रारम्भ होने की तारीख से इस अधिनियम या किन्हीं नियमों, परिनियमों, अध्यादेशों, वैधानिक लिखतों अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि या दस्तावेज या कार्यवाही में गोरखपुर विश्वविद्यालय एवं रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय के किसी भी संदर्भ को दीनदयाल उपाध्याय, गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर और महात्मा ज्योतिबा फूले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली के संदर्भ के रूप में अर्थान्वित किया जायेगा।]

[2][72-ज. **पूर्वांचल विश्वविद्यालय के नाम पर अस्थायी उपबन्ध**—उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1999 के प्रारम्भ होने की तारीख से इस अधिनियम या किन्हीं नियमों, परिनियमों, अध्यादेशों, वैधानिक लिखतों अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि या दस्तावेज या कार्यवाही में पूर्वांचल विश्वविद्यालय के किसी भी संदर्भ को वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर के संदर्भ के रूप में अर्थान्वित किया जायेगा।]

[3][72-झ. **वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर के कतिपय छात्रों के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध**—महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी के क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, जिसे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर द्वारा जिला चन्दौली, मिर्जापुर, संत रविदास नगर, सोनभद्र, वाराणसी और बलिया के परीक्षा केन्द्रों से वर्ष 2008 की स्नातक भाग 1 या स्नातकोत्तर भाग 1 की परीक्षा में बैठने की अनुज्ञा प्रदान की गयी थी और जिसे परीक्षाफल में सफल घोषित किया गया है, वीर बहादुर सिंह, पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2008-2009 और 2009-2010 के दौरान उपर्युक्त जिलों के परीक्षा केन्द्रों से उक्त विश्वविद्यालय की, यथास्थिति, स्नातक भाग 2 तथा स्नातक भाग 3 की परीक्षा अथवा स्नातकोत्तर भाग 2 की परीक्षा में बैठने की अनुज्ञा प्रदान की जाएगी और ऐसे परीक्षाफल के आधार पर उसी विश्वविद्यालय द्वारा उपाधि प्रदान की जा सकेगी और ऐसी परीक्षा विधिमान्य समझी जाएगी।

72-ञ. छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर के कतिपय छात्रों के सम्बन्ध में विशेष उपबंध—लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ के क्षेत्र में निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को जिसे छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर द्वारा जिला लखनऊ के परीक्षा केन्द्र से वर्ष 2008 की स्नातक भाग 1 या स्नातकोत्तर भाग 1 की परीक्षा में बैठने की अनुज्ञा प्रदान की गयी थी और जिसे परीक्षाफल में सफल घोषित किया गया है, छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक वर्ग 2008-2009 और 2009-2010 के दौरान जिला लखनऊ के परीक्षा केन्द्र से उक्त विश्वविद्यालय की, यथास्थिति स्नातक भाग 2 तथा स्नातक भाग 3 या स्नातकोत्तर भाग 2 की परीक्षा में बैठने की अनुज्ञा प्रदान की जाएगी और ऐसे परीक्षाफल के आधार पर उसी विश्वविद्यालय द्वारा उपाधि प्रदान की जा सकेगी और ऐसी परीक्षा विधिमान्य समझी जाएगी।]

---

1. 1997 के उ० प्र० अधिनियम 18 द्वारा अन्तःस्थापित।
2. 1999 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 11 द्वारा अन्तःस्थापित (8-1-1999 से प्रभावी)।
3. 2009 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 6 द्वारा अन्तःस्थापित।

73. कठिनाइयों को अपसारण करने की शक्ति—(1) राज्य सरकार विशेषकर इस अधिनियम के प्रावधानों के लिए, धारा 74 द्वारा निरसित अधिनियमितियों के प्रावधानों से संक्रमण के सम्बन्ध में, किसी भी कठिनाई का अपसारण करने के प्रयोजनार्थ, शासकीय गजट में प्रकाशित आदेश से यह निदेशित कर सकेगी कि इस अधिनियम के प्रावधान उस अवधि के दौरान जिसे आदेश में विनिर्दिष्ट किया जा सकेगा, ऐसे अनुकूलनों, चाहे वह उपान्तरण, परिवर्धन अथवा लोप के माध्यम से हों, के अध्यधीन प्रभावी होंगे जिन्हें वह आवश्यक अथवा समीचीन समझे :

परन्तु यह कि ऐसे किसी भी आदेश को [1][31 दिसम्बर, 1982 के पश्चात्] नहीं किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किये गये प्रत्येक आदेश को राज्य विधानमण्डल के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी भी आदेश को किसी भी न्यायालय में इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जायेगा कि उपधारा (1) में यथा निर्दिष्ट कोई भी कठिनाई विद्यमान नहीं थी अथवा उसका अपसारित किया जाना अपेक्षित नहीं था।

74. कतिपय अधिनियमितियों का निरसन—(1) निम्नलिखित अधिनियमों को क्रमशः उन तारीखों से एतद्द्वारा निरसित किया जाता है, जब यह अधिनियम विद्यमान सम्बन्धित विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में प्रभावी किया गया हो, अर्थात्—

(क) लखनऊ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1920;

(ख) इलाहाबाद विश्वविद्यालय, अधिनियम, 1921;

(ग) आगरा विश्वविद्यालय अधिनियम, 1926;

(घ) गोरखपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, 1956;

(ङ) वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 1956; और

(च) कानपुर और मेरठ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1965

[2][(2) इस निरसन के होते हुए भी—

(क) ऐसे किसी भी अधिनियम के अधीन की गयी सभी नियुक्तियाँ, जारी किये गये आदेश, प्रदान की गयी उपाधियां अथवा डिप्लोमा अथवा जारी प्रमाण-पत्र, प्रदत्त विशेषाधिकार अथवा की गयी अन्य कोई भी बातें (स्नातकों के पंजीयन सहित) का क्रमशः इस अधिनियम के तत्समानी प्रावधानों के अधीन किया जाना, जारी किया जाना, प्रदान किया जाना, स्वीकृत किया जाना अथवा किया जाना समझा जायेगा और वे इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन यथा अन्यथा उपबन्धित के सिवाय प्रवृत्त होते रहेंगे जब तक कि उन्हें इस अधिनियम के अधीन किये गये किसी भी आदेश द्वारा अतिक्रमित न किया गया हो;

(ख) चयन समिति की सभी कार्यवाहियाँ जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व हुई थीं और प्रबन्धतन्त्र द्वारा अथवा जैसा विषय हो कार्यपरिषद् द्वारा उस चयन समितियों की सिफारिश के सम्बन्ध में सभी कार्रवाइयां, जहां उसके आधार पर नियुक्ति के कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व पारित नहीं किये गये थे, बावजूद इसके कि चयन की प्रक्रिया को इस अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया है, का वैध होना समझा जायेगा लेकिन उन लम्बित चयनों के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाहियां इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जायेंगी और उन्हें उस प्रक्रम से जारी रखा जायेगा जहां वे उस प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व विद्यमान थीं।]

---

1. 1982 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 25 द्वारा प्रतिस्थापित (29 12 1981 से प्रभावी)।
2. 1975 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 21 द्वारा प्रतिस्थापित और उसका सदैव प्रतिस्थापित किया जाना समझा जायेगा।

(3) उपधारा (1) एवं (2) में, अथवा इस अधिनियम के अन्य किसी भी प्रावधान में कही गयी किसी भी बात के होते हुए—

(क) [1][* * *]

(ख) [2][* * *]

(ग) जहां किसी संस्था में 18 जून, 1973 के पूर्व आगरा विश्वविद्यालय अधिनियम, 1926 के प्रावधानों के अनुसार आगरा विश्वविद्यालय से सम्बद्धता के लिए आवेदन किया हो और वह आवेदन उक्त तारीख को लम्बित हो एवं वह स्थान जहां संस्था अवस्थित है, इस अधिनियम के अधीन आगरा विश्वविद्यालय के क्षेत्र से बाहर है, तो वहां उस आवेदन का आगरा विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा उसी प्रकार से निस्तारण किया जा सकेगा मानो उस संस्था को उस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किया जायेगा और कुलपति द्वारा उस आवेदन से मंजूर किये जाने पर, वह संस्था धारा 5 में यथा विनिर्दिष्ट उस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हो जायेगी जिसके प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के भीतर, वह संस्था स्थित होगी;

(घ) जब तक विशेषज्ञों के नये पैनलों को धारा 31 की उपधारा (5) के अधीन तैयार न किया जायेगा, कुलपति अथवा जैसा विषय हो उपकुलपति उस धारा के अधीन चयन समिति के लिए इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व विद्यमान पैनलों में से विशेषज्ञों को नामोदिष्ट कर सकेगी :

[3][परन्तु यह कि उक्त उपधारा (5) के स्पष्टीकरण I एवं II के प्रावधान इस खण्ड में निर्दिष्ट विशेषज्ञों के पैनलों और इस खण्ड के अधीन उन पैनलों से किये गये नाम निर्देशनों के लिए भी लागू होंगे];

(ङ) जब तक विश्वविद्यालय में वित्त अधिकारी की नियुक्ति न की गयी हो, तब तक इस अधिनियम के अधीन वित्त अधिकारी के कार्यों का संपादन उस निमित्त कुलपति द्वारा नामोदिष्ट संकायाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा;

(च) जब तक धारा 17 के अधीन नियमों को न बनाया गया हो, तब तक कुलसचिव, उपकुलसचिव अथवा सहायक कुलसचिव के पद में किसी भी रिक्ति को कुलसचिव के पद की दशा में कुलपति द्वारा अस्थायी आधार पर एवं उपकुलसचिव या सहायक कुलसचिव के पद की दशा में उपकुलपति द्वारा भरा जायेगा;

[4][(छ) जिला वाराणसी में अवस्थित काशी नरेश गवर्नमेन्ट डिग्री कालेज, ज्ञानपुर, अथवा गवर्नमेन्ट डिग्री कालेज, जखनी, अथवा जिला देहरादून में अवस्थित गवर्नमेन्ट डिग्री कालेज, ऋषिकेश का प्रत्येक विद्यार्थी, जो—

(1) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अध्यादेश, 1973 के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व, आगरा विश्वविद्यालय की उपाधि के लिए अध्ययन कर रहा था; अथवा

(2) उक्त विश्वविद्यालय की उपाधि के लिए शैक्षिक वर्ष 1973-74 के दौरान उक्त महाविद्यालयों में से किसी के विद्यार्थी के रूप में भर्ती किया गया था; अथवा

---

1 1974 के उ० प्र० अधिनियम 29 द्वारा लोपित।

2 1977 के उ० प्र० अधिनियम 5 द्वारा लोपित।

3 1975 के उ० प्र० अधिनियम 21 द्वारा अन्तःस्थापित और उसका यदैव अन्तःस्थापित किया जाना समझा जायेगा।

4 1974 के उ० प्र० अधिनियम 29 द्वारा अन्तःस्थापित।

(3) वर्ष 1974 में अथवा वर्ष 1975 में [1][अथवा वर्ष 1976 में] उक्त विश्वविद्यालय की किसी भी उपाधि परीक्षा में भूतपूर्व विद्यार्थी के रूप में सम्मिलित होगा;

को आगरा विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुसार अपना पाठ्यक्रम पूर्ण करने की अनुमति दी जायेगी और ऐसे विद्यार्थियों की परीक्षा को आगरा विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा और उस परीक्षा के परिणाम पर, उसी विश्वविद्यालय द्वारा उपाधि प्रदान की जायेगी;

(ज) जब तक धारा 4 की उपधारा (1) अथवा उपधारा (1-क) में निर्दिष्ट विश्वविद्यालयों द्वारा संकायों का गठन न किया गया हो, तब तक धारा 31 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे; अर्थात्—

(1) प्रबन्धतन्त्र का अध्यक्ष अथवा उसके द्वारा नामोदिष्ट प्रबन्धतन्त्र का सदस्य, जो अध्यक्ष होगा;

(2) प्रबन्धतन्त्र द्वारा नामोदिष्ट प्रबन्धतन्त्र का एक सदस्य; और

(3) उपकुलपति द्वारा नामोदिष्ट किये जाने वाले तीन सदस्य;

[2][(झ) गोरखपुर विश्वविद्यालय के क्षेत्र के भीतर निवास करने वाला ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसे आगरा विश्वविद्यालय द्वारा काशी नरेश गवर्नमेन्ट डिग्री कालेज, ज्ञानपुर, वाराणसी केन्द्र से वर्ष 1974 की बी० ए० प्रथम वर्ष अथवा एम० ए० प्रथम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी गयी थी और जिसे परीक्षा के परिणाम पर सफल घोषित किया गया हो, आगरा विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षिक वर्ष 1974-75 और 1975-76 के दौरान काशी नरेश गवर्नमेन्ट डिग्री कालेज, ज्ञानपुर, वाराणसी केन्द्र से उक्त विश्वविद्यालय की बी० ए० द्वितीय वर्ष अथवा जैसा विषय हो एम० ए० द्वितीय वर्ष के सम्मिलित होने की आगरा विश्वविद्यालय द्वारा अनुमति दी जायेगी और उस परीक्षा के परिणामों पर उसी विश्वविद्यालय द्वारा उपाधि प्रदान की जायेगी एवं उस परीक्षा का वैध होना समझा जायेगा;

(ञ) इलाहाबाद विश्वविद्यालय अथवा लखनऊ विश्वविद्यालय के क्षेत्र में निवास कर रहे प्रत्येक व्यक्ति को कानपुर विश्वविद्यालय द्वारा (इस खण्ड में एतस्मिन् पश्चात् उक्त विश्वविद्यालय के रूप में निर्दिष्ट) द्वारा धारा 7 के खण्ड (5) में निर्दिष्ट परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जा सकेगी और उस परीक्षा के परिणामस्वरूप उक्त विश्वविद्यालय द्वारा बावजूद इसके उपाधि प्रदान की जायेगी कि वह व्यक्ति उक्त विश्वविद्यालय के क्षेत्र में निवास नहीं कर रहा था।]

75. 1965 के उ० प्र० अधिनियम XXIV का संशोधन—उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (परीक्षा के संचालन के सम्बन्ध में उपबन्ध) अधिनियम, 1965 की धारा 3 में, पदावली "दो माह" के लिए पदावली "छः माह" को प्रतिस्थापित किया जायेगा।

76. निरसन और व्यावृत्तियां—(1) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अध्यादेश, 1973 (1973 का उ० प्र० अध्यादेश 1) को एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

---

1. 1975 के उ० प्र० अधिनियम 21 द्वारा अन्तःस्थापित।
2. 1977 के उ० प्र० अधिनियम 5 द्वारा अन्तःस्थापित और उसका अन्तःस्थापित किया जाना समझा जायेगा।

(2) ऐसे किसी भी निरसन के होते हुए, उक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई भी कार्य या की गयी कोई भी कार्रवाई का, धारा 72 की उपधारा (3) के प्रावधानों के अध्यधीन इस अधिनियम के अधीन उसी प्रकार किया जाना समझा जायेगा मानो यह अधिनियम 18 जून, 1973 को प्रारम्भ हुआ था।

[1][अनुसूची

(धारा 5 देखिए)

क्रम संख्या	*विश्वविद्यालय का नाम*	*क्षेत्र जिसके भीतर विश्वविद्यालय अधिकारिता का प्रयोग करेगा*
1	2	3
1.	लखनऊ विश्वविद्यालय	लखनऊ जिला
2.	चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ	बागपत, बुलन्दशहर, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर तथा सहारनपुर जिले
3.	छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर	इलाहाबाद, औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, हरदोई, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कौशाम्बी, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, रायबरेली तथा उन्नाव जिले
4.	दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर	बस्ती, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, संत कबीरनगर तथा सिद्धार्थनगर जिले
5.	डाक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा	आगरा, अलीगढ़, एटा, फिरोजाबाद, हाथरस, कांशीरामनगर, मैनपुरी तथा मथुरा जिले
6.	डाक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद	अम्बेडकरनगर, बहराइच, बलरामपुर, बाराबंकी, फैजाबाद, गोंडा, प्रतापगढ़, श्रावस्ती तथा सुल्तानपुर जिले
7.	महात्मा ज्योतिबाफुले, रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली	बदायूँ, बरेली, बिजनौर, ज्योतिबाफुले नगर, मुरादाबाद, पीलीभीत, रामपुर तथा शाहजहाँपुर जिले
8.	बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी	चांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर तथा महोबा जिले
9.	वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर	आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर तथा मऊ जिले
10.	महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी	बलिया, चन्दौली, मिर्जापुर, संतरविदास नगर, सोनभद्र तथा वाराणसी जिले
[2][11.	उत्तर प्रदेश उर्दू, अरबी, फारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ	उर्दू, अरबी और फारसी में शिक्षा और अनुसंधान के सम्बन्ध में सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश]

---

1. 2009 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 6 द्वारा अन्तःस्थापित।
2. 2010 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 11 द्वारा अन्तःस्थापित (1-11-2009 से प्रभावी)।

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (केन्द्रीयकृत) सेवा नियमावली, 1975[1]

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनर्अधिनियमितीकरण और संशोधन) अधिनियम, 1974 द्वारा यथा पुनर्अधिनियमित और संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 17 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल महोदय ने सभी विश्वविद्यालयों में सामान्य रजिस्ट्रारों, उपरजिस्ट्रारों और सहायक रजिस्ट्रारों की पृथक सेवा के सृजन के लिए निम्नलिखित नियमों को बनाने, जिसके लिए पूर्वोल्लिखित अधिनियम लागू होता है और ऐसी किसी सेवा के लिए नियुक्त व्यक्तियों की सेवा में भर्ती को नियमित करने तथा शर्तों के लिए नियमों को बनाने में संतोष का अनुभव किया है।

भाग 1

प्रारम्भिक

1. **संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारम्भ**—(1) इन नियमों को उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (केन्द्रीयकृत) सेवा नियमावली, 1975 के नाम से जाना जा सकेगा।

(2) वे उन सभी विश्वविद्यालयों के लिए लागू होंगे जिनके लिए उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनर्अधिनियमितीकरण और संशोधन) अधिनियम, 1975 द्वारा यथा पुनर्अधिनियमित एवं संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 प्रयोज्य है।

(3) वे शासकीय गजट में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. **परिभाषाएँ**—इन नियमों जब तक प्रसंग में अन्यथा अपेक्षित न हों :

(क) "*अधिनियम*" समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 से अभिप्रेत है;

(ख) "*केन्द्रीयकृत सेवा*" अथवा "*सेवा*" इस नियमावली के नियम 3 के अधीन सृजित "*केन्द्रीयकृत सेवा*" से अभिप्रेत है;

(ग) "*भारत का नागरिक*" ऐसे व्यक्ति से अभिप्रेत है जो भारत के संविधान के भाग 2 के अधीन भारत का नागरिक है अथवा समझा जाता है;

(घ) "*आयोग*" उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से अभिप्रेत है;

(ङ) "*शिक्षा विभाग*" सरकार के शिक्षा विभाग से अभिप्रेत है;

(च) "*सरकार*" अथवा "*राज्य सरकार*" उत्तर प्रदेश की सरकार से अभिप्रेत है;

(छ) "*सचिव*" शिक्षा विभाग में सरकार के सचिव से अभिप्रेत है;

(ज) "*विश्वविद्यालय*" ऐसे विश्वविद्यालय से अभिप्रेत है जिसके लिए उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 प्रयोज्य होता है;

(झ) "*पदावली*" और "*अभिव्यक्तियाँ*" जिन्हें इन नियमों में परिभाषित नहीं किया गया है लेकिन अधिनियम में उनका प्रयोग किया गया है, उनका वही अर्थ होगा जो उन्हें इस अधिनियम में समनुदेशित किये गये हैं।

---

1. देखें, दिनांक 31-10-1975 के उत्तर प्रदेश गजट, असाधारण में प्रकाशित दिनांक 31 अक्टूबर, 1975 की अधिसूचना संख्या 6884/XV-10-75-60 (24)-74 ।

भाग 2

काडर और संख्या

3. केन्द्रीयकृत सेवा का सृजन—इन नियमों के प्रारम्भ होने के समय से, सभी विश्वविद्यालयों के लिए सामान्य केन्द्रीयकृत सेवा को भी जिसमें निम्नलिखित प्रशासनिक पद होंगे अर्थात् —

(1) रजिस्ट्रार,

(2) उपरजिस्ट्रार,

(3) सहायक रजिस्ट्रार।

4. वेतनमान—नियम 3 में उल्लिखित पदों की विभिन्न कोटियों के लिए वेतनमान ऐसा होगा जिसे सरकार समय-समय पर नियत कर सकेगी।

5. संख्या—(1) नियम 3 में उल्लिखित पदों की प्रत्येक कोटि की संख्या ऐसी होगी जिसे सरकार समय-समय पर नियत कर सकेगी।

(2) इन नियमों के प्रारंभ होने के तत्काल पूर्व, विश्वविद्यालयों में विद्यमान नियम 3 में उल्लिखित सभी पद केन्द्रीयकृत सेवा की वर्तमान स्थायी संख्या का अंग होंगे।

(3) केन्द्रीयकृत सेवा के अधीन विद्यमान पदों में से कोई अथवा ऐसा कोई पद जिसे राज्य सरकार भविष्य में सृजित कर सकेगी, को राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा समाप्त नहीं किया जायेगा।

भाग 3

भर्ती

[1][**6. भर्ती का स्रोत, आमेलन और विद्यमान अधिकारियों की सेवा समाप्ति**—नियम 7 के प्रावधानों के अध्यधीन—

(क) रजिस्ट्रार के पदों में से तैंतीस प्रतिशत, उपरजिस्ट्रार के सभी पदों को और सहायक रजिस्ट्रार के पदों में से तैंतीस प्रतिशत को नियम 20 में निर्दिष्ट रीति से प्रोन्नति द्वारा भरा जायेगा; और

(ख) रजिस्ट्रार एवं सहायक रजिस्ट्रार के शेष पदों को भाग 5 में निर्दिष्ट रीति से सीधे भर्ती द्वारा भरा जायेगा :

परन्तु यह कि खण्ड (क) के अनुसार प्रतिशत की संगणना करने तक प्राप्त किसी भी अंश की अवज्ञा कर दी जायेगी :

परन्तु अग्रेतर यह कि इस नियम में अन्तर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए, राज्य सरकार किसी भी सरकारी सेवक को तीन वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए केन्द्रीयकृत सेवा के पदों में से किसी के लिए भी प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त कर सकेगी।

7. विद्यमान अधिकारियों का आमेलन—(1) [2][इस नियमावली के प्रारम्भ होने के ठीक पहले, नियम 3 में उल्लिखित पदों में से किसी भी पद पर सेवारत व्यक्तियों की सेवाओं का आमेलन अथवा उनकी समाप्ति को निम्नलिखित प्रावधानों द्वारा शासित किया जायेगा—

(क) रजिस्ट्रार, उप-रजिस्ट्रार एवं सहायक रजिस्ट्रार के प्रशासनिक पदों पर सेवारत तथा जिनकी 14 मई, 1973 के पूर्व उक्त पदों में से किसी भी पद पर पुष्टि की गई थी, उस समय तक, जब तक वे अन्यथा चयन नहीं करते हैं, अन्तिम रूप से केन्द्रीयकृत सेवा में आमेलित किये जायेंगे।

---

1. दिनांक 24-3-1977 की अधिसूचना संख्या 1506/XV-10-77 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. दिनांक 31-12-1983 की अधिसूचना संख्या 1793/XV-10-83 35 (41)-1981--यू० पी० ए० -10-1973-नियम/1975- ए० एम० (4)-1982 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ख) उपरोक्त खण्ड (क) में निर्दिष्ट नियुक्तियों को अस्थायी रूप से धारित करते हुए या उन पर स्थानापन्न अन्य व्यक्ति, जब तक वे अन्यथा चयन नहीं करते हैं, ऐसे आदेशों के अध्यधीन अस्थायी रूप से आमेलित किये जायेंगे जिन्हें राज्य सरकार निम्न खण्ड (ग) के अधीन प्रत्येक वाद में पारित कर सकेगी।

(ग) उन व्यक्तियों की सेवाएं, जो खण्ड (ख) के अधीन अस्थायी रूप से आमेलित किये गये हैं लेकिन जिन्हें अन्तिम रूप से आमेलन के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया है, राज्य सरकार के आदेशों द्वारा (31 दिसम्बर, 1970 को या उसके पूर्व किये गये) अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2) में यथा उपबन्धित मुआवजे के रूप में एक माह के वेतन के संदाय पर समाप्त कर दी जायेंगी।

(घ) यदि किसी भी दशा में, राज्य सरकार की सेवाएं खण्ड (ग) के अधीन प्रतिकूल ढंग से नहीं की गयी हैं तो सम्बन्धित व्यक्तियों का केन्द्रीयकृत सेवा में अन्तिम रूप से आमेलन किया जाना समझा जायेगा।

(ङ) इन नियमों के प्रारंभ होने के तत्काल पूर्व उक्त पदों में से किसी पर भी सेवारत व्यक्तियों से केन्द्रीयकृत सेवा में आमेलन के लिए अपने विकल्प का प्रयोग करने की अपेक्षा की जायेगी। कोई व्यक्ति, जो शिक्षा विभाग में सरकार को, इस नियमावली के प्रारंभ होने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर अपने विकल्प को संसूचित करने में विफल हो जाता है, का ऐसे आमेलन के लिए चुनाव करना समझा जायेगा।

(च) खण्ड (क) में निर्दिष्ट व्यक्तियों की सेवाएं, जो आमेलन के विरुद्ध चुनाव करते हैं, उस विकल्प के प्रयोग की तारीख से समाप्त हो जायेंगी और वे, उनके लिए ग्राह्य किसी भी भविष्य निधि के उनके दावे पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना विश्वविद्यालय में उनकी सेवा की शेष अवधि का वेतन और उन व्यक्तियों की दशा में जिनकी इस नियमावली के प्रारंभ होने के तत्काल पूर्व कुल लगातार सेवा दस वर्ष से अधिक की, छः माह का वेतन अथवा उन व्यक्तियों की दशा में जिनकी यथा पूर्वोक्त कुल लगातार सेवा दस वर्ष से अधिक नहीं थी, तीन माह का वेतन, जो भी कम हो मुआवजे के रूप में संदाय किया जायेगा।

(छ) खण्ड (ग) अथवा खण्ड (च) के अधीन संदेय मुआवजे की धनराशि को उस विश्वविद्यालय द्वारा संदाय किया जायेगा जिसमें सम्बन्धित व्यक्ति इस नियमावली के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व नियोजित था।

(2) जहाँ अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट और सेवा में आमेलित व्यक्ति की दशा में, इस नियमावली द्वारा निर्धारित सेवा की कोई विशिष्ट शर्त उसके लिए उससे कम लाभप्रद संगणित होती है जो उसके लिए उस आमेलन के पूर्व प्रयोज्य थी तो इस नियमावली में अन्तर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए, उसके आमेलन के पूर्व उसके लिए प्रयोज्य शर्त ऐसे व्यक्ति हेतु लागू होगी।

स्पष्टीकरण—ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसके लिए यह नियमावली लागू होती है, एक विश्वविद्यालय से किसी अन्य विश्वविद्यालय को स्थानान्तरण के लिए दायी होगा।

8. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों आदि के लिए आरक्षण—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, नियोंग्य सेवाकर्मियों और स्वतन्त्रता सेनानियों के आश्रितों के लिए आरक्षण राज्य सरकार के उन आदेशों के अनुसार होगा जो भर्ती के समय प्रवृत्त थे।

टिप्पणी—इस नियमावली के प्रारम्भ होने के समय यथा प्रवृत्त राज्य सरकार के आदेशों की प्रतियाँ उससे संलग्न अनुसूची 1, 2 तथा 3 में पायी जायेंगी।

भाग 4

अर्हताएँ

9. राष्ट्रीयता—केन्द्रीयकृत सेवा में किसी भी पद पर भर्ती के लिए अभ्यर्थी निम्न में से कोई होगा—

(क) भारत का नागरिक; अथवा

(ख) तिब्बती शरणार्थी, जो 1 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत में, भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आ गया था; अथवा

(ग) भारतीय मूल का व्यक्ति, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, सिलोन और केन्या, युगांडा एवं तंजानियां संयुक्त गणतन्त्र (पूर्व में तंजानायिका एवं जंजीबार) के पूर्वी अफ्रीकन देशों से प्रवास कर चुका है :

परन्तु यह कि उपरोक्त कोटि "ख" अथवा "ग" का अभ्यर्थी वह व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में पात्रता प्रमाण-पत्र को राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया है :

परन्तु अग्रेतर यह कि कोटि "ख" के अभ्यर्थी से उप-पुलिस महानिरीक्षक आसूचना शाखा उत्तर प्रदेश द्वारा पात्रता प्रमाण-पत्र को प्राप्त करने को भी अपेक्षा की जायेगी :

परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उपरोक्त कोटि "ग" का है तो एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कोई भी पात्रता प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के पश्चात् सेवा में केवल तभी प्रतिधारित किया जायेगा जब उसने भारतीय नागरिकता जो अर्जित कर लिया हो।

टिप्पण—अभ्यर्थी, जिसकी दशा में पात्रता का प्रामण-पत्र आवश्यक है लेकिन उसे न तो जारी किया गया है और न ही उससे इन्कार किया गया है, को पर-परीक्षा अथवा साक्षात्कार में प्रवेश दिया जा सकेगा और उसे उसके द्वारा प्राप्त या उसके पक्ष में जारी किये जा रहे आवश्यक प्रमाण-पत्र के अध्यधीन उसे भी अस्थायी रूप से नियुक्त किया जा सकेगा।

[1][10. **आयु**—(1) रजिस्ट्रार और सहायक रजिस्ट्रार के पद हेतु सीधे भर्ती के लिए अभ्यर्थी ने उल्लिखित उस वर्ष के पश्चात् अगली जनवरी के प्रथम दिन पर, जिसमें भर्ती की गयी है, निम्नवत् उल्लिखित न्यूनतम आयु को प्राप्त कर लिया हो और उसने अधिकतम आयु को प्राप्त न किया हो :

	न्यूनतम	अधिकतम
रजिस्ट्रार — —	35	45
सहायक रजिस्ट्रार — —	30	45

परन्तु यह कि अधिकतम आयु सीमा, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और स्वतन्त्रता सेनानियों के आश्रितों के अभ्यर्थियों की दशा में पाँच वर्ष अधिक होगी :

परन्तु अग्रेतर यह कि आयोग द्वारा पहले से विज्ञापित पदों के सम्बन्ध में आयु सीमा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविधालय (केन्द्रीयकृत) सेवा (पंचम संशोधन) नियमावली 1986 के प्रवृत्त होने के पूर्व नियम 10 में यथा उपबन्धित आयु सीमा होगी।

(2) किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो पहले ही केन्द्रीयकृत सेवा में या विश्वविद्यालय में पदों में से किसी में कम से कम एक वर्ष की सेवा दे चुका है, अधिकतम आयु सीमा उस सीमा तक अधिक होगी जिस सीमा तक उसने उपनियम (1) में उल्लिखित आयु सीमाओं पर लगातार सेवा प्रदान की है।]

---

1 दिनांक 30 जुलाई, 1986 की अधिसूचना संख्या 3594/XV X-86 35 (25) 81 द्वारा प्रतिस्थापित।

11. चरित्र—(1) नियुक्ति प्राधिकारी स्वयं का इस विषयक समाधान करेगा कि सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा हो जो उसे केन्द्रीयकृत सेवा में नियोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त बनाये।

(2) भर्ती के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी से अन्तिम बार उपस्थित होने वाली संस्था के प्रधानाचार्य/विभागाध्यक्ष से और राज्य अथवा संघ सरकार की सक्रिय सेवा में दो राजपत्रित अधिकारियों से (जो अभ्यर्थी के रिश्तेदार न हों) जो उसके निजी जीवन से भली भाँति परिचित हों लेकिन उसके विद्यालय, कालेज अथवा विश्वविद्यालय से असम्बद्ध हों, चरित्र प्रमाण-पत्र दाखिल करने की अपेक्षा की जायेगी।

(3) संघ सरकार अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी सरकारी निकाय या निगम या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या विश्वविद्यालय से बर्खास्त किये गये व्यक्ति सेवा में नियुक्ति के लिए अपात्र होंगे। कोई व्यक्ति, जिसे नैतिक अधमता को अन्तर्वलित करते हुए अपराधों के लिए विधि न्यायालय द्वारा सिद्ध दोष किया जा चुका है, भी अपात्र समझा जायेगा।

12. शारीरिक उपयुक्तता—कोई भी व्यक्ति केन्द्रीयकृत सेवा में किसी भी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि उसका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह ऐसे किसी शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिसका उसके शासकीय कर्त्तव्यों के कुशल कार्य सम्पादन में हस्तक्षेप करना संभाव्य है। इससे पूर्व कि किसी अभ्यर्थी को केन्द्रीयकृत सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किया जावे, उससे चिकित्सीय जाँच और उसके द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने के लिए राज्य चिकित्सा परिषद् के समक्ष प्रस्तुत होने की अपेक्षा की जायेगी।

13. अर्हताएं—केन्द्रीयकृत सेवाओं के अधीन किसी पद के लिए अभ्यर्थी को ऐसी अपेक्षित अर्हताओं को रखना होगा जिन्हें आयोग केन्द्र सरकार के अनुमोदन से विहित कर सकेगी।

14. वैवाहिक प्रास्थिति—पुरुष अभ्यर्थी, जिसके पास एक से अधिक जीवित पत्नी है और स्त्री अभ्यर्थी जो पहले से जीवित पत्नी की किसी व्यक्ति से विवाह कर चुकी है, केन्द्रीयकृत सेवा में भर्ती के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह कि राज्यपाल महोदय, यदि उनका यह समाधान हो जाये कि ऐसा करने के विशेष आधार विद्यमान हैं, इस नियम के प्रवर्तन से किसी भी व्यक्ति को छूट प्रदान कर सकेगा।

भाग 5

सीधे भर्ती की प्रक्रिया

15. रिक्तियों की संख्या की संसूचना—जब कभी सेवा में किसी पद पर रिक्ति/रिक्तियों को सीधे भरे जाने की अपेक्षा की जाती है तो सचिव, उसके बारे में आयोग को रिक्ति/रिक्तियों के बारे में सूचित करते हुए सूचना भेजेगा। यह कोई हो तो उसे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के और नियम 8 के अधीन कोटियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित किया जायेगा।

16. आवेदन—(1) केन्द्रीयकृत सेवा में भर्ती के लिए आवेदनों को आयोग द्वारा आमंत्रित किया जायेगा और उन्हें ऐसे विहित प्ररूप में किया जायेगा जो आयोग के सचिव से प्राप्त किया जा सकेगा तथा जिसे ऐसे समय के भीतर जमा किया जायेगा जिसे विनिर्दिष्ट किया जायेगा।

(2) केन्द्रीयकृत सेवा में पहले से नियोजित अभ्यर्थी सरकार के समक्ष समुचित माध्यम से अपने आवेदनों को जमा करेंगे जो उन्हें अपनी समय-समय पर रिपोर्टों के साथ आयोग के समक्ष अग्रेषित करेगा। अन्यत्र कहीं नियोजित अभ्यर्थीगण को अपने आवेदनों को आयोग के समक्ष अपने नियोजक के माध्यम से जमा करना चाहिए।

17. आवेदनों की संवीक्षा, साक्षात्कार आदि—(1) सहायक रजिस्ट्रार के पदों पर भर्ती प्रतियोगितात्मक परीक्षा के आधार पर की जायेगी। आयोग प्राप्त किये गये आवेदनों की जाँच करेगा और पात्र अभ्यर्थियों को प्रतियोगितात्मक परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए स्वीकार करेगा। किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में तब तक प्रवेश नहीं किया जायेगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा प्रदत्त प्रवेश का प्रमाण- पत्र न हो।

(2) लिखित परीक्षा के परिणाम को प्राप्त किये जाने एवं उसे तालिकाबद्ध किये जाने के पश्चात् आयोग, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों आदि के सम्यक प्रतिनिधित्व प्राप्त करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, साक्षात्कार के लिए उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को बुलायेगा जिन्होंने लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर ऐसे साक्षात्कार के लिए बुलावे जाने हेतु अपनी उपयुक्तता दर्शित की है। साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रदत्त अंकों को उसके द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त किये गये अंकों में सम्मिलित किया जायेगा।

(3) आयोग मेरिट के क्रम में क्रमबद्ध किये गये अभ्यर्थियों की सूची तैयार करेगा और उसे सचिव के समक्ष अग्रेषित करेगा।

(4) प्रतियोगितात्मक परीक्षा के सम्बन्ध में पाठ्यक्रम और नियमों को आयोग द्वारा राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से समय-समय पर निर्धारित किया जायेगा।

(5) रजिस्ट्रार के पद पर भर्ती को अकेले साक्षात्कार के आधार पर किया जायेगा। आयोग उनके द्वारा प्राप्त आवेदनों की जाँच करेगा तथा ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलायेगा जिनका उस सेवा में नियुक्ति हेतु सर्वोत्तम अर्हित होना प्रतीत होता हो। तत्पश्चात्, आयोग मेरिट के क्रम में क्रमबद्ध किये गये अभ्यर्थियों की सूची तैयार करेगा और उसे सचिव के समक्ष अग्रेषित करेगा।

18. शुल्क—अभ्यर्थीगण आयोग को और चिकित्सा परिषद् को ऐसे शुल्क संदाय करेंगे जिन्हें राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जा सकेगा। शुल्क के प्रतिदाय के लिए कोई भी दावा ग्रहण नहीं किया जायेगा।

19. अनुमोदित सूची—नियम 17 के अधीन आयोग द्वारा तैयार की गयी सूची के प्राप्त होने पर, सचिव, नियम 8 के प्रावधानों के अध्यधीन, अभ्यर्थियों के नामों को सूची में उसी क्रम में प्रविष्ट करायेगा जिसमें उनकी आयोग द्वारा नियुक्ति हेतु सिफारिश की गयी है।

भाग 6

प्रोन्नति की प्रक्रिया

[1][20. प्रोन्नति द्वारा रिक्तियों का भरा जाना—(1) चयन को प्रोन्नति द्वारा भर्ती हेतु किया जायेगा—

(क) रजिस्ट्रार के पद पर, स्थायी उप रजिस्ट्रारों में से नियमतः मेरिट के आधार पर;

(ख) उप-रजिस्ट्रार के पद पर, स्थायी सहायक रजिस्ट्रारों में से अनुपयुक्त के नामंजूर किये जाने के अध्यधीन वरिष्ठता के आधार पर; और

(ग) सहायक रजिस्ट्रार के पद पर, अनुपयुक्त पाये जाने के अध्यधीन वरिष्ठता के आधार पर, विश्वविद्यालयों के कार्यालयों में स्थायी अधीक्षकों (लेखा) सहित स्थायी अधीक्षकों में से।

---

1. नियम 20 दिनांक 30 सितम्बर, 2005 के उ० प्र० गजट, असाधारण, भाग 4 अनुभाग (क) में प्रकाशित दिनांक 30 सितम्बर, 2005 की अधिसूचना संख्या 482/LXX-1-2005-15 (16)-2005 द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) चयन को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया) के साथ परामर्श करके प्रोन्नति द्वारा चयन नियमावली, 1970 के अनुसार आयोग के साथ परामर्श करके किया जायेगा।

(3) उस चयन के प्रयोजनार्थ चयन समिति में निम्न सम्मिलित होंगे—

(i) आयोग का अध्यक्ष या सदस्य, जो आयोग का प्रतिनिधित्व करता हो, समिति का अध्यक्ष होगा;

(ii) निदेशक, उच्चतर शिक्षा, उ० प्र०; और

(iii) राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किये जाने वाले विश्वविद्यालयों के उप-कुलपतियों में से एक।]

भाग 7

नियुक्ति, परिवीक्षा और स्थायीकरण

21. नियुक्ति—(1) रिक्तियों के उत्पन्न होने पर, सरकार नियम 19 या जैसा विषय हो नियम 20 के अधीन तैयार की गयी सूची से केन्द्रीयकृत सेवा में विभिन्न पदों पर नियुक्ति करेगी।

(2) सरकार नियम 19 तथा 20 के अधीन तैयार की गयी सूची से प्राप्त व्यक्तियों में से छः सप्ताह से अधिक की अवधि के लिए अस्थायी रिक्तियों में भी नियुक्ति कर सकेगी।

(3) यदि कोई भी अनुमोदित अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है तो सरकार या तो राज्य सरकार के अधीन सेवारत किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति द्वारा अस्थायी नियुक्ति कर सकेगी या किसी ऐसे अभ्यर्थी को नियुक्त कर सकेगी जो केन्द्रीयकृत सेवा में स्थायी भर्ती के लिए नियमावली के अधीन पात्र है। ऐसी कोई भी नियुक्ति आयोग के साथ परामर्श किये बिना एक वर्ष की अवधि से अधिक के लिए नहीं होगी।

(4) यदि कोई रिक्ति छः सप्ताह से अनधिक की अवधि के लिए किसी पद में प्रादुर्भूत होती है तो नियमावली के अधीन पात्र व्यक्ति की नियुक्ति द्वारा सम्बन्धित उप-कुलपति द्वारा अस्थायी नियुक्ति की जा सकेगी।

22. परिवीक्षा—(1) किसी मूल रिक्ति में या उसके बदले केन्द्रीयकृत सेवा के लिए रिक्ति पर कोई भी व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा :

परन्तु यह कि केन्द्रीयकृत सेवा के काडर में सम्मिलित किसी पद में स्थानापन्न या अस्थायी क्षमता में प्रदत्त निरंतर सेवा को पूर्णतः या आंशिक रूप से परिवीक्षा की अवधि के लिए केन्द्र सरकार द्वारा संगणित किये जाने की अनुमति दी जा सकेगी :

परन्तु अग्रेतर यह कि सरकार लिखित रूप में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से दो वर्ष से अनधिक की अतिरिक्त अवधि के लिए वैयक्तिक मामलों में परिवीक्षा की अवधि को विस्तारित कर सकेगी। विस्तार के ऐसे किसी भी आदेश में उस यथार्थ अवधि को विनिर्दिष्ट किया जायेगा जिसके लिए परिवीक्षा की अवधि विस्तारित की गयी है।

(2) यदि परिवीक्षा की अवधि अथवा परिवीक्षा की विस्तारित अवधि के दौरान अथवा अन्त होने पर, यह पाया जाता है कि सम्बन्धित व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त प्रयोग नहीं किया है अथवा वह उससे अपेक्षित मानक पर खरा उतरने में अन्यथा विफल हो गया है तो उसे वापस मूल पद, यदि कोई हो, पर भेजा जा सकेगा, अथवा यदि वह किसी भी पद पर कोई धारणाधिकार नहीं रखता है तो उसकी सेवाएं उसे किसी भी मुआवजे का हकदार बनाये बिना अभिमुक्त की जा सकेगी।

23. स्थायीकरण—परिवीक्षाधीन को परिवीक्षा की अवधि अथवा जैसा विषय हो परिवीक्षा की विस्तारित अवधि के समाप्त होने पर उसकी नियुक्ति में स्थायी किया जायेगा बशर्ते उसका कार्य एवं आचरण संतोषजनक हो और उसकी सत्यनिष्ठा को उस विश्वविद्यालय के उपकुलपति द्वारा सत्यापित किया जायेगा जिसमें उसने परिवीक्षा की अवधि के दौरान कार्य किया है।

24. वरिष्ठता—(1) केन्द्रीयकृत सेवा में पदों की किसी भी कोटि में वरिष्ठता का अवधारण उस कोटि के लिए मूल क्षमता में नियुक्ति के आदेश की तारीख से अवधारण किया जायेगा परन्तु यह कि यदि दो या अधिक व्यक्तियों को एक ही तारीख पर नियुक्ति की जाती है तो उनकी परस्पर वरिष्ठता का अवधारण उस क्रम के अनुसार किया जायेगा जिसमें उनके नाम नियम 19 अथवा 20 के अधीन तैयार की गयी सूची में वर्णित हैं।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ होने के समय सेवा में पदों की वरिष्ठता का अवधारण उस कोटि में स्थायीकरण के पश्चात् लगातार सेवा की कुल अवधि के आधार पर पदों की किसी भी कोटि में किया जा सकेगा।

(3) यदि किसी अधिकारी की वरिष्ठता के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो रीति को सरकार के आदेशों द्वारा विनिश्चित किया जायेगा जो अन्तिम होंगे।

टिप्पण—सीधे नियुक्त किया गया अभ्यर्थी उस दशा में अपनी वरिष्ठता खो सकता है जब वह बिना किसी वैध कारण के पद भार ग्रहण करने में असफल हो जाता है जबकि उसे रिक्ति प्रस्तावित की गयी हो। क्या किसी वाद विशेष में कारण वैध है या नहीं, यह राज्य सरकार के निर्णय के अध्यधीन होगा।

25. स्थानान्तरण—राज्य सरकार केन्द्रीयकृत सेवा के किसी भी सदस्य का एक विश्वविद्यालय से किसी अन्य विश्वविद्यालय में स्थानान्तरण कर सकेगी।

भाग 8

अन्य प्रावधान

26. वेतन संदाय प्राधिकारी—इन नियमों के प्रावधानों के अध्यधीन केन्द्रीयकृत सेवा में नियुक्त किये गये व्यक्तियों के वेतन तथा भत्तों का संदाय उस विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा जिसमें वह व्यक्ति तत्समय तैनात है।

27. परिवीक्षा के दौरान वेतन—(1) परिवीक्षा पर व्यक्ति, यदि वह पहले से विश्वविद्यालय की स्थायी सेवा में नहीं है, परिवीक्षा की अवधि के दौरान प्रथम वर्ष के लिए पद के न्यूनतम वेतन को तथा वेतन वृद्धियों को जो उपार्जित होती हों प्राप्त करेगा परन्तु यह कि यदि परिवीक्षा की अवधि को संतोष प्रदान करने में असफलता के कारण विस्तारित किया जाता है तो विस्तारित अवधि वृद्धि के लिए संगणित नहीं की जायेगी जब तक कि सरकार ऐसा निदेशित न करे।

(2) किसी ऐसे व्यक्ति की, जो केन्द्रीयकृत सेवा में भर्ती के पूर्व विश्वविद्यालय की सेवा में पहले से मूल पद को धारित कर रहा है, की परिवीक्षा की अवधि के दौरान वेतन को विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के वेतन से सम्बन्धित सुसंगत नियमों के अनुसार विनियमित किया जायेगा।

28. कुशलता की बाधाओं को दूर करने के मापदण्ड—(1) केन्द्रीयकृत सेवा के किसी भी सदस्य को प्रथम कुशलता के अवरोध को पार करने की तब तक अनुमति नहीं दी जायेगी जब तक कि उसका संतोषजनक ढंग से और अपनी भरसक क्षमता में कार्य करना न पाया जाये एवं उसकी सत्यनिष्ठा को उस विश्वविद्यालय के उपकुलपति द्वारा प्रमाणित न किया जाये जिसमें उसने कार्य किया है।

(2) केन्द्रीयकृत सेवा के किसी भी सदस्य को द्वितीय और पश्चात्वर्ती कुशलता अवरोधों को यदि कोई हो, को पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि उसने अपने कार्य, आचरण, सत्यनिष्ठा और योग्यता द्वारा पूर्ण संतोष प्रदान न किया हो।

(3) कुशलता अवरोध को पार करने के लिए केन्द्रीयकृत सेवा के सदस्य को अनुमति प्रदान करते हुए एवं उपरोक्त अवरोध के आगे वार्षिक वृद्धि की अनुमति देते हुए आदेशों को उस विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया जायेगा जिसमें वह तत्समय तैनात है।

(4) ऐसे प्रत्येक अवसर पर, जिस पर केन्द्रीयकृत सेवा के सदस्य को कुशलता अवरोध को पार करने की अनुमति दी जाती है, जिसे इससे पूर्व प्रतिधारित किया गया था, उस अवरोध को पार करने की तारीख से उसका वेतन ऐसे प्रक्रम पर समय वेतनमान में नियत किया जायेगा जिसे विश्वविद्यालय विनिश्चित कर सकेगा।

29. संयाचना करना—यह नियमावली के अधीन अपेक्षित सिफारिश को छोड़कर अन्य कोई भी पर्ती की सिफारिश चाहे वह लिखित हो या मौखिक विचारण में सम्मिलित नहीं की जायेगी। अन्य साधनों द्वारा अपनी अभ्यर्थना के लिए या तो सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने हेतु किसी अभ्यर्थी के पक्ष से किया गया कोई भी प्रयास नियुक्ति के लिए उसे अनर्हित कर देगा।

30. अवकाश, अवकाश भत्ते, स्थानापन्न वेतन, शुल्क और मानदेय—(1) इन नियमों में अन्यथा यथा उपबंधित के सिवाय, अवकाश, अवकाश-भत्तों से सम्बन्धित सभी मामलों को समान प्रास्थिति के सरकारी सेवकों के लिए प्रयोज्य सेवा नियमों में निर्दिष्ट रीति से विनियमित किया जायेगा और समय-समय पर जारी सभी व्याख्याओं और स्पष्टीकरणों के साथ उसमें सभी संशोधन यथा आवश्यक परिवर्तन के साथ लागू होंगे।

(2) केन्द्रीयकृत सेवा के सदस्य के लिए, स्थानापन्न एवं अतिरिक्त वेतन, विशेष वेतन, मानदेय क्षतिपूरक भत्ता, आजीविका भत्ता सहित वेतन का प्रदान करना और शुल्कों, यदि कोई हो, की स्वीकृति को उन्हीं निबंधनों एवं शर्तों पर विनियमित किया जायेगा जो उ० प्र० वित्तीय हस्त-पुस्तिका, खण्ड II, भाग II-IV में अन्तर्विष्ट उ० प्र० मौलिक और सहायक नियमावली के अधीन उसी प्रास्थिति के सरकारी सेवकों के लिए प्रयोज्य हैं।

(3) इस नियमावली में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, वित्तीय हस्त पुस्तिका, खण्ड 2, भाग 2-4 में अन्तर्विष्ट उ० प्र० मौलिक और सहायक नियमावली के प्रावधान तथा वित्तीय हस्त पुस्तिका, खण्ड-3 में अन्तर्विष्ट यात्रा भत्तों से सम्बन्धित नियम यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

टिप्पण—(i) इस नियमावली के प्रयोजनों के लिए उक्त हस्त पुस्तिका के अधीन विभिन्न शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सक्षम तत्समानी प्राधिकारी ऐसे प्राधिकारी होंगे जिन्हें सरकार आदेश द्वारा समय-समय पर अवधारित कर सकेगी।

(ii) नियमों की प्रयोज्यता आदि के बारे में संदेह उत्पन्न होने की दशा में, सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।

31. अवकाश प्रभार का आपतन आदि—अवकाश प्रभारों का आपतन, मार्ग-व्यय वेतन और भत्ते, जिसमें केन्द्रीयकृत सेवा के सदस्य के एक विश्वविद्यालय से किसी दूसरे विश्वविद्यालय में स्थानान्तरित किये गये सदस्य के यात्रा भत्ते सम्मिलित हैं, को निम्नलिखित सिद्धान्तों के अनुसार विनियमित किया जायेगा :

(क) जब सेवा के किसी सदस्य को एक विश्वविद्यालय से किसी अन्य विश्वविद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है तो उसका मार्गस्थ वेतन और भत्ते उस विश्वविद्यालय द्वारा वहन किये जायेंगे जहाँ उसे स्थानान्तरित किया गया है।

(ख) इससे पूर्व कि सेवा के उस सदस्य को ऐसे विश्वविद्यालय में अपना वेतन और भत्ते लेने की अनुमति दी जाये जहाँ उसे स्थानान्तरित किया गया है तो वह सदस्य उस विश्वविद्यालय के जिसमें वह उस स्थानान्तरण के पूर्व सेवा करता आ रहा है। इस विषयक वित्त अधिकारी से प्रमाण-पत्र को पेश करेगा कि उस सदस्य ने ऐसा कोई भी वेतन अथवा भत्ते नहीं लिये हैं।

(ग) अवकाश वेतन को उस विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जायेगा जहाँ से वह सदस्य अवकाश पर जाता है।

32. विद्यमान भविष्य निधि नियम बने रहेंगे—जब तक केन्द्रीयकृत सेवा के लिए सामान्य भविष्य निधि स्थापित नहीं हो जाती है, तब तक सेवा के सदस्य, जब तक इस नियमावली में अन्यथा उपबन्धित न हो, उस विश्वविद्यालय के भविष्य निधि विनियमों अथवा नियमों द्वारा शासित होते रहेंगे जिनमें उन्हें तत्समय तैनात किया गया :

परन्तु यह कि उस विश्वविद्यालय के विनियमों अथवा नियमों में अन्तर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए, उस निधि में ऐसी सेवा के सदस्य द्वारा किये जाने वाले अभिदाय की न्यूनतम धनराशि उसके वेतन के दस प्रतिशत की दर पर संगठित धनराशि होगी (जिस पद का अभिप्राय वेतन, अवकाश वेतन अथवा वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 2 में यथा परिभाषित आजीविका अनुदान से होगा) और उसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा किया जाने वाला अंशदान 500 रु० के वेतन को प्राप्त करते हुए अभिदायकर्ता की दशा में उसके वेतन का बारह प्रतिशत कौदर से होगा और 500 रु० से अधिक लेकिन 1000 रु० से कम के वेतन को प्राप्त करने वाले अभिदायकर्ता की दशा में दस प्रतिशत तथा 1000 रु० या उससे अधिक वेतन को प्राप्त करने वाले अभिदायकर्ता के प्रत्येक वाद में आठ प्रतिशत होगा, दोनों धनराशियां निकटतम पूर्ण रुपये पर पृथक रूप से पूर्णांकित की जायेगी (अगले उच्चतर रु० के रूप में 50 पैसे या अधिक को संगठित किया जायेगा) :

परन्तु अग्रेतर यह कि केन्द्रीयकृत सेवा का सदस्य, जिसे किसी विश्वविद्यालय के सामान्य भविष्य निधि विनियमों या नियमों द्वारा उसके उस सेवा में आमेलन या नियुक्ति के ठीक पूर्व शासित किया गया था, इस नियमावली में अन्तर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए सामान्य भविष्य निधि विनियमों या जैसा विषय हो नियमों द्वारा निम्नलिखित रीति से शासित होता रहेगा :

(i) ऐसे सदस्य का सामान्य भविष्य निधि के खाते पर अभिदाय प्रत्येक माह विश्वविद्यालय द्वारा उसके वेतन से काट लिया जायेगा जिसमें वह तत्समय प्रवृत्त है;

(ii) उक्त विश्वविद्यालय उस विश्वविद्यालय में जिसमें ऐसा अधिकारी केन्द्रीयकृत सेवा में अपने आमेलन अथवा नियुक्ति के तत्कालपूर्व नियोजित था प्रत्येक माह सामान्य भविष्य निधि में उसका अभिदाय संदाय करेगा; और

(iii) विश्वविद्यालय जहाँ ऐसा अधिकारी अपने आमेलन या नियुक्ति के तत्काल पूर्व नियोजित था, उसे उसकी सेवानिवृत्ति के पश्चात् और उसके परिवार के सदस्यों को उक्त सामान्य भविष्य निधि विनियमों अथवा जैसा विषय हो नियमों के अनुसार सामान्य भविष्य निधि संदाय करने के लिए दायी होगा।

33. स्थानान्तरण की दशा में भविष्य निधि—एक विश्वविद्यालय से किसी अन्य विश्वविद्यालय में केन्द्रीयकृत सेवा के सदस्य के स्थानान्तरण होने पर तत्काल 120 दिन से अनधिक के अवकाश के प्रवन्ध की दशा को छोड़कर अन्य दशा में, नया भविष्य निधि खाता उस विश्वविद्यालय के अधीन उस सदस्य के नाम से खोला जायेगा जहाँ से स्थानान्तरित किया गया है और उस विश्वविद्यालय का उपकुलपति, उस स्थानान्तरण की तारीख से तीस दिन के भीतर उस विश्वविद्यालय के समक्ष, जहाँ उसे स्थानान्तरित किया गया है, उस सदस्य के भविष्य निधि के पूर्ण खाते को अग्रेषित करेगा तथा वह उसके नये खाते में पुराने खाते से उसकी जमा राशि को उस माह तक संगणित ब्याज के साथ अन्तरित करायेगा जब खाते को इस प्रकार अन्तरित किया गया हो। जैसा कि अगले उत्तरवर्ती माह से उस धनराशि पर सभी अतिरिक्त ब्याज उस विश्वविद्यालय द्वारा संदेय होगा जहाँ नया खाता खोला गया है।

34. सूचना को तत्काल भेजा जाना—नियम 33 में उल्लिखित परिस्थितियों को छोड़कर अन्य प्रकार की परिस्थितियों में, केन्द्रीयकृत सेवा का सदस्य अपनी विद्यमान भविष्य निधि में अभिदायकर्ता रहेगा और वह ऐसी अतिरिक्त धनराशियों को देगा जिनकी उसके सम्बन्ध में उससे अपेक्षा की जाये और उस निधि का प्रशासन करने वाला विश्वविद्यालय उसमें अपने निजी अंशदान को जमा करता रहेगा और उस विश्वविद्यालय के लिए, जहाँ उस अधिकारी को स्थानान्तरित किया गया हो अनिवार्य होगा कि वह सभी युक्तियुक्त डिस्पैच के साथ उस विश्वविद्यालय को, जहाँ से ऐसा सदस्य स्थानान्तरित किया गया है उसकी परिलब्धियों की यथार्थ धनराशि को सूचित करे। उसमें प्रत्येक परिवर्तन की सूचना उसी प्रकार से तत्काल भेजी जायेगी।

35. विश्वविद्यालय का उत्तरदायित्व—धनराशि के देय होने पर संदाय का उत्तरदायित्व उस विश्वविद्यालय को न्यागत हो जायेगा जो तत्समय भविष्य निधि को अनुरक्षित करने के लिए उत्तरदायी है।

[1][**36. आनुशासनिक कार्यवाही**—(1) ऐसे उपान्तरणों के अध्यधीन जिसे राज्य सरकार समय-समय पर कर सकेगी और उपनियम (2) से (9) के प्रावधानों के अध्यधीन, आनुशासनिक कार्यवाहियों, दण्ड के विरुद्ध अपीलों और अभ्यावेदनों के सम्बन्ध में नियम जो राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए प्रयोज्य हैं, केन्द्रीयकृत सेवा के सदस्यों के लिए यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

(2) आनुशासनिक कार्यवाही को प्रारंभ करने तथा निम्न को अधिरोपित करने की शक्ति—

(क) सेवा से बर्खास्तगी या अपसारण अथवा केन्द्रीयकृत सेवा के सदस्यों पर पंक्ति में कमी का दण्ड राज्य सरकार में निहित होगा; और

(ख) अन्य दण्ड उस विश्वविद्यालय के उपकुलपति में निहित होंगे जिसमें उस सेवा का सदस्य तत्समय तैनात है :

परन्तु यह कि खण्ड (क) में निर्दिष्ट दण्डों में से किसी को भी अधिरोपित करते हुए आदेश पारित करने के पूर्व आयोग से परामर्श करना आवश्यक होगा।

(3) जहाँ केन्द्रीयकृत सेवा के सदस्य के विरुद्ध आनुशासनिक कार्यवाहियों को उपनियम (2) के प्रावधानों के अनुसार प्रारंभ किया गया है—

(क) उपकुलपति द्वारा और जाँच के पूर्ण होने के पश्चात्, वह इस अनन्तिम निष्कर्ष पर पहुँचता है कि उपनियम (2) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट दण्ड की आवश्यकता है तो वह अपने निष्कर्षों तथा सिफारिशों के साथ वाद को आदेश के लिए राज्य सरकार के समक्ष निर्दिष्ट करेगा;

(ख) राज्य सरकार द्वारा और जाँच के दौरान अथवा उसके पूर्ण होने के पश्चात्, वह इस अनन्तिम निष्कर्ष पर पहुँचता है कि दण्ड, जिसके लिए उपनियम (2) का खण्ड (ख) लागू होता है, आवश्यक है तो वह वाद को उपकुलपति के समक्ष निर्दिष्ट करेगा जो ऐसे आदेशों को पारित करेगा जिन्हें वह उपयुक्त समझे और वह की गयी कार्रवाई की रिपोर्ट राज्य सरकार के समक्ष प्रेषित करेगा।

(4) उपनियम (1) से (3) में अन्तर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए, राज्य सरकार उस विश्वविद्यालय के उपकुलपति को, जिसमें केन्द्रीयकृत सेवा का सदस्य तत्समय तैनात है, उसके विरुद्ध आनुशासनिक कार्यवाहियों को प्रारंभ करने और उसके परिणाम के बारे में उसे सूचित करने अथवा जैसा

---

1. दिनांक 14 दिसम्बर, 1979 को अधिसूचना संख्या 3894/XV-10-79-35(15)/78 द्वारा प्रतिस्थापित।

विषय हो बाद को राज्य सरकार के समक्ष उपनियम (3) के खण्ड (क) के अधीन उसके अन्तिम आदेशों के लिए निर्दिष्ट कर सकेगा।

(5) जहाँ किसी भी विश्वविद्यालय का उपकुलपति केन्द्रीयकृत सेवा के सदस्य के विरुद्ध आनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ करना चाहता है जिसे किसी अन्य विश्वविद्यालय में स्थानान्तरित किया जा चुका है तो वह उस विषयक राज्य सरकार के समक्ष रिपोर्ट दाखिल करेगा और उस पर राज्य सरकार—

(i) उपनियम (2) के खण्ड (क) के अनुसार स्वयं ही कार्यवाही कर सकेगा; अथवा

(ii) प्रथम उल्लिखित विश्वविद्यालय के उपकुलपति को उक्त उपनियम के खण्ड (ख) के अनुसार जाँच प्रारंभ करने और उसे समाप्त करने अथवा जैसा विषय हो बाद को राज्य सरकार के समक्ष उपनियम (3) के खण्ड (क) के अधीन उसके अन्तिम आदेश के लिए निर्दिष्ट कर सकेगा; अथवा

(iii) उस विश्वविद्यालय जिसमें वह सदस्य तत्समय तैनात है, के उपकुलपति को उस सदस्य के विरुद्ध जाँच प्रारंभ करने और उसे समाप्त करने एवं उसके परिणाम के बारे में राज्य सरकार को सूचित करने अथवा जैसा विषय हो उपनियम (3) के खण्ड (क) के अधीन राज्य सरकार को उसके अन्तिम आदेश के लिए बाद निर्दिष्ट कर सकेगा।

(6) जहां किसी विश्वविद्यालय का उपकुलपति इस नियम के अधीन आनुशासनिक कार्यवाहियों को प्रारंभ करने के लिए स्वतंत्र है तो वहाँ वह जाँच को स्वयं ही कर सकेगा अथवा उस प्रयोजनार्थ उस विश्वविद्यालय के किसी अन्य अधिकारी को नियुक्त कर सकेगा।

(7) राज्य सरकार किसी भी प्रक्रम पर इस नियम के अधीन किसी भी कार्यवाही को एक ही विश्वविद्यालय में एक अधिकारी से किसी अन्य अधिकारी को, अथवा किसी एक विश्वविद्यालय के उपकुलपति से किसी अन्य विश्वविद्यालय के उपकुलपति के समक्ष अन्तरित कर सकेगा, और जब तक कोई विपरीत निदेश जारी न किया जाये, वह अधिकारी अथवा उपकुलपति, जिसके समक्ष उस कार्यवाही को अन्तरित किया गया है, उस प्रक्रम से, जहाँ उसे इस प्रकार अन्तरित किया गया था, कार्यवाही को आगे जारी रखेगा।

(8) इस उपनियम के अधीन जाँच के अनुक्रम के दौरान, वह उपकुलपति अथवा उसके द्वारा उपनियम (6) के अधीन जाँच अधिकारी के रूप में नियुक्त अधिकारी उ० प्र० विभागीय जाँच (साक्षियों की उपस्थिति और दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण का प्रवर्तन) अधिनियम, 1976 के अधीन जाँच प्राधिकारी की सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा।

(9) इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए, राज्य सरकार के लिए विधिपूर्ण यही होगा कि वह यह निर्देशित करे कि केन्द्रीयकृत सेवा के किसी भी सदस्य के विरुद्ध आनुशासनिक कार्यवाही को नियम 7 के अधीन सेवा में उसके आमेलन की तारीख के पूर्व अवधि के सम्बन्ध में किसी कृत्य या लोप के सम्बन्ध में प्रारंभ की जा सकेगी और तत्पश्चात् उपनियम (1) से (8) के प्रावधान यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

37. सेवानिवृत्ति की आयु—(1) उपनियम (2) के प्रावधानों के अध्यधीन, केन्द्रीयकृत सेवा के सदस्य की सेवा से सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष होगी जिसके पश्चात् किसी भी व्यक्ति को सेवा में प्रतिधारित नहीं किया जायेगा।

(2) राज्य सरकार केन्द्रीयकृत सेवा के सदस्य से यह अपेक्षा कर सकेगी कि वह तीन माह की नोटिस पर अथवा उसके पूर्ण या आंशिक के बदले 57 वर्ष की आयु को उसके प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हो जाये बशर्ते राज्य सरकार लोक हित में ऐसा करना आवश्यक समझे।

(3) केन्द्रीयकृत सेवा का सदस्य, 57 वर्ष की आयु के प्राप्त कर लेने पर राज्य सरकार को तीन माह की नोटिस देने के पश्चात् स्वेच्छया सेवानिवृत्त हो सकेगा। उस सदस्य की दशा में जिसके विरुद्ध आनुशासनिक कार्यवाहियाँ लम्बित हैं अथवा अनुध्यात हैं, यह नोटिस केवल तभी प्रभावी होगी जब उसे राज्य सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया हो। इस उपनियम के अधीन एक बार नोटिस दिये जाने पर वह राज्य सरकार की अनुमति के बिना वापस नहीं ली जायेगी।

38. राज्य सरकार के समक्ष संदर्भ—(1) यदि केन्द्रीयकृत सेवा के सदस्य को वेतन, यात्रा भत्ते, भविष्य निधि अथवा अन्य किन्हीं बकायों के संदाय हेतु विश्वविद्यालय के दायित्व के बारे में कोई विवाद उत्पन्न होता है, अथवा यदि इन नियमों के प्रावधानों में से किसी के भी निर्वचन के सम्बन्ध में कोई विवाद अथवा कठिनाई उत्पन्न होती है तो उसे उस राज्य सरकार के समक्ष निर्दिष्ट किया जायेगा जिसका विनिश्चय उस पर अन्तिम और निर्णायक होगा।

(2) इन नियमों द्वारा आच्छादित न होने वाले मामलों को ऐसे नियमों अथवा आदेशों द्वारा शासित किया जायेगा जिन्हें राज्य सरकार समय-समय पर बना सकेगी।

39. छूट प्रदान करने की शक्ति—इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो गया कि इन नियमों के प्रावधानों में से किसी के प्रवर्तन से किसी वाद विशेष में अनुचित कठिनाई उत्पन्न होती है तो वह आयोग के साथ परामर्श करके उस प्रावधान की शर्तों को ऐसी सीमा तक और ऐसी शर्तों के अध्यधीन आदेश द्वारा अभिमुक्ति प्रदान कर सकेगा या उनमें छूट प्रदान कर सकेगा जिन्हें वह न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से वाद से संव्यवहार करने के लिए आवश्यक समझे।

40. प्रत्यायोजन करने की शक्ति—राज्य सरकार शासकीय गजट में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा इन नियमों के अधीन अपनी शक्तियों में से किसी भी शक्ति को ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी को ऐसी शर्तों पर प्रत्यायोजित कर सकेगा जिन्हें वह उपयुक्त समझे।

———

राज्य विश्वविद्यालय के सम्बद्ध अथवा सहयुक्त महाविद्यालयों में उपाधियों के लिए शिक्षा के पाठ्यक्रमों में प्रवेश नियमावली, 1983।

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनःअधिनियमितीकरण और संशोधन) अधिनियम, 1974 (1974 का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्यांक 29) द्वारा यथा संशोधित और पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28 की उपधारा (5) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल महोदय को पूर्व लिखित अधिनियम के अधीन स्थापित सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालयों में शिक्षा में उपाधियों के लिए शिक्षा के पाठ्यक्रमों में प्रवेश से सम्बन्धित सभी पूर्व नियमों और आदेशों को निष्प्रभावी करते हुए और यह निदेश करते हुए सन्तोष का अनुभव हो रहा है कि ऐसे प्रदेश को इससे संलग्न नियमावली द्वारा एतद्पश्चात् विनियमित किया जायेगा।

अध्याय 1

सामान्य

1. **संक्षिप्त नाम**—इस नियमों को राज्य विश्वविद्यालय के सम्बन्ध अथवा सहयुक्त महाविद्यालयों में उपाधियों के लिए शिक्षा के पाठ्यक्रमों में प्रवेश नियमावली, 1983 के नाम से जाना जा सकेगा। ये नियम शैक्षिक सत्र 1983-84 से प्रभावी होंगे।

2. **परिभाषाएँ**—इन नियमों में, जब तक प्रसंग में अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "*अधिनियम*" उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियमितीकरण और संशोधन) अधिनियम, 1974 द्वारा यथा संशोधित और पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 से अभिप्रेत है;

(ख) "*महाविद्यालय*" ऐसे महाविद्यालय से अभिप्रेत है जो अधिनियम के अधीन स्थापित किसी विश्वविद्यालय से सम्यक् रूप से सम्बद्ध अथवा सहयुक्त है;

(ग) "*शिक्षा का पाठ्यक्रम*" शिक्षा के ऐसे पाठ्यक्रम से अभिप्रेत है जिसे उस विश्वविद्यालय द्वारा, जिससे वह महाविद्यालय सम्बद्ध अथवा सहयुक्त है, संचालित बी० एड० अथवा जैसा विषय हो एम० एड० की उपाधि के लिए परीक्षा हेतु प्रवेश के लिए विद्यार्थियों को तैयार करने हेतु महाविद्यालय में प्रदान किया जाता है;

(घ) "*विश्वविद्यालय*" ऐसे विश्वविद्यालय से अभिप्रेत है जिससे वह महाविद्यालय, जहाँ शिक्षा के पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश का प्रयास किया गया है या प्रवेश किया गया है, सम्बद्ध अथवा सहयुक्त हो।

अध्याय 2

बी० एड० की कक्षाओं में प्रवेश

3. **प्रवेश हेतु अर्हतायें**—बी० एड० की कक्षाओं में अभ्यर्थी के प्रवेश के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता विधि द्वारा स्थापित विश्वविधालय के कम से कम दो विद्यालय अध्यापन विषयों के साथ स्नातक की उपाधि होगी।

---

1. देखें, दिनांक 17 मई, 1983 के उ० प्र० गजट असाधारण में प्रकाशित दिनांक 17 मई, 1983 की अधिसूचना सं० शिक्षा (11)-2929/XV--83(11)-3 (58)-79 ।

स्पष्टीकरण—कोई अभ्यर्थी जिसने उन विषयों में से एक के रूप में शिक्षा या मनोविज्ञान या दर्शन के साथ बी० ए० और किसी अन्य विषय या बी० कॉम० या बी० एससी० (कृषि) अथवा जैसा विषय हो बी० एससी० (गृह विज्ञान) के रूप में विद्यालय अध्यापन विषयों में से एक के साथ उपाधि हेतु परीक्षा उत्तीर्ण की है, का इस नियम की अर्थव्याप्ति में न्यूनतम अर्हता को रखना समझा जायेगा।

लेकिन, यदि किसी अभ्यर्थी ने स्नातक स्तर पर एक विद्यालय अध्यापन विषय या शिक्षा या मनोविज्ञान या दर्शनशास्त्र का प्रस्ताव किया है और तत्पश्चात् किसी अन्य विद्यालय अध्यापन विषय के साथ स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो उसका भी इस नियम की अर्थव्याप्ति में न्यूनतम अर्हता को रखना समझा जायेगा।

4. बी० एड० की कक्षाओं के लिए प्रवेश हेतु अनुमोदित अधिकतम संख्या—[1][(1) प्रत्येक महाविद्यालय में प्रवेश कराये जाने वाले विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या उतनी ही होगी जितनी कि उस विश्वविद्यालय के उपकुलपति द्वारा निर्धारित की जा सकेगी और किसी भी दशा में उस संख्या से अधिक किसी भी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जायेगा। प्रवेश किये जाने वाले विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या को निर्धारित करने में विश्वविद्यालय बी० एड० की शिक्षा के लिए सम्बद्ध महाविद्यालय में उपलब्ध अध्यापकों पर विचार करेगा जिससे कि अध्यापक- शिष्य अनुपात को 1:15 पर बनाये रखा जा सके।

(2) ऐसे महाविद्यालय में जहाँ विज्ञान की कक्षायें भी चलती हैं, बी०एससी० की उपाधि को धारित करने वाले अभ्यर्थियों के लिए पदों की संख्या को उपकुलपति द्वारा निर्धारित किया जा सकेगा। सीटों की उस संख्या का निर्धारण करने में, उपकुलपति महाविद्यालय के बी० एड० विभाग में उपलब्ध विज्ञान के अध्यापकों की संख्या पर विचार करेगा जिससे कि ऐसे अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में अध्यापक-शिष्य के अनुपात को 1:15 पर बनाये रखा जा सके।]

5. सीटों का आरक्षण—प्रत्येक महाविद्यालय में बी० एड० की कक्षाओं में प्रवेश के लिए सीटों का आरक्षण, उस महाविद्यालय में सीटों की कुल संख्या के सम्बन्ध में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति और विकलांग अभ्यर्थियों के पक्ष में क्रमशः 18%, 2%, 10% और 2% की सीमा तक किया जायेगा ;

परन्तु यह कि जहाँ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जातियों के अभ्यर्थियों और विकलांग अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या प्रवेश के लिए उपलब्ध न हो, तो वहाँ ऐसी सीटें, जिन्हें उनके लिए आरक्षित किया गया है और जो भरी जानी शेष हैं, को सामान्य अभ्यर्थियों द्वारा भरा जायेगा।

टिप्पण—विकलांग अभ्यर्थी को जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से इस विषयक प्रमाणपत्र को अपने आवेदन के साथ दाखिल करना पड़ेगा कि यद्यपि वह विकलांग है, वह मूक, बधिर नहीं है, हकलाता नहीं है अथवा किसी त्वचा रोग अथवा किसी ऐसे अन्य रोग से पीड़ित नहीं है जिसका बच्चों में फैलना और कक्षा अध्यापन में अवरोध उत्पन्न करना सम्भाव्य है।

6. प्रवेश के लिए आवेदन—(1) बी० एड० की कक्षाओं में प्रवेश के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी ऐसी रीति से प्रार्थना करेगा जिसे प्रत्येक प्ररूप के लिए 3 रु० के संदाय पर सम्बन्धित विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के कार्यालय से प्राप्त किये जाने वाले निर्धारित प्ररूप में एतद्पश्चात् उपबंधित किया गया है। प्रवेश के लिए आवेदन करने की अन्तिम तारीख साधारणतया मई का 31वां दिवस अथवा जून माह में ऐसी तारीख होगी जिसे विश्वविद्यालय नियत कर सकेगा।

---

1. दिनांक 23 नवम्बर, 1983 की अधिसूचना सं० शिक्षा-11- 6657/XV-83 (11)-3 (58)-79 द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) अभ्यर्थी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के समक्ष आवेदन की एक प्रति पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करेगा।

(3) डाक की पंजीयन पावती की संख्या एवं तारीख को अन्तर्विष्ट करते हुए उस आवेदन की एक अन्य प्रति पंजीकृत डाक द्वारा महाविद्यालय को प्रेषित की जायेगी।

(4) उस तारीख के पश्चात्, जिसे विश्वविद्यालय द्वारा इस निमित्त नियत किया जा सकेगा, रजिस्ट्रार के कार्यालय या महाविद्यालय के कार्यालय में प्राप्त ऐसा कोई भी आवेदन ग्रहण नहीं किया जायेगा।

7. चयन का आधार—बी० एड० की कक्षाओं में शिक्षा के पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी के सम्बन्ध में उसे आबंटित अंकों का विवरण ऐसी रीति से तैयार किया जायेगा जिसे एतद्पश्चात् प्रदान किया गया है और अभ्यर्थियों को मेरिट के क्रम में नियमत: ऐसे अंकों के आधार पर इन नियमों के अन्य प्रावधानों के अध्यधीन शिक्षा के ऐसे पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जायेगा।

8. अंकों का आबंटन—(1) प्रत्येक अभ्यर्थी को उसके द्वारा हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट और स्नातक की प्रत्येक परीक्षाओं में प्राप्त कुल अंकों के कुल प्रतिशत के बराबर और स्नातकोत्तर परीक्षा में उसके द्वारा प्राप्त अंकों के प्रतिशत के एक चौथाई अंकों तथा अतिरिक्त अंक, यदि कोई हो, जिसका वह इन नियमों के अधीन हकदार हो सकेगा, अंक आबंटित किये जायेंगे।

स्पष्टीकरण—(क) जहाँ अभ्यर्थी ने हायर सेकेन्ड्री की परीक्षा उत्तीर्ण की है और तत्पश्चात् तीन वर्षीय उपाधि के पाठ्यक्रम को उत्तीर्ण करने के पश्चात् वह स्नातक हुआ है, तो वहाँ उसे उसके द्वारा हायर सेकेन्ड्री परीक्षा में प्राप्त अंकों तथा स्नातक परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के दोगुने के बराबर अंक आबंटित किये जायेंगे।

(ख) जहाँ किसी अभ्यर्थी ने एक से अधिक स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो वहाँ उसे उन अंकों के एक चौथाई को आबंटित किया जायेगा जिसे अभ्यर्थी ने नियम 6 के अधीन अपने आवेदन में बताया है।

(2) निम्न विनिर्दिष्ट कोटियों में से किसी के भी अधीन आने वाले अभ्यर्थी को, ऐसे प्रमाणपत्र प्रदान करने पर, जिसे विश्वविद्यालय द्वारा उस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जा सकेगा, प्रत्येक के सामने बताये गये अतिरिक्त अंकों को आबंटित किया जायेगा लेकिन, इस प्रकार प्राप्त अतिरिक्त अंकों का योग पच्चीस से अधिक नहीं होगा।

		अंक
(1)	राष्ट्रीय या राज्य या अन्तर्विश्वविद्यालीय खेलकूदों और क्रीड़ा प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अभ्यर्थी (केवल सरकार के क्रीड़ा विभाग द्वारा जारी राष्ट्रीय या राज्य स्तर के खेलकूदों अथवा क्रीड़ा प्रतियोगिता में भाग लेने के सम्बन्ध में प्रमाणपत्र को स्वीकार किया जायेगा) ...	15
(2)	किसी विश्वविद्यालय द्वारा अन्तर्महाविद्यालयीय क्रीड़ा प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अभ्यर्थी ...	10
(3)	नेशनल कैडेट कोर में 'सी' प्रमाणपत्र प्राप्त करने वाले पुरुष अभ्यर्थी और "जी· 2" प्रमाणपत्रों को प्राप्त करने वाली महिला ...	15
	अथवा	
	"बी" प्रमाणपत्र को प्राप्त करने वाले पुरुष अभ्यर्थी तथा "जी-1" प्रमाणपत्र प्राप्त करने वाली महिला अभ्यर्थी ...	10

अथवा

	राष्ट्रीय सेवा योजना में 240 घण्टे और दो या अधिक विशेष कैम्पों में सेवा करने वाले अभ्यर्थी	... 15
	राष्ट्रीय सेवा योजना में 240 घण्टे और एक विशेष कैम्प में भाग लेने वाले अभ्यर्थी	... 10

अथवा

	राष्ट्रीय सेवा योजना में 240 घण्टे सेवा करने वाले अभ्यर्थी	... 5
(4)	स्वतन्त्रता सेनानी के उसके पुत्र या पुत्री या पुत्र के पुत्र या उसके पुत्र की अविवाहित पुत्री के रूप में रिश्तेदार अभ्यर्थी (यह विसुविधा वर्ष 1985 के पश्चात् समाप्त हो जायेगी)	... 15
(5)	अभ्यर्थी, जो सक्रिय सेवा में अथवा समाप्त की गई सेवा में या सम्मानजनक ढंग से सेवानिवृत्त प्रतिरक्षा कर्मचारी है अथवा वे ऐसे कर्मचारी के या विकलांग या मृत या लापता प्रतिरक्षा कर्मचारी के रिश्तेदार हैं	... 15
(6)	अभ्यर्थी, जो पुलिस या पी० ए० सी० या होमगार्ड या एस० एस० बी० के लिए बी० एस० एफ० या आई० टी० बी० या सी० आर० पी० या सिविल डिफेंस संगठन में नियोजित हैं अथवा ऐसे कर्मचारी से उसके पुत्र या पुत्री के रूप में रिश्तेदार हैं चाहे वह सक्रिय सेवा में हो या सेवानिवृत्त या निर्योग्य या रोगग्रस्त हों	... 15
(7)	अभ्यर्थीगण जो विधवायें या तलाकशुदा या सम्परित्यक्त स्त्रियां हैं (ऐसे अभ्यर्थी इस विषयक विधिक प्रमाणपत्र प्रदान करेंगे)	... 15
[1][(8)	किसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था के अध्यापक या गैर शिक्षण कर्मचारी का पुत्र/पुत्री/पत्नी	... 10 अंक]

दृष्टान्त—अभ्यर्थी, जिसने हाईस्कूल परीक्षा में 55%, इण्टरमीडिएट परीक्षा में 50%, स्नातक की परीक्षा में 52.2% और स्नातकोत्तर परीक्षा में 60% अंक प्राप्त किये हैं, को 172.2 अंक (55+50+52.2+15 (60% का एक चौथाई)=172.2 आवंटित किये जायेंगे।

यदि यह अभ्यर्थी नियम 8(2) के अधीन निर्धारित प्रमाण-पत्रों को प्रदान करने पर अतिरिक्त 30 अंक को प्राप्त करता है तो इन अतिरिक्त अंकों में से केवल 25 अतिरिक्त अंक को ही उपरोक्त आवंटित अंकों में जोड़ दिया जायेगा। इस प्रकार इस अभ्यर्थी को आवंटित किये गये सभी अंकों का योग 197.2 होगा।

(3) उपरोक्त नियम 8(1) तथा 8(2) के आधार पर प्राप्त अंक समान अधिमान के हैं, तो उन्हें अभ्यर्थी को प्रदान किया जायेगा जिसने उसी विश्वविद्यालय से स्नातक किया जिससे वह महाविद्यालय, जिसमें वह प्रवेश लेने का प्रयास कर रहा है, सम्बद्ध अथवा सहयुक्त है लेकिन इस कारण से उस अभ्यर्थी को कोई अतिरिक्त अंक आवंटित नहीं किया जायेगा।

---

1. दिनांक 28 नवम्बर, 1984 के उ० प्र० गजट, असाधारण में प्रकाशित 30 मई, 1984 की अधिसूचना-11-3278/XV-84 (II)- 3-(58)-79 द्वारा परिवर्तित।

9. मेरिट के क्रम में अभ्यर्थियों की सूची को तैयार करना—(1) नियम 6 के अधीन आवेदनों को प्राप्त करने पर, उन आवेदनों के सम्बन्ध में प्रत्येक महाविद्यालय में, दो सूचियाँ अर्थात् आरक्षित सीटों के लिए सूची "ए" तथा अनारक्षित सीटों के लिए सूची "बी" को चार प्रतियों में तैयार किया जायेगा जिसमें नियम 8 में उल्लिखित विशिष्टियों के साथ अर्हित अभ्यर्थियों की मेरिट के क्रम में नाम अन्तर्विष्ट होंगे।

(2) उस महाविद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित इस नियम के अधीन तैयार की गयी सूची नियम 6 के अधीन आवेदनों के दाखिल किये जाने के लिए नियत अन्तिम तारीख के एक सप्ताह के भीतर विश्वविद्यालय को भेजी जायेगी।

10. चयन समिति—(1) बी० एड० की कक्षाओं के लिए प्रवेश हेतु अभ्यर्थी के चयन के लिए, प्रत्येक महाविद्यालय के लिए चयन समिति होगी जिसमें निम्नलिखित तीन सदस्य होंगे, अर्थात्

(i) विश्वविद्यालय के उपकुलपति का नाम निर्देशिती (जो समिति का संयोजक भी होगा)।

(ii) शिक्षा निदेशक (उच्चतर शिक्षा) का नाम निर्देशिती।

(iii) महाविद्यालय का प्रधानाचार्य अथवा उसकी अनुपस्थिति में महाविद्यालय के बी० एड० विभाग का वरिष्ठतम अध्यापक।

(2) चयन समिति विश्वविद्यालय के मुख्यालय में या उपकुलपति के पूर्वानुमोदन से महाविद्यालय में अपनी बैठकों को आयोजित करेगा।

(3) महाविद्यालय में प्राप्त प्रवेश के सभी आवेदन और साथ ही नियम 9 के अधीन विश्वविद्यालय को अग्रेषित अभ्यर्थियों की सूची को उस विश्वविद्यालय में प्राप्त आवेदन के साथ तुलना करके और उसका सम्यक सत्यापन करने के पश्चात् चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

(4) चयन समिति आवेदनों और उपनियम (3) में निर्दिष्ट सूचियों पर विचार करने पर प्रवेश के लिए उपयुक्त अभ्यर्थियों की मेरिट सूची के क्रम में तैयार करेगी।

(5) उपनियम (4) के अधीन तैयार की गयी सूची महाविद्यालय में उपलब्ध आरक्षित तथा अनारक्षित सीटों में प्रवेश के लिए चयन किये गये अभ्यर्थियों के नामों तथा इस नियमावली के अधीन ऐसे प्रत्येक अभ्यर्थी को आवंटित अंक अन्तर्विष्ट होंगे।

(6) चयन समिति ऐसे अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची को भी तैयार करेगी जिन्हें महाविद्यालय में उस महाविद्यालय में सम्मिलित होने के लिए उपनियम (5) के अधीन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों की असफलता की दशा में इन नियमों के अनुसार प्रवेश दिया जा सकेगा।

(7) चयन समिति साधारणतया जून के अन्त तक उपनियम (5) या उपनियम (6) के अधीन सूची तैयार करेगी और वह विश्वविद्यालय को उसकी एक प्रति तथा महाविद्यालय को उसकी एक प्रति अविलम्ब प्रदान करेगी।

(8) चयन समिति के किसी एक सदस्य के अनुपस्थित होने की दशा में, चयन की कार्यवाही को अविधिक नहीं किया जायेगा।

11. चयन किये गये अभ्यर्थियों का प्रवेश—(1) महाविद्यालय का प्रधानाचार्य ऐसे प्रत्येक अभ्यर्थी को, जिसका नाम नियम 10 के उपनियम (5) के अधीन तैयार की गयी सूची में सम्मिलित किया गया है, को यथा शीघ्र पंजीकृत डाक द्वारा सूचना प्रेषित करेगा और वह अभ्यर्थी डाक घर में सूचना के पंजीयन की तारीख के पन्द्रह दिन के भीतर उस महाविद्यालय में प्रवेश ले लेगा तथा उसके ऐसा करने में असफल होने पर वह प्रवेश पाने का दावे का समपहरण कर लेगा।

(2) जहाँ उपनियम (1) के अधीन कोई पद रिक्त होता है तो उसे नियम 10 के उपनियम (6) के अधीन तैयार की गयी सूची में सम्मिलित क्रम संख्या में अभ्यर्थियों में से अभ्यर्थी के प्रवेश द्वारा भरा जा सकेगा।

12. चिकित्सीय प्रमाण-पत्र—नियम 10 के अधीन चयन किये गये प्रत्येक अभ्यर्थी को, प्रवेश के पूर्व, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त अथवा प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र प्रदान करना होगा जिसमें इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए कि अभ्यर्थी नहीं हकलाता है और वह कान, आँख अथवा अन्य किसी अंग के रोग के कारण अध्यापक बनने के लिए अनुपयुक्त नहीं है।

13. कतिपय वादों में प्रवेश के लिए अनर्हता—इन नियमों में किसी भी बात के होते हुए, जहाँ इस बात का पता चलता है कि अभ्यर्थी को किसी परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने के कारण दण्डित किया गया है अथवा उसे किसी शैक्षिक संस्था से निकाल दिया गया है तो उस महाविद्यालय का प्रधानाचार्य, विश्वविद्यालय के उपकुलपति के पूर्वानुमोदन से ऐसे अभ्यर्थी को प्रवेश देने से इन्कार कर सकेगा।

अध्याय 3

एम० एड० की कक्षाओं में प्रवेश

14. प्रारंभिक—इस अध्याय के प्रावधान किसी महाविद्यालय में केवल एम० एड० की कक्षाओं में शिक्षा के पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए लागू होंगे।

15. प्रवेश के लिए शैक्षिक अर्हताएँ—(1) किसी भी व्यक्ति को किसी भी महाविद्यालय में तब तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा जब कि उसने विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय द्वारा संचालित बी० एड० की उपाधि के लिए परीक्षा अथवा मान्यता प्राप्त बी० टी० अथवा एल० टी० के डिप्लोमा की परीक्षा को उत्तीर्ण न कर लिया हो।

(2) एम० एड० में प्रवेश के लिए केवल उन आवेदनों पर ही विचार किया जायेगा जहाँ अभ्यर्थीगण, सम्बन्धित विश्वविद्यालय के परिनियमों के अनुसार, एम० एड० को छोड़कर राज्य के डिग्री कालेजों में बी० ए० (शिक्षा) अथवा बी० एड० विभाग में अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु अन्य सभी अर्हताओं को पूरा करते हों।

16. मेरिट के अनुसार प्रवेश—अभ्यर्थियों को बी० एड० में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर अथवा उसके समकक्ष अन्य मान्यता प्राप्त परीक्षाओं के आधार पर ही नियमत: मेरिट के क्रम में ही प्रवेश दिया जायेगा, सैद्धान्तिक प्रश्न में प्राप्त पूर्ण अंक और व्यावहारिक परीक्षा में प्राप्त 50% अंकों पर प्रतिशत की संगणना करने में विचार किया जायेगा।

दृष्टान्त—यदि अभ्यर्थी ने सैद्धान्तिक प्रश्न में 500 में से 240 अंक और व्यावहारिक परीक्षा में 200 में से 140 अंक प्राप्त किये हैं तो संगणना के लिए उसके द्वारा प्राप्त पूर्ण अंक 240 (140/2 अथवा 70) = 310 होंगे और उसका प्रतिशत 44.28 (310 ÷ 100)/700 होगा।

17. अध्याय 2 के नियमों का उपयोजन—नियम 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13 के प्रावधान यथा आवश्यक परिवर्तन के साथ इस अध्याय के अधीन भी प्रवेश के लिए लागू होंगे।

———————

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए प्रवेश में आरक्षण) आदेश, 1994[1]

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (1974 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 29 द्वारा यथा संशोधित और पुनः अधिनियमित वर्ष 1973 के राष्ट्रपति का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा 28 की उक्त धारा 5 के खण्ड (क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल महोदय ने निम्नलिखित आदेश को करने में संतोष का अनुभव किया है—

1. (1) इस आदेश को उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछले वर्गों के लिए प्रवेश में आरक्षण) आदेश, 1994 के नाम से जाना जा सकेगा।

(2) यह तत्काल प्रभाव में आ जायेगा।

2. [2][(1)] उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28 की उक्त धारा 5 के प्रावधानों के अध्यधीन, वर्ष 1994-95 के शैक्षिक सत्र से, किसी विश्वविद्यालय संस्था, संघटक महाविद्यालय, संबद्ध महाविद्यालय अथवा सहयुक्त महाविद्यालय में अध्ययन के किसी भी पाठ्यक्रम में सीटों में निम्नलिखित प्रतिशत को नागरिकों के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के प्रवेश के लिए आरक्षित किया जायेगा, अर्थात्—

अनुसूचित जाति	21 प्रतिशत
अनुसूचित जनजातियों	02 प्रतिशत
नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग	27 प्रतिशत

परन्तु यह कि जहाँ किसी भी विश्वविद्यालय ने उपरोक्त निर्दिष्ट कोटियों को छोड़कर अभ्यर्थियों को अन्य किसी कोटि के पक्ष में प्रवेश के लिए आरक्षण का प्रावधान किया है, तो वहाँ उस आरक्षण के आधार पर प्रवेश के लिए चयनित अभ्यर्थी को ऐसी कोटि में रखा जायेगा जिससे उसका सम्बन्ध है। उदाहरण के लिए, यदि किसी खिलाड़ी व्यक्ति के पक्ष में आरक्षण के आधार पर अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए चयन किया गया अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़े वर्गों का है तो उसे क्रमशः उस कोटि में आवश्यक समायोजनों को करके रखा जायेगा जिसका वह है और यदि वह सामान्य कोटि का है तो उसे आवश्यक समायोजन करने के पश्चात् उस कोटि में रखा जायेगा :

परन्तु अग्रेतर यह कि तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी विधि के अधीन अथवा भारत सरकार के किसी भी आदेश के अधीन अन्य किसी राज्य के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित पदों को, यदि कोई हो, इस पैराग्राफ के अधीन प्रतिशत की संगणना करने के प्रयोजनार्थ सीटों की कुल संख्या में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

स्पष्टीकरण—इस आदेश के प्रयोजनों के लिए, पद सामान्य कोटि का अभिप्राय पैराग्राफ 2 में निर्दिष्ट कोटियों को छोड़कर अन्य कोटि से है।

---

1. देखें, दिनांक 20 जुलाई, 1994 के उत्तर प्रदेश गजट, असाधारण, भाग 4 अनुभाग (ख) में प्रकाशित दिनांक 20 जुलाई, 1994 की अधिसूचना संख्या 2638/XV-X-94 15(66)-89।
2. दिनांक 30-8-1994 की अधिसूचना संख्या 3509/XV-10-94-15(66)-89 द्वारा पुनर्संख्यांकित 30-8-1994 से प्रभावी।

[1][(2) उक्त पैराग्राफ (1) में यथा उपबन्धित प्रवेश में आरक्षण उस शैक्षिक सत्र 1994-95 के पूर्व, किसी शैक्षिक सत्र के सम्बन्ध में, जिसके लिए प्रवेश किया जाना है, विश्वविद्यालय संस्था या उस महाविद्यालय, जिसके लिए प्रवेश किया जाना है, में अध्ययन के किसी भी पाठ्यक्रम के लिए लागू होगा]।

3. यदि अनुसूचित जनजातियों के पात्र अभ्यर्थी पैराग्राफ 2 के अधीन उनके लिए आरक्षित पद को भरने हेतु उपलब्ध नहीं है तो वह पद अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों द्वारा भरा जायेगा।

4. पैराग्राफ 3 के अध्यधीन, जहाँ पात्र अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण, पैराग्राफ 2 के अधीन आरक्षित पदों में से कोई बिना भरा ही रह जाता है तो सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा भरा जायेगा।

स्पष्टीकरण—पैरा 3 तथा 4 के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों का अभ्यर्थी उस दशा में अपात्र नहीं है जब वह न्यूनतम अर्हकारी अंकों, यदि कोई हो, को किसी प्रवेश परीक्षा के समय या प्रवेशों के सम्बन्ध में किसी मानक के अधीन प्राप्त करने में विफल हो गया हो।

5. यदि पैराग्राफ 2 में उल्लिखित कोटियों में से किसी का कोई अभ्यर्थी सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों के साथ मैरिट के आधार पर प्रवेश के लिए चयनित होता है तो उसे पैराग्राफ 2 के अधीन उस कोटि के लिए आरक्षित पदों से समायोजित नहीं किया जायेगा।

6. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के अध्यापकों, जहाँ तक सम्भव हो, को निष्पक्ष प्रवेश को सुनिश्चित करने के लिए प्रवेश समितियों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया जायेगा।

7. प्रवेश समिति का अध्यक्ष और किसी विश्वविद्यालय की दशा में उपकुलपति तथा वह अध्यक्ष एवं अन्य किसी भी दशा में संस्था का प्रधान इस आदेश के सम्यक पालन के लिए उत्तरदायी होगा।

8. जो कोई इच्छापूर्ण ढंग से ऐसी किसी रीति से कार्य करता है जो इस आदेश के प्रयोजनों का उल्लंघन कारित करने या उसे विफल बनाने के लिए आशयित है, दोषसिद्धि होने पर कारावास, जो 3 माह तक हो सकेगा या अर्थदण्ड से, जो एक हजार रुपये तक हो सकेगा अथवा दोनों से दण्डनीय होगा।

———

1. दिनांक 30-8-1994 की अधिसूचना संख्या 3509/XV-10-94-15(66)-89 द्वारा अन्तःस्थापित 30-8-1994 से प्रभावी।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (नियुक्तियों का वैधकरण) अधिनियम, 1984[1]

(1984 का उ० प्र० अधिनियम संख्या 18)

(उत्तर प्रदेश विधानमण्डल द्वारा यथा पारित)

राज्य विश्वविद्यालयों में की गयी कतिपय नियुक्तियों को वैधकृत करने का अधिनियम

भारतगण राज्य के पैंतीसवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाता है—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इस अधिनियम को उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (नियुक्तियों का वैधकरण) अधिनियम, 1984 के रूप में जाना जा सकेगा।

(2) इसका 16 अगस्त, 1984 को प्रभावी होना समझा जायेगा।

2. नियुक्तियों का वैधकरण—किसी भी न्यायालय के किसी भी निर्णय, डिक्री या आदेश के अथवा किसी अधिकारी या प्राधिकारी के आदेश अथवा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 अथवा उसके अधीन बनाये गये परिनियमों में अन्तर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए, उक्त अधिनियम द्वारा शासित किसी भी विश्वविद्यालय में अथवा 1 जुलाई, 1978 की अवधि के दौरान उसके किसी भी सम्बद्ध अथवा सहयुक्त महाविद्यालय में विज्ञापित पदों की संख्या के अतिरिक्त की गयी प्रत्येक अध्यापक की नियुक्ति इस कृत्य के प्रारंभ होने की तारीख से वैध होगी और उसका सदैव वैध होना समझा जायेगा और ऐसी नियुक्तियों की वैधता को मात्र इस आधार पर किसी भी न्यायालय, अधिकरण, अधिकारी अथवा प्राधिकारी के समक्ष प्रश्नगत नहीं किया जायेगा कि यह पद पृथक रूप से विज्ञापित नहीं किया गया था अथवा यह कि निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था।

3. निरसन और व्यावृत्तियाँ—उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (नियुक्तियों का वैधकरण) अध्यादेश, 1984 (1984 का उ० प्र० अध्यादेश संख्या 16) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) इस निरसन के होते हुए, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन किया गया कोई भी कार्य अथवा की गयी किसी भी कार्रवाई का इस अधिनियम के अधीन उसी प्रकार से किया जाना समझा जायेगा मानों यह अधिनियम सभी सुसंगत समयों पर प्रवृत्त था।

---

1. 29 सितम्बर, 1984 को राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्राप्त हुई और दिनांक 1 अक्टूबर, 1984 के उ० प्र० गजट, असाधारण में प्रकाशित किया गया।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (सम्बद्ध, सहयुक्त और संघटक महाविद्यालयों में शिक्षा में उपाधि के लिए शिक्षा के पाठ्यक्रमों में प्रवेश का विनियमन) आदेश, 1987[1]

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियमितीकरण और संशोधन) अधिनियम, 1974 (1974 का उ० प्र० "अधिनियम" संख्या 29) द्वारा यथा संशोधित और पुनः अधिनियमित उ० प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28 की उपधारा (5) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस निमित्त जारी सभी पूर्व नियमों तथा आदेशों के अधिक्रमण में, माननीय राज्यपाल महोदय ने निम्नलिखित आदेश को करने में संतोष का अनुभव किया है।

अध्याय 1

सामान्य

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन आदेशों को उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (सम्बद्ध, सहयुक्त और संघटक महाविद्यालयों में शिक्षा में उपाधि के लिए शिक्षा के पाठ्यक्रमों में प्रवेश का विनियमन) आदेश, 1987 के नाम से जाना जा सकेगा।

(2) वे शैक्षिक सत्र 1987-88 से प्रभाव में आयेंगे।

2. परिभाषाएँ—इन आदेशों में जब तक प्रसंग में अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "*अधिनियम*" उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियमितीकरण और संशोधन) अधिनियम, 1974 द्वारा यथा संशोधित और पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 से अभिप्रेत है;

(ख) "*महाविद्यालय*" ऐसे महाविद्यालय से अभिप्रेत है जो अधिनियम के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय से सम्यक रूप से, अथवा सहयुक्त है अथवा उसका संघटक है;

(ग) "*शिक्षा का पाठ्यक्रम*" ऐसे शिक्षा के पाठ्यक्रम से अभिप्रेत है जिसे महाविद्यालय में उस विश्वविद्यालय द्वारा संचालित, जिससे वह महाविद्यालय समबद्ध या सहयुक्त या उसका संघटक है, बी० एड०, अथवा जैसा विषय हो, एम० एड० की परीक्षा में प्रवेश हेतु विद्यार्थियों को तैयार करने के लिए महाविद्यालय में प्रदान किया जाता है;

(घ) "*विश्वविद्यालय*" ऐसे विश्वविद्यालय से अभिप्रेत है जिससे वह महाविद्यालय जहाँ शिक्षा के पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश की मांग की जाती है या प्रवेश किया जाता है, सम्बद्ध या सहयुक्त या संघटक है।

अध्याय 2

बी० एड० की कक्षाओं में प्रवेश

3. प्रवेश की अर्हताएँ और मेरिट सूची तैयार करने का उत्तरदायित्व—[2][(1) बी० एड० की कक्षाओं में प्रवेश के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता निम्न होगी—

---

1. देखें : दिनांक 5 मई, 1987 के उ० प्र० गजट, असाधारण, भाग-4, अनुभाग (क) में प्रकाशित दिनांक 5 मई, 1987 की अधिसूचना संख्या 451/XV-11-87-3(58)-79 ।
2. दिनांक 1 फरवरी, 2007 के उ० प्र० गजट, असाधारण, भाग 4, अनुभाग(क) में प्रकाशित दिनांक 1 फरवरी, 2007 की अधिसूचना संख्या 416/LX-2-2007-3 (58)-79 द्वारा पैरा 3 के उप-पैरा (1) को प्रतिस्थापित किया गया।

(क) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय की स्नातक अथवा स्नातकोत्तर उपाधि, और

(ख) अन्य अभ्यर्थियों की दशा में 50 प्रतिशत के न्यूनतम अंक के साथ विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय की स्नातक अथवा स्नातकोत्तर उपाधि।

(2) किसी सम्बद्ध, सहयुक्त या संघटक महाविद्यालय में बी० एड० के पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए मेरिट सूची तैयार करने हेतु प्रवेश परीक्षा को संचालित करना राज्य विश्वविद्यालय का उत्तरदायित्व होगा। प्रवेश को इस प्रकार तैयार की गयी मेरिट सूची के अनुसार तैयार किया जायेगा जब तक कि पैरा 12 के उप-पैरा (3) के अधीन प्रवेश के लिए अभ्यर्थी को अपात्र न पाया जाये।]

4. **बी० एड० की कक्षाओं में प्रवेश के लिए अनुमोदित अधिकतम संख्या**—(1) प्रत्येक महाविद्यालय में प्रवेश कराये जाने वाले विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या उतनी होगी जितनी उस विश्वविद्यालय के उपकुलपति द्वारा निर्धारित की जाये और किसी भी व्यक्ति को किसी भी दशा में उस संख्या से अधिक भर्ती नहीं किया जायेगा। प्रवेश दिलाये जाने वाले विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या को निर्धारित करने में उपकुलपति बी० एड० के शिक्षा निर्देशों के लिए सम्बन्धित महाविद्यालय में उपलब्ध अध्यापकों पर विचार करेगा जिससे कि अध्यापक- शिष्य का अनुपात 1:15 पर बरकरार रखा जा सके।

(2) (क) बी० एड० के प्रशिक्षण के लिए विज्ञान स्नातकों के प्रवेश हेतु सीटों की संख्या उपकुलपति द्वारा बी० एड० विभाग में विज्ञान अध्यापकों की उपलब्धता के आधार पर आवंटित की जायेगी ताकि अध्यापक-शिष्य अनुपात को 1:15 पर बनाये रखा जाये बशर्ते वह महाविद्यालय निम्नलिखित शर्तों को पूरा कर दे :

उसमें बी० एस० सी० स्तर तक विज्ञान की कक्षाएं हैं।

अथवा

उसमें स्वयं बी० एड० विभाग में ही हाईस्कूल स्तर तक की विज्ञान प्रयोगशाला है।

अथवा

यह विद्यालय, जिसमें वास्तविक अध्यापन दिया जाता है, में हाईस्कूल स्तर की विज्ञान की मान्यता प्राप्त है।

(ख) बी० एड० के प्रशिक्षण के लिए मान्यता प्राप्त, खण्ड (क) में उल्लिखित महाविद्यालयों को छोड़कर अन्य महाविद्यालय विज्ञान स्नातकों को प्रवेश नहीं देंगे भले ही उसके पास अपने बी० एड० स्टाफ में विज्ञान अध्यापक क्यों न हो।

(3) बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों को प्रवेश उस समय 5 प्रतिशत तक प्रदान किया जायेगा जब वह अभ्यर्थी पैरा 3 के अधीन तैयार की गयी मेरिट सूची के आधार पर प्रवेश के पात्र हो। यदि मेरिट सूची के आधार पर अन्य राज्यों के पात्र अभ्यर्थी प्रवेश के लिए उपलब्ध नहीं हैं तो उनके लिए इस प्रकार आरक्षित सीटों को सामान्य अभ्यर्थियों द्वारा भरा जायेगा।

5. **सीटों का आरक्षण**—प्रत्येक महाविद्यालय में बी० एड० की कक्षाओं में प्रवेश के लिए सीटों का आरक्षण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति और विकलांग अभ्यर्थियों के पक्ष में क्रमशः 18 प्रतिशत, 2 प्रतिशत, 10 प्रतिशत और 2 प्रतिशत की सीमा तक, उस महाविद्यालय में सीटों की कुल संख्या के सम्बन्ध में किया जायेगा :

परंतु यह कि जहाँ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति और विकलांग अभ्यर्थियों में से पात्र अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या प्रवेश के लिए उपलब्ध नहीं है तो ऐसी सीटें जिन्हें उनके लिए परिरक्षित किया गया है और जो अभी भरी जानी शेष है, सामान्य अभ्यर्थियों द्वारा भरी जायेंगी।

टिप्पणी—विकलांग अभ्यर्थी को जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी से इस विषयक प्रमाण-पत्र को अपने आवेदन के साथ दाखिल करना पड़ेगा कि यद्यपि वह विकलांग है, लेकिन फिर भी वह मूक, बधिर नहीं है, हकलाता नहीं है अथवा त्वचा रोग से या ऐसे किसी अन्य रोग से पीड़ित नहीं है जिसका बच्चों के मध्य फैलना अथवा कक्षा अध्यापन में अवरोध कारित करना संभाव्य हो।

6. प्रवेश के लिए आवेदन—[1][(1) बी० एड० की कक्षाओं के प्रवेश के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रवेश परीक्षा को आयोजित कर रहे राज्य विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के कार्यालय से या निर्धारित शुल्क पर अन्य निर्धारित स्थान से प्राप्त किये जाने वाले निर्धारित प्ररूप में एतद्पश्चात् उपबन्धित रीति से आवेदन करना होगा। प्रवेश के लिए आवेदन करने की तारीख साधारणतया मई का 31वां दिवस अथवा जून के माह में ऐसी तारीख होगी जिसे प्रवेश परीक्षा आयोजित करने वाला राज्य विश्वविद्यालय निर्धारित कर सकेगा।

(2) अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा को आयोजित करने वाले राज्य विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के समक्ष पंजीकृत डाक द्वारा आवेदन प्ररूप को प्रेषित करेगा।

(3) उस तारीख के पश्चात् जिसे प्रवेश परीक्षा आयोजित करने वाला राज्य विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किया जा सकेगा, के पश्चात् रजिस्ट्रार के कार्यालय में प्राप्त किसी भी आवेदन को ग्रहण नहीं किया जा सकेगा।]

7. प्रवेश की परीक्षा—[2][प्रत्येक शैक्षिक सत्र के लिए बी० एड० के पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश हेतु राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत राज्य विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त प्रवेश परीक्षा संचालित की जायेगी। परीक्षा की तारीख को राज्य सरकार द्वारा नियत किया जायेगा।

(क) यदि बी० एड० पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा को स्वपोषित संस्था के राज्य स्तर के एसोसिएशन द्वारा संचालित किया जाता है तो इस परीक्षा की तारीख राज्य विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षा की तारीख के पश्चात् होगी।]

8. परीक्षा शुल्क—[3][बी० एड० के प्रवेश के लिए परीक्षा शुल्क राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से नियत किया जायेगा जिसे प्रवेश परीक्षा आयोजित करने वाले राज्य विश्वविद्यालय द्वारा लिया जायेगा।]

9. परीक्षा के पाठ्यक्रम और अर्हकारी अंक—(1) प्रवेश परीक्षा में निम्नलिखित दो प्रश्नपत्र होंगे—

	विषय	अंक	समय
(क)	भाषा एवं सामान्य ज्ञान	200	3 घण्टे
(ख)	अभिरुचि की जाँच जिसमें कला, विज्ञान और वाणिज्य के विद्यार्थियों के लिए पृथक प्रश्न होंगे।	200	3 घण्टे

(2) प्रत्येक प्रश्न पत्र में कम से कम 40 प्रतिशत अंकों को प्राप्त करने वाला अभ्यर्थी बी० एड० के पाठ्यक्रमों में प्रवेश का पात्र होगा।

---

1. दिनांक 1 फरवरी, 2007 के उ० प्र० गजट, असाधारण, भाग 4, अनुभाग (क) में प्रकाशित दिनांक 1 फरवरी, 2007 की अधिसूचना संख्या 416/LXX-2-2007-3 (58)-79 द्वारा पैरा 6 को प्रतिस्थापित किया गया।
2. दिनांक 1 फरवरी, 2007 के उ० प्र० गजट, असाधारण, भाग 4, अनुभाग (क) में प्रकाशित दिनांक 1 फरवरी, 2007 की अधिसूचना संख्या 416/LXX-2-2007-3 (पैरा 58)-79 द्वारा पैरा 7 तथा 8 को प्रतिस्थापित किया गया।
3. दिनांक 1 फरवरी, 2007 के उ० प्र० गजट, असाधारण भाग 4, अनुभाग (क) में प्रकाशित दिनांक 1 फरवरी, 2007 की अधिसूचना संख्या 416/LXX-2-2007-3 (58)-79 द्वारा पैरा 7 तथा 8 को प्रतिस्थापित किया गया।

[1][**10. परीक्षा केन्द्र**—प्रवेश परीक्षा के केन्द्रों को प्रवेश परीक्षा संचालित करने वाले राज्य विश्वविद्यालय द्वारा तय किया जायेगा, लेकिन प्रयास यही होगा कि परीक्षा केन्द्रों की संख्या न्यूनतम हो संस्थाएं, जिनकी प्रतिष्ठा निष्पक्ष परीक्षाओं को कराने की है, को ही परीक्षा केन्द्रों के रूप में चुना जायेगा।

11. अतिरिक्त अंकों का आबंटन—निम्न विनिर्दिष्ट कोटियों में से किसी के भी अधीन आने वाला अभ्यर्थी, ऐसे प्रमाण-पत्रों के प्रदान करने पर, जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा उस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जा सकेगा, को प्रत्येक के सामने बताये गये अतिरिक्त अंकों को आबंटित किया जायेगा, लेकिन इस प्रकार प्राप्त अतिरिक्त अंकों का कुल योग पच्चीस से अधिक नहीं होगा।

(क) राष्ट्रीय या राज्य स्तर के अथवा अन्तर्विश्वविद्यालयीय खेलकूदों और क्रीड़ा प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अभ्यर्थी—

(i) व्यक्तिक मदों में निम्न को प्राप्त करने वाला अभ्यर्थी—

प्रथम पोजीशन	...	...	15 अंक
द्वितीय पोजीशन	...	...	10 अंक
तृतीय पोजीशन	...	...	5 अंक

(ii) टीम मदों में निम्न के सदस्य के रूप में अभ्यर्थी—

चैम्पियन टीम	...	...	15 अंक
रनरअप टीम	...	...	10 अंक
प्रतिभागी टीम	...	...	5 अंक

(iii) अन्तर महाविद्यालयीय टुर्नामेण्ट या खेलकूदों या एथलेटिक्स खेलकूद में जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किया जाता है, अभ्यर्थी निम्न होने पर—

टीम सदस्य या चैम्पियन	...	...	10 अंक
व्यक्तिक टीम में प्रथम पोजीशन	...	...	10 अंक

टिप्पण—(1) अभ्यर्थीगण को उपरोक्त उल्लिखित मद संख्या (i) से (iii) के अधीन केवल एक मद के लाभ को ही प्रदान किया जायेगा।

(2) केवल सरकारी खेलकूद विभाग द्वारा जारी राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तर के खेलकूदों या क्रीड़ा प्रतियोगिताओं में भाग लेने के प्रमाण-पत्रों को स्वीकार किया जायेगा।

(ख) नेशनल कैडेट कोर में "सी" प्रमाण पत्र को प्राप्त करने वाले पुरुष अभ्यर्थी और जी-2 प्रमाण पत्रों को प्राप्त करने वाली महिला अभ्यर्थी ... 15 अंक

अथवा

"बी" प्रमाण-पत्र को प्राप्त करते हुए पुरुष अभ्यर्थी और जी-1 प्रमाण-पत्रों को प्राप्त करते हुए महिला अभ्यर्थी ... 10 अंक

अथवा

राष्ट्रीय सेवा योजना में 240 घण्टे के लिए सेवारत तक अथवा दो या अधिक विशेष कैम्पों में भाग लेने वाले अभ्यर्थी ... 15 अंक

अथवा

---

1. दिनांक 1 फरवरी, 2007 की अधिसूचना संख्या 416/LXX-2-2007-3 (58)-79 द्वारा पैरा 10 को प्रतिस्थापित किया गया।

राष्ट्रीय सेवायोजना में 240 घण्टे के लिए सेवारत और एक विशेष कैम्प में भाग लेते हुए अभ्यर्थी ... 10 अंक

अथवा

राष्ट्रीय योजना में 240 घण्टे के लिए सेवारत अभ्यर्थी ... 5 अंक

अथवा

स्काउट्स एण्ड गाइड्स में राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी ... 15 अंक

अथवा

स्काउट्स एण्ड गाइड में राज्यपाल महोदय के पुरस्कार को प्राप्त करते हुए अभ्यर्थी ... 15 अंक

अथवा

स्काउट्स एण्ड गाइड में "ध्रुव पद" अथवा "गुरू पद" के रूप में प्रशिक्षित अभ्यर्थी ... 5 अंक

टिप्पण—अभ्यर्थियों को उपरोक्त उल्लिखित मदों के अधीन केवल एक मद का लाभ प्रदान किया जायेगा।

(ग) अभ्यर्थी स्वतन्त्रता सेनानी का उसके पुत्र या पुत्री, पुत्र के पुत्र या पुत्र की अविवाहित पुत्री के रूप में रिश्तेदार ... 15 अंक

(घ) अभ्यर्थीगण सक्रिय सेवा अथवा समाप्त सेवा में प्रतिरक्षा कर्मचारी अथवा कर्मचारी या निर्योग्य व्यक्ति, मृत व्यक्ति का रिश्तेदार अथवा लापता प्रतिरक्षा कर्मचारी का उसके पुत्र, पुत्री के रूप में रिश्तेदार ... 15 अंक

(ङ) अभ्यर्थी पुलिस या पी० एस० एफ० या पी० ए० सी० या एस० एस० बी० या आई० टी० बी० या सी० आर० पी० या होमगार्ड में नियोजित हो, (वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या पुलिस अधीक्षक द्वारा होमगार्ड के प्रमाण-पत्र पर प्रतिहस्ताक्षर किया जाना चाहिए (अथवा ऐसे कर्मचारी का, चाहे वह सक्रिय सेवा में हो या सेवानिवृत्त या निर्योग्य या मृतक हो उसके पुत्र या पुत्री के रूप में रिश्तेदार ... 15 अंक

(च) विधवा या तलाक शुदा या परित्यक्त स्त्रियाँ होने के कारण (ऐसे अभ्यर्थियों को इस विषयक विधिक प्रमाण-पत्र जारी करने चाहिए ... 15 अंक

(छ) शिक्षण तथा गैर-शिक्षण कर्मचारिवृन्द (केवल अनुमोदित संस्था के) अथवा उसके पुत्र/पुत्री/पति ... 15 अंक

टिप्पण—(1) उपरोक्त उल्लिखित 11(छ) के बाद में क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी/जिला विद्यालय निरीक्षक/बेसिक शिक्षा अधिकारी/क्षेत्रीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र को स्वीकार किया जायेगा;

(2) यदि अभ्यर्थी को उपरोक्त (क) से (छ) में उल्लिखित मदों में 25 अंकों से अधिक प्राप्त होते हैं उन्हें केवल 25 अंक के लाभ को ही प्रदान किया जायेगा न कि उससे अधिक।

[1][12. मेरिट सूची की तैयारी—आरक्षित और सामान्य सीटों के लिए पृथक मेरिट सूचियों को प्रवेश परीक्षा में प्राप्त किये गये अंकों और उपरोक्त उल्लिखित पैरा 11 में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार किया जायेगा।

(2) यदि प्रवेश परीक्षा के तथा पैरा 11 के आधार पर दो या अधिक अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंक बराबर हैं तो प्रवेश परीक्षा को संचालित करते हुए उसी विश्वविद्यालय के अथवा उसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध या सहयुक्त अथवा उसके संघटक महाविद्यालय के अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जायेगा। यदि फिर भी अंक समान हों तो बड़े अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा।

(3) यदि किसी अभ्यर्थी के आचरण के विरुद्ध, जिला मजिस्ट्रेट की लिखित रिपोर्ट दी गयी है अथवा जिसके विरुद्ध दाण्डिक कार्यवाहियाँ विधि के किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया में हैं अथवा यदि अभ्यर्थी को किसी भी दाण्डिक वाद में किसी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है अथवा यदि अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय परीक्षा से अनुचित साधनों का प्रयोग करने के कारण दो या अधिक वर्ष के लिए दण्डित किया गया है तो विद्यालय का प्रधानाचार्य, ऐसे अभ्यर्थी को प्रवेश परीक्षा संचालित करते हुए राज्य विश्वविद्यालय के उपकुलपति के लिखित पूर्वानुमोदन के साथ प्रवेश देने से इन्कार कर सकता है।

(4) प्रवेश प्रक्रिया अवधारण समिति की पूर्वानुमति एवं पर्यवेक्षण के साथ राज्य स्तर पर स्वपोषित संस्थाओं के राज्य स्तर के एसोसिएशन द्वारा संचालित प्रवेश परीक्षाओं के आधार पर मेरिट सूची तैयार करने का मापदण्ड उपरोक्त यथा उपबन्धित वही होगा।

[2][13. महाविद्यालय में प्रवेश के सम्बन्ध में अभ्यर्थी का विकल्प—(1) प्रत्येक अभ्यर्थी अपने आवेदन प्ररूप में वरीयता के क्रम में महाविद्यालयों के पाँच नामों को बता सकेगा। यदि मेरिट सूची के आधार पर बताये गये महाविद्यालयों में अभ्यर्थी को प्रवेश देना संभव नहीं है तो प्रवेश परीक्षा संचालित करने वाला राज्य विश्वविद्यालय किसी अन्य महाविद्यालय में उसे प्रवेश देने के लिए स्वतन्त्र होगा।

(2) पैरा 12 में यथा उल्लिखित प्रवेश परीक्षा संचालित करने वाले राज्य विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों को और पैरा 11 के अधीन मदों के विवरण के साथ प्राप्त अतिरिक्त अंकों को स्पष्ट रूप से बताते हुए मेरिट सूची तैयार की जायेगी।

प्रवेश परीक्षा को संचालित करने वाला राज्य विश्वविद्यालय, मेरिट सूची के आधार पर, प्रत्येक महाविद्यालय के प्रवेश की सूची को तैयार करेगा और उसे महाविद्यालय को संसूचित करेगा। प्रवेश परीक्षा को संचालित करने वाला महाविद्यालय ऐसे प्रत्येक अभ्यर्थी को पंजीकृत डाक द्वारा सूचना भेजेगा जिसके नाम को इस प्रकार तैयार की गयी सूची में सम्मिलित किया गया है।

(3) व्यापक प्रसार वाले महत्वपूर्ण समाचार-पत्रों में प्रवेश परीक्षा को संचालित करने वाले राज्य विश्वविद्यालय द्वारा मेरिट सूची को प्रकाशित किया जायेगा।

(4) अभ्यर्थी, प्रवेश परीक्षा संचालित करने वाले राज्य विश्वविद्यालय द्वारा डाकघर में सूचना के पंजीयन की तारीख के 21 दिन के भीतर प्रवेश सूची में यथा बताये गये महाविद्यालय में प्रस्तुत होगा और प्रवेश ले लेगा। उस तारीख के पश्चात्, अभ्यर्थी प्रवेश के लिए कोई दावा नहीं करेगा।]

---

1. दिनांक 1 फरवरी, 2007 के उ० प्र० गजट, असाधारण, भाग 4, अनुभाग (क) में प्रकाशित दिनांक 1 फरवरी, 2007 की अधिसूचना संख्या 416/I.XX-2-2007-3 (58)-79 द्वारा पैरा 12, 13 तथा 14 को प्रतिस्थापित किया गया।
2. दिनांक 1 फरवरी, 2007 के उ० प्र० गजट, असाधारण, भाग 4, अनुभाग (क) में प्रकाशित दिनांक 1 फरवरी, 2007 की अधिसूचना संख्या 416/I.XX-2-2007-3 (58)-79 द्वारा पैरा 12, 13 तथा 14 को प्रतिस्थापित किया गया।

[1][14. प्रवेश—(क) सम्बन्धित महाविद्यालय का प्रधानाचार्य अभ्यर्थियों को उनके मूल प्रमाण-पत्रों का सत्यापन करने के पश्चात ही प्रवेश देगा।

(ख) पैरा 11 के अधीन अंकों के लिए विनिर्दिष्ट रूप से अन्तिम प्रमाण पत्र को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(ग) प्रधानाचार्य किसी भी अभ्यर्थी अन्तिम रूप से प्रवेश देने से इन्कार करने के पूर्व प्रवेश परीक्षा को संचालित करते हुए राज्य विश्वविद्यालय के उपकुलपति के पूर्वानुमोदन को लेगा।

(घ) प्रवेश परीक्षा को संचालित करते हुए महाविद्यालय प्रतीक्षा सूची भी तैयार करेगा। यदि कोई सीट कक्षाओं के प्रारंभ होने के पश्चात् माह के भीतर ही रिक्त हो जाती है तो उसे प्रतीक्षा सूची से भरा जायेगा। प्रवेश परीक्षा को संचालित करते हुए राज्य विश्वविद्यालय का उत्तरदायित्व यह होगा कि वह रिक्त सीटों को भरने के लिए महाविद्यालय तथा अभ्यर्थी को सूचित करें।

(ङ) प्रवेश के लिए चयनित प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रवेश के पूर्व मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र प्रदान करना होगा जिसमें इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए कि अभ्यर्थी हकलाता नहीं है और कान, नेत्र अथवा अन्य किसी अंग के रोग के कारण अध्यापक बनने के लिए अनुपयुक्त नहीं है।]

अध्याय 3

एम० एड० की कक्षाओं में प्रवेश

15. परिचय—इस अध्याय का प्रावधान किसी भी महाविद्यालय में केवल एम० एड० की कक्षाओं में शिक्षा के पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए लागू होगा।

16. किसी भी महाविद्यालय में किसी भी व्यक्ति को उस समय तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा जब तक कि उसने विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय द्वारा संचालित बी० एड० की उपाधि की परीक्षा को अथवा मान्यता प्राप्त बी० टी० अथवा एल० टी० के डिप्लोमा की परीक्षा को उत्तीर्ण न कर लिया हो।

17. एम० एड० में प्रवेश के लिए केवल उन आवेदनों पर ही विचार किया जायेगा जहाँ सम्बन्धित विश्वविद्यालय के परिनियमों के अनुसार अभ्यर्थी राज्य के डिग्री महाविद्यालयों में बी० ए० (शिक्षा) में अथवा बी० एड० विभाग में प्रवक्ता के रूप में नियुक्ति हेतु एम० एड० के सिवाय अन्य सभी अर्हताओं को पूर्ण करते हों।

18. मेरिट के अनुसार प्रवेश—अभ्यर्थियों को बी० एड० में उसके समकक्ष अन्य मान्यता प्राप्त कक्षाओं में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर मेरिट के क्रम में नियमत: प्रवेश दिया जायेगा। सैद्धान्तिक प्रश्न में प्राप्त पूर्ण अंक तथा व्यावहारिक परीक्षा में प्राप्त 50 प्रतिशत अंक पर प्रतिशत की संगणना करने में विचार किया जायेगा।

दृष्टान्त—यदि अभ्यर्थी सैद्धान्तिक प्रश्न में 500 में से 240 अंक को और व्यावहारिक परीक्षा में 200 में से 140 अंकों को प्राप्त कर चुका है तो संगणना के लिए, उसके द्वारा प्राप्त पूर्ण अंक 240+(140/2 अथवा 70) = 310 होंगे और उसका प्रतिशत 44.28 (310 × 100)/700 होगा।

19. अध्याय 2 के आदेशों का उपयोजन—पैरा 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14 के प्रावधान इस अध्याय के अधीन भी यथा आवश्यक परिवर्तन के साथ लागू होंगे।

---

1. दिनांक 1 फरवरी, 2007 के उ० प्र० गजट, असाधारण, भाग 4, अनुभाग (क) में संप्रकाशित दिनांक 1 फरवरी, 2007 की अधिसूचना संख्या 416/XX-2-2007-3 (58)-79 द्वारा पैरा 12, 13 तथा 14 को प्रतिस्थापित किया गया।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय प्रथम परिनियम (अध्यापकों की अधिवर्षिता की आयु, वेतनमान और अध्यापकों की अर्हता), 1975[1]

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनर्अधिनियमितीकरण और संशोधन) अधिनियम, 1974 (1974 का उ० प्र० अधिनियम संख्या 29) द्वारा यथा पुनर्अधिनियमित एवं संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (1973 का राष्ट्रपति महोदय का अधिनियम संख्या 10) की धारा 50 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल महोदय ने इलाहाबाद, लखनऊ, आगरा, गोरखपुर, कानपुर, मेरठ, कुमायूँ, गढ़वाल, अवध और रोहिल खण्ड के विश्वविद्यालयों काशी विद्यापीठ और सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियमों को निम्नवत् बनाने में संतोष का अनुभव किया है—

प्रथम परिनियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन परिनियमों को उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय प्रथम परिनियम (अध्यापकों की अधिवर्षिता की आयु, वेतनमान और अर्हता), 1975 के नाम से जाना जा सकेगा।

(2) ये 1 अगस्त, 1975 को प्रभावी होंगे।

2. परिभाषाएँ—इन परिनियमों, जब तक प्रसंग में अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "*अधिनियम*" उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनर्अधिनियमितीकरण और संशोधन) अधिनियम, 1973 से अभिप्रेत है;

(ख) "*नया वेतनमान*" समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 28 दिसम्बर, 1974 के शासनादेश संख्या सी० X(ii)-9045/XV-14 (7)-73 के अनुसार अध्यापक को ग्राह्य वेतनमान से अभिप्रेत है और "पुराना वेतनमान" नये वेतनमान के लागू होने के पूर्व अध्यापक के लिए ग्राह्य वेतनमान से अभिप्रेत है;

(ग) "*विश्वविद्यालय*" इलाहाबाद, लखनऊ, आगरा, गोरखपुर, कानपुर, मेरठ, कुमायूँ, गढ़वाल [2][अवध, रोहिल खण्ड अथवा बुन्देलखण्ड] काशी विद्यापीठ अथवा सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय से अभिप्रेत है;

(घ) अधिनियम में प्रयुक्त अन्य पदावली एवं अभिव्यक्तियों, जिन्हें इन परिनियमों में परिभाषित नहीं किया गया है, का वही अर्थ होगा जो उन्हें अधिनियम में प्रदान किया गया है।

3. अध्यापकों की अधिवर्षिता की आयु—(1) धारा 4, 5, 6 एवं 7 के प्रावधानों के अध्यधीन नये वेतनमान द्वारा शासित अध्यापक की अधिवर्षिता की आयु साठ वर्ष होगी।

(2) नये वेतनमानों द्वारा शासित न किये जाने वाले अध्यापकों की अधिवर्षिता की आयु परिनियम 7 के अध्यधीन, साठ वर्ष होगी।

(3) अधिवर्षिता की आयु के पश्चात् सेवा में कोई भी विस्तार किसी भी अध्यापक को इन परिनियमों के प्रारंभ होने की तारीख के पश्चात् प्रदान नहीं किया जायेगा :

[3][परन्तु यह कि यदि किसी अध्यापक की अधिवर्षिता की तारीख 30 जून को नहीं पड़ती है तो अध्यापक शैक्षिक सत्र के अन्त तक अर्थात् अगली 30 जून तक सेवा में बना रहेगा और उसे उसकी

---

1. दिनांक 25 जुलाई, 1975 के उ० प्र० गजट असाधारण में प्रकाशित दिनांक 25 जुलाई, 1975 की अधिसूचना सं० 4546/XV-10-75 शिक्षा अनुभाग 10 ।
2. दिनांक 15 अप्रैल, 1977 की अधिसूचना सं० 1791/XV-10-77 द्वारा प्रतिस्थापित (15 अप्रैल, 1977 से प्रभावी)।
3. दिनांक 15 अप्रैल, 1977 की अधिसूचना सं० 1791/XV-10-77 द्वारा अन्तःस्थापित (15 अप्रैल, 1977 से प्रभावी)।

अधिवर्षिता की तारीख के तत्काल पश्चात् तारीख से अगली 30 जून तक पुनर्नियोजन पर होना माना जायेगा।]

4. इन परिनियमों के प्रारंभ होने के पहले से सेवारत इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अध्यापकों की अधिवर्षिता और वेतनमान—(1) यह परिनियम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अध्यापकों के लिए लागू होगा।

(2) विश्वविद्यालय का प्रत्येक अध्यापक—

(क) जिसने इन परिनियमों के प्रारंभ होने की तारीख के पूर्व अपना 60वां जन्म दिवस पूर्ण किया है, 62 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त होगा, और ऐसा अध्यापक नये वेतनमान के लाभ को उठाने का हकदार नहीं होगा;

(ख) जिसने इन परिनियमों के प्रारंभ होने की तारीख के पूर्व अपने 60वें जन्म दिवस को पूरा नहीं किया है, इस बात का चुनाव करेगा कि वह निम्न में से किस पर सेवानिवृत्त होगा—

(i) 60 वर्ष की आयु पर तथा नये वेतनमान का लाभ उठायेगा, अथवा

(ii) 62 वर्ष की आयु पर तथा पुराने वेतनमान के लाभ को उठाता रहेगा।

(3) खण्ड 2 के उपखण्ड (ख) के अधीन विकल्प का प्रयोग इन परिनियमों से संलग्न प्ररूप 1 में किया जायेगा और उसे इन परिनियमों के प्रारंभ होने की तारीख से एक माह की अवधि के भीतर या उसके 60वें जन्म दिवस के पूर्व, जो भी पहले हो, वित्त अधिकारी के समक्ष दाखिल किया जायेगा। एक बार विकल्प का प्रयोग किये जाने पर वह अन्तिम हो जायेगा।

(4) जहाँ अध्यापक खण्ड 2 के उपखण्ड (ख) के अनुसार विकल्प का प्रयोग करने में विफल हो जाता है तो उसका नये वेतनमान को चुनना समझा जायेगा और वह 60 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त होगा।

5. इन परिनियमों के प्रारंभ होने के पूर्व विस्तार पर कार्यरत अन्य विश्वविद्यालयों के अध्यापकों की अधिवर्षिता—(1) यह परिनियम इलाहाबाद विश्वविद्यालय को छोड़कर अन्य विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के लिए लागू होगा।

(2) विश्वविद्यालय का प्रत्येक अध्यापक, जो इन परिनियमों के प्रारंभ होने की तारीख पर परिनियम 3 में विनिर्दिष्ट अधिवर्षिता की आयु के पश्चात् विस्तार पर सेवारत था, और ऐसा विस्तार उस प्रारंभ होने की तारीख के पूर्व प्रदान किया गया था, उस समय प्रवृत्त परिनियमों और अध्यादेशों के प्रावधानों के अनुसार विस्तार की अवधि के समाप्त होने पर सेवानिवृत्त होगा लेकिन वह नये वेतनमान के लाभ को उठाने का हकदार नहीं होगा।

6. महाविद्यालयों के अध्यापकों की अधिवर्षिता—परिनियम 5 के प्रावधान निम्न के अध्यापकों के लिए यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे—

(क) किसी भी विश्वविद्यालय (सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय को छोड़कर) से सम्बद्ध प्रत्येक महाविद्यालय;

(ख) प्रत्येक मेडिकल कालेज, कृषि महाविद्यालय, अभियांत्रिकी महाविद्यालय अथवा पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, जो ऐसे किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित संघटक महाविद्यालय है।

7. अधिवर्षिता के प्रयोजनों के लिए जन्मतिथि—(1) इन परिनियमों के अनुसार किसी अध्यापक की अधिवर्षिता या सेवानिवृत्ति की आयु का अवधारण करने के लिए, हाईस्कूल अथवा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अन्य किसी परीक्षा के प्रमाण-पत्र में यथा उल्लिखित अध्यापक की जन्मतिथि निर्णायक होगी।

(2) सेवानिवृत्ति की तारीख अध्यापक के 60वें अथवा 62वें जन्म दिवस के ठीक पूर्व की तिथि होगी क्योंकि अधिवर्षिता की उसकी आयु 60 या 62 वर्ष है।

8. विश्वविद्यालय में प्रवक्ताओं की अर्हताएँ—[1][(1) विश्वविद्यालय की दशा में, कला, वाणिज्य, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान संकायों में प्रवक्ता के पद के लिए निम्नलिखित न्यूनतम अर्हताएँ होंगी, अर्थात्—

(क) सम्बन्धित अध्ययन के विषय में डाक्टरेट अथवा उस विषय में उच्च स्तर का प्रकाशित कार्य; और

(ख) लगातार अच्छा शैक्षणिक अभिलेख (कहने का अभिप्राय यह है कि अभ्यर्थी के सम्पूर्ण शैक्षिक वृत्तियों के दौरान सभी आकलनों का सम्पूर्ण अभिलेख) सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि अथवा उस विषय में विदेशी विश्वविद्यालय की समकक्ष उपाधि प्रथम श्रेणी या उच्च द्वितीय श्रेणी के साथ (कहने का अभिप्राय यह है कि कुल मिलाकर 54 प्रतिशत से अधिक)।

(2) जहाँ चयन समिति की यह राय हो कि अभ्यर्थी का अनुसंधान कार्य, जैसा कि उसकी या तो थिसिस द्वारा या उसके प्रकाशित कार्य द्वारा साक्ष्यित है, अत्यन्त उच्च स्तर का है, तो वहाँ खण्ड 1 के उपखण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट अर्हताओं में से किसी में छूट प्रदान कर सकेगी।

(3) यदि खण्ड 1 के उपखण्ड (क) में विनिर्दिष्ट अर्हता को रखने वाला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है अथवा उसे उपयुक्त नहीं समझा जाता है तो निरन्तर अच्छा शैक्षणिक अभिलेख रखने वाले व्यक्ति को (एम० फिल अथवा उसके समकक्ष उपाधि अथवा गुणवत्तायुक्त अनुसंधान कार्य को महत्व दिया जायेगा) इस शर्त पर नियुक्त किया जा सकेगा कि वह अपनी नियुक्ति की तारीख से पाँच वर्ष के भीतर ऐसी अर्हता (अर्थात् डाक्टरेट अथवा यथा पूर्वोल्लिखित प्रकाशित कार्य) को प्राप्त कर लेगा :

परन्तु यह कि जहाँ इस प्रकार नियुक्त किया गया अध्यापक पाँच वर्ष की उक्त अवधि के भीतर निर्धारित अर्हता को प्राप्त करने में विफल हो जाता है, तो वहाँ वह उस अवधि के पश्चात् वार्षिक वृद्धियों का तब तक हकदार नहीं होगा जब तक कि वह उन अर्हताओं को प्राप्त नहीं कर लेता है।

(4) [2][विधि संकाय की दशा में विश्वविद्यालय में प्रवक्ता के पद के लिए न्यूनतम अर्हता विधि में स्नातकोत्तर की उपाधि होगी।]

9. [3][(1) इन परिनियमों के प्रारंभ होने के पूर्व नियुक्त किये गये किसी भी व्यक्ति का रीडर अथवा प्रोफेसर के पद हेतु नियुक्ति के लिए अर्हित होना नहीं समझा जायेगा बशर्ते उसके पास परिनियम 8 में निर्धारित अर्हताएँ न हों, परन्तु यह कि जहाँ चयन समिति की यह राय हो कि अभ्यर्थी की अनुसंधान कार्य, जैसा कि उसकी थिसिस द्वारा या उसके प्रकाशित कार्य द्वारा साक्ष्यित है, अत्यन्त उच्च स्तर का है, तो वह परिनियम 8 के खण्ड 1 के उपखण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट अर्हताओं में से किसी में छूट दे सकेगा।

(2) इसके अतिरिक्त, रीडर अथवा प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी सम्बन्धित विश्वविद्यालय के अध्यादेशों में निर्दिष्ट किसी अन्य अर्हता को पूरा करेगा।

---

1. दिनांक 20 अक्टूबर, 1975 की अधिसूचना सं० 7251/XV-10-75-60 (115)-73 द्वारा परिनियम 8, 9 तथा 10 को प्रतिस्थापित किया गया (20 अक्टूबर, 1975 से प्रभावी)।
2. दिनांक 15 अप्रैल, 1977 की अधिसूचना सं० 1791/XV-10-77 द्वारा प्रतिस्थापित (15 अप्रैल, 1977 से प्रभावी)।
3. दिनांक 20 अक्टूबर, 1975 की अधिसूचना सं० 7251/XV-10-75-60 (115)-73 द्वारा परिनियम 8, 9 तथा 10 को प्रतिस्थापित किया गया (20 अक्टूबर, 1975 से प्रभावी)।

[1][10. सम्बद्ध महाविद्यालयों में प्रवक्ताओं की अर्हताएँ—(1) सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय को छोड़कर अन्य किसी भी महाविद्यालय से सहयुक्त या सम्बद्ध महाविद्यालय की दशा में कला, वाणिज्य, विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान के संकायों में प्रवक्ता के पद हेतु निम्नलिखित न्यूनतम अर्हताएँ होंगी, अर्थात्

(क) सुसंगत रूप से अच्छा शैक्षणिक अभिलेख (कहने का अभिप्राय यह है अभ्यर्थी की सम्पूर्ण शैक्षिक वृत्तियों के दौरान सभी आंकलनों का सम्पूर्ण अभिलेख) सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि अथवा उस विषय में विदेशी विश्वविद्यालय की समकक्ष उपाधि प्रथम श्रेणी या उच्च द्वितीय श्रेणी के साथ (कहने का अभिप्राय यह है कि कुल मिलाकर 54 प्रतिशत से अधिक); और

(ख) एम० फिल की उपाधि अथवा स्वतन्त्र अनुसंधान कार्य के लिए अभ्यर्थी की क्षमता को बताते हुए स्नातकोत्तर स्तर के पश्चात् की मान्यता प्राप्त उपाधि।

(2) यदि खण्ड 1 के उपखण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट अर्हता को रखते हुए अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है अथवा उसे उपयुक्त नहीं माना जाता है तो महाविद्यालय का प्रबन्धतन्त्र, चयन समिति की सिफारिश पर लगातार अच्छे शैक्षणिक अभिलेख को रखने वाले अभ्यर्थी को इस आधार पर नियुक्त करेगा कि उसे अपनी नियुक्ति की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि के भीतर उस उपनियम में निर्दिष्ट अर्हता को प्राप्त करना होगा :

परन्तु यह कि जहाँ इस प्रकार नियुक्त किया गया अध्यापक पाँच वर्ष की उक्त अवधि के भीतर उस अर्हता को प्राप्त करने में विफल हो जाता है तो वह उस अवधि के पश्चात्, जब तक वह उस अर्हता को प्राप्त नहीं कर लेता है, वार्षिक वृद्धियों का हकदार नहीं होगा।

[2][(3) यदि कोई अभ्यर्थी सम्बन्धित विषय में डाक्टरेट की उपाधि को धारित करता है तो चयन समिति स्नातकोत्तर उपाधि में 54 प्रतिशत से अधिक के अंकों से सम्बन्धित शर्त में छूट प्रदान कर सकेगी।

(4) विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी महाविद्यालय की दशा में, विधि संकाय में प्रवक्ता के पद के लिए न्यूनतम अर्हता विधि में स्नातकोत्तर की उपाधि होगी।]

10.-क. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी महाविद्यालय की दशा में निम्न हेतु प्रधानाचार्य के पद के लिए निम्नलिखित न्यूनतम अर्हताएँ होंगी—

(1) डिग्री कालेज :

(क) सुसंगत रूप से अच्छा शैक्षणिक अभिलेख (कहने का अभिप्राय यह है कि अभ्यर्थी की सम्पूर्ण शैक्षिक वृत्तियों के दौरान सभी आकलनों का सम्पूर्ण अभिलेख) सम्बन्धित महाविद्यालय में पढ़ाये जाने वाले विषयों में से एक में स्नातकोत्तर की उपाधि अथवा विदेशी विश्वविद्यालय की समकक्ष उपाधि प्रथम श्रेणी या उच्च द्वितीय श्रेणी के साथ (कहने का अभिप्राय यह है कि कुल मिलाकर 54 प्रतिशत से अधिक); तथा

(ख) महाविद्यालय में पढ़ाये जाने वाले विषयों में से एक डाक्टरेट की उपाधि, उपाधि की कक्षाओं में अध्यापक का दस वर्ष का अनुभव :

परन्तु यह कि यदि कोई अभ्यर्थी 15 वर्ष या उससे अधिक डिग्री उपाधि की कक्षाओं में अध्यापन कार्य का अनुभव रखता है अथवा स्नातकोत्तर कक्षाओं में अध्यापन या 10 वर्ष या उससे अधिक का अनुभव रखता

---

1. दिनांक 20 अक्टूबर, 1975 की अधिसूचना संख्या 725/XV-10-75-60 (115)-73 द्वारा प्रतिस्थापित (20 अक्टूबर, 1975 से प्रभावी)।
2. दिनांक 15 अप्रैल, 1977 की अधिसूचना संख्या 1791/XV-10-77 द्वारा अन्तः स्थापित (15 अप्रैल, 1977 से प्रभावी)।

है अथवा यदि वह किसी महाविद्यालय में चार वर्ष या उससे अधिक की प्रास्थिति में स्थायी प्रधानाचार्य है अथवा रह चुका है तो चयन समिति डाक्टरेट की उपाधि की शर्त में छूट प्रदान कर सकेगी।

(2) स्नातकोत्तर महाविद्यालय :

(क) सुसंगत रूप से अच्छा शैक्षणिक अभिलेख (कहने का अभिप्राय यह है कि अभ्यर्थी की सम्पूर्ण शैक्षिक वृत्तियों के दौरान सभी आकलनों का सम्पूर्ण अभिलेख) सम्बन्धित महाविद्यालय में पढ़ाये जाने वाले विषयों में से एक में स्नातकोत्तर की उपाधि अथवा विदेशी विश्वविद्यालय की समकक्ष उपाधि प्रथम श्रेणी या उच्च द्वितीय श्रेणी के साथ (कहने का अभिप्राय यह है कि कुल मिलाकर 54 प्रतिशत से अधिक); तथा

(ख) किसी डिग्री कालेज में स्नातकोत्तर कक्षाओं में अध्यापन कार्य करने के 7 वर्ष के अनुभव अथवा प्रधानाचार्य के पद के 5 वर्ष के अनुभव के साथ महाविद्यालय में पढ़ाये जाने वाले विषयों में से एक डाक्टरेट की उपाधि :

परन्तु यह कि यदि कोई अभ्यर्थी स्नातकोत्तर कक्षाओं में अध्यापन कार्य करने के 10 वर्ष का अनुभव अथवा उपाधि की कक्षाओं में अध्यापन कार्य करने के 20 वर्ष या उससे अधिक के अनुभव अथवा डिग्री कालेज में प्रधानाचार्य के पद के 7 वर्ष का अनुभव को रखता है अथवा वह किसी भी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में 5 वर्ष या उससे अधिक की प्रास्थिति में स्थायी प्रधानाचार्य है अथवा रह चुका है तो चयन समिति डाक्टरेट की उपाधि की शर्त में छूट प्रदान कर सकेगी।

[1][10.-ख. जब किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के प्रधानाचार्य का पद रिक्त होता है तो प्रबन्धतन्त्र तीन माह की अवधि के लिए अथवा नियमित प्रधानाचार्य की नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, किसी भी अध्यापक को स्थानापन्न प्रधानाचार्य के रूप में नियुक्त कर सकेगा। यदि तीन माह की अवधि के समाप्त होने पर अथवा उसके पूर्व किसी नियमित प्रधानाचार्य की नियुक्ति नहीं की जाती है अथवा ऐसे प्रधानाचार्य पद को ग्रहण नहीं करता है तो महाविद्यालय का वरिष्ठतम अध्यापक, नियमित प्रधानाचार्य की नियुक्ति होने तक उस महाविद्यालय के प्रधानाचार्य के रूप में स्थानापन्न रूप में कार्य करेगा।]

11. इन परिनियमों का अध्यारोही प्रभाव—इन परिनियमों के प्रावधानों का संविदा में अन्तर्विष्ट किसी भी प्रतिकूल बात के होते हुए प्रभाव होगा और इन परिनियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व तारीख पर प्रवृत्त सभी परिनियम एवं अध्यादेश, जहाँ तक वे इन परिनियमों से असंगत है, उस प्रारंभ होने के समय से निरसित हो जायेंगे।

प्ररूप 1

[देखें परिनियम 4 (2)]

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अध्यापकों के लिए विकल्प का प्ररूप

मैं,.....पुत्र श्री..... प्रोफेसर या रीडर या प्रवक्ता ..... विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, एतद्द्वारा यह घोषित करता हूँ कि मैं निम्न का चुनाव करता हूँ।

(i) साठ वर्ष की आयु पर और नये वेतनमान के लाभ को प्राप्त करूँगा।

अथवा

(ii) बासठ वर्ष की आयु पर और पुराने वेतनमान के लाभ को प्राप्त करूँगा मैं यह समझता हूँ कि यह विकल्प अन्तिम तथा अप्रतिहरणीय होगा।

हस्ताक्षर.....

दिनांक.....

---

1. दिनांक 10 अप्रैल, 1977 को अधिसूचना संख्या 1890/XV-10-77-60 (36)-76 द्वारा अन्तःस्थापित।

उत्तर प्रदेश शैक्षिक संस्था में प्रवेश (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का आरक्षण) अधिनियम, 2006[1]

(2006 का उ० प्र० अधिनियम संख्या 23)

(उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा यथा पारित)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं को छोड़कर राज्य द्वारा, चाहे सहायता प्राप्त हो या असहायता प्राप्त हो, निजी शैक्षिक संस्थाओं सहित शैक्षिक संस्था में प्रवेश देने में नागरिकों के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के पक्ष में आरक्षण हेतु और उससे संबद्ध अथवा उससे आनुषंगिक मामलों के लिए प्रावधान करने का अधिनियम।

भारत गणराज्य के सत्तानवे वर्ष में निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो।

प्रारम्भिक टिप्पण—उद्देश्यों एवं कारणों का कथन—राज्य सरकार को संविधान के तिरानवें संशोधन द्वारा इस बात के लिए सशक्त किया गया है कि वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं को छोड़कर राज्य द्वारा, चाहे सहायता प्राप्त हो या असहायता प्राप्त हो, निजी शैक्षिक संस्थाओं सहित शैक्षिक संस्था में प्रवेश देने में नागरिकों के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के पक्ष में प्रवेश के सम्बन्ध में विशेष प्रावधानों को बना सकेगी। अत: उक्त व्यक्तियों के पक्ष में उक्त शैक्षिक संस्था में प्रवेश में आरक्षण के लिए प्रावधान करने हेतु विधि की विरचना करने का निर्णय लिया गया था।

चूंकि राज्य विधान मण्डल का सत्र नहीं चल रहा था और तत्काल विधायी कार्रवाई पूर्वोल्लिखित विनिश्चय का पालन करने के लिए आवश्यक थी, इसलिए उत्तर प्रदेश शैक्षिक संस्था (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का आरक्षण) में प्रवेश अध्यादेश, 2006 (2006 का उ० प्र० अध्यादेश संख्या 2) को राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 10 जुलाई, 2006 को प्रख्यापित किया गया था। यह विधेयक पूर्वोल्लिखित अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए लाया गया है।

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश शैक्षिक संस्था (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का आरक्षण) अधिनियम, 2006 के नाम से जाना जा सकेगा।

(2) इसका 10 जुलाई, 2006 से प्रभाव में आना समझा जाएगा।

2. प्रयोज्यता—यह अधिनियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं को छोड़कर राज्य द्वारा चाहे सहायता प्राप्त हो या असहायता प्राप्त निजी शैक्षिक संस्थाओं सहित शैक्षिक संस्थाओं में लेने वाले सभी प्रवेशों के लिए लागू होगा।

3. परिभाषाएँ—इस अधिनियम में जब तक प्रसंग में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

---

1. दिनांक 25 जुलाई, 1975 के उ० प्र० गजट असाधारण में प्रकाशित दिनांक 25 जुलाई, 1975 की अधिसूचना सं० 4546/XV-10-75 शिक्षा अनुभाग 10 ।

(क) *"प्रवेश के सम्बन्ध में शैक्षिक वर्ग"* का अभिप्राय बारह माह की ऐसी अवधि से अभिप्रेत है जो कैलेण्डर वर्ष के जुलाई के प्रथम दिवस पर प्रारम्भ होती है जिसके भीतर प्रवेश की प्रक्रिया को प्रारम्भ किया जाता है;

(ख) *"सहायता प्राप्त संस्था"* अल्पसंख्यक संस्था को छोड़कर ऐसी निजी संस्था से अभिप्रेत है जिसे राज्य सरकार से या सहायता अनुदान अथवा वित्तीय सहायता को संवितरित करते हुए राज्य सरकार के नियन्त्रणाधीन किसी निकाय से पूर्णतः या आंशिक रूप से आवर्ती सहायता अनुदान या वित्तीय सहायता प्राप्त होती है;

(ग) *"सामान्य अभ्यर्थी"* किसी अनारक्षित सीट पर मेरिट के आधार पर चयन किए गए अभ्यर्थी से अभिप्रेत है;

(घ) *"संस्था का प्रधान"* संस्था को चलाने वाली सोसाइटी के अध्यक्ष या प्रबन्धक या सचिव से अभिप्रेत है और इसमें संस्था का निदेशक, प्रधानाचार्य या कोई प्रशासनिक प्रधान सम्मिलित है;

(ङ) *"शैक्षिक संस्था"* निम्न से अभिप्रेत है—

(i) राज्य विधानमण्डल के अधिनियम द्वारा स्थापित या निगमित निजी विश्वविद्यालय सहित किसी सक्षम वैधानिक निकाय द्वारा अनुमोदित या मान्यता प्राप्त और राज्य विधानमण्डल के अधिनियम द्वारा स्थापित या निगमित निजी विश्वविद्यालय सहित राज्य विश्वविद्यालय से सम्बद्ध शिक्षा प्रदान करते हुए अथवा शिक्षा प्रदान करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय होना समझे गए विश्वविद्यालय की संघटक इकाई, चाहे जिस भी नाम से जाना जाए महाविद्यालय या विद्यालय या संस्था;

(ii) उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र, जिस भी नाम से जाना जाए, प्रदान करते हुए सक्षम वैधानिक निकाय द्वारा अनुमोदित या मान्यता प्राप्त व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को प्रदान करते हुए चाहे जिस भी नाम से जाना जाए महाविद्यालय या विद्यालय संस्था।

(च) *"नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग"* उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से अभिप्रेत है;

(छ) *"निजी संस्था"* ऐसी शैक्षिक संस्था से अभिप्रेत है जिसे राज्य सरकार या किसी लोक निकाय द्वारा स्थापित या अनुरक्षित न किया जाता हो;

(ज) *"व्यावसायिक पाठ्यक्रम"* उपाधि, डिप्लोमा अथवा प्रमाण पत्र, चाहे जिस भी नाम से जाना जाए के प्रदान करते हुए सक्षम वैधानिक निकाय द्वारा व्यावसायिक पाठ्यक्रम के रूप में अधिसूचित अध्ययन के पाठ्यक्रम से अभिप्रेत है;

(झ) *"आरक्षित सीट"* नागरिकों के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित सीट से अभिप्रेत है;

(ञ) *"स्वीकृत ग्राह्यता"* राज्य सरकार द्वारा किसी संस्था में अध्ययन के प्रत्येक पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों को प्रवेश देने के लिए अधिसूचित प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत सीटों की कुल संख्या से अभिप्रेत है एवं उसको विवश करती है;

(ट) *"राज्य विश्वविद्यालय"* राज्य विधानमण्डल के अधिनियम द्वारा स्थापित अथवा निगमित विश्वविद्यालय से अभिप्रेत है;

(ठ) *"असहायता प्राप्त संस्था"* ऐसी निजी शैक्षिक संस्था से अभिप्रेत है जो सहायता प्राप्त संस्था नहीं है;

(ड) *"अनारक्षित सीट"* आरक्षित सीटों को छोड़कर अन्य सीट से अभिप्रेत है।

4. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के पक्ष में आरक्षण— (1) भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं को छोड़कर, चाहे राज्य द्वारा सहायता प्राप्त हो या असहायता प्राप्त, निजी शैक्षिक संस्थाओं सहित शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश में, स्वीकृत ग्राह्यता के निम्नलिखित प्रतिशत में प्रवेश के प्रक्रम पर आरक्षण होगा जिसके लिए शैक्षिक वर्ष में नागरिकों के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्ति के पक्ष में प्रवेश किया जाना चाहिए—

(क)	अनुसूचित जातियों की दशा में	इक्कीस प्रतिशत
(ख)	अनुसूचित जनजातियों की दशा में	दो प्रतिशत
(ग)	नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों की दशा में	सत्ताइस प्रतिशत

(2) किसी शैक्षिक वर्ष के सम्बन्ध में, यदि उपधारा (1) के अधीन व्यक्तियों की किसी भी कोटि के लिए आरक्षित कोई भी रिक्ति भरे जाने के लिए शेष रह जाती है, तो उस रिक्ति को भरने के लिए उस कोटि के व्यक्तियों में से एक अन्य विशेष प्रवेश अभियान चलाया जाएगा।

(3) यदि उपधारा (2) में निर्दिष्ट विशेष प्रवेश अभियान में, अनुसूचित जनजातियों के उपयुक्त अभ्यर्थी उनके लिए आरक्षित रिक्ति को भरने के लिए उपलब्ध नहीं है, तो उस रिक्ति का अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों द्वारा भरा जायेगा।

(4) जहां उपयुक्त अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण, उपधारा (1) के अधीन आरक्षित सीटों में से कोई सीट, उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट विशेष प्रवेश अभियान के पश्चात् भी भरे जाने के लिए शेष रह जाती है, तो उस रिक्ति को मेरिट के आधार पर अन्य किसी उपयुक्त अभ्यर्थी द्वारा भरा जायेगा।

(5) यदि उपधारा (1) में उल्लिखित कोटियों में से किसी कोटि का कोई व्यक्ति सामान्य अभ्यर्थी के रूप में मेरिट के आधार पर चयनित होता है और यदि वह सामान्य अभ्यर्थी के रूप में बना रहना चाहता है, तो उसे उपधारा (1) के अधीन उस कोटि के लिए आरक्षित रिक्तियों से समायोजित नहीं किया जाएगा।

5. अधिनियम के अनुपालन के लिए उत्तरदायित्व और शक्तियां—राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश के माध्यम से संस्था के प्रधान अथवा संस्था के किसी अधिकारी या कर्मचारी को इस अधिनियम के प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित करने का दायित्व सौंप सकेगा।

6. शास्ति और सम्बद्धता को वापस लेना—(1) संस्था का कोई प्रधान या संस्था का कोई अधिकारी या कर्मचारी, जिसे धारा 5 के अधीन दायित्व सौंपा गया है, इच्छायुक्त ढंग से इस अधिनियम के उद्देश्य का अतिलंघन करने या उसे विफल बनाने के लिए आशयित रीति से कार्य करता है, तो वह कारावास से, जो तीन माह तक हो सकेगा अथवा अर्थदण्ड से जो एक हजार रुपये तक हो सकेगा अथवा दोनों से दण्डनीय होगा।

(2) कोई भी न्यायालय राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा आदेश से इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना इस धारा के अधीन अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय अपराध का महानगरीय मजिस्ट्रेट अथवा प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा संक्षिप्ततः विचारण किया जाएगा और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 262 की उपधारा (1), धारा 262, धारा 264 एवं धारा 265 के प्रावधान यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

(4) जहां राज्य सरकार अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी या प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि किसी संस्था के इस अधिनियम अथवा राज्य सरकार द्वारा उसके अधीन बनायी गयी नियमावली के किसी भी प्रावधान या किए गए आदेश का उल्लंघन किया है, तो वह समुचित वैधानिक निकाय से उस संस्था की सम्बद्धता अथवा मान्यता को वापस लेने की सिफारिश कर सकेगा।

7. अभिलेख को मंगाने की शक्ति—यदि राज्य सरकार के संज्ञान में यह बात आती है कि धारा 4 की उपधारा (1) में उल्लिखित कोटियों में से किसी कोटि का कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम या उसके अधीन बनायी गयी नियमावली के प्रावधानों के अथवा सरकार के आदेशों के अननुपालन के कारण प्रतिकूल ढंग से प्रभावित हुआ है, तो वह सम्बन्धित संस्था से उन अभिलेखों को मंगा सकेगा और ऐसी कार्रवाई कर सकेगा जिसे वह आवश्यक समझे।

8. प्रवेश समिति—राज्य सरकार, आदेश के माध्यम से, प्रवेश समिति में नागरिकों के अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग को ऐसी सीमा तक एक और ऐसी रीति से जिसे विहित किया जा सकेगा, प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए अधिकारियों के मनोनयन का प्रावधान कर सकेगी।

9. जाति प्रमाण-पत्र—इस अधिनियम के अधीन उपबन्धित आरक्षण के प्रयोजनार्थ ऐसे प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकेगा जाति प्रमाण-पत्र ऐसी रीति और ऐसे प्ररूप में जारी किया जायेगा जिसका राज्य सरकार आदेश से प्रावधान कर सकेगी।

10. कठिनाइयों का अपसारण—यदि इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, ऐसे प्रावधानों को बना सकेगी जो इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत नहीं है जिनका उसे उस कठिनाई का अपसारण करने के लिए आवश्यक तथा समीचीन होना प्रकट होता हो।

11. सद्भाव में की गयी कार्रवाई का संरक्षण—इस अधिनियम या उसके अधीन बनायी गयी नियमावली के अनुसरण में ऐसी किसी भी बात के लिए, जिसे सद्भाव में किया गया है अथवा किया जाना आशयित है, राज्य सरकार अथवा किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य कोई भी कार्यवाही दाखिल नहीं की जायेगी।

12. नियमों को बनाने की शक्ति—राज्य सरकार अधिसूचना के माध्यम से इस अधिनियम के उद्देश्य को कार्यान्वित करने के लिए नियमों को बना सकेगी।

13. आदेश का प्रस्तुत किया जाना आदि—धारा 5 और धारा 9 के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, यथा संभव शीघ्र राज्य विधानमण्डल के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के प्रावधान उसी प्रकार से लागू होंगे जैसे कि वे किसी भी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के सम्बन्ध में लागू होते हैं।

14. निरसन और व्यावृत्ति—उत्तर प्रदेश शैक्षिक संस्था (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का आरक्षण) में प्रवेश अध्यादेश, 2006 (2006 का उ० प्र० अध्यादेश संख्या 2) को एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) उस निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन की गयी कोई बात या की गयी किसी भी कार्रवाई का इस अधिनियम के अधीन उसी प्रकार से किया जाना समझा जायेगा मानों इस अधिनियम के प्रावधान सभी सुसंगत समयों पर प्रवृत्त रहे हों।

उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षा संस्था (प्रवेश का विनियमन और शुल्क का स्थिरीकरण) अधिनियम, 2006[1]

(2006 का अधिनियम संख्या 24)

(उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा यथा पारित)

निजी व्यावसायिक शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के विनियमन और शुल्क के स्थिरीकरण और उनसे सम्बद्ध तथा उनसे आनुषंगिक मामलों के लिए प्रावधान करने का अधिनियम भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो।

प्रारम्भिक टिप्पण—उद्देश्यों एवं कारणों का कथन—राज्य सरकार को संविधान के तिरानवे संशोधन द्वारा निजी शैक्षिक संस्थाओं, चाहे वे राज्य द्वारा सहायता प्राप्त हो या असहायता प्राप्त हो सहित, भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड 1 में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शैक्षित संस्थाओं को छोड़कर अन्य शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के सम्बन्ध में नागरिकों के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के पक्ष प्रावधानों को करने के लिए सशक्त किया गया है। मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार ने यह सुझाव दिया था कि विधान की ऐसी शैक्षिक संस्थाओं के पक्ष में प्रवेश के विनियमन तथा शुल्क के स्थिरीकरण के लिए भी बनाया जाना चाहिए मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिये गये सुझावों के प्रकाश में, निजी शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के विनियमन तथा शुल्क के स्थिरीकरण और उससे सम्बद्ध एवं उससे आनुषंगिक मामले का प्रावधान करने के लिए विधि की रचना करने का निर्णय लिया गया है।

चूंकि राज्य विधान मण्डल का सत्र नहीं चल रहा था और तत्काल विधायी कार्यवाही पूर्वोल्लिखित विनिश्चय के अनुपालन के लिए आवश्यक थी, इसलिए उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और शुल्क का स्थिरीकरण), अध्यादेश, 2006 (2006 का उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 1) राज्यपाल महोदय द्वारा 10 जुलाई, 2006 को प्राख्यापित किया गया था। यह विधेयक पूर्वोल्लिखित अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए सम्मिलित किया गया है।

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और शुल्क का स्थिरीकरण) अधिनियम, 2006 के नाम से जाना जा सकेगा।

(2) उसका 10 जुलाई, 2006 को प्रभावी होना समझा जाएगा।

2. प्रयोज्यता—यह अधिनियम अल्पसंख्यक संस्थाओं को छोड़कर निजी सहायता प्राप्त अथवा असहायता प्राप्त व्यावसायिक शैक्षिक संस्थाओं के लिए प्रयोज्य होगी।

3. परिभाषाएं—इस अधिनियम में जब तक प्रसंग में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) *"सहायता प्राप्त संस्था"* का अभिप्राय राज्य सरकार से या राज्य सरकार के नियंत्रण किसी निकाय से पूर्णतः या आंशिक रूप से आवर्ती वित्तीय सहायता अनुदान या सहायता प्राप्त करती है जो सहायता अनुदान या वित्तीय सहायता का संवितरण करता है;

---

1. दिनांक 25 जुलाई, 1975 के उ० प्र० गजट असाधारण में प्रकाशित दिनांक 25 जुलाई, 1975 की अधिसूचना सं० 4546/XV-10-75 शिक्षा अनुभाग 10 ।

(ख) *"समिति"* का अभिप्राय धारा 4 के अधीन गठित प्रवेश एवं स्वतन्त्र विनियमनकारी समिति से है;

(ग) *"सामान्य प्रवेश परीक्षा"* का अभिप्राय ऐसी प्रवेश परीक्षा से है जिसे राज्य सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत अभिकरण द्वारा ऐसे व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश देने के लिए किया जाता है जिसे व्यावसायिक शैक्षिक संस्था द्वारा संचालित किया जाता है;

(घ) *"शुल्क"* का अभिप्राय ट्यूशन फ्री और विकास प्रभारों सहित सभी शुल्कों से है;

(ङ) *"सामान्य कोटि"* का अभिप्राय और विवक्षा व्यावसायिक शैक्षिक संस्था की स्वीकृति भर्ती में से सीटों से है न कि प्रबन्ध तन्त्र में सीटों से;

(च) *"प्रबन्धतन्त्र कोटि"* का अभिप्राय एवं विवक्षा संस्थाओं के प्रबन्धन के लिए राज्य सरकार द्वारा आवंटित स्वीकृति भर्ती में से सीटों से अभिप्रेत है;

(छ) *"अल्पसंख्यक"* का अभिप्राय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था राष्ट्रीय आयोग अधिनियम, 2004 (2005 का अधिनियम संख्या 2) की धारा 2 के खण्ड च के अधीन परिभाषित अल्पसंख्यक से है।

(ज) *"अल्पसंख्यक संस्था"* का अभिप्राय ऐसी संस्था से है जिसे अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित एवं प्रशासित किया जाता है और जिसे इस रूप में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया हो;

(झ) *"निजी व्यावसायिक शैक्षिक संस्था"* का अभिप्राय ऐसी व्यावसायिक शिक्षा संस्था से है जिसे केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या किसी लोक निकाय द्वारा स्थापित एवं अनुरक्षित न किया गया हो;

(ञ) *"व्यावसायिक पाठ्यक्रम"* का अभिप्राय ऐसे अध्ययन पाठ्यक्रम से है जिसे राज्य सरकार द्वारा व्यावसायिक पाठ्यक्रम के रूप में अधिसूचित किया गया हो;

(ट) *"व्यावसायिक शैक्षिक संस्था"* का अभिप्राय महाविद्यालय या विद्यालय या किसी संस्था, चाहे जिस भी नाम से पुकारी जाये, से अभिप्रेत है जो व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करती है—

(i) राज्य विधान मण्डल के अधिनियम द्वारा स्थापित या निगमित निजी विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1966 की धारा 3 के अधीन परिभाषित विश्वविद्यालय के रूप में समझे गए संघटक इकाई सहित राज्य विश्वविद्यालय से सम्बद्ध;

(ii) व्यावसायिक शिक्षा को विनियमित करते हुए राज्य सरकार द्वारा स्थापित सक्षम वैधानिक निकाय द्वारा अनुमोदित या मान्यता प्राप्त है;

(ठ) *"स्वीकृत प्राक्ता"* से अभिप्राय और विवक्षा विद्यार्थियों के व्यावसायिक संस्था में अध्ययन के प्रत्येक पाठ्यक्रम में प्रवेश देने के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति सीटों की संख्या से है;

(ड) *"वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी"* का अभिप्राय भारतीय प्रशासनिक सेवा या उत्तर प्रदेश की प्रान्तीय सिविल सेवा के अधिकारी से है;

(ढ) *"राज्य विश्वविद्यालय"* राज्य विधान मण्डल के अधिनियम द्वारा प्रशासित या निगमित विश्वविद्यालय से है;

(ण) *"असहायता प्राप्त संस्था"* ऐसी निजी व्यावसायिक शैक्षिक संस्था से अभिप्रेत है जो सहायता प्राप्त संस्था नहीं है;

(त) *"विश्वविद्यालय अनुदान आयोग"* का अभिप्राय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से है।

अध्याय 2

समिति

4. संरचना, अनर्हता और कार्य—(1) प्रवेश तथा शुल्क विनियमन के लिए ऐसी रीति से, जिसे विहित किया जाये, समिति का गठन किया जायेगा। उस समिति की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जायेगी जो राज्य का वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी है अथवा जो इस प्रकार रह चुका है अथवा केन्द्रीय विश्वविद्यालय या राज्य विश्वविद्यालय या ऐसा विश्वविद्यालय जिसका इस प्रकार होना समझा जाता है, के उपकुलपति द्वारा की जायेगी जिसे समिति का अध्यक्ष कहा जायेगा और जिसमें वित्त अथवा प्रशासन के मामलों में अनुभव रखने वाले दो अन्य सदस्य सम्मिलित होंगे।

(2) राज्य सरकार उपधारा (1) में उल्लिखित समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति करेगी।

(3) समिति के अध्यक्ष तथा प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल उसकी अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष होगा और किसी भी कारण से इसके पूर्व उत्पन्न होने वाली किसी भी रिक्ति की दशा में राज्य सरकार शेष अवधि के लिए उस रिक्ति को भरेगी।

(4) समिति का कोई भी कार्य या कार्यवाही मात्र किसी भी रिक्ति या समिति के गठन में किसी दोष के कारण अवैध होना नहीं समझी जायेगी।

(5) कोई भी व्यक्ति, जो किसी निजी सहायता प्राप्त अथवा असहायता प्राप्त संस्था से संयुक्त है, समिति का सदस्य बनने के लिए पात्र नहीं होगा।

(6) समिति के अध्यक्ष या किसी भी सदस्य को उस दशा में अपसारित किया जायेगा जब वह किसी ऐसे कृत्य को सम्पादित करता है जो राज्य सरकार की राय में, समिति के अध्यक्ष अथवा सदस्य के लिए अशोभनीय है :

परन्तु यह कि ऐसे किसी भी अध्यक्ष अथवा किसी भी सदस्य को राज्य सरकार द्वारा उसे सुने जाने का अवसर प्रदान किये बिना अपसारित नहीं किया जायेगा।

(7) समिति अपनी निजी प्रक्रिया को ऐसी रीति से तैयार कर सकेगी जिसे विहित किया जाये।

(8) समिति निजी सहायता प्राप्त या असहायता प्राप्त व्यावसायिक शैक्षिक संस्था या समझे गये विश्वविद्यालय या निजी विश्वविद्यालय से यह अपेक्षा कर सकेगी कि वह निर्धारित तारीख तक ऐसी सूचना को प्रदान कर सकेगी जो इस अधिनियम की धारा 10 के अधीन यथा निर्धारित शुल्क का अवधारण करने के लिए समिति को समर्थ बनाते हुए आवश्यक हो सकेगी जिसे प्रत्येक व्यावसायिक पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में संस्था द्वारा नियत किया जा सकेगा और इस प्रकार अवधारित शुल्क राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित ऐसी अवधि के लिए वैध होगा।

(9) राज्य सरकार अथवा समिति, यदि यह समाधान हो जाये कि व्यावसायिक शैक्षिक संस्था में अधिनियम के किसी प्रावधान का उल्लंघन किया गया है अथवा उससे अधिक शुल्क ले रही है जिसका इस अधिनियम की धारा 10 के अधीन अवधारण किया जा चुका है तो वह उस संस्था की सम्बद्धता अथवा मान्यता को वापस लेने के लिए समुचित वैधानिक निकाय से सिफारिश करेगी।

अध्याय 3

प्रवेश

5. पात्रता—निजी सहायता प्राप्त अथवा असहायता प्राप्त व्यावसायिक शैक्षिक संस्था में प्रवेश की पात्रता ऐसी होगी जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकेगा।

6. सीटों का आबंटन—(1) राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश से प्रबन्धतन्त्र की कोटि के अन्तर्गत अल्पसंख्यक संस्था को छोड़कर अन्य असहायता प्राप्त व्यावसायिक शैक्षिक निजी संस्था में स्वीकृत ग्राह्यता में से सीटों का आरक्षण कर सकेगी।

(2) तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी विधि में अन्तर्विष्ट प्रतिकूल किसी भी बात के होते हुए कि प्रबन्ध तन्त्र की कोटि के लिए आरक्षित सीटों में नागरिकों के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कोई आरक्षण नहीं होगा।

7. प्रवेश की रीति—असहायता प्राप्त व्यावसायिक शैक्षिक संस्था—

(क) सामान्य प्रवेश परीक्षा के आधार पर सामान्य कोटि के अधीन किसी सीट में ऐसी रीति से प्रवेश दे सकेगी जिसे राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाये;

(ख) प्रबन्धतन्त्र की कोटि के अधीन आरक्षित सीट के लिए ऐसी रीति से प्रवेश दे सकेगी जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित आदेश के माध्यम से निर्धारित किया जा सकेगा।

8. सामान्य प्रवेश परीक्षा—सहायता प्राप्त व्यावसायिक शैक्षिक संस्था में स्वीकृत सहायता में प्रवेश सामान्य प्रवेश परीक्षा के आधार पर ऐसी रीति से होगा जिसे विहित किया जाये।

9. प्रवेश—(1) सहायता प्राप्त या असहायता प्राप्त शैक्षिक संस्था में प्रत्येक प्रवेश को इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनायी गयी नियमावली के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा और उसके अतिलंघन में किया गया प्रत्येक प्रवेश शून्य होगा।

(2) राज्य सरकार अथवा समिति यदि समाधान हो जाये की सहायता प्राप्त अथवा असहायता प्राप्त व्यावसायिक शैक्षिक संस्था में इस अधिनियम अथवा नियमावली के किसी भी प्रावधान का अथवा इस निमित्त जारी राज्य सरकार के आदेश का उल्लंघन करते हुए प्रवेश लिया है, तो वह उस संस्था की सम्बद्धता अथवा उसकी मान्यता के वापस लिए जाने के लिए समुचित वैधानिक निकाय से सिफारिश कर सकेगी।

अध्याय 4

शुल्क का स्थिरीकरण

10. घटक—(1) समिति निम्न को ध्यान में रखते हुए निजी सहायता प्राप्त या असहायता प्राप्त व्यावसायिक शैक्षिक संस्था द्वारा लिये जाने वाले शुल्क का अवधारण करेगी—

(i) व्यावसायिक पाठ्यक्रम की प्रकृति;

(ii) उपलब्ध मूलभूत ढांचा;

(iii) व्यावसायिक संस्था की प्रगति और विकास के लिए अपेक्षित युक्तियुक्त अतिरेक;

(iv) प्रशासन और अनुरक्षण पर व्यय;

(v) संस्था के अध्यापन और गैर अध्यापन कर्मचारियों पर व्यय;

(vi) अन्य कोई सुसंगत घटक।

(2) समिति संस्था को किसी शुल्क को नियत करने के पूर्व सुने जाने का अवसर प्रदान करेगी :

परन्तु यह कि ऐसा कोई भी शुल्क, जिसे समिति द्वारा नियत किया जा सकेगा, शिक्षा के लाभकरण या वाणिज्य करण की कोटि में नहीं आयेगा।

अध्याय 5

प्रकीर्ण

11. अपीलें—राज्य सरकार किसी ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में अपील प्राधिकरण की नियुक्ति करेगी जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका है, जिसके समक्ष समिति के आदेश से क्षुब्ध व्यक्ति या व्यावसायिक संस्था ऐसे आदेश के प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर अपील दाखिल कर सकेगा।

12. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होगा—इस अधिनियम के प्रावधान, तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी भी विधि में अथवा इस अधिनियम को छोड़कर अन्य किसी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाले किसी भी लिखत में अन्तर्विष्ट, उससे असंगत किसी भी बात के होते हुए प्रभाव रखेंगे।

13. नियम बनाने की शक्ति—राज्य सरकार अधिसूचना के माध्यम से इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियमों की विरचना कर सकेगी।

14. विनियमों को बनाने की शक्ति—(1) राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई भी प्राधिकारी, अधिसूचना के माध्यम से, इस अधिनियम अथवा उसके अधीन बनायी गयी नियमावली से सुसंगत विनियमों की विरचना कर सकेगी।

(2) विशेष कर और शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे विनियमों में निम्नलिखित मामलों में से सभी के लिए या उनमें से किसी एक के लिए प्रावधान किये जा सकेंगे, अर्थात्—

(क) समिति के गठन तथा कार्य प्रणाली और निबन्धन एवं शर्तें;

(ख) निजी व्यावसायिक शैक्षिक संस्था द्वारा विद्यार्थियों से लिए जाने वाले शुल्क के अवधारण की रीति अथवा मापदण्ड;

(ग) निजी व्यावसायिक शैक्षिक संस्था द्वारा विद्यार्थियों से लिये जाने वाले शुल्क।

15. कठिनाईयों का अपसारण करने की शक्ति—(1) यदि इस अध्यादेश के प्रावधानों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार अधिसूचित आदेश के माध्यम, ऐसे प्रावधानों को बना सकेगी जो इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हो, जिनका उसे कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक अथवा समीचीन होना प्रकट होता हो।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश, जैसे ही उसे किया जाता है, विधान सभा के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

16. सद्भाव में की गयी कार्रवाई का संरक्षण—ऐसी किसी भी बात के लिए जिसे सद्भाव में किया जाता है अथवा इस अधिनियम के अधीन किया जाना आशयित है, राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार के किसी भी अधिकार अथवा अपील प्राधिकारी या समिति के अध्यक्ष अथवा सदस्यों के विरुद्ध कोई भी वाद, अभियोजन अथवा अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।

17. निरसन एवं व्यावृत्ति—(1) उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और शुल्क का स्थिरीकरण) अध्यादेश, 2006 (वर्ष 2006 का उ० प्र० अध्यादेश संख्या 1) को एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन की गयी किसी भी बात अथवा की गयी किसी भी कार्रवाई की, उस निरसन के बावजूद, इस अधिनियम के अधीन उसी प्रकार से किया जाना समझा जायेगा मानो इस अधिनियम के प्रावधान सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्त रहे हों।

———————